।। श्रीकृष्णाय नमः।।

श्रीमद्विट्ठलेश्वरप्रभुचरणविरचितः

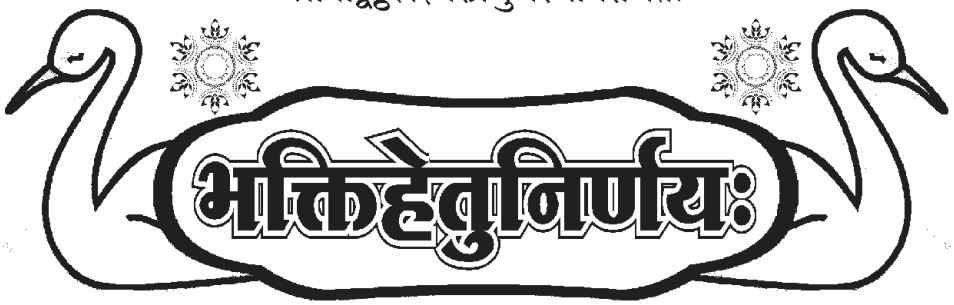

ब्रह्मादिदुर्लभकथं राधामानापनोदकं कृष्णम्।

श्रीरघुनाथचरणविरचिता भक्तिहेतुविवृतिः

नमो भक्तिरसास्वाददात्रे वल्लभसूनवे।
कलिकल्मषधातिन्यै तद्वाण्यै च नमः सदा।।

भक्तेः असाधारणकारणं निश्चिकीर्षवो नुतिरूपं मङ्गलम् आचरन्ति–ब्रह्मादि इति। उत्तमाधिकारिणाम् अपि ब्रह्मादीनां श्रोतुं दुर्लभा कथा यस्य। राधाया

श्रीकेदारनाथमिश्रविरचित

हिन्दी अनुवाद तथा भक्तिहेतुनिर्णयप्रकाशिकाख्या हिन्दी व्याख्या

'चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः।

स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः।।''
श्रीमद्वाल्लभशास्त्रमात्तवपुषं स्नेहावतारं गुरुम्,
आचार्य कृतपुण्यपुण्यनिचयं गोस्वामिनं दीक्षितम्।
शिष्यानुग्रहविग्रहं मतिमतां श्रद्धास्पदं सादरम्,
ध्यात्वा वैष्णवशास्त्रपद्ममिहिरं तस्यात्मजं भावये।।
प्रणभ्य विट्ठलेश्वरान् कृतो हि तैर्हितोद्यतै–
र्फलात्मभक्तिरूपकारणादिकं विवेचितुम्।
अनुद्य राष्ट्रभाषयाऽत्र भक्तिहेतुनिर्णयः,
तदात्मजप्रणीतटीकया युतः प्रकाश्यते।।

भक्ति के असाधारण कारण का निश्चय करने के इच्छुक श्रीविट्ठलेश प्रभुचरण ग्रन्थ के प्रारम्भ में स्तुतिरूप मङ्गलाचरण करते हैं।

तदनुग्रहैकलभ्यां भक्तिश्च नुमस्तदीयांश्च।।१।।

ननु इदम् अनेकप्रमाणविसंवादी इव भाति यद् अनुग्रहेतर-साधनासाध्यत्वं भक्तौ। तथा हि एकादशस्कन्धे एकोनविंशे,

'श्रद्धाऽमृतकथायां मे' (भाग.११।१९।२०) इत्युपक्रम्य,

'इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थे यद् व्रतं तपः।।' (भाग. ११।१९।२३)

'एवं धर्मैः मनुष्याणाम् उद्धवात्मनिवेदिनाम्।
मयि सञ्जायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थोऽस्यावशिष्यते।।' (भाग.११।१९।२४)

इत्यत्र भगवद्धर्माणां यागदानादेश्च भक्तिहेतुत्वं श्रूयते१।

तत्र एव पूजाप्रकारम् उक्त्वा,

भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्।' (भाग. ११।२७।५३)

इति भगवता उक्तम्। दशमस्कन्धे सप्तचत्वारिंशे च,

'दानव्रततपोहोमजपस्वाध्यायसंयमैः।

मानं चित्तसमुन्नतिम् अपनुदति इति तथा तं कृष्णं नुमः स्तुम इत्यर्थः। किञ्च तस्य एव कृष्णस्य एव अनुग्रहेण एव एकेन लभ्यां प्राप्याम्। इदम् एव अग्रे विवादारणसंशयबीजवाक्यं ज्ञेयम्। भक्तिश्च नुमः तदीयांश्च। तस्य एव अनन्यभक्तान् इत्यर्थः।।१।।

अनुग्रहेतरयागादिसाधनानाम् एव भक्तिहेतुत्वम् इतिवादी शङ्कते-ननु इति। अनुग्रहैकलभ्यां भक्तिम् इति यद्वचनम् उक्तं तत् 'श्रद्धाऽमृत कथायां मे' (भाग. ११।१९।२०) इत्यादिवक्ष्यमाणैः अनेकैः बहुभिः प्रमाणैः शब्दरूपैः सह विसंवादी इव विरुद्धार्थकम् इव भाति इति। इवशब्देन तत्त्वापरिचयः सूचितः।

---

१. पा. साध्ये

श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते[1]।। (भाग. १०।४७।२४)

इति उद्धववाक्ये दानादेः तथात्वम् उच्यते।

'जन्मान्तरसहस्रेषु तपोध्यानसमाधिभिः।
नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते[2]।।'

इत्यत्र पापाभावस्य अपि तथात्वम् उच्यते।

---

१. दानादिभिः सर्वैः कृष्णे स्नेह एव साध्यते, स चेत् कामेन एव जातः किं दानादिना, स्नेहे वैलक्षण्याभावात्। फले वैलक्षण्याभावे साधनवैजात्यम् अप्रयोजकम्। 'तदघं हित्वा' इति विशेषः तु उक्तं। दानं तुलापुरुषादि। व्रतम् एकादश्यादि। तपः कृच्छ्रादि। होमः काम्यः, अग्निहोत्रादिः अपि। जपो मन्त्रादिः। स्वाध्यायो वेदाध्ययनम्, वेद एव वा सर्वविधोऽपि। संयमो योगादिः। अन्यानि श्रेयांसि कूपारामादीनि। सर्वेषाम् एषाम्, 'एकस्य तु उभयत्वे संयोगपृथक्त्वम्' इति न्यायेन तत्फलसाधकत्वं भक्तिसाधकत्वञ्च। अन्यैः इति अविहितैः अपि, कृष्णे सदानन्दे, तस्य एवं फलत्वम् इति एतदर्थम् एवं आविर्भूत इति वा। 'भक्तियोगवितानार्थम्' इति वाक्यं हि शब्देन उच्यते। साद्यते इत्यनेन आत्मत्वेन नित्यस्नेहो निवारितः। (भाग. सुबो. १०।४७।२४)।

२. यह इस श्लोक का श्रीवल्लभाचार्यसम्मत पाठ है। उनकी सुबोधिनी (१०।८।१८) में इसे इसी रूप में उद्धृत किया गया है। विष्णुसहस्रनाम के (श्रीरामानुजाचार्यके समकालिक विद्वान् श्रीपराशर भट्टार्य द्वारा विरचित 'भगवद्गुणदर्पण' नामक भाष्य में भी (पृष्ठ १६६ पर) 'महाक्रमो महाकर्मा' इत्यादि श्लोक में आये 'महाक्रमः' नाम की व्याख्या के प्रसङ्ग में भक्ति की दुर्लभता की ओर सङ्केत करते हुए इस श्लोक को इसी रूप में उद्धृत किया गया है। इस ग्रन्थ में संग्रहित प्रमाणों की आकर सूची में (पृष्ठ १९ पर) इसे 'लघ्वन्निस्मृति' का श्लोक बताया गया है। श्री वेदान्तदेशिकके मणिप्रवाल (संस्कृत-तमिल-मिश्रित) भाषा में लिखे गये श्रीमद्रहस्यत्रयसारके श्री कू.व. नीलमेघाचार्यकृत संस्कृत अनुवाद में परदेवतापारमार्थ्याधिकार में (पृष्ठ ६३ पर) भी यह श्लोक, इसी रूप में उद्धृत मिलता है। इस कृति के सम्पादक पं. उत्तरमूर ति. वीर राघवाचार्य ने 'संस्कृत प्रमाणाकरः' शीर्षक परिशिष्ट में (पृष्ठ २६ पर) इसे पाञ्चरात्रका श्लोक बताया है। गो. पुरुषोत्तमने सुबोधिनी (१८।४७।२४) की अपनी प्रकाश व्याख्या में इसे अधोलिखित रूप में उद्धृत किया है।

'जन्मान्तरसहस्रेषु तपोध्यानसमाधिभिः। नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्तिर्हिं जायते।।'

पूर्वमुद्रित भक्तिहेतुनिर्णय और विष्णुसहस्रनामके (श्लोक ९६ नाम संख्या ७७७, 'दुर्लभः' के) श्रीशङ्कराचार्यकृत भाष्य-जहाँ इसे 'व्यासवचन' कहकर उद्धृत किया गया

एकादशे एव,

'यथाऽनुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणां भवेत्।
स्वधर्मेणारविन्दाक्ष! तन्ममाख्यातुमर्हसि[1]।।' (भाग. ११।१७।२)

इति प्रश्ने, वर्णाश्रमधर्मान् निरूप्य,

'इति मां य स्वधर्मेण भजेन्नित्यमनन्यभाक्।
सर्वभूतेषु मद्भावो मद्भक्तिं लभतेऽचिराद्[2]।।' (भाग. ११।१८।४४)

इत्युपसंहारात्, पूर्वोक्तधर्माणां भक्तिहेतुत्वं निश्चीयते।

न च, 'भक्त्युत्पत्तौ स्वरूपयोग्यता-सम्पादकत्वेन धर्मेषु तद्धेतुत्वम् उपचर्यते' इति वाच्यम्, जीवत्वेन एव तत्र स्वरूप योग्यत्वात् सर्वेषाम्, 'देवोऽसुरो मनुष्यो वा[3]' (भाग. ७।७।५०) इति वाक्याद्, आगन्तुकधर्माणां क्वचिद् अपि तत्सम्पादक-त्वादर्शनाच्च।

ननु, 'घटादिकार्ये यथा दण्डत्वम् एवं कारणतावच्छेदकम्, न दृढत्वम्, तस्य स्वरूपयोग्यतासम्पादकत्वाद्, एवम्, अत्र अपि भक्त्युत्पत्तिं प्रति अनुग्रहस्य एव कारणत्वम्, न तु धर्मादीनाम् अपि, तेषां स्वरूपयोग्यता-सम्पादकत्वेन अन्यथा-सिद्धत्वाद् औपचारिकं कारणत्वम्' इति चेत्, तन्नाह

है-के अनुसार इस श्लोक का पाठ अधोलिखित है।

'जन्मान्तरसहस्रेषु तपोज्ञानसमाधिभिः। नराणांक्षीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते।।''

१. गीता प्रेस से प्रकाशित श्रीमद्भागवत में मुद्रित इस श्लोक के चतुर्थ चरण का पाठ 'तत् समाख्यातुमर्हसि' है।

२. गीता प्रेस से प्रकाशित श्रीमद्भागवत में मुद्रित इस श्लोक के चतुर्थ चरण का पाठ मद्भक्तिं लभते दृढाम्' है।

३. देवाऽसुरो मनुष्यो वा यक्षा गन्धर्व एव वा।
भजन् मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्याद् यथा वयम्।। (भाग. ७।७।५०)

'धर्मवताम् अपि भक्त्यभावेन व्यभिचाराद् अकारणत्वम्' चेद् ब्रवीति भवान्, तदा धर्मसहकारित्वम् अनुग्रहस्य अङ्गीकरोतु। न हि सहकारिविरहेण कार्याभावोऽकारणतासम्पादकः, दण्डादेः अपि घटादौ तथात्वप्रसङ्गात्।

'भक्त्यैव तुष्टिमभ्येति विष्णुर्नान्येन केनचित्',

'भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय[१]' (भाग. ७।९।९),

'प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम्[२]' (भाग. ७।७।५२)

इत्यादिवाक्यैः वैपरीत्यश्रवणाच्च भक्तौ धर्मसम्पत्तिः हेतुः, भक्तिः अनुग्रहे, इति युक्तम् उत्पश्यामः।

न च इति। जीवत्वेन एव इत। जीवत्वम् एव स्वरूपयोग्यतावच्छेदकम्, न तु धर्मादिमत्त्वम् अपि इति भावः, 'देवाऽसुरो मनुष्यो वा' (भाग. ७।७।५०) इति सामान्येन निर्देशाद् इत्यर्थः। आगन्तुक इति। साहजिकाच्छिद्रत्वादिकं घटादिषु जलाहरणादियोग्यता-सम्पादकं न तु अनन्तरोत्पन्ननीलपीतादि यथा, तथा अत्र अपि जीवत्वस्य एव तथात्वं, न धर्मवत्त्वस्य अपि इति भावः।

ननु, 'धर्मवश्वादिहेतोः भक्तिमत्त्वसाध्याभाववद्गामित्वेन व्यभिचाराद् असाधकोऽयं हेतुः', इति यत्तव मतं तन्न सम्यक् यतोऽस्माभिः अनुग्रहस्य धर्मादिसहकारित्वम् उच्यते, घटादिकार्ये दण्डादेः इव। अतः सहकार्यभावनिबन्धनकार्याभावो न कारणताहानिदः, तथा सति दण्डादेः अपि अकारणत्वं स्यात्।

पूर्वम् 'अनुग्रहसहकृतो धर्मो हेतुः' इति वादी, साम्प्रतम् अनुग्रहस्य तोषरूपत्वम् अङ्गीकृत्य तत्र भक्तिः हेतुः इति वैपरीत्यम् अङ्गीकृत्य, तस्यां भक्तौ धर्मो हेतुः इति अभिप्रेत्य आह-भक्त्यैव इत्यारभ्य उत्पश्याम् इत्यन्तेन।

---

१. मन्ये धनाभिजनरूपतपः श्रुतौजस्तेजः प्रभावबलपौरुषबुद्धियोगाः।
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय।। (भाग.७।९।९)

२. न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च।
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम्।। (भाग. ७।७।५२)

न च, 'धर्मरहितानामपि भक्तिदर्शनात्, नैवम्' इति वाच्यम्, कार्येण जन्मान्तरीयतदनुमानसम्भवात्।

न च अन्योऽन्याश्रयः, वाचनिकं हि एतत्, पूर्वोक्तवाक्यैः असन्दिग्धधर्मकारणतानिश्चयात्।

न च 'अनुग्रहहेतुत्वेन तद्धेतुत्वं तेषु उच्यते इति[१]'' वाच्यम्, एवंबोधकप्रमाणाभावात्, साक्षात् तत्कारणत्वबोधकस्य उक्तत्वात्।

धर्मस्य अनैकान्तिकत्वम् आशङ्कय समाधत्ते–न च इति। कार्येण इति भक्तिरूपकार्येण इत्यर्थः। तदनुमान् भक्तिहेतुधर्मानुमानम्।

व्याप्तेः अव्यभिचारघटितत्वाद्, हेतोः अव्यभिचरितत्वग्रहे, जन्मान्तरीय धर्मसिद्धिः, जन्मान्तरीयसिद्धयधीनश्च अव्यभिचारग्रहः, इति अन्योऽन्याश्रयलक्षणो दोषो ज्ञेयः। वाचनिकम् इति। अन्योऽन्याश्रयदोषः तदा उच्येत यदि अनुमानैकसमधिगम्यं भक्तिहेतुत्वं धर्मस्य स्यात्। न तु एवम् अस्ति, किन्तु एतज्जन्मान्तरीयधर्मरूपकारणज्ञानं वाचनिकं शाब्दम् इत्यर्थः। स च शब्दो 'जन्मान्तरसहस्रेषु' इत्यादिकः।

ननु धर्मस्य स्वाव्यवहितकार्यानुग्रहे एव हेतुत्वं युक्तं, न तु व्यवहितेऽपि इत्यत आह–न च इति। यद्धा, अनुग्रहस्य हेतुत्वे सिद्धे, तद्धेतुत्वं भक्तिहेतुत्वं तेषु धर्मेषु न उच्यत इति न च वाच्यम् इति योजना१। प्रमाणाभावाद् इति। अनुग्रहस्य साक्षाद्धर्मजन्यत्वम्, अनुग्रहद्वारा धर्माणां भक्तिहेतुत्वम्, इति अस्मिन् अर्थे प्रमाजनकं किमपि नास्ति इत्यर्थः। प्रत्युत साक्षात्कारणत्वे प्रमाण–सद्भावात्। तानि च प्रमाणानि मूल एव उदाहृतानि 'श्रद्धाऽमृतकथायां मे' (भाग. ११।१९।२०) इत्यादीनि।

---

१. विवृत्ति में मूलग्रन्थ के इस वाक्य की वैकल्पिक योजना 'अनुग्रहहेतुत्वे न तद्धेतुत्वं तेषु उच्यते' इस प्रकार करके जो व्याख्या की गई उसका तात्पर्य भी यही है कि भक्ति को अनुग्रहजन्य न मानकर धर्माचरणादिजन्य मानने वाले पूर्वपक्षी का कहना है कि उसके विपक्षी का यह कहना ठीक न होगा कि 'धर्माचरण अनुग्रह का हेतु है यह मान लेने पर धर्माचरण को भक्ति का हेतु मानने की आवश्यकता नहीं रह जाती', क्योंकि ऐसा कोई प्रमाणवाक्य उपलब्ध नहीं होता जिससे विपक्षी के इस मत की पुष्टि होती हो।

किञ्च, अनुग्रहो नाम धर्मान्तरं फलदित्सा एव वा?

न आद्यः, मानाभावाद् गौरवाच्च।

न इतरः, तस्याः नित्यत्वेन तत्सहकार्यनङ्गीकाराच्च,

सर्गादौ एव भक्तिसम्भवेन अधुना एव भक्तिमत्त्वानुपपत्तेः, तस्याः मुक्तिचरमकारणत्वेन तेषां द्वितीयजन्मासम्भवेन आधुनिक भक्तदर्शनानुपपत्तेश्च।

आद्यपक्षेऽपि इदं दूषणं ज्ञेयम्, भगवद्धर्माणां नित्यत्वाङ्गीकारात्।

धर्मजन्योऽनुग्रह इतिवादिनाम् अनुग्रहस्य किं संस्कारादिवत् जन्यधर्मरूपत्वम्, इच्छारूपत्वं वा, इति विकल्प्य एकैकशो दूषयति-किञ्च इत्यादिना।

न आद्यः इति। 'प्रयाजादिजन्यापूर्ववद् अनुग्रहोऽपि जन्यधर्म एव' अस्मिन् अर्थे प्रमाणानुपलब्धेः। अनुपपत्त्यभावेऽपि अक्लृप्तपदार्थकल्पने गौरवदोषप्राप्तिः, अतः न प्रथमपक्षः।

न इतरः इति। इतरः फलदित्सापक्षः। तस्याः इति। भगवदिच्छाया नित्यत्वं धर्मिग्राहकमानसिद्धम्। तादृश्याः च अनित्यधर्मकारणसहकारित्वं विरुद्धम्। न हि नित्यस्य अनित्यकारणसहकारित्वं क्वचिद् घटपटादिषु दृष्टचरम्। दूषणान्तरम् आह-सर्गादौ इति। यो जीवोऽग्रे भक्तो भावी सोऽपि सृष्ट्यारम्भ एव मुक्तिचरमकारणभक्तिं प्राप्य मुक्त एव स्यात्, न तु इदानीम् उपलभ्येत अपि, तत्कारणेच्छायाः सर्वदा सत्त्वाद् इत्यर्थः।

आद्य-इति। 'अनुग्रहो भगवद्धर्मविशेषः कश्चन' इति अस्मिन् अपि पक्षे भगवद्धर्माणां नित्यत्वेन सर्गादौ एव मुक्तिसम्भवेन आधुनिकभक्तदर्शनानुपपत्तिः इति भावः।

तस्य जन्यत्वोक्तौ तु परमतप्रवेशः। धर्माणामेव तज्जनकत्वसम्भवाद्ः इच्छायाः तथात्वे पूर्वोक्तदूषणापत्तिः नित्यत्वात् तस्याः।

तस्याश्च ज्ञानजन्यत्वनियमेन नित्यसर्वविषयकज्ञान-वदिच्छायाश्च जन्यत्वम् अनुपपन्नम्।

किञ्च, अनुग्रहस्य अनियतत्वे निःशङ्का तदर्थिप्रवृत्तिः न स्यात्। स्वविषयकानुग्रहास्तित्वस्य ज्ञातुम् अशक्यत्वात्। ज्ञाने च प्रवृत्त्युच्छेदः। तथा च,

---

तस्य इति भगवद्धर्मानुग्रहस्य जन्यत्वकथने परेषां भगवद्दृष्टिबहिर्मुखानां मते सिद्धान्ते प्रवेशः स्वीकारो, भवेद् इति शेषः।

किञ्च, जनकत्वम् अपि अनुग्रहं प्रति धर्माणाम् एव वाच्यम्, न तु इच्छायाः, तस्याः च नित्यत्वाद् एव पूर्वोक्तदूषणस्य सर्गादौ एव मुक्त्या पत्तिरूपस्य प्रसङ्गः स्याद् इत्यर्थः। अत्र हेतुः नित्यत्वात् तस्याः इति।

ननु भवतु अनित्यत्वम् इच्छायाः, तथा सति न उक्तदूषणापत्तिः, इति चेत्, तत्र आह-तस्याः च इति। इच्छायाः जन्यत्वोक्तौ जनकत्वं तु तत्समानाधिकरणसमानविषयज्ञास्य एव वाच्यम्। तच्च अनुपपन्नम्। भगवन्निष्ठयोः तयोः नित्यत्वं सर्वविषयकत्वं च धर्मिग्राहकमानसिद्धम् इत्यर्थः।

जन्यत्वे बाधकान्तरमाह-किञ्च इत्यारभ्य तथात्वञ्च अग्रे इत्यन्तेन।

अनुग्रहस्य इति। अनुग्रहस्य जन्यधर्मान्तरत्वम् आश्रित्य इदं वचनम्। अनियतत्वे किञ्चिद्धर्मस्य व्याप्यत्वज्ञानाभावे, तद्व्यापकानुग्रहस्य अनुमातुम् अशक्यत्वात्, निःशङ्का तदधीनभक्त्यर्थिप्रवृत्तिः भक्तौ न स्याद्, धूमादर्शने पर्वतीयवह्नयर्थिप्रवृत्तिवद् इत्यर्थः। तदेव स्पष्टीकर्तुमाह-स्वविषयक-इति। ननु भक्तौ पक्षपातश्रद्धातिशयत्वादिना तत्कारणानुग्रहास्तित्वं ज्ञायतां, ततो न कापि प्रवृत्तौ अनुपपत्तिः, इति चेत? तत्राह-ज्ञाने च इति। भक्तिसाधन इति शेषः। भक्तिकारणानुग्रहास्तित्वनिश्चये अनायासेन एव सेत्स्यन्त्यां भक्तौ

'अस्यां[1] वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपूरुषे।

भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा।।' (भाग.१।७।७)

इत्यादिना तदर्थं व्यासस्य श्रीमद्भागवते प्रवृत्तिः इत्युक्तिश्च विरुद्धा स्यात्।

किञ्च, त्वदुक्तरीत्या शास्त्रार्थज्ञाने श्रौतविधिनिषेधाङ्गीकारानुपयोगज्ञानाद् भक्त्यर्थिषु सदाचारोच्छेदप्रसङ्गः।

न च इष्टापत्तिः भक्त्यतिशयोत्तरकालीनत्वाद् एवंभावस्य। अतएव भरतस्य अतथात्वं पूर्वं, तथात्वञ्च अग्रे।

कायक्लेशसाध्ये श्रवणादौ साधने न कोऽपि प्रवर्तेत इति भावः। श्री भागवते व्यासस्य भक्त्यर्थितया प्रवृत्तिवचनं विरुद्धं स्याद्, अतः प्रमाणविरुद्धोऽपि अयम् अर्थो ज्ञेयः।

दूषणान्तरम् अपि आह-किञ्च इति। अनुग्रहैकलभ्यत्वम् एव भक्तौ न साधनसाध्यत्वम् अपि इति या त्वदुक्ता रीतिः, तया प्रणालिकया शास्त्रार्थज्ञाने उच्यमाने तदभिनिविष्टस्य कर्तव्याकर्तव्ययोः अर्थयोः विधायकनिषेधकशास्त्रयोः उपयोगो न स्याद् एव, अकिञ्चित्करत्वाद् इत्यर्थः। एवं गुरुशिष्यपरम्परा भक्तिमुपादित्सूनां सन्ध्यावन्दनादिशिष्टाचारोच्छेदः स्यात्, स न्याय्यो न भवति इत्यर्थः।

ननु सर्वात्मभावपूर्विकानन्यभक्तौ सर्वधर्मत्यागे समीहितसिद्धिः इति चेत्, तन्नाह-न च इति। भक्त्यतिशयः भक्त्युद्रेकः तदनन्तरं स्वयमेव

---

१. यह सुबोधिनीसम्मत पाठ है। पूर्वमुद्रित भक्तिहेतुनिर्णय में 'यस्यां' यह पाठ है।

अस्यां वै श्रूयमाणायाम् इति। भक्त्युत्पत्तिपर्यन्तम् इयं श्रोतव्या। इयञ्च दृष्टद्वारा भक्तिजनिका। दृष्टे सम्भवति अदृष्टकल्पनाया अन्याय्यत्वात्। यथा च अस्या दृष्टोपयोगः तदुपपादितं प्रथमश्लोके। कृष्णे आविर्भूते भगवति। परमपूरुषे सर्वप्रमाणसमन्वये कालादिनियन्तारि वा। भक्तिः उत्पद्यते स्वतन्त्रस्य। शोकमोहभयानि रजस्तमस्सत्त्वकार्याणि तानि अपहन्ति इति तथा। अनर्थनिवृत्तिः दूरे। गुणकार्यमात्रम् एव निवर्तन इत्यर्थः। (भाग.सुबो. १।७।७)

तस्माद् अकामोहताखिलवर्णाश्रमधर्मैः अनेकजन्म-सञ्चितैः सत्त्वशुद्धौ, अञ्चनाभ्यासजनितनयनतिमिरोपहतौ वस्तुतत्त्वज्ञानम् इव, भगवद्भक्तिः एव परमपुरुषार्थः इति शास्त्रार्थज्ञानम्। ततःतदर्थम् एवं वर्णाश्रमधर्मकरणे भगवद्भक्तिः, तया च अनुग्रहः, तेन च मुक्तिः, इति राजवर्त्मविदुषां विदुषां न ज्ञानधनमोषः कथञ्चन, इति स्थिते वदामः।

त्वदुक्तचित्तशुद्धौ अपि एकेषां ज्ञानमार्गिता, केषाञ्चिद्

जायमानत्वाद्, एवंभावस्य सर्वधर्मत्यागपूर्वकावस्थानस्य। ज्ञानपूर्वकं तथा आचरणे प्रत्यवाय एव। तथा च स्मर्यते,

'श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे यस्ते उल्लङ्घ्य वर्तते।
आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी मद्भक्तोऽपि न मे प्रियः।।' इति।

अस्मिन् अर्थे प्राचीनाचरितं प्रमाणयन्ति, अत एव इति। भरतस्य जड़भरतस्य, अतथात्वं सर्वधर्मत्यागाकरणम्, पूर्वं राजशरीरदशायाम्। तथात्वं सर्वत्यागपूर्वकम् अवस्थानम्, अग्रे पश्चाद् ब्राह्मणदशायाम्।

स्वमतम् उपसंहरति भक्तेः साधनसाद्यत्ववादी-तस्माद् इति। कामैः विषयलालसैः न उपहताः विषयीकृताः, अखिलाः सर्वे ये वर्णानाम् आश्रमाणाञ्च धर्माः, तैः साधनभूतैः अनेकजन्मोपार्जितैः, सत्त्वस्य अन्तःकरणस्य शुद्धौ जातायां सत्यां, भगवद्भजनम् एव पुरुषार्थ इति एवंरूपं शास्त्रार्थ निश्चिनोति, 'जन्मान्तरसहस्रेषु' इत्यादिवचनाद् एवंविधनिश्चयस्य उचितत्वात्। अत्र दृष्टान्तः। ब्राह्यदृष्टिदोषाणां निवारकाञ्चनप्रक्षेपजनिततन्निवृत्तौ घटादिवस्तु याथार्थ्यज्ञानम् इव। तदनन्तरं भक्त्यर्थम् एव वर्णाश्रमधर्मानुष्ठानं, तेन भक्तिः फलम्। तया च भक्त्या जनितः अनुग्रहः भगवन्निष्ठो जीवविषयकः, तेन मोक्षः, इति एवंविधं राजपथं जानतां शङ्काशूकरूपतस्करोपद्रवाभावात् न ज्ञानरूपधनस्य स्तेयम् इति एवं वादिनि प्रत्यवतिष्ठमाने ब्रूम इत्यर्थः।

त्वदुक्त-इति। अकामोपहतधर्मै इत्यर्थः। ज्ञानमार्गिता भक्तिम् अनादृत्य ज्ञानमार्गैकनिष्ठता इत्यर्थः। अनयथा एकत्र उभयसद्भावप्राशस्त्यं विरुद्धचेत।

भक्तिनिष्ठता एव इति अत्र को हेतुः इति उच्यताम्। न च शुद्धौ तारतम्यं वाच्यम्, तत्तुल्यता, यतो ज्ञानस्य अपि अन्यथा उत्पत्तिः न स्याद् इति विचारय।

तस्मादाद्यप्रवृत्तिर्या भक्तावनुपपत्तितः।

केवलानुग्रहात् सेति मन्तव्यं प्रतिवादिना।।

ननु 'एवम् अपि मदुक्तम् एव अनुवदति भवान्, यतः अनुग्रहरूपसहकारिविशेषं प्राप्य सत्त्वशुद्धिः एव भक्तिं जनयति, अप्राप्य तं न ताम् इति वदति, अन्यथा शुद्धेः पूर्वम् एव भक्त्यु–

तदुक्तं निबन्धे आचार्यचरणैः, 'ज्ञानी चेद्भजते कृष्णं तस्मान्नास्त्यधिकः परः' (त. शास्त्रार्थप्र.का.१४) इति। भक्तिनिष्ठता भक्तिमार्गैकनिष्ठता। अत्र उभयोः वैलक्षण्यं सार्वजनीनम्। तच्च न कारणैक्ये घटते, अतः तद्वैविध्यम् अवश्यं वाच्यम् इत्यर्थः।

ननु क्लृप्तचित्तशुद्धौ एव अवान्तरभेदेन तद्वैविध्यम् उच्यतां, न तु अक्लृप्तहेत्वन्तरम् अपि इति, अत आह–न च इति। तत्तुल्यता इति। शुद्ध्यापादकधर्मादीनाम् उभयत्र अपि साम्येन उपलम्भाद् इत्यर्थः। ज्ञानस्य अपि इति। चित्तशुद्धिः भक्तौ स्वातिरिक्तम् अपेक्षते यदि तदा ज्ञानोत्पत्तौ अपि तथात्वापत्तिः इति भावः।

स्वसिद्धान्तमाह–तस्माद् इति। अनुपलब्धसाधनस्य जीवस्य सृष्टारम्भे इयं प्रथमतया प्रवृत्तिः भक्तौ या दृश्यते सा केवलानुग्रहात् साधनान्तरासहकृताद् एव भवति, साधनानाम् अनुपलम्भात्, प्रकारान्तरेण उपपत्त्य भावाद् इत्यर्थः।

ननु अनुमितिसद्भावात् कथं न साधनान्तरोपलम्भः? तथा हि 'विवादाध्यासिता प्रवृत्तिः अनुग्रहेतरपूर्विका, क्रियात्वाद्, भुजिक्रियावद्' इति चेत? न प्रतिपक्षसद्भावात्। तथा हि, 'पूर्वोक्ता प्रवृत्तिः न अनुग्रहेतरपूर्विका, भक्त्यर्थि क्रियात्वात्, नारदप्रह्लादादिक्रियावद्' इति। अस्य अनुग्राहकं प्रमाणं 'यमेवैष वृणुते' (कठोप. १।२।२३, मुण्ड.उप. ३।२।३) इति पूर्वोक्तश्रुतिः अनुसन्धेया।

त्पत्तिप्रसङ्गस्य दुर्वारत्वम्,' इति चेत्, तर्हि आवश्यकत्वात् लाघवाच्च अनुग्रह एव तद्धेतुः अस्तु, कृतं शुद्ध्यादिभिः।

न च विनिगमकाभावद् दण्डचक्रादेः घटकारणतावद् अत्र अपि वाच्यम्। तत्र अन्योऽन्यसापेक्षतया एव कार्यजनकत्वात् तथात्वम् उच्यते, न इह तथा, साधनरहितानाम् अपि भक्तिदर्शनात्।

न च जन्मान्तरीयतदनुमानं तेषु इति वाच्यम्, इतरसाधन–

भ्रान्तः शङ्कते, ननु इति। शुद्ध्यन्तरभावि अनुग्रहरूपसहकारिविशेषं प्राप्य इत्यर्थः। तम् अनुग्रहम् अप्राप्य तां भक्तिम् इत्यर्थः। अन्यथा इति। अनुग्रहसहकारिविलम्बनिबन्धनो भक्त्युत्पत्तिविलम्बो यदि न उच्यते तदा उक्तदोषः स्याद् इत्यर्थः। आवश्यकत्वाद् इति। 'यमेवैष वृणुते' (कठोप. १।२।२३, मुण्ड. उप. ३।२।३) इत्यादिप्रमाणान्यथानुपपत्त्या अनुग्रहस्य सर्वकारणापेक्षया पूर्वभावित्वम् अवश्यम् अभ्युपेयम्, अत आवश्यकत्वात्। लघुनि प्रमाणानां पक्षपात इति न्यायाच्च। अनेकधर्मादीनां कारणत्वे गौरवं, तदपेक्षया वरम् एकस्य एव अनुग्रहस्य, तद्धेतोः एव अस्तु, किं तेन, इति न्यायाद् इत्यर्थः।

यथा घटकारणदण्डचक्रकुलालादीनाम् एकत्र एव कारणता, वैशिष्ट्यनिश्चायकाभावाद् अविशेषेण सर्वेषां कारणत्वम्, एवम् अनुग्रहस्य अपि धर्मादिसहभावे एव किं न स्याद्? इति आशङ्क्य, आह–न च इति। तत्र इति। घटोत्पत्तौ चक्रदीनां सहभावेन एव कार्यकारित्वं दृष्टम्, अतः तन्न दृष्टानुरोधेन तथा कल्पनम् उचितम्, प्रकृते तु न तथा, साधनराहित्येऽपि भक्तिसद्भावाद् इत्यर्थः।

ननु, 'समाप्तिदर्शनात् जन्मान्तरीयमङ्गलानुमानवद्, अत्र अपि भक्ति कार्यदर्शनात्, तत्कारणं धर्मादिरूपं प्राक्तनं कल्प्यतां, तथा च न व्यभिचारः स्याद्' इत्यत आह–न च इति। इतर इति। अनुग्रहेतरसाधनाम् इत्यर्थः। तथा

निषेधश्रवणात्। तथा हि,

'न रोधयति मां योगो न साङ्खयं धर्म उद्धव[1]।
न स्वाध्यायः तपः त्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणाः।।' (भाग.११।१२।१)
'व्रतानि यज्ञः छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः।
यथावरुन्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम्।।' (भाग. ११।१२।२)
'सत्सङ्गेन हि दैतेया यातुधानाः खगा मृगाः।' (भाग. ११।१२।३)

इति उपक्रम्य, अग्रे भगवता उच्यते,

'ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः।
अव्रतातप्ततपसः सत्सङ्गान्मामुपागताः।।' (भाग. ११।१२।७)

'येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा।।' (भाग. ११।१२।८) इति। अत्र पूर्वोक्तानां जन्मान्तरीयतत्सत्त्वे, 'ते नाधीत...' (भाग.११।१२।७) इत्यादिना तन्निषेधो नोपपद्यते।

सति हेतोः स्पुटम् एव साद्याभाववद्गामित्वम् इति भावः। अनुमानप्रकारः तु, 'इयं भक्तिः साधनपूर्विका, भक्तित्वात्, साधनमार्गीयभक्तिवद्' इति। अत्र साध्याभावप्रमित्यर्थं 'न रोधयति मां योगः' (भाग. ११।१२।१) इत्यादि प्रमाणप्रदर्शनं ज्ञेयम्।

ननु, 'श्रीगोकुलस्थानाम् अपि अन्यैः कैश्चिद् अपि अज्ञातः सुसूक्ष्मो धर्मादिः एव प्राक्तनो भविष्यति, इत्यतः न साध्याभावः' इति चेत्, न। एवं सति 'ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः।' (भाग. ११।१२।७)। इत्यादि सर्वज्ञेश्वरवचनं विरुद्धयेत। न हि भगवतोऽपि अज्ञातपदार्थः कश्चन सम्भवति इति।

---

१. भागवत के गीता प्रेस संस्करण एवं भक्तिहंस में इस श्लोक के द्वितीय चरण का पाठ 'न साङ्खयं धर्म एव च' है।

किञ्च

'यन्न योगेन साङ्खयेन दानव्रततपोऽध्वरैः।

व्याख्यास्वाध्यायसंन्यासैः प्राप्नुयाद् यत्नवानपि।।'
(भाग. ११।१२।९)

इति साधनरहितप्राप्तस्वरूपस्य इतरसाधनाप्राप्यत्वं श्रीगोकुलप्राणनाथेन उक्तम् इति अन्यत्रयव्यतिरेकव्यभिचारोक्तेः न तद्धेतुत्वगन्धोऽपि। अत्र निःसाधनानां 'केवलेन हि भावेन' (भाग. ११।१२।८) इत्यादिना स्नेहभक्तिनिरूपणाद् भक्तेः तदसाध्यत्वम् अवसीयते।

ननु 'जन्मान्तरसहस्रेषु[१]' इत्यादिवाक्यानां का गतिः?

उच्यते। भगवता स्वप्राप्त्यर्थं मार्गद्वयं प्रकटितम्, मर्यादारूपं पुष्टिरूपपञ्च।

तत्र येषां जीवानां मर्यादायाम् अङ्गीकारः तेषां साधनक्रमेण एव भगवत्प्राप्तिः। यथा आसुरावेशिनाम् अपि मुक्तिं ददत् (ददतः) स्वरूपं दृष्टवतोऽपि मुचुकुन्दस्य दोषवर्णनपूर्वकं तद्रहितग्रिमजन्मनि स्वप्राप्तिकथनम्।

येषाञ्च पुष्टिमार्गेऽङ्गीकारः तेषां केवलानुग्रहेण एव, न

व्यतिरेकव्यभिचारप्रदर्शनाय 'यन्न योगेन' (भाग. ११।१२।९) इत्यादि ज्ञेयम्। तन्न एवं ज्ञेयम्, यत्र साधनपूर्वकत्वाभावः तत्र भक्तित्वाभावः इति, गोकुलवासिषु एव साधनपूर्वकत्वाभावेऽपि भक्तिमत्वसद्भावात्।

भक्तेः साधनसाद्यत्वप्रतिपादकवाक्यानां सर्वथा वैयर्थ्यम् आशङ्कय समाधत्ते-भगवता इति।

येषाञ्च इति। पुष्टिः अनुग्रहः। तेषां केवलाः साधनरहितो यो गुर्वनुग्रहः

---

१. देखिए, ऊपर पृष्ठ ३-४ टिप्पणी २.

साधनापेक्षा इति सिद्धान्तः। यथा व्रजादिस्थिताः।

तत्र तत्र अङ्गीकारे च इच्छा एव हेतुः। स्वतन्त्रेच्छत्वात् नान्यनियम्यता।

तथा च साधनवाक्यानि मर्यादामार्गपराणि इति ज्ञेयम्।

तत्र अङ्गीकृतानां तथा एव प्रवृत्तिः, तथा एव फलञ्च।

एतेन 'भक्त्यर्थिषु सदाचारोच्छेदप्रसङ्गः' इति दूषणं निरस्तं वेदितव्यम्, येषु जीवेषु यथा भगवदिच्छा तथा एव तेषां प्रवृत्तेः आवश्यकत्वात्।

अत एव भक्त्यर्थिनां निःशङ्कप्रवृत्त्यभाव–प्रवृत्त्युच्छेदौ अपि निरस्तौ।

अपरञ्च,

'तस्मान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः।

तन्मात्रेण एव भक्तौ प्रवेशः यथा इति। गुर्वनुग्रहलभ्यत्वं व्रजातिरिक्तस्थले ज्ञेयम्, अन्यथा 'नोपासितमहत्तमाः' (भाग. ११।१२।७) इति विरुद्धयेत। व्रजादिस्थिताः इत्यत्र व्रज आदिः येषाम् इति जहत्स्वार्थलक्षणबहुव्रीहिणा व्रजस्य उपलक्षणत्वं ज्ञेयम्।

तत्र तत्र इति। पुष्टिमर्यादयोः प्रवेशाप्रवेशयोः इत्यर्थः। एकस्य तथात्वे अन्यस्य अतथात्वे स्वतन्त्रेच्छा एव हेतुः। एवं व्यवस्थितौ साधनासाध्यत्वप्रतिपादकवचनविरोधोऽधिकारिभेदेन एव परास्तः।

अतएव न सदाचारोच्छित्तिदोषोऽपि इति तात्पर्यम्। येषु इति।

अतएव इति। यतो भगवदिच्छाधीनत्वं प्रवृत्तेः अतो भगवता यो यस्मिन् मार्गे प्रवर्तितः स पुनः पुनः तदर्थम् एव यतते श्रद्धते च भगवदनुग्रहलब्धविश्वासात् निशङ्कं साधने सदाचारे च प्रवृत्त्युपपत्तिः अपि इति भावः।

मर्यादामार्गीयव्यवस्थाम् उक्त्वा पुष्टिमार्गीयाम् आह–अपरञ्च इति।

न ज्ञानं न च वैराग्यं प्राप्यः श्रेयो भवेदिह।।' (भाग. ११।२०।३१)

'यत्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्।
योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि।।'' (भाग. ११।२०।३२)

'सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा।
स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथञ्चिद् यदि वाञ्छति।।' (भाग. ११।२०।३३)

'न किञ्चित् साधवो धीरा भक्ता हेह्यकान्तिनो मम।
वाच्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम्।।' (भाग.११।२०।३४)

इत्यादिवाक्यैः ज्ञानवैराग्यरहितानाम् एव भक्तिकथनाद् भक्तेः कल्पतरुस्वभावत्वेन इतरसकलसाधनासाध्यसाधकत्वोक्तेश्च नेतरसाधनसापेक्षता भक्तौ।

'भगवान् भजतां मुकुन्दो, मुक्तिं ददाति कर्हिचित्स्म न भक्तियोगम्' (भाग. ५।६।१८) इति श्री शुकवचनैः मुक्तिसाधनपूर्णानामपि भगवद्दाने भक्तिप्राप्तिः, अदाने च अप्राप्तिः, इति निरूपणादपि अनुग्रहेतरसाधनासाध्यत्वं भक्तौ निश्चीयते।

उक्तमार्गद्वये च अङ्गीकारोऽनुग्रहेण एव इति न मर्यादा–

ज्ञानवैराग्यरहितानाम् एव इत्यत्र तद्रहितानाम् अपि इति युक्तम्, नोचेत् तद्राहित्यम् अधिकारशरीरप्रविष्टं स्यात्। इतर–इति। अनुग्रहेतराणि यानि सर्वाणि साधनानि कर्माणि तैः प्रत्येकसमुदायाभ्यां साध्यं प्राप्यं यत्फलं तत्–साधकत्वं सर्वसाधनराहित्यसहितभक्तेः एव, न अन्यस्य, इत्यतो युक्तम् कल्पतरुत्वम्।

मुक्तिसाधन–इति। वशीकृतमुक्तीनां वशीकृतसाधनानाम् इत्यर्थः। मुक्तिहेतुपूर्णानाम् इति वा। यदि सा भक्तिः भगवदनुग्रहं विना प्रकारान्तरलभ्या अपि स्यात् तदा सर्वदुर्लभमोक्षपर्यन्तं धावद्भिः किमिति न प्राप्ता? 'सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।' (गीता ४।३३) इति गीतावचनात् मुक्तैः अपि प्रार्थ्यभक्तौ च अनुग्रहेतरासाध्यत्वम् इति भावः।

मार्गेऽपि भक्तेः साधनबलसाध्यत्वम्, अन्यथा 'जायस्व म्रियस्व' (छान्दो. उप. ५।१०।८) इति तृतीयमार्गे एव अङ्गीकारं कथं न कुर्यात्?

पुष्टौ साधनानां व्यभिचाराद् एव न हेतुत्वं शङ्कितुम् अपि शक्यम् इत्यलम् उक्तिभिः।

एवं सति साधनमार्गकरणं यतः तद्वक्ष्यते।

'पोषणं तदनुग्रहः[1]' (भाग. २।१०।४) इति वाक्यात् पोषण–

उक्तमार्ग–इति। पुष्टिमर्यादयोः इत्यर्थः। वस्तुतो मूलान्वेषणे क्रियमाणे मर्यादामार्गेऽपि भक्तिः अनुग्रहैकलभ्या, च साधनलभ्या। साधनकथनं तु अनुग्रहरूपकल्पवृक्षस्य शाखाविस्तार एतावान् इति ज्ञापनार्थम्, न तु स्वातन्त्र्येण भक्तिजनकत्वकथनार्थम्, इदं तु त्वयापि भक्तिमार्गीयेण अवश्यम् अभ्युपेयनम् इति तु रहस्यम्। अन्यथा इति। भगवदनुग्रहं विना साधनानां भक्तिजनकत्वोक्तौ 'जायस्व म्रियस्व' (छान्दो. उप. ५।१०।८), 'मृत्वा पुनर्मृत्युमापद्यन्ते अर्द्यमानाः स्वकर्मभिः' इत्याद्युक्तो यः तृतीयमार्गः प्रवाहाख्यः तत्रापि कथं नाङ्गीकारं कुर्यात्, साधनमात्राचरणस्य तुल्यत्वाद् इत्यर्थः।

ननु अनुग्रहस्य उभयत्र अपि आवश्यकत्वे मर्यादायाम् एव साधनोपदेशः पुष्टौ अपि कथं न इत्यत आह–पुष्टौ इति। 'न रोधयति मां योगः' (भाग. ११।१२।१) इत्यादिपूर्वोक्तवचनैः साधनानां व्यभिचारित्वम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां स्फुटम् एव, अतः तत्र तद्धेतुत्वं शङ्कितुम् अपि असम्भावि इति सिद्धान्तः।

एवं सति इति। अनुग्रहैकलभ्यत्वे तुल्येऽपि सति मर्यादायां यत् साधन–मार्गस्य साधनाचरणस्य करणम् उपदेशो येन अभिसन्धिना तद् वक्ष्यते पूर्व ज्ञापितम् अपि वस्तुतः तु इत्यादिना स्फुटं कथयिष्यते इत्यर्थः।

स्वैकदेशिमतं निरस्यति–पोषणम् इति। सर्गविसर्गादिवद् अनुग्रहस्य

---

१. **पुष्टिं लक्षयति**–तदनुग्रह इति। तस्य वैकुण्ठस्य जितेषु स्वाधीनीकृतेषु योऽयम् अनुग्रहः तेषु मर्यादार्थे सप्त पृथक्कृत्य शिष्टेषु अनुग्रहः। महाभूतेषु आत्मद्वये च न अनुग्रहः, तत्र मर्यादा एव। (भाग. सुबो. २।१०।४)।

लीलायाः स्वतन्त्रत्वात् 'यस्यानुग्रहमिच्छामि' इति वाक्याच्च अनुग्रहो धर्मान्तरम् एव। अनुग्रहानुरूपा च इच्छा सर्वत्र सहकारिणी।

सहकारिनिरपेक्षानुग्रहसाध्या भक्तिः इत्यपि गुडजिह्विका।

वस्तुतः तु कार्यमात्रम् इच्छाधीम् एव इति त्वया अपि उररीकार्यम्। तथा हि, यदा यदा यद् यत् कार्य भवति, भावि, अभूद्वा, तत्तत्कालोपाधौ क्रमिकेण एव तेन तेन हेतुना तत्तत् कार्य करिष्य इति ततः पूर्व भगवदिच्छा अस्ति, आसीद् इति वा मन्तव्यम्। अन्यथा तच्चिकीर्षामात्रस्य नित्यत्वेन युगपत् सकलकार्योत्पत्तिप्रसङ्गः।

न च इतरकारणासमवधानात् न तथा इति वाच्यम्, तस्य

अपि धर्मान्तरत्वम् एव उचितम्। तथा सति अनुग्रहानुरूपा अनुग्रहपूर्विका भक्तकार्यैच्छा सा सर्वत्र तत्तन्मार्गीयभक्तकार्यमात्रै सहकारिणी कारणान्तरम् अपेक्य कार्यजनिका इत्यर्थः। भक्तिरूपे कार्ये परम् इयान् विशेषो यद् अन्यनिरपेक्षानुग्रहसाध्यत्वम् इति अर्थः।

(गुडजिह्विका इति)। आपातरमणीयम् इत्यर्थः। अत्र अस्वरसबीजं कार्यमात्रस्य इच्छाधीनत्वेऽनुग्रहस्य अपि कार्यत्वात् तदिच्छाधीनत्वम् एव उचितम्। तस्माद् अवान्तरव्यापारत्वम् एव अनुग्रहस् भक्तौ जनयितव्यायां कारणं तु इच्छा एव इति भावः।

वस्तुतः तु इति। सहकारिनिरपेक्षानुग्रहवादिना अपि उररीकार्यम् अङ्गीकर्त्तव्यम् इत्यर्थः। तत्र उपपत्तिप्रकारम् आह–तथा हि इति। यदा इति। यस्मिन् यस्मिन् काले येन येन इत्यपि ज्ञेयम्। वीप्सायां द्विरुक्तिः। यद् यद् इति कार्यनिर्देशः। मुख्यकर्तुः भगवत एकत्वेन वीप्साविषयत्वाभावात् कर्म एव कर्तृत्वेन विवक्षितम्। भवति इति वर्तमानकालोपाधिः, भावी इति भविष्यत्कालोपाधिः, अभूद् इति अतीतकालोपाधिः। एतेषु यथायथं क्रमिकेण

अपि कार्यत्वेन तच्चिकीर्षाया अपि पूर्वम् अवश्यं वाच्यत्वात्, तस्याः कार्यमात्रे कारणत्वात् तदपियुगपत् स्यात्।

न च तत्पूर्वक्षणः प्रतिबन्धक इति वाच्यम्, तत्प्रागभावकालेऽग्रिम–कार्योत्पत्तिप्रसङ्गात्।

न च तत्तत्क्षणाधिकरणकतत्तत्कार्य प्रति तत्तत्प्रागभावावच्छिन्न–स्थूलकालोपाधिस्तथा, सृष्टौ प्रलयकाल इव इति वाच्यम्,

एवं हि प्रलयाभावस्य सृष्टौ हेतुत्वमिति तत्पूर्वकालसत्त्व

एव क्रमप्राप्तेन एव हेतुना, तत्तत् कार्य करोमि, करिष्यामि इति एवं प्रकारिका भगवदिच्छा अस्ति आसीद् इति मन्तव्यम्, सत्य सङ्कल्पत्वाद् भगवतः। ततः पूर्वम् तत्तत्कार्योत्पत्तेः प्राग् एव इत्यर्थः। अन्यथा इति। कालोपाधिक्रमिककार्यानङ्गीकारे। साधारणकारणचिकीर्षाया एव हेतुत्वे प्राप्ते, तत्कार्यकारणोभयविषययिण्योः तयोः सर्वदा सत्त्वाद्, एककालम् एव सकलकार्योत्पत्तिप्रसङ्गदोषः प्रसज्येत इत्यर्थः।

ननु, दण्डादिषु एकस्य असत्त्वेऽपि घटानुत्पत्तिवद्, अन्न अपि चिकीर्षेतर कारणासमवधानात्, न युगपदुत्पत्तिप्रसङ्गः, इत्यत आह–न च इति। तस्य अपि इति चिकीर्षेतरकारणसमवधानस्य अपि इत्यर्थः। समवधानस्य अपि कार्यत्वात् तत्कारणचिकीर्षायाः पूर्ववद् अत्र अपि सत्त्वात् पुनः उक्तदोष एव इत्यर्थः।

ननु प्रतिबन्धकसत्त्वात् तत्र न कार्योत्पतिः इति चेत्, तत्र आह–न च इति। तत्पूर्वक्षणः इतरकारणसमवधानाव्यवहितपूर्वक्षणः हत्यर्थः। तत्प्रागभावकाले इति। सामग्रीसमवधानाव्यहितपूर्वक्षणात् प्राक्काले प्रतिबन्धकाव्यवहितपूर्वक्षणस्य असत्त्वात् कार्योत्पत्तिप्रसङ्ग इत्यर्थः।

ननु यस्मिन् क्षणे यद्यत् कार्य जायते तत्तत् कार्य तत्तत्क्षणाधिकरणकं भवति, तादृशकार्य प्रति तस्य एव कार्यस्य प्रागभावेन अवच्छिद्यते विशेष्यते

नियमेन तदधिकरण कालस्य प्रलयसृष्टिकालातिरिक्तत्वापत्तेः, प्रतिबन्धकाभावस्य कारणत्वेन तत्पूर्वक्षणवर्त्तित्वस्यावश्यं वाच्यत्वात्, कार्यतदभावातिरिक्तकालस्य च उक्तान्यतराभावेन एव परास्तत्वात्, न चैवं वक्तुं शक्यम्, अप्रसिद्धेः।

अन्यस्मात् पृथक् क्रियते इति यावत्, स प्रागभावावच्छिन्नः कालः, स च सूक्ष्मोऽपि सम्भवति इत्यतः स्थूलो महान् यः काल स एव उपाधिरूपः प्रतिबन्धको भवतुः यथा प्रलयकाले सिसृक्षायां सत्याम् अपि सृष्टिप्रागभावावच्छिन्नः अनेकमन्वन्तरपरिमितः स्थूलकालोपाधिः प्रतिबन्धकः, अन्यथा तत्र अपि सृष्टिः केन प्रतिबध्येत, यथा च सञ्चिहीर्षायां सत्याम् अपि प्रलयप्रागभावावच्छिन्नः स्थूलः सृष्टिकालः प्रतिबन्धकः, अन्यथा तत्र अपि प्रलयप्रसङ्गात्, एवम् अत्र अपि सामग्रीसमवधानाधिकरणक्षणप्रागभावावच्छिन्नः स्थूलकालोपाधिः प्रतिबन्धकः अस्तु इति चेत् तत्राह-न च इति। एव हि इति। सृष्टिप्रलयोः

तमः प्रकाशवत् परस्परं विरुद्धस्वभावत्वाद् एकस्य सत्त्वे अपरस्य असत्त्वं वाच्यम्, ततः सृष्टौ भवितव्यायां प्रतिबन्धकाभावत्वेन प्रलयाभावो हेतुः वाच्यः, स च स्वकार्यात् पूर्वकाले सत्त्वं नियतम् अपेक्षते, अतः सृष्टिकारणप्रलयाभावाधिकरणीभूतकालस्य न प्रलयाधिकरणत्वं, तदसत्त्वात्, नापि सृष्ट्यधिकरणत्वं जनिष्यमाणत्वात् तस्याः। अतः उभयानधिकरणस्य अपि सत्त्वाद् अतिरिक्त कालसिद्धिप्रसङ्गः स्यात्। स च प्रकृतानुपयुक्तत्वाद् व्यवहाराविषयत्वात् न शक्यवचनः इत्यर्थः।

ननु एवंविधोऽपि कालः कुतो न इत्यत आह-कार्य इति। कार्य सृष्टिः। तदभावः प्रलयः, ताभ्याम् अतिरिक्तस्य तदुभयानधिकरणस्य अपि कालस्य। उक्तौ यौ सृष्टिप्रलयौ, तयोः मध्ये एकस्य अपि अधिकरणं न भवति। एतदुभयव्यवहारातिरिक्त व्वहाराभावात् तत्साधकं कार्यान्तरम् अपि नास्ति इत्यतः सुतरां तत्सिद्ध्यभावः इत्यर्थः।

न च तत्तत्कालोपाध्यभाव एव प्रतिबन्धकः, तस्य प्रागभावरूपत्वेन प्रतियोगितासामग्र्या एव च तन्नाशकत्वेन तत्सत्त्वे तत्सत्त्वासम्भवात्।

न च उत्तरक्षणचिकीर्षितघटस्य अधुना एव अकरणे उत्तरक्षणाभाव एव त्वयापि प्रतिबन्धको वाच्यः, इच्छाभावस्यैव तथात्वेऽपि 'सविशेषणे हि' इतिन्यायेन क्षणाभाव एव पर्यवसानाद् इति वाच्यम्। क्लृप्तकारणैः कार्योत्पत्तिसम्भवे येन कार्याभावः तदभावस्य हि प्रतिबन्धकाभावत्वेन कारणत्वं दाहे मण्यभावस्य इव, दण्डाद्यभावे घटानुत्पादेऽपि न तेषां प्रतिबन्धका–

ननु यस्मिन्कालोपाधौ यत्कार्य जायते तत्कालोपाधिप्रागभावः तत्कार्ये प्रतिबन्धकः इति चेत् तन्नाह–न च इति। तस्य इति। कार्याधिकरणकालोपाधिकप्रागभावस्य प्रतियोगिताप्रतिबन्धकत्वोक्तौ कारणसामग्र्या एव स्वकार्य प्रतिबन्धकत्वात् कार्य किमपि न उत्पद्येत एव इति अर्थः।

ननु भाविकार्याधिकरणक्षणस्य अपि कारणत्वात् तदभावप्रयुक्त इदानीन्तन कार्याभाव इति चेत्, तन्नाह–न च इति। क्लृप्तकारणैः इति। श्रुतिसिद्धम् इच्छायाः कारणत्वम्, अतः तस्या एव कारणत्वम् उचितम्। बहुत्वाभिधानं तु विषयभेदाभिप्रायेम ज्ञेयम्। इच्छाया भावरूपत्वात् तस्य कारणत्वे लाघवम्। क्षणाभावस्य प्रतियोगिनिरूपणाधीननिरूपणत्वात् तस्य कारणत्वे गौरवम्। यत्र अपि नान्तरीयकतया कारणत्वं प्राप्तं, तत्र अपि न सम्मुखेन, किन्तु प्रतिबन्धकाभावत्वेन एव कारणता। यथा दाहकार्ये उत्तेजकाभावविशिष्टमणेः प्रतिबन्धक्तावद् उत्तेजकाभावविशिष्टमण्यभावस्य प्रतिबन्धकाभावत्वेन एव कारणता, न स्वरूपेण। तर्हि दण्डादीनाम् अपि किम् एवम् एव कारणता, न इत्याह–दण्डाद्यभाव इति।

भावत्वेन कारणता, किन्तु दण्डत्वादिना।

प्रकृतेऽपि तत्क्षणविशिष्टेच्छाया हेतुत्वेन पूर्वं तदभावात् तद्विशिळष्टतल्लक्षणहेत्वभावादेव कार्याभावः।

ननु एवमपि 'सविशेषेण हि' इति न्यायेन क्षणस्यैव कारणत्वम् आयाति। किञ्च, इच्छात्वेन एव लाघवात् कारणत्वम् इच्छायाः, न तु तद्विशिष्टत्वेन, गौरवात्। तथा च तत्क्षणलक्षण–सहकार्यभावात् न इच्छामात्रेण अन्यदा तत्कार्यम् इति चेद्, अत्र वादी प्रष्टव्यः, तत्क्षणाभावे को हेतुः इति। तत्साधनाभावः इति चेद्वदेत् तदा तत्रापि एवं प्रश्ने, तेन तत्तत्साधनपरम्पराभावः एव हेतुः वाच्यः। साधनपरम्परा च साध्यपरम्परायाम्। एवच्च सति तत्तत्परम्परासत्त्वासत्त्वयोः भगवदिच्छैव केवला हेतुरिति तेनापि मन्तव्यम्, अन्यथा तयोराकस्मिकत्वप्रसङ्गात्।

प्रकृतेऽपि इति। इच्छाया एव कारणत्वपक्षेऽपि तत्तत्कार्याधिकरण–क्षणविशिष्टाया एव हेतुत्वं वाच्यम्, तेन कार्यप्रागभावकाले विशेष्यसत्त्वेऽयुभ–याभावस्य सत्त्वाद् विशेषणाभावापत्तौ विशिष्टाभाव इति न्यायात्।

यत्सत्वे यत्सत्त्वं यदभावाद् यदभावः तत् तद्धेतुकम् इति अभिप्रेत्य क्षणस्य एव कारणत्वम् आशङ्कते–ननु इति। एवम् अपि विशेषणासत्त्वाद् विशेष्यासत्त्वे उच्यमानेऽपि। 'सविशेषणे हि विधिनिषेधौ विशेषणम् उपसङ्क्रामतो विशेष्ये बाधके सति' इति न्यायात् क्षणस्य एव कारणत्वम् आगतम्।किञ्च इति दूषणान्तरम्। येन अपि इच्छायां कारणत्वं वाच्यं तेन अपि इच्छात्वेन एव, न तु तत्तत्क्षणविशिष्टेचत्वेन अपि, गौरवग्रस्तत्वात्। घटकारणतायां दण्डत्वेन एव यथा न दृढदण्डत्वेन अपि इति। कार्योत्पत्तौ तु क्षणलक्षणसहकारिम् अपेक्ष्य एव कार्यकारित्व, न तन्मात्रेण इति चेद् ब्रूयात् तदा प्रष्टव्यः स इत्यर्थः। साधनपरम्परा च इति। साधनम् एव साध्यत्वेन ज्ञेयम्। एवञ्च इति। यत्र यत्कार्य जायते तेन कार्येण तत्पूर्वतरपूर्वतमसाधन

ननु अजन्यायास्तस्याः केवलायास्तथात्वे सर्वाभाव एव स्यात्, सर्व वा युगपत् स्याद् इति चेत्, अत्रैवं ज्ञेयम्। त्वदुक्त-रीत्या हि सर्गादिकारणे विमर्शः पर्यवस्यति। तच्च, श्रुतिसिद्ध प्रकारकम्। एव अहंगीकर्त्तव्यमास्तिकैः। तत्र च केवलेच्छाया एव हेतुत्वम् उच्यते। तथा हि वाजसनेयिशाखायां, 'आत्मैवेदमग्र आसीत् पुरुषविधः, सोऽनुवीक्ष्य नान्यदात्मनोऽपश्यद्' (शतपथब्रा.१४।४।२।१, बृह. उप. १।४।१) इत्युपक्रम्य, अग्रे पठ्यते ' स वै नैव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते, स द्वितीयमैच्छत्, स हैतावानास यथा स्त्रीपुंमासौ सम्पुरिष्वक्तौ स इममेवात्मानं द्वेधा पातयत्, ततः पतिश्च पत्नी चाभवताम्' (शतपथब्रा. १४।४।२।४, बृह. उप. १।४।३) इत्यादि। अत्र द्वितीयसृष्टौ इच्छामात्रस्य एव हेतुत्वम् उच्यते रमणेच्छायाश्च तदिच्छाप्रयोजकत्वम्।

परम्परा अस्ति इति ज्ञायते। सा च क्वचिद् विश्रान्ता वाच्या, अन्यथा अनवस्थादोष आपतेत्। अस्तु प्रामाणिकी सा इति चेत्, 'सोऽकामयत। बहु स्यां प्रजायेय' (तैत्ति. उप. २।६) इत्यादिश्रुतिविरोधात् न तथा. तथा सति प्रमाणान्तरसिद्धत्वाद् अनन्यगतिकत्वात् त्वया अपि कारणत्वेन इच्छा अवश्यं वाच्या, अन्यथा इच्छायां कारणताव्यवस्थितौ अनुच्यमानायां तयोः साधन साध्यपरम्परासत्त्वासत्त्वयोः कार्यतदभावयोः वा आकस्मिकत्वं स्यात्। तथा सति बाह्यमतप्रवेशः स्याद् इति भावः।

वादी स्वमतं सदोषम् आज्ञाय सिद्धान्तिमतं स्वीकृत्य शङ्कते-ननु इति। परस्परविरुद्धसर्गसंहारयोः सिसृक्षासज्जिहीर्षालक्षणोभयकारणयोः सर्वदा सत्त्वात् सार्वकालिकी सृष्टिः एव स्यादः वा सार्वकालिकः प्रलयो वा इत्यत्र कथं समाहितिः इति प्रश्ने, उत्तरं त्वदुक्त-इति। सर्व स्यात् सर्वमपि न स्याद् इत्येवं-विधा या स्वदुक्तप्रश्नरीतिः, तया तु रीत्या सर्गप्रलययोः कारणे निश्चीयमाने, विमर्शो विचारः, इदम् उपपन्नं न वा इत्येवंविधः, पर्यवस्यति सम्भवति इत्यर्थः। तत् च इति। तद्विचारणम् अपि वक्ष्यमाणश्रुत्यादिषु यः

तथा च स्वक्रीडार्थमेव जगत्करणमित्यर्थः सम्पद्यते। अत एव श्रीभागवतेऽपि 'क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन्' (भाग. ४।७।४३)[१], 'क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते, स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईश कुर्युः।' (भाग. ८।२२।२०) इत्याद्युक्तम्।

एवं सति वस्तुनियमाभावे वैचित्र्याभावेन क्रीडाऽसम्भवात् तदर्थ कालावच्छेदे सति तदा तां तां लीलां करोति, करिष्यति, अकरोदिति। अन्यज्ञापनार्थ च तदवच्छेदिकां सूर्यादिगतिं विधाय तथा करोति इति श्रुत्यर्थापत्त्या अवसीयते।

एवं सति यदा यथा येन यत्र यद् भवति नश्यति न भवति वा, तदा तथा तेन तत्र तद्भवतु नश्यतु मा भूदिति सृष्टेः पूर्वमेव नियमः कृतः, इति न सर्वस्य अभावो युगपद्भावो वा प्राप्तावसरः। यतः साधनानां साध्यसाधनक्षमत्वं तत्तत्साध्यसाधकत्व

सृष्टयादि प्रकारः उक्तः तेन एव प्रकारेण आस्तिकैः परलोकमतिमद्भिः कर्त्तव्यम् इत्यर्थः। तथा सति सिद्धम् इच्छाया एव सर्वकारणत्वम् इति भावः। तदिच्छा इति। सृष्टीच्छाप्रयोजकत्वम् इत्यर्थः।

एवं सति इति। स्वक्रीडार्थम् एव जगन्निर्माणम् इत्येवंरूपेऽर्थे सिद्धे सति। जगत्कारणेच्छारूपवस्तुनियमाभावे तन्निबन्धनं जगद्वचित्र्यं न स्यात्तदभावे च क्रीडाऽपि न स्याद् इत्यर्थः। तदर्थम् इति वैचित्र्यपूर्वकक्रीडार्थम्।

कालस्य अवच्छेदकत्वे सति, तदा तदा तत्तत्कालावच्छेदेन अतीतानागवर्तमान त्वादिज्ञापनाय तद्भेदकसूर्यादिगतिं कालपरिमित्यर्थं विधाय

---

१. अंशाशास्ते देव! मरीच्यादय एते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगाः।
क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन्! तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम।।

भक्तिहेतुनिर्णय के पूर्वमुद्रित संस्करण में 'विभूमन्' के स्थान पर 'भूम्न' यह पाठ है। हमने यहाँ गोस्वामी श्री गिरिधरलालकृत बालप्रबोधिनी के अनुसार पाठ एवं अर्थ स्वीकार किया है। श्रीधर, बंशीधर एवं विजयध्वज तीर्थ के अनुसार भी पाठ 'विभूमन्' ही है।

Start : 05.02.2021

नियमश्च तत्कृत एव, न तु स्वाभाविकः अत एव कर्तृत्वमपि ईश्वराधीनमेव इति श्रुतिराह 'एष उ एव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषति'[1] (कौषी. ब्राह्म. उप. ३।८) इत्यादिना।

व्यासोऽपि 'परात्तु तच्छुत्तेः' (ब्रह्मसूत्र २।३।४१) इत्यादिना इममेवार्थं निर्णीतवान्। यथा च एतत् तथा 'विद्वन्मण्डने प्रपञ्चितम् अस्माभिः।

ननु न इदं मदुक्ते बाधकम्, ईदृशस्य एव साधनत्वस्य कर्मसु अपि वक्तुं शक्यत्वाद् इति चेत्, स्याद् एतद् एवं यदि तन्निषेधो न स्याद् इत्युक्तम्। श्रुतिश्च 'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन' (कठोप. १।२।२२, मुण्ड. उप.३।२।३) इति इतरसाधननिषेधं कृत्वा 'यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः' (कठोप. १।२।२२, मुण्ड. उप. ३।२।३) इत्यादिना भगवदनुग्रहैकलभ्यत्वं भगवति आह।

यथा इदानीम् अस्मदादीनां वर्तमानत्वादिना प्रीतिः उत्पद्येत तथा एव भगवान् करोति इति वैदिकवाक्यात् श्रुत्यर्थस्य इच्छाकारणत्वस्य अनुपपत्त्या अवसीयते निश्चीयते इत्यर्थः।

एवं सति यत्र यदा यद् यथा प्रतीयते तत् तत्र तदा तथा एव इति नियमः सृष्ट्यारम्भ एव भगवता कृतः इति पूर्वोक्तसर्वाभावयुगपद्भावौ न प्रसज्येयाताम् इत्यर्थः। इदानींनानां कर्तृत्वम् अस्मदादीनामपि ईश्वराधीनम् एव, न स्वाधीम्

---

१. उपनिषत्संग्रहसम्मत पाठ 'एष ह्येवैनं साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत एव उ...।' (कौषी. ब्राह्म.उप. ३।८) है।

२. कर्तृत्वं ब्रह्मगतमेव। तत्सम्बन्धादेव जीवे कर्तृत्वं तदंशत्वादेश्वर्यादिवत्।' अतो 'नान्योऽतोऽस्ति' (शतपथब्रा. १४।६।७।३१, बृह. उप. ३।७।२३) इति सर्वकर्तृत्वं घटते। कुत एतत् ? तच्छुतेः। तस्यैव कर्तृत्व-कारयितृत्वश्रवणात्। (अणुभाष्य २।३।४१)।

किञ्च,

'न कर्हिचिन्मत्पराः शान्तरूपे नङ्क्ष्यन्ति नोऽनिमिषो[१] लेढि हेतिः।
येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्।।'
(भाग. ३।२५।३८)
'तान्नोपसीदत हरेर्गदयाऽभिगुप्तान् नैषां वयं न च वयः प्रभवाम्
दण्डे।'' (भाग. ६।३।२७) इत्यादिवाक्येषु भक्तानां
कालनधीनत्वश्रवणादपि न कर्मसाध्यत्वं भक्तौ, कर्मणां
तत्तत्काल एव विधानेन तदधीनत्वात्।

कालसाध्यसाधनासाध्यफलस्य अपि तत्परिच्छेद्यत्व–
नियमात् स्वर्गादेः इव ब्रह्मभावस्य अपि कालसाध्यत्वात्
तत्साध्यमुक्तौ अपि तथात्वम्।

इत्याह–यत इति। साधनानां धर्मादीनां स्वर्गादिफल सम्पादनसामर्त्य नियतफलसाधकत्वं च भगवदेककर्तृकम् अतः सर्वकर्तृत्वं तस्य एव इत्यत्र श्रुतिं प्रमाणयन्ति 'एष उ वा' (कौषी. ब्राह्म. उप. ३।८) इत्यादिना।

ननु मन्मतेऽपि ईश्वरप्रेरितानां कर्मणां साधनत्वे न किञ्चिद् बाधकम् अस्ति, अतः तेषाम् अपि कारणत्वम् अस्तु, इत्यत आह–स्याद् एतद् एवम् इति। भवेद् एवं कर्मणां कारणत्वं यदि साक्षाद्वचनोत्थो निषेधो न उपलभ्येत। तस्मात् सिद्ध भगवदिच्छाधीनत्वम्।

किञ्च, कालाधीनसाधनस्य क्षयिष्णुत्वाद् भक्तेः अपि तत्फलत्वोक्तौ स्वर्गादितत्फलवद् भक्तिमुक्त्यादीनाम् अपि क्षयिष्णुत्वापत्तिः अतो न अधिकं वाच्यम् इत्यर्थः।

---

१. श्रीमद्भागवत के गोस्वामिश्रीगिरिधरलाल, श्रीधर, वीरराघव, विजयध्वजतीर्थ, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती और शुकदेव आदि व्याख्याकारों ने 'अनिमिष' पाठ मानकर ही व्याख्या की है। भक्तिहेतुनिर्णय के पूर्वमुद्रित संस्करण में 'अनिमिषो' के स्थान पर 'निमिषो' यह पाठ है।

अपरञ्च,

'यदा यमनुगृह्णाति भगवान् आत्मभावितः।
स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्।।' (भाग. ४।२९।४६)

इति वाक्यात् तादृशानुग्रह एव भक्तिमार्गे लोकवेदातीतत्वज्ञानं विश्वासश्च इति तद्रहितेषु तदधिकनिरूपणं व्यर्थम् इति तद्वत्सु स्वज्ञानलेशमात्रम् एतेन प्रकाशितम् इत्यलं विस्तरेण।

तद्रहितेषु भक्तिविश्वासादिरहितेषु इत्यर्थः। तद्वत्सु भक्तिमार्गे लोकवेदातीतत्वज्ञानविश्वासवत्सु इत्यर्थः।

भक्तिहेतु विनिश्चित्य प्रवृत्तो भजने तु यः।
तन्मनस्तोषकारिण्यस्त्विय कृतिरखण्डिताः।
श्रविट्ठलपदाम्भोजस्मृतिमात्रहताशुभः।
कृतवान् रघुनाथोऽहं भक्तिहेतुप्रकाशनम्।।

इति श्रीश्रीमद्वल्लभनन्दनचरणैकशरण श्रीरघुनाथस्य कृतो बक्तिहेतु विवृतिः समाप्ताः।।

।। श्रीकृष्णाय नमः।।

श्रीमद्विट्ठलेश्वरप्रभुचरणविरचितः

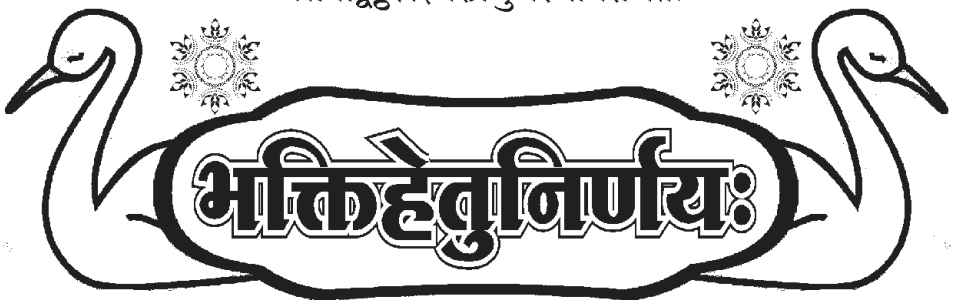

हिन्दी अनुवाद

हम, ब्रह्मा आदि (उत्तम अधिकारियों) को भी जिनकी कथा का श्रवण आदि दुर्लभ है और जो राधिका के मानको दूर करने वाले हैं, उन परमात्मा श्रीकृष्ण, केवल उन (श्रीकृष्ण) के अनुग्रह से ही प्राप्य भक्ति और उनके अनन्य भक्तों की स्तुति करते हैं।।१।।

भगवदनुग्रह से भिन्न यागादिरूप साधनों को ही भक्ति का कारण मानने वाले पूर्वपक्षी दार्शनिकों की दृष्टि में, यह कथन कि भक्ति भगवदनुग्रह के अतिरिक्त अन्य साधनों द्वारा प्राप्त नहीं होती है, अनेक प्रमाणों (अर्थात् आप्तवाक्यों) से विरुद्ध प्रतीत होता है। जैसे कि भागवत के एकादश स्कन्ध के उन्नीसवें अध्याय में, ''मेरी अमृतमय कथा में श्रद्धा'' (भाग. ११।१९।२०) इस वाक्य से आरम्भ करके, ''यज्ञ, दान, मोह, जप, मेरी प्रसन्नता के लिए किये गये व्रत और तप इस प्रकार के धर्मों द्वारा आत्म-समर्पण करने वाले मनुष्यों की मेरे (स्वरूप) में भक्ति उत्पन्न होती है। उद्धव! (जब भक्ति प्राप्त हो जाती है तो) फिर उसे प्राप्त कर लेने वाले भक्त को दूसरा कौन सा पुरुषार्थ प्राप्त करना बाकी रह जाता है (अर्थात् कोई पुरुषार्थ शेष नहीं बचता, सभी की प्राप्ति हो जाती है)'' (भाग.११।१९।२३-

२४) इत्यादि वाक्यों में भगवत्सम्बन्धी धर्म और यज्ञ तथा दान आदि को भक्ति का हेतु बताया गया है।

फिर वहीं पर पूजा के प्रकार को बताते हुए भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है कि, ''इस प्रकार जो मेरी पूजा करता है वह भक्तियोग को प्राप्त करता है।'' (भाग. ११।२७।५३)। श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के सैंतालीसवें अध्याय में भी उद्धव के ''दान, व्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय, संयम एवं दूसरे विविध प्रकार के कल्याण के साधनों द्वारा (भगवान्) श्रीकृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है'' (भाग. १०।४७।२४), इस वाक्य में दान आदि को भक्ति का हेतु कहा गया है।

''दूसरे हजारों जन्मों में किये गये तप, ध्यान और समाधि के द्वारा निष्पाप मनुष्यों की श्रीकृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है,'' इस वाक्य में पापों के अभाव को भी भक्ति का हेतु कहा गया है।

इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के एकादश स्कन्ध में ही उद्धवके ''कमलनयन! स्वधर्म का जिस प्रकार या जिस रूप में आचरण करने से मनुष्यों में आपकी भक्ति का उदय हो सके, उसे हमें सम्यक् रूप से बताइए'' (भाग. ११।१७।२) इस प्रश्न के उत्तर में वर्णाश्रम धर्मों का निरूपण करते हुए उपसंहार के रूप में कहे गये भगवान् श्रीकृष्ण के ''इस तरह अनन्यभाववाला जो व्यक्ति स्वधर्म के द्वारा मेरा सतत भजन करता है और सभी भूतों (प्राणियों) में मेरा भाव रखता है वह शीघ्र ही मेरी भक्ति को प्राप्त करता है'' (भाग.११।१८।४४) इत्यादि वाक्यों से पूर्वोक्त धर्मों के ही भक्ति के हेतु होने का निश्चय होता है।

इस पर सिद्धान्तीको यह नहीं कहना चाहिए कि ''(जैसे घटादिरूप कार्य का कारण दण्ड को ही माना जाता है दण्डकी दृढ़ता को नहीं और दण्ड की दृढ़ता में घटादिकी कारणता का उपचार या

गौण प्रयोग इसलिए होता है कि वह दण्ड की स्वरूपयोग्यता की सम्पादक है, उसी प्रकार वर्णाश्रम धर्म आदि भक्ति उत्पत्ति में स्वरूपयोग्यता के सम्पादक हैं तः उनमें भक्तिहेतुत्वका उपचार (गौण प्रयोग) होता है (किन्तु वस्तुतः वे भक्ति के हेतु नहीं हैं)'', क्योंकि श्रीमद्भागवतके, ''देव, असुर, मनुष्य, (यक्ष अथवा गन्धर्व जो कोई भी हो, परमात्मा के चरणों की भक्ति करने पर कल्याण को प्राप्त करता है, जैसे भगवान् के चरणों की भक्ति से हम लोगों का कल्याण हुआ)'' (भाग. ७।७।५०) इत्यादि प्रह्लाद द्वारा कहे गये वाक्य से ज्ञात होता है कि भक्ति की उत्पत्ति की स्वरूपयोग्यता का सम्पादक सभी प्राणियों में अवस्थिथ जीवत्व ही है अर्थात् भक्ति की उत्पत्ति के लिए अपेक्षित स्वरूप–योग्यता के लिए जीव होना ही पर्याप्त है, उसके लिए वर्णाश्रम धर्म आदि की अपरिहार्य आवश्यकता नहीं है। इतना ही नहीं, वर्णाश्रम धर्म आदि तो मनुष्य के आगन्तुक गुण हैं और आगन्तुक गुण कहीं भी स्वरूपयोग्यता के सम्पादक नहीं देखे गये हैं।

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार घट आदि का छिद्ररहित होना आदि सहज स्वरूप ही उसकी जलहरणादिरूप योग्यता का सम्पादक होता है, न कि घट उत्पन्न होने के बाद उसमें उत्पन्न होने वाला नीलत्व, पीतत्व आदि आगन्तुक गुण, उसी प्रकार जीव में भक्ति उत्पन्न होने का स्वरूपयोग्यता का सम्पादक जीव का सहज जीवत्व ही है, न कि उसका धर्मत्व (अर्थात् धर्माचरणसम्पन्न होना) रूप आगन्तुक गुण भी।

अनुग्रहसहकृत धर्म भक्तिका कारण है अर्थात् भक्ति का मुख्य कारण धर्माचरणादिरूप है और भगवद्नुग्रह उसका सहकारी कारण है यह मानने वाला पूर्वपक्षी, सिद्धान्ती द्वारा धर्माचरणको भक्ति का

कारण मानने के मत में दिखाये गये दोष के उद्धार का प्रकार बताते हुए अपने मत को स्पष्ट करता है।

इस पर यदि सिद्धान्ती यह कहें कि 'वर्णाश्रमादि' धर्म का पालन करने वाले व्यक्तियों में कभी-कभी भक्ति का अभाव दिखाई देता है। अतः वर्णाश्रम धर्म को भक्ति का कारण मानने में व्यभिचाररूप दोष आता है, इसलिए वर्णाश्रम-धर्म आदि को भक्ति का कारण नहीं मानना चाहिए', तो इसके उत्तर में पूर्वपक्षी का यह कहना है कि धर्म आदि को भक्ति का हेतु सिद्ध कर सकने के लिए सिद्धान्ती को ईश्वरानुग्रह को धर्म के सहकारी कारण के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वरानुग्रहरूप सहकारी कारण के अभाव में धर्म से भक्तिरूप कार्य का न होना, धर्म की भक्ति में अकारणता को नहीं सिद्ध करता अर्थात् इससे यह नहीं सिद्ध होता है कि धर्म भक्ति का कारण नहीं है क्योंकि यदि सहकारी के अभाव में कार्याभाव (अर्थात् कार्य न होने) को अकारणता का साधक मानेंगे तो दण्डादिरूप सहकारी कारण के अभाव में मृत्तिका से घटादिरूप कार्य के न होने पर घटादिरूप कार्य के प्रति मृत्तिका की भी अकारणता का प्रसङ्ग (अर्थात् मृत्तिका को भी घटका कारण न मानने का अनिष्ट प्रसङ्ग) उपस्थित होगा।

अभी तक अनुग्रहसहकृत धर्माचरणको भक्ति का कारण मानने वाला पूर्वपक्षी अब एक दूसरे पक्ष का आश्रय लेकर सिद्धान्तों के खण्डन में प्रवृत्त होता है। अब वह भगवदनुग्रह को तोषरूप अर्थात् भगवत्प्रसादरूप स्वीकार कर भक्ति को उसका कारण मानता है और इस प्रकार भक्ति को अनुग्रहजन्य मानने के सिद्धान्ती के मत के विपरीत अनुग्रह को ही भक्तिजन्य बताता हुआ यह मत प्रतिपादित करता है कि अनुग्रहजनक भक्ति का कारण धर्माचरण ही है।

पूर्वपक्षी का कहना है कि सिद्धान्ती ने भक्ति को अनुग्रहैकलभ्य

बताया है किन्तु ''भगवान् विषणु भक्ति से ही सन्तुष्ट होते हैं किसी अन्य उपाय से नहीं'', ''भगवान् गजेन्द्र पर, उसकी भक्ति से ही प्रसन्न हुए थे'' (भाग. ७।९।९), तथा ''भगवान् निर्मल अर्थात् अनन्य प्रयोजन वाली भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, भक्ति से भिन्न अन्य साधन तो विडम्बना मात्र हैं'' (भाग. ७।७।५२) इत्यादि वाक्यों में इससे विपरीत मत अर्थात् भगवत्प्रसाद के भक्तिजन्य होने के प्रतिपादन हुआ प्रतीत होता है, अतः ठीक तो यही प्रतीत होता है कि वर्णाश्रमादि धर्म को भक्ति का कारण और भक्ति को भगवदनुग्रह का कारण मान लिया जाए।

अब पूर्वपक्षी अपने पक्ष में विपक्षी द्वारा बताये गये दोषों का निराकरण करता हुआ अपने मत की पुष्टि करता है। सर्वप्रथम वह विपक्षी के तर्क का उत्तर देता है कि धर्माचरणरहित व्यक्ति भी भक्त होते देखे गये हैं अतः भक्ति का नियतपूर्ववर्तो न होने से धर्माचरण भक्ति का कारण नहीं माना जा सकता। इसके उत्तर में प्रतिपक्षी का यह कहना है कि जिन व्यक्तियों में इस जन्म में धर्माचरण नहीं देखा गया है किन्तु भक्ति पायी गई है उनके बारे में यह समझना चाहिए कि उन्होंने पूर्वजन्मों में धर्माचरण किया होगा जिसके फलस्वरूप उन्हें इस जन्म में भक्ति प्राप्त हुई है।

प्रतिपक्षी का कहना है कि धर्माचरण को भक्ति का कारण मानने के उसके मत के विरुद्ध उसके विपक्षी का यह तर्क देना भी युक्तियुक्त नहीं होगा कि 'वर्णाश्रमधर्म के आचरण से विरहित व्यक्तियों में भी (कहीं-कहीं) भक्ति देखी जाती है अतः वर्णाश्रम धर्म के आचरण को (भक्ति का नियत पूर्ववर्ती न होने के कारण) भक्ति का कारण नहीं माना जा सकता', क्योंकि ऐसे स्थलों पर भी कार्यरूप भक्ति के द्वारा उसके कारण के रूप में जन्मान्तर में किये गये धर्माचरण

का अनुमान कर लेने की सम्भावना तो रहती ही है।

पूर्वपक्षी के अनुसार उसके विपक्षी का यह कहना भी ठीक नहीं है कि 'वर्णाश्रमधर्मविरहित व्यक्ति में भी भक्ति उत्पन्न होते देखकर उस भक्तिरूप कार्य के कारण के रूप में उस व्यक्ति के द्वारा पूर्वजन्म में वर्णाश्रम धर्मों का आचरण किये जाने का अनुमान करने में अन्योऽन्याश्रय दोष होगा, क्योंकि यहाँ वर्णाश्रम धर्म के आचरण से भक्ति उत्पन्न होने की सिद्धि की जा रही है और भक्ति के उत्पन्न होने से (पूर्वजन्म में) वर्णाश्रम धर्म का आचरण किये गये होने का अनुमान किया जा रहा है।'

यहाँ पूर्वपक्षी अपने मत में विपक्षी द्वारा बताये जाने वाले जिस अन्योऽन्याश्रयदोष के होने की सम्भावना का निषेध कर रहा है उसका स्वरूप यह है कि पूर्वपक्षी वर्णाश्रमधर्म के आचरण से भक्ति उत्पन्न होने की सिद्धि करता है और भक्ति उत्पन्न होने से (पूर्व जन्म में) वर्णाश्रमधर्म का आचरण किये गये होने का अनुमान करता है। श्रीरघुनाथने अपनी विवृत्ति में इस अन्योऽन्याश्रय दोष का (निरूपण धोलिखित प्रकार से किया है। अनुमान व्याप्ति पर आधारित होता है। व्याप्ति तभी प्रामाणिक होती है जब उसमें व्यभिचार का अभाव हो और वह अव्यभिचारी तभी होगी जब हेतु अव्यभिचारी हो। इस प्रकार, भक्तिरूप हेतु व्यभिचारी नहीं है यह निश्चय होने पर ही भक्तिरूप देखकर उसके कारण के रूप में पूर्वजन्ममें धर्माचरण किये गये होने की सिद्ध हो सकती है किन्तु भक्तिरूप हेतु के अव्यभिचारी होने की सिद्धि तभी हो सकती है जब भक्ति के कारण के रूप में पूर्वजन्म में किए गए धर्माचरण की सिद्धि हो चुकी हो।

पूर्वपक्षी के अनुसार पूर्वजन्म में किये गये वर्णाश्रमधर्म के

Start : 05.02.2021

आचरण की भक्ति का कारण मानने में अन्योऽन्याश्रय दोष होने की उसके विपक्षी की बात इसलिए ठीक नहीं कही जा सकती है कि यहाँ पूर्वपक्षी पूर्वजन्म में वर्णाश्रमधर्म के आचरण किये गये होने की सिद्धि अनुमान से नहीं प्रत्युत शब्दप्रमाण से कर रहा है और अनुमान से केवल उसकी पुष्टि कर रहा है। इसे स्पष्ट करते हुए श्रीविट्ठलनाथ कहते हैं –

यहाँ अन्योऽन्याश्रयदोष होने की बात तो तब कही जा सकती थी जब वर्णाश्रम धर्म को आचरण को केवल अनुमान के बल पर ही भक्ति की उत्पत्ति का कारण माना जाता होता, परन्तु बात ऐसी नहीं है। वस्तुतः वर्णाश्रमादिधर्मों के आचरण को भक्ति की उत्पत्ति का कारण मानने का हमारा (अर्थात् पूर्वपक्षी का) मत वाचनिक अर्थात् शब्द प्रमाण से सिद्ध है, क्योंकि पूर्वोक्त (अर्थात् ऊपर पृष्ठ २–४ पर उद्धृत) वाक्यों से निःसन्दिग्ध रूप से निश्चय हो जाता है कि वर्णाश्रमादि धर्मों का आचरण भक्ति की उत्पत्ति का हेतु है।

तात्पर्य यह है कि जन्मान्तरीय (अर्थात् पूर्व जन्मों में किया गया) धर्माचरण भक्तिकी उत्पत्ति का कारण है यह ज्ञान (अनुमान से नहीं प्रत्युत) 'जन्मान्तरसहस्रेषु' इत्यादि पूर्वोद्धृतवाक्यरूप शब्दप्रमाण से होता है अतः यहाँ अन्योऽन्याश्रय दोष नहीं है।

अब प्रतिपक्षी अपने विपक्षी के इस कथन का उत्तर देता है कि प्रतिपक्षी को चाहिए कि वह धर्माचरणादि को भक्ति की उत्पत्ति का साक्षात् कारण मानने के बजाय यह मान ले कि धर्माचरणादि से भगवदनुग्रह होता है भगवदनुग्रह से भक्ति उत्पन्न होती है क्योंकि धर्माचरणादिको अपने अव्यवहितकार्यरूप अनुग्रह का हेतु मानना ही युक्तियुक्त है न कि अपने व्यवहितकार्यरूप (अर्थात् अपने अव्यवहित

कार्य अनुग्रहके कार्यरूप) भक्ति का हेतु मानना।

प्रतिपक्षी का कहना है कि उसके विपक्षी का यह कहना ठीक नहीं होगा कि 'धर्माचरणादि को भक्ति का हेतु कहीं-कहीं केवल इसीलिए कह दिया गया है कि वे भक्तिजनक भगवदनुग्रह के कारण या हेतु हैं। तात्पर्य यह है कि धर्माचरणादिको भक्तिजनक अनुग्रहका हेतु होने के कारण उपचारवश भक्ति का हेतु कह दिया जाता है, वस्तुतः तो भक्ति का हेतु भगवदनुग्रह ही है।' प्रतिपक्षी के अनुसार विपक्षी का यह मत इसलिए ठीक नहीं माना जा सकता कि इसका बोधक या ज्ञापक कोई ऐसा प्रमाणवाक्य उपलब्ध नहीं होता है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया हो कि (धर्माचरण भगवदनुग्रहका साक्षात् साधन है एवं भगवदनुग्रह भक्ति की उत्पत्ति का साक्षात् साधन और इस प्रकार) धर्माचरम परम्परया (अर्थात् भगवदनुग्रह द्वारा) ही भक्ति की उत्पत्ति का कारण है साक्षात् नहीं। इसके विपरीत धर्माचरणादिको भक्ति की उत्पत्ति का साक्षात् कारण बताने वाले प्रमाणभूत वाक्य तो पूर्वपक्षी (ऊपर पृष्ठ २-४ पर) उद्धृत ही कर चुके हैं।

पूर्वपक्षी के कथन का तात्पर्य यह है कि विपक्षी के, धर्माचरण साक्षाद्रूपसे अनुग्रह का और अनुग्रहद्वारा (अर्थात् परम्परया) ही भक्ति का हेतु या उत्पादक है,' इस मतको प्रतिपादित करने वाला कोई प्रमाण (आप्तवाक्य) नहीं मिलता, इसके विपरीत धर्माचरणको भक्ति का साक्षात् कारण बताने वाले अनेक प्रमाणवाक्य मिलते हैं जिन्हें हम (पूर्वपक्षी) ऊपर उद्धृत कर चुके हैं। अतः विपक्षी का मत ग्राह्य नहीं हो सकता।

पूर्वपक्षी के कथन का आशय यह है कि यदि उसका विपक्षी

Start : 05.02.2021

यह कहना चाहे कि पूर्वपक्षी धर्माचरणसे भक्ति की उत्पत्ति होने का प्रतिपादन करने के लिए जो प्रमाणवाक्य उद्धृत किये हैं उनका अभिप्राय धर्माचरणको भक्तिका साक्षात् कारण बताना नहीं प्रत्युत वे धर्माचरण से भगवदनुग्रह होने और अनुग्रह से भक्ति प्राप्त होने का प्रतिपादन करते हैं, तो इसके उत्तर में पूर्वपक्षीको यह कहना है कि उसके द्वारा उद्धृत श्लोक का जो अर्थ उसका विपक्षी कर रहा है उसका बोधक, ज्ञापक या विनिगमक कोई प्रमाण नहीं है, जब कि पूर्वपक्षी उनका जो अर्थ करता है उस अर्थ की पुष्टि अनेक प्रमाण-वाक्यों जिनका उल्लेख पूर्वपक्षी पहले ही कर चुका है-से भी होती है।

अब पूर्वपक्षी धर्म को अनुग्रह का कारण मानने वाले विपक्षी के मत का खण्डन करने के लिए विभिन्न विकल्प प्रस्तुत कर उनका एकैकशः निराकरण करने में प्रवृत्त होता है।

पूर्वपक्षी का कहना है कि धर्म को अनुग्रह का हेतु कहने वालों से हम पूछना चाहेंगे कि अनुग्रह से उनका तात्पर्य क्या है? क्या वे अनुग्रह को (मीमांसकों के संस्कार या अपूर्व की भांति जन्यधर्मरूप अर्थात्) धर्माचरण से उत्पन्न होने वाला कोई दूसरा ही धर्म मानते हैं अथवा जीवों द्वारा किये गये धर्माचरण का भक्तिरूप फल देने की भगवदिच्छा को ही अनुग्रह का नाम देते हैं?

पूर्वोक्त दोनों विकल्पों में से कोई विकल्प स्वीकार कर सकना विपक्षी के लिए सम्भव नहीं है यह सिद्ध करने के लिए पूर्वपक्षी इन विकल्पों के विपक्षी द्वारा स्वीकार किये जाने पर होने वाले दोषों का निर्देश करता है।

पूर्वपक्षी के अनुसार अनुग्रह को धर्मजन्य मानने वाले उसके विपक्षी का उपर्युक्त दोनों विकल्पों में से प्रथम (अर्थात् 'अनुग्रह

धर्माचरण से उत्पन्न होने वाला प्रयाजादिजन्य अपूर्वकी भांति एक पृथक जन्यधर्म' इस) विकल्प को मानना युक्तियुक्त नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि अनुग्रह धर्माचरण से उत्पन्न होने वाला एक पृथक् जन्यधर्म है, और ऐसे अप्रामाणिक पदार्थ को मानने में कल्पनागौरवरूप दोष भी आता है।

पूर्वपक्षी के अनुसार उसके विपक्षी का पूर्वोक्त विकल्पों में से दूसरे (अर्थात् 'अनुग्रह धर्माचरण का भक्तिरूप फल देने की भगवदिच्छा का ही नाम है' इस) विकल्प को मानना भी ठीक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फलदित्सारूप भगवदिच्छा (को श्रुतिस्मृत्यादिमें) नित्य (माना गया) है और उसके नित्य होने से उसका (धर्माचरणादिरूप) कोई सहकारी कारण भी स्वीकार नहीं किया गया है अतः नित्य अनुग्रहके सृष्टि के प्रारम्भ में ही विद्यमान होने और विना किसी सहकारी कारण की अपेक्षा के भक्तिरूप कार्य उत्पन्न करने में समर्थ होने के कारण सृष्टि के प्रारम्भ में ही अनुगृहीत व्यक्ति में भक्ति को उत्पन्न कर देने के कारण उन व्यक्तियों के भक्तिमान् होने की उपपत्ति (या व्याख्या) न हो सकेगी जिनमें भक्ति अब उत्पन्न हो रही है। पूर्वपक्षी का कहना है कि उसके विपक्षी भक्तिको मुक्ति का चरम कारण मानते हैं तः उनके मत में नित्य भगवदनुग्रह से (सृष्टि से प्रारम्भ में ही) उत्पन्न भक्ति से युक्त जीवों का (सृष्टि के प्रारम्भ में ही मोक्ष हो जाने के कारण) पुनः जन्म ले सकना सम्भव न होने से वर्तमान काल में होने वाली भक्तों की उपलब्धि भी अनुपपन्न हो जाएगी। अतः अनुग्रह को फलदित्सारूप (नित्य भगवदिच्छारूप) मानने का पूर्वोक्त द्वितीय विकल्प भी तर्कसङ्गत नहीं है।

पूर्वपक्षी का कहना है कि उसके विपक्षी के दूसरा विकल्प

स्वीकार करने में जिस दोष के होने की बात अभी कही गई है वह उसके अनुग्रह को धर्मान्तर मानने के उपर्युक्त प्रथम विकल्प को स्वीकार करने में भी आता है क्योंकि वह (विपक्षी) भगवान् के धर्मों के नित्य होने की बात स्वीकार करता है। तात्पर्य यह है कि अनुग्रह को भगवद्धर्मविशेष और नित्य मानने पर भी उसके द्वारा सर्गारम्भ में ही उत्पन्न की गयी भक्ति से युक्त जीवों की सर्गारम्भ में ही मुक्ति हो जाने से वर्तमानकाल में उपलब्ध होने वाले भक्तों की उपस्थिति की व्याख्या न की जा सकेगी।

यदि विपक्षी यह कहें कि (भगवद्धर्मरूप) अनुग्रह जन्य (अर्थात् काल-विशेष में उत्पन्न होने वाला और इसीलिए अनित्य) है तो उनका भगवद्धर्मों को अनित्य मानने वाले और भगवदनुग्रहको धर्माचरणजन्य मानने वाले चिन्तकों के मत मे प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि अनुग्रहको जन्य मानने पर उसके जनक या उत्पादक की अपेक्षा होगी और यह जनक या उत्पादक-भगवदिच्छा को भगवदनुग्रह का जनक मानने में भगवदिच्छा के नित्य होने के कारण पूर्वोक्त (अर्थात् सृष्टि से प्रारम्भ में ही सभी के मुक्त हो जाने के कारण वर्तमानकाल में उपलब्ध भक्तों की अनुपपत्तिरूप) दोष प्रसक्त होने से जीवों द्वारा किया गया धर्म (का आचरण) ही हो सकता है।

पूर्वपक्षी कहना है कि विपक्षी भगवदिच्छा को भगवदनुग्रह का जनक मानने में होने वाले पूर्वोक्त दोष से बचने के लिए भगवदिच्छा को जन्य मान लेने का विकल्प भी स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इच्छा ज्ञानजन्य होती है और जिस प्रकार भगवान् का ज्ञान नित्य तथा सर्वविषयक ही होता है जन्य नहीं उसी प्रकार (नित्य और सर्वविषयक ज्ञानसम्पन्न ब्रह्मकी) इच्छा भी (नित्य और सर्वविषयक

होने के कारण) जन्य नहीं हो सकती।

पूर्वपक्षी के कथन का आशय यह है कि इच्छा ज्ञानजन्य होती है और जन्य धर्म अनित्य होते हैं किन्तु उसके विपक्षी मानते हैं कि नित्य ब्रह्मके धर्म भी नित्य होते हैं अतः इच्छारूप धर्म जन्य (अनित्य) होने के कारण ब्रह्म में नहीं रह सकता। तात्पर्य यह है कि नित्य ब्रह्मको धर्मों और अनित्य इच्छारूप अनुग्रहको उसका धर्म मानना परस्पर व्याहत है अतः अनुग्रह को इच्छारूप भगवद्धर्म नहीं माना जा सकता। फलतः अनुग्रहको फलादित्सारूप मानने का विकल्प ठीक नहीं है।

इस प्रकार भगवदिच्छा के पूर्वोक्त कारणों से जन्य न मान सकने के कारण तथा उसे नित्य मानने पर उसको अनुग्रह का जनक मानने में पूर्वोक्त दोष प्रसन्न होने के कारण यह निष्कर्ष निकलता है कि अनुग्रह का जनक भगवदिच्छा को नहीं जीवों द्वारा किये गये धर्म (के आचरण) को ही माना जा सकता है और यह मान लेने (अर्थात् अनुग्रहको धर्म (धर्माचरण) से जन्य मान लेने) पर मतप्रवेश होता है, यह प्रतिपादित करने के बाद प्रतिपक्षी अनुग्रहको जन्य मानने में होने वाले कुछ अन्य दोषों का निरूपण करते हैं।

अनुग्रह (जन्यधर्म है और वह) अनियत है (अर्थात् भगवान् कब किस पर अनुग्रह करेंगे यह कहा नहीं जा सकता) यह मान लेने पर ऐसा मानने वाले व्यक्ति की 'मुझ पर भगवान् का अनुग्रह है (अथवा होगा)', यह जान सकना अर्थात् स्वविषयक भगवदनुग्रह के अस्तित्वका निश्चय कर सकना सम्भव न होने के कारण, भगवदनुग्रह एवं तदधीन तथा तज्जन्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए (श्रवणादि में) निःशङ्क प्रवृति न हो सकेगी।

Start : 05.02.2021

उपर्युक्त कथन का आशय अधोलिखित है। अनुग्रह का अनुमान कर सकने के लिए किसी ऐसे व्याप्य का ज्ञान होना आवश्यक है जिसका व्यापक अनुग्रह हो। अनुग्रह के गमक अर्थात् लिङ्गभूत व्याप्य धर्म के निश्चयात्मक ज्ञान के अभाव में अनुग्रह का अनुमान नहीं हो सकता और जब तक अनुग्रह का निश्चयात्मक ज्ञान न हो जाये तब तक तदधीन या तज्जन्य भक्ति की प्राप्ति के लिए भक्त उसी प्रकार प्रवृत्त नहीं होगा जिस प्रकार पर्वतीय अग्नि की प्राप्ति के लिए कोई तब तक (पर्वत पर जाने आदि में) प्रवृत्त नहीं होता है जब तक पर्वतमें धूम आदि देखकर अग्नि के वहाँ होने का निश्चय नहीं कर लेता है। इस प्रकार भगवदनुग्रह को (किसी निश्चित व्याप्य का निश्चित व्यापक न मानकर) अनियत मानने वाले व्यक्ति को स्वविषयक भगवदुग्रह के अस्तित्व का ज्ञान नहीं हो सकता अर्थात् वह यह नहीं जान सकता कि भगवान् ने उस पर अनुग्रह किया है और ऐसी दशा में उसकी अनुग्रहजन्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए (श्रवणादि में) निःशङ्क प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती।

यहाँ प्रतिपक्षी यह कह सकता है कि किसी व्यक्ति की भगवद्भक्ति में अत्यधिक रुचि एवं श्रद्धा आदि देखकर यह अनुमान किया जा सकता है कि उसकी यह रुचि भगवदनुग्रह का कार्य है अर्थात् उस पर भगवान् का अनुग्रह हो चुका है और इसी कारण उसकी भक्ति में रुचि एवं श्रद्धा है। इस प्रकार भगवद्भक्ति में व्यक्ति की श्रद्धा देखकर उसके कारण के रूप में अनुग्रह के अस्तित्व का ज्ञान (अनुमान द्वारा) होता है। अतः यह कहना ठीक नही है कि व्यक्ति को स्वविषयक अनुग्रह के अस्तित्व का ज्ञान नहीं हो सकता और उक्त प्रकार से स्वविषयक भगवदनुग्रह के अस्तित्व का ज्ञान हो सकने के कारण यह निष्कर्ष निकालना भी ठीक नहीं कहा जा सकता

कि 'स्वविषयक भगवदनुग्रह का ज्ञान न हो सकने के कारण व्यक्ति अनुग्रहजन्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए निःशङ्क रूपसे श्रवणादि में प्रवृत्त न होगा।'

किन्तु इस प्रकार भी भक्ति को प्राप्त करने के लिए श्रवणादि में निःशङ्क प्रवृत्ति की उपर्युक्त अनुपपत्ति को दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्वोक्त प्रकार से स्वविषयक अनुग्रह का ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति, 'मुझ पर भक्ति का कारणभूत भगवदनुग्रह हो गया है अतः अब भक्ति तो मुझे अनायास ही प्राप्त हो जायेगी', यह सोचकर भक्ति को प्राप्त करने के लिए कष्टसाध्य श्रवणादि रूप साधन में प्रवृत्त न होगा।

एक बात और भी है। श्रीमद्भागवत में उपलब्ध होने वाले सूत के ''इस श्रीमद्भागवतस्वरूप सात्वतसंहिता का श्रवण करने से व्यक्ति की पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे उसके शोक, मोह और भय नष्ट हो जाते हैं'' (भाग.१।७।७) इत्यादि कथन से ज्ञात होता है कि व्यास की श्रीमद्भागवत की रचना में प्रवृत्ति भक्ति प्राप्ति के साधन के रूप में ही हुई थी[१] और सिके श्रवण से भगवान् के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में सिद्धान्ती के भक्ति को श्रवणादिसाधनसाध्य न मान कर केवल भगवदनुग्रहैकलभ्य मानने सूत के इस (पूर्वोक्त) कथन का विरोध होगा, अतः श्रीमद्भागवत के ऊपर उद्धृत वचनों का विरोधी (अर्थात् प्रमाणविरोधी) होने के कारण भी सिद्धान्तीका भक्ति को (श्रवणादिसाधनसाध्य न मानना और) भगवदनुग्रहैकलभ्य मानना उचित नहीं है।

---

१. अनर्थोपशमं साक्षाद्भक्तियोगमधोक्षजे।
लोकस्याजानतो विद्वांश्चके सात्वतसंहिताम्।। (भाग.१।७।६)

Start : 05.02.2021

भक्ति को श्रवणादिसाधनसाध्य मानने वाली पूर्वपक्षी सिद्धान्तीके भक्ति को अनुग्रहैकलभ्य मानने के मत को स्वीकार करने में एक और कठिनाई बताता हुआ कहता है कि,

सिद्धान्तीके मत को स्वीकार कर उसके बताये गये प्रकार से शास्त्र का अर्थ समझने (अर्थात् सारे शास्त्री यही प्रतिपादित करते हैं कि भक्ति केवल भगवदनुग्रह से ही प्राप्य है, धर्माचरण और श्रवणादि से साध्य नहीं है यह मान लेने) वाले व्यक्ति की समझमें वेदप्रतिपादित विधि-निषेधों को स्वीकार कर तदनुसार आचरण करना भक्ति प्राप्ति में साधक न होने के कारण अनुपयोगी हो जाएगा और ऐसी दशा में भक्ति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों में सदाचार के नष्ट हो जाने का अनिष्ट प्रसङ्ग उपस्थित हो जायेगा।

पूर्वपक्षी अनुसार सिद्धान्ती यह कह सकता है कि उसे धर्माचरण या सदाचार का उच्छेद अभीष्ट है, क्योंकि सर्वधर्मपरित्यागपूर्वक अवस्थिति भक्ति के चरम परिपाक के अनन्तर ही होती है, पहले नहीं। इसीलिए श्रीमद्भागवत में भरत के चरित्र में पहले (राजा होने के समय) धर्माचरणपूर्वक रहने और बाद में (ब्राह्मण होने के समय) धर्माचरणविरहित होकर जडवत आचरण करने की बात कही गई है।

पूर्वपक्षी के कथन का तात्पर्य यह है कि सिद्धान्ती यह नहीं कह सकता कि उसके (पूर्वपक्षी के) द्वारा बताये गये प्रकार से शास्त्र का अर्थ समझने वाले व्यक्तियों का वेद-प्रतिपादित विधि-निषेधादिका अनुसरण करने वाले आचरण को (भक्तिप्राप्ति में उपयोगी न मानने के कारण) छोड़ देना तो उसे (सिद्धान्ती को) अभिमत ही है, क्योंकि-

मृता मोहमयी माता जातो बोधमयः सुतः।

सूतकद्वयसम्प्राप्तौ कथं सन्ध्यामुपास्महे।।

हृदाकाशे चिदादित्यः सदा भासति भासति।

नास्तमेति न चोदेति कथं सन्ध्यामुपास्महे।। (मैत्रेय्युपनिषद् २।१३-१४)।

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन।

निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्।।

यादानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके।

तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः।। (गीता २।४५-४६)

त्यज धर्ममधर्मञ्च उभे सत्यानृते त्यज।

उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज।। (महाभारत)

निस्त्रैगुण्ये तिथि विचरतां को विधः को निषेधः?

इत्यादि वाक्यों में आत्मज्ञानी पुरुष के वेदानुसारी धर्माचरण के छूट जाने का उल्लेख मिलता है। सिद्धान्ती का यह कथन इसलिए ठीक नहीं है कि सर्वधर्मत्यागपूर्वक अवस्थिति भक्ति का उद्रेक होने पर स्वयमेव हो जाती है। यह भक्तिके चरम परिपाकके बाद ही होती है। जान-बूझकर श्रुतिस्मृत्यनुसारी धर्माचरणकी उपेक्षा या उल्लंघन करना तो

श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञै यस्त उल्लङ्घ्य वर्तते।

आज्ञोच्छेदी मम द्वेषी मद्भक्तोऽपि न मे प्रियः।।

इत्यादि भगवदुक्तियों के अनुसार भगवदाज्ञा का उल्लङ्घन, अपराध और पाप है। इसीलिए श्रीमद्भागवत में महाभागवत भरत के चरित्र के वर्णन में उनके राजा होने के समय उनके द्वारा होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा इन चार ऋत्विजों द्वारा कराये जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और सोम आदि छोटे-बड़े क्रतुओं (यज्ञों) द्वारा यथासमय श्रद्धापूर्वक यज्ञक्रतुरूप भगवान् श्रीवासुदेव के यजन करने का उल्लेक

मिलता है और बाद में एक-दूसरे जन्म में ब्राह्मण के रूप में भगवत् कृपा से अपनी पूर्वजन्म परम्परा का स्मरण रहने से श्रीभगवान् के ध्यान में निरन्तर लीन रहने से वैदिक धर्माचरण का सर्वथा त्याग कर जडवदाचरण करने के कारण जडभरत के रूप में प्रसिद्ध होने की बात कही गयी है।

पूर्वपक्षी मत का उपसंहार करते हुए निष्कृष्टार्थ बताता है -

अतः जिस प्रकार आँखों में अञ्जन लगाते रहने से शनैः शनैः तिमिर रोग दूर हो जाने पर पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है[१], उसी प्रकार अनेक जन्मं में किये गये और इस प्रकार सञ्चित, विषयभोग की लालसा से विरहित सारे वर्णाश्रमधर्मों के आचरण से सत्त्वशुद्धि (अन्तःकरणकी शुद्धि) हो जाने पर शास्त्र के अर्थ का सुस्पष्ट ज्ञान हो जाता है और वह इस रूप में कि सारे शास्त्र भगवद्भक्ति के ही परम पुरुषार्थ होने का प्रतिपादन करते हैं[२]।

तदनन्तर उस परमपुरुषार्थरूप भगवद्भक्ति की प्राप्ति के लिए ही वर्णाश्रम धर्मों का आचरण करने पर भक्तिरूप फल उपलब्ध होता है। इस भक्ति द्वारा भगवदनुग्रह की और भगवदनुग्रह से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस रूप में शास्त्र के अर्थरूप राजमार्ग को जानने वाले विद्वानों के ज्ञानरूपी धनकी चोरी किसी भी प्रकार नहीं हो सकती।

पूर्वपक्षी वर्णाश्रमधर्म के महत्व पर बल देने की इच्छा से व्यङ्गपूर्वक कहता है कि शास्त्र भगवद्भक्ति को परमपुरुषार्थ बताते हैं

---

१. यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानैः।
तथा तथा पश्यति वस्तु सूचमं चतुर्यथैवाञ्जनसम्प्रयुक्तम्।। (भाग. ११।१४।२६)

२. द्रष्टव्य, भक्तिमार्तण्ड पृष्ठ १-७

यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी जन्मजन्मान्तर तक निष्काम भाव से वर्णाश्रमधर्मों का आचरण करना पड़ता है, तो भगवद्भक्ति प्राप्त करने के लिए वर्णाश्रमधर्म का आचरण तो और भी अधिक अपेक्षित होगा। कामनारहित होकर वर्णाश्रमधर्म दीर्घकाल तक आचरण करने से व्यक्ति की समझ में यह बात आती है कि सारे शास्त्र भगवद्भक्ति को ही साधनात्मक परम पुरुषार्थ बताते हं और तब वह सारे वर्णाश्रम धर्मों का अनुष्ठान उस पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए ही करता है, जिसके परिणामस्वरूप उसके हृदय में भगवद्भक्तिरूप फल उत्पन्न होता है। उस भक्ति के कारण भगवान् जीव पर अनुग्रह करते हैं और भगवदनुग्रह से जीव को साध्यात्मक परम पुरुषार्थरूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उपर्युक्त प्रकार के राजमार्ग को जानने वाले विद्वानों के ज्ञानरूप धन को सन्देहादिरूप तस्कर चुरा नहीं सकते अर्थात् इस क्रम को जानने वालों के हृदय में सन्देह के लिए कोई अवकाश नहीं रहता।

इस प्रकार यहाँ तक श्री विट्ठलनाथ ने इस पूर्वपक्ष का निरूपण किया कि भक्ति का हेतु वर्णाश्रमधर्म का आचरण है और उस बक्ति से भगवदनुग्रह तथा भगवदनुग्रह से मोक्ष होना है। अब वे इस पूर्वपक्ष का खण्डन कर, भगवदनुग्रह ही बालिका हेतु है इस सिद्धान्त की स्थापना करने में प्रवृत्त होते हैं।

पूर्वपक्षी के पूर्वोक्त कथन के उत्तर हो (सिद्धान्तीकी) अधोलिखित बातें कहनी है। प्रथम तो यह कि पूर्वपक्षी के अनुसार बताये गये प्रकार से अर्थात् विषयोपभोग की लालसा से रहित होकर किये गये वर्णाश्रमधर्मों के अनुष्ठान से चित्तशुद्धि हो जाने पर भी कुछ लोग ज्ञानमार्गी हो जाते हैं अर्थात् ज्ञान मार्ग में ही स्थिर हो जाते हैं (उनमें भक्ति उत्पन्न नहीं होती) और कुछ लोग भक्तिनिष्ठ हो जाते

हैं अर्थात् भक्तिमार्ग में परिनिष्ठित हो जाते हैं, ऐसा हम सभी का अनुभव है। पूर्वपक्षी को बताना चाहिए कि इसका कारण क्या है अर्थात् वर्णाश्रमधर्माचरणरूप एक ही कारण से परस्पर भिन्न दो फल क्यों उत्पन्न होते हैं?

सिद्धान्ती के प्रश्न का आशय यह है कि पूर्वपक्षी द्वारा प्रतिपादित प्रकार से कामना रहित होकर वर्णाश्रमधर्म का आचरण करने से अन्तःकरण शुद्धि हो जाने पर भी कुछ लोग भक्तिमार्ग की उपेक्षा कर केवल ज्ञानमार्ग में ही निष्ठा रखते हैं और कुछ अन्य केवल भक्ति मार्ग में ही निष्ठा रखते हैं। इस वैषम्य का कारण क्या है? मूल के 'ज्ञानमार्गिता' पद का आशय यह है कि कुछ लोग भक्ति की उपेक्षा कर केवल ज्ञानमार्ग में निष्ठा रखते हैं, क्योंकि स्वयं श्रीवल्लभाचार्य ने शास्त्रविहित भक्ति करने वालों में ज्ञानी भक्त को सर्वाधिक प्रशस्य बताते हुए तत्त्वार्थदीपनिबन्ध के शास्त्रार्थप्रकरण में कहा है कि ज्ञानी यदि कृष्ण का भजन करते हैं तो उनसे बढ़कर और कोई नहीं है[१]। उनकी दृष्टि में ज्ञानी का महत्व वस्तुतः इसमें है कि वह ज्ञानी होते हुए भी भगवान् का भक्त है। भगवान् ने गीता में भगवद्भजन करने वाले चतुर्विध पुरुषों में ज्ञानी को ही सर्वश्रेष्ठ बताते हुए अपनी आत्मा कहा है[२]।

ज्ञानमार्गैकनिष्ठ एवं भक्तिमार्गैकनिष्ठ व्यक्तियों में भेद का अनुभव सार्वजनीन है और ज्ञाननिष्ठा तथा भक्तिनिष्ठा दोनों का एक ही कारण मानना युक्तियुक्त न होगा, अतः पूर्वपक्षी को इन दोनों के

---

१. ज्ञानी चेद्भजते कृष्णं तस्मान्नास्त्यधिकः परः।। (त. शास्त्रार्थ प्र.का. १४)

२. चतुर्विधा भजन्ते मां नराः सुकृतिनोऽर्जुन।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्षम (गीता ७।१६)
उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। (गीता ७।१८)

अलग-अलग दो कारण भी मानने चाहिए, किन्तु पूर्वपक्षी वर्णाश्रम धर्माचरणजन्य चित्तशुद्धिरूप एक ही कारण को इन दोनों का हेतु मानता है जो युक्तिसङ्गत नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए,

पूर्वपक्षी का यह कहना भी ठीक न होगा कि वर्णाश्रमधर्माचरण-जन्य चित्त शुद्धि में तारतम्य होता है, प्रत्युत उसे ज्ञाननिष्ठा की उत्पादक चित्तशुद्धि एवं भक्तिनिष्ठा की उत्पादक चित्तशुद्धि में तुल्यता स्वीकार करनी होगी, क्योंकि उसे इस बात पर भी विचार करना होगा कि अगर वह उभयत्र चित्तशुद्धि की तुल्यता न मानेगा तो ज्ञान की उत्पत्ति की व्याख्या भी न कर पायेगा।

सिद्धान्ती के कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्वपक्षी का चित्तशुद्धि में अवान्तर भेद स्वीकार कर ज्ञाननिष्ठा की उत्पादक चित्तशुद्धि एवं भक्तिनिष्ठा की उत्पादक चित्तशुद्धि में तारतम्य मानना भी ठीक न होगा, क्योंकि इन दोनों चित्तशुद्धियों का उत्पादक वर्णाश्रमधर्माचरण तो उभयत्र तुल्य है। ऐसी स्थिति में उत्पादक के अभिन्न होने पर उत्पाद्यों में भेद की व्याख्या नहीं की जा सकेगी। पूर्वपक्षी को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि यदि वह यह मानेगा कि भक्ति को उत्पन्न करने के लिए चित्तशुद्धि को अपने से अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ की भी अपेक्षा होती है, तो उसे यह भी मानना पड़ेगा कि ज्ञान को उत्पन्न करन के लिए भी चित्तशुद्धि को अपने से अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ की भी अपेक्षा होती है।

अतः प्रतिवादी को यह मानना चाहिए कि जीव में भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो आद्यप्रवृत्ति होती है, उसका कारण केवल भगवदनुग्रह ही है, क्योंकि वह अन्यथा अनुपपन्न है।

सिद्धान्ती के कथन का आशय यह है कि सृष्टि के प्रारम्भ में

अथवा आधुनिक युग में भी भक्तिप्राप्ति के लिए अन्य साधनों के अभाव में भी, जीवों में होने वाली भक्ति की प्राप्ति के लिए प्राथमिक प्रवृत्तिको अनुग्रहेतर साधनों के उपलब्ध न होने के कारण केवल (साधनान्तरासहकृत) अनुग्रह से ही जन्य मानना चाहिए, क्योंकि उसकी कोई अन्य उपपत्ति या व्याख्या सम्भव नहीं है। अतः पूर्वपक्षी को चाहिए कि वह भक्ति को केवल भगवदनुग्रहजन्य मानने के सिद्धान्ती के पक्ष को स्वीकार कर ले।

यहाँ पूर्वपक्षी यह कह सकता है कि सिद्धान्ती का भक्ति की प्राप्ति के लिए होने वाली आद्यप्रवृत्ति को अन्यथानुपपत्ति से केवल अनुग्रहजन्य मानना ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि अनुमान प्रमाण से उक्त प्रवृत्ति को भगवदनुग्रह से भिन्न (अन्य) साधनों से जन्य सिद्ध किया जा सकता है। इस अनुमान का स्वरूप अधोलिखित होगा। 'जीव की भक्ति में आद्यप्रवृत्ति अनुग्रहेतरसाधनपूर्विका होती है, क्योंकि यह भी भोजनादिकी क्रिया के समान एक क्रिया है।' सिद्धान्ती के अनुसार इस अनुमान के आधार पर पूर्वोक्त आद्यप्रवृत्ति को अनुग्रहेतरसाधनपूर्विका नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस अनुमान का तुल्यबल प्रतिपक्षी अनुमान भी उपलवब्ध है, जिसका स्वरूप अधोलिखित है। 'जीवकी भक्तिमें आद्यप्रवृत्ति अनुग्रहेतरसाधनपूर्विका नहीं है, क्योंकि यह प्रवृत्ति क्रियारूप होते हुए भी भोजनादि क्रिया से भिन्न प्रकार की, भक्ति को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली नारद प्रह्लाद आदि की क्रियाओं के समान एक अन्य प्रकार की ही क्रिया है।' सिद्धान्ती का कहना है कि उसका यह वेदानुगृहीत अर्थात् ''यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः'' (कठोप. १।२।३, मुण्ड. उप. ३।२।३) इत्यादि श्रुतिवाक्य पर आधारित है, जबकि प्रतिवादी का अनुमान श्रुत्यनुगृहीत नहीं है, अतः उसका यह कहना ठीक नहीं है कि भक्ति

की प्राप्ति के लिए होने वाली आद्यप्रवृत्ति को अनुमान द्वारा भगवदनुग्रह को भिन्न अन्य साधनों से जन्य सिद्ध किया जा सकता है।

पूर्वपक्षी का कथन है कि इस प्रकार भी (अर्थात् भक्ति की प्राप्ति के लिए होने वाली आद्यप्रवृत्ति को अन्यथानुपपत्ति से केवल भगवदनुग्रहजन्य मानकर भी) सिद्धान्ती वस्तुतः पूर्वपक्षीकी बात का ही पुनःकथन कर रहा है, क्योंकि वह (सिद्धान्ती) यही कह (अर्थात् प्रतिपादित कर) रहा है कि सत्त्वशुद्धि ही भगवदनुग्रहरूप सहकारी कारणको पाकर (उसके सहयोग से) भक्ति को जन्म देती है, और उस (भगवदनुग्रहरूप सहकारी कारण) के अभाव में भक्ति को उत्पन्न नहीं करती। अन्यथा सत्त्वशुद्धि होने के पहले ही भक्ति के उत्पन्न हो जाने का प्रसङ्ग अनिवार्य रूप से आ उपस्थित होगा।

पूर्वपक्षी के कथन का यह आशय यह है कि वह सत्त्वशुद्धि को भक्ति का मुख्य कारण मानता है और सिद्धान्ती भी वस्तुतः उसके इस मत का ही पुनःकथन करता प्रतीत होता है क्योंकि वह (सिद्धान्ती) यह कह रहा है कि सत्त्वशुद्धि अनुग्रहसहकृत होने पर भक्ति को उत्पन्न करती है और अनुग्रह के अभाव में नहीं। इस प्रकार सिद्धान्ती भी मुख्य कारण तो सत्त्वशुद्धि को ही मान रहा है, अनुग्रह तो सहकारी और गौण कारण मात्र है। सिद्धान्ती ऐसा मानता है यह पूर्वपक्षी इसलिए कह रहा है कि उसके अनुसार यदि सिद्धान्ती ऐसा न माने कि भक्ति की उत्पत्ति में मुख्य कारण अनुग्रहसहकृत सत्त्वशुद्धि है तो उस (सिद्धान्ती) के सामने सत्त्वसुद्धि होने के पहले ही भक्ति के उत्पन्न हो जाने का प्रसङ्ग अनिवार्य रूप से उपस्थित हो जायेगा।

पूर्वपक्षी की इस बात को स्पष्ट करते हुए श्रीरघुनाथ कहते हैं कि यदि सिद्धान्ती यह नहीं मानेगा कि भक्तिकी उत्पत्ति में मुख्य कारण

सत्त्वशुद्धि और सहकारी कारण भगवदनुग्रह है तथा इसमें (भक्ति की उत्पत्ति में) विलम्ब इस भगवदनुग्रहरूप सहकारी कारण पर ही निर्भर है तो उसके मत में उपर्युक्त दोष अपरिहार्य रूप से आ जायेगा।

इसके उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि जब पूर्वपक्षी यह मानते हैं कि सत्त्वशुद्धि भगवदनुग्रहरूप सहकारी कारण के होने पर ही भक्ति को उत्पन्न करती है तो उन्हें चाहिए कि वे इस अनुग्रह को ही–भक्ति की उत्पत्ति के लिए आवश्यक होने के कारम तथा केवल अनुग्रह को ही भक्ति का उत्पादक मानने में कल्पना लाघव होने के कारण–भक्ति का हेतु मान लें। ऐसा मान लेने से उन्हें भक्ति की उत्पत्ति के लिए चित्तशुद्धि आदि (अनावश्यक कारणान्तरों) की अपेक्षा भी नहीं रहेगी।

सिद्धान्तीके कथन का आशय यह है कि सत्त्वशुद्धि को भक्ति का कारण मानने में भी भगवदनुग्रह को भक्ति की उत्पत्ति में सहकारी कारण मानकर पूर्वपक्षी उसका कारणता तो स्वीकार करते ही हैं अर्थात् भक्ति को उत्पन्न करने के लिए सहकारी कारण के रूप में भगवदनुग्रह का होना तो वे भी आवश्यक मानते ही हैं। ऐसी दशा में सिद्धान्ती और पूर्वपक्षी के मतों में अन्तर यह है कि सिद्धान्ती के मत में केवल अनुग्रह ही भक्ति का हेतु है जबकि पूर्वपक्षी अनुग्रह के साथ ही इससे अतिरिक्त सत्त्वशुद्धिरूप एक अन्य कारण मानकर भक्ति की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। पूर्वपक्षी का मत मानने में कल्पना गौरवरूप दोष आता है जबकि सिद्धान्ती के मत में कल्पनालाघवरूप गुण है। जब अकेले अनुग्रह से भक्ति की उत्पत्ति की व्याख्या हो सकती है तो अनुग्रह के साथ सत्त्वशुद्धि को आवश्यक मानकर कल्पनागौरपूर्वक भक्ति की उत्पत्ति की व्याख्या करना न तो अपेक्षित ही है और न तर्क सङ्गत ही, क्योंकि जैसा कि, 'लघुनि प्रमाणानां

पक्षपातः' एवं

'कल्पनागौरवं यत्र तं पक्षं नाद्रियामहे। कल्पनालाघवं यत्र तं पक्षं रोचयामहे।।' आदि उक्तियों से स्पष्ट है प्रमाणानुसारी विचारक कल्पनालाघवका पक्ष ही स्वीकार करते हैं।

सिद्धान्ती का अभिप्राय यह है कि पूर्वपक्षी के लिए भक्ति के कारणों में भगवदनुग्रह को अन्य सभ कारणों की अपेक्षा पूर्ववर्ती मानना आवश्यक है, अन्यथा 'यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः' (कठोप. १।२।२३ मुण्ड.उप. ३।२।३) इत्यादि श्रुतिवाक्यों की उपपत्ति न हो सकेगी और अनेक कारणों की अपेक्षा एक कारण मानने में कल्पनालाघव होता है, अतः सत्त्वशुद्धि आदि अनेक धर्मों को कारण मानने की अपेक्षा एकमात्र भगवदनुग्रह को ही भक्ति का कारण मान लेना चाहिए।

पूर्वपक्षी का यह कहना भी ठीक न होगा कि जिस प्रकार घट का कारण कुम्हार के डण्डे एवं चाक आदि में से किसी एक को न मानकर सभी को माना जाता है उसी प्रकार यहाँ भी (अर्थात् भक्ति की कारणता के प्रसङ्ग में भी) मानना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी भक्ति के विभिन्न कारणों में से किसी एक (अर्थात् भगवदनुग्रह) को ही कारण मानने का कोई निश्चायक हेतु या विनिगमक उपलब्ध नहीं होता।

यहाँ सिद्धान्ती पूर्वपक्षी द्वारा दी जाने वाली जिस युक्ति का उल्लेख कर रहा है उसका आशय यह है कि जिस प्रकार का घटका कारण निश्चित करने में कुम्हार के दण्ड, चाक आदि में से किसी एक को ही निश्चितरूप से कारण कह सकना सम्भव न होने से सभी को मिलाकर, सारी कारणसामग्री को, घटका कारण माना जाता है, उसी

प्रकार भक्ति का कारण निश्चित करने में भगवदनुग्रह, सत्त्वशुद्धि आदि में से किसी एक को, विशेषतः केवल भगवदनुग्रह को ही भक्ति का कारण मान सकने में कोई विनिगमक अर्थात् निश्चायक प्रमाण न होने से धर्माचरणजन्य सत्त्वशुद्धि आदि के साथ ही भगवदनुग्रह को (अर्थात् सम्पूर्ण कारणसामग्री को) भक्ति का कारण मानना चाहिए, न कि केवल भगवदनुग्रह को ही।

पूर्वपक्षी का यह कहना इसलिए ठीक नहीं है कि घटके कारण एवं भक्ति के कारण का निश्चय करने में प्रसङ्गों में मौलिक अन्तर है। घटरूप कार्य की उत्पत्ति कुम्हार का दण्ड एवं चाक आदि अन्योऽन्यसापेक्ष होकर ही करते हैं अतः उन्हें सम्मिलत रूप में घट का कारण कहा जाता है, किन्तु प्रकृत (अर्थात् भक्ति की कारणता के) प्रसङ्गमें वैसा नहीं है, क्योंकि धर्माचरणजन्य सत्त्वशुद्धि आदि रूप साधनोंसे विरहित लोगों में भी भक्ति (उत्पन्न होती) देखी जाती है।

सिद्धान्ती के कथन का आशय यह है कि कुम्हार का चाक और दण्ड आदि साथ मिल कर अन्योऽन्यसापेक्ष होकर ही घटादि को उत्पन्न करते देखे जाते हैं अतः सहकारिता एवं अन्योऽन्यसापेक्षता के प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुरोध से उनमें से किसी एक को घटका कारण न कह सकने की स्थिति में सभी को कारण मान लेना तो उचित कहा जा सकता है, किन्तु भक्ति के कारण के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवदनुग्रह एवं वर्णाश्रम धर्माचरणजन्य सत्त्वशुद्धि आदि रूप साधनों के अभाव में भी केवल भगवदनुग्रह से ही भक्ति उत्पन्न करते हैं ऐसा नहीं दिखाया जा सकता। वस्तुतः अनेक लोगों में वर्णाश्रम धर्माचरणजन्य सत्त्वशुद्धि आदि रूप साधनों के अभाव में भी केवल भगवदनुग्रह से ही भक्ति उत्पन्न होती देखी जाती है अतः

केवल (अर्थात् साधनान्तरासहकृत या साधनान्तर निरपेक्ष) भगवद्ग्रह को भक्ति का हेतु मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं है।

सिद्धान्ती के इस मत के विरोध में पूर्व पक्षी का कहना है कि अनुग्रहेतर साधनों से विरहित लोगों में भी भक्ति उत्पन्न होते देखकर सिद्धान्ती का यह मान लेना उचित नहीं है कि उनमें केवल भक्ति भगवदनुग्रह से उत्पन्न हुई है। उनमें भक्ति उत्पन्न होने की व्याख्या यह मानकर भी की जा सकती है कि यद्यपि इस जन्म में वे अनुग्रहेतर साधनों से विरहित है तथापि उन्होंने पूर्व जन्म या जन्मों में वर्णाश्रम धर्माचरणादिरूप साधनानुष्ठान किया था और इन साधनों के अनुग्रह सहकृत हो जाने पर अब उनमें भक्तिरूप कार्य उत्पन्न हुआ है। वस्तुतः भक्तिरूप कार्य की उत्पत्ति से ही इस कार्य के कारण के रूप में इन प्राक्तन धर्माचरणादिरूप साधनों का अनुमान उसी प्रकार होता है जिस प्रकार मङ्गलाचरण के अभाव में भी ग्रन्थ की निर्विघ्न समाप्ति होते देखकर पूर्वजन्म में मङ्गलाचरण किये गये होने का अनुमान होता है। अतः कुछ लोगों में दृष्ट (अर्थात् इसी जन्म में किये गये) वर्णाश्रम धर्माचरणादिरूप साधनों के अभाव में भी भक्ति उत्पन्न होती देखकर केवल भगवदनुग्रह को ही भक्ति का साधन जनक मानने के बजाय उनके अदृष्ट या प्राक्तन (अर्थात् पूर्वजन्म के) धर्माचरणादिरूप साधनानुष्ठान की कथना कर लेना अधिक उचित है। पूर्वपक्षी के इस कथन के विरोध में सिद्धान्ती का कहना है कि –

पूर्वपक्षी का यह कहना भी ठीक न होगा कि इस जन्म में धर्माचरणादिरूप साधनानुष्ठान से रहित लोगों में भी भक्ति उत्पन्न होते देखकर उनके द्वारा पूर्व जन्म में धर्माचरणादिरूप साधनों का अनुष्ठान किये जाने का अनुमान कर लेना चाहिए, क्योंकि श्रीमद्भागवत में अनुग्रहेतर साधनों के भक्ति का हेतु होने का निषेध किया गया है।

भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध के बारहवें अध्याय के प्रारम्भ में भगवान् श्रीकृष्ण उद्धव से कहते हैं, ''हे उद्धव! सारी आसक्तियों को निवृत्त कर देने वाला सत्सङ्ग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेता है, उस प्रकार कोई अन्य साधन (आसनप्राणायामदिलक्षण) योग (की साधना), (सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिरूप) सांख्य या विवेक, (परोपकारादिरूप सामान्य) धर्म (का आचरण), वेदाध्यनन, (कृच्छ्रादिरूप) तप, संन्यास, इष्ट (अर्थात् अग्निहोत्रादिरूप वैदिक) एवं पूर्त (अर्थात् कूपारामादिनिर्माणरूप स्मार्त) कर्म, दान (एकादश्युपवासादि रूप) व्रत, (देवपूजादिरूप) यज्ञ, (रहस्यमन्त्रादिरूप) छन्द, तीर्थ (शौच सन्तोषादिरूप) नियम तथा (अहिंसा, सत्यास्तेयादिरूप) यम-मुझे वश में नहीं कर पाते। सत्सङ्ग के द्वारा ही दैत्यों, राक्षसों, पशुओं एवं पक्षियों (ने मुझे प्राप्त किया है)'' (भाग. ११।१२।१-३) इत्यादि वाक्य द्वारा उपक्रम करके भगवान् आगे कहते हैं, ''उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधिपूर्वक महापुरुषों की उपासना अर्थात् सेवा-शुश्रूषा ही की थी।

उन्होंने न तो कृच्छ्रचान्द्रायणादि व्रत किये थे और न कोई तपस्या ही की थी। केवल सत्सङ्ग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गये।' (भाग.११।१२।७)। इसी प्रकार ''गोपियों, गायों, लतागुल्मवृक्षादिसहित पर्वतों, हरिणादि पशुओं, कालियादि नागों तथा अन्य अनेक ऐसे प्राणियों ने भी जो (साधन-साध्य आदि के सम्बन्ध में) सर्वथा मूढबुद्धि थे, केवल प्रेमपूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मुझे प्राप्त कर लिया और मुझे प्राप्त कर ये सभी सिद्ध अर्थात् कृतकृत्य हो गये।'' (भाग. ११।१२।८) इत्यादि। पूर्वोक्त गोपियों आदि को जन्मान्तरीय (अर्थात् प्राक्तन जन्म या जन्मों में किये गये धर्माचरणादिजन्य सत्त्वशुद्धि आदिरूप) साधन से युक्त मान लेने पर भगवान् का 'उन्होंने वेदों का

स्वाध्याय नहीं किया था' (भाग. ११।१२।७) आदि वाक्य द्वारा उनके साधन-सम्पन्न होने का निषेध करना अनुपपन्न हो जाता है अर्थात् इस निषेधकी व्याख्या नहीं की जा सकती।

सिद्धान्ती के कथन का तात्पर्य यह है कि अनुग्रहेतर साधनों से विरहित लोगों में भी भक्ति उत्पन्न होते देखकर पूर्वपक्षी ''यह भक्ति भी (अनुग्रहेतर) साधनपूर्विका है, क्योंकि साधनामार्गीय भक्ति की ही भाँति यह भी भक्ति है'' इस प्रकार के अनुमान द्वारा जन्मान्तरीय साधनानुष्ठान का अनुमान करते हैं, किन्तु उनका यह अनुमान सदोष है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त 'भक्तित्व' हेतु विपक्षवृत्ति होने से व्यभिचारी (अर्थात् साधारण अनैकान्तिक हेत्वाभास और इसीलिए व्याप्तिज्ञान का प्रतिबन्धक) है। यह हेतु विपक्षवृत्ति अर्थात् साध्याभाववद्गामी है (अर्थात् जो भक्ति अनुग्रहेतरसाधनपूर्विका नहीं होती उसमें भी भक्तित्व पाया जाता है), यह सिद्ध करने के लिए सिद्धान्ती प्रमाणस्वरूप श्रीमद्भागवत के एतदर्थप्रतिपादक 'न रोधयति' (भाग.११।१२।१) इत्यादि वाक्य उद्धृत करते हैं। गोकुलवासियों का भी कोई प्राक्तन धर्माचरणादिरूप साधन रहा होगा अतः उनमें मिलने वाली भक्ति भी अनुग्रहेतरसाधनपूर्विका ही है इस आशङ्का का निराकरण करने के लिए सिद्धान्ती स्वयं सर्वश भगवान् के 'ते नाधीतश्रुतिगणाः' (भाग.११।१२।७) इत्यादि वाक्य उद्धृत करते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि यदि ऐसा कोई प्राक्तन साधन रहा होता तो सर्वज्ञ भगवान् को उसका ज्ञान अवश्य होता किन्तु स्वयं भगवान् ही उनके साधनरहित होने की बात कह रहे हैं, ऐसी दशा में गोकुलवासियों आदि की भक्ति को अनुग्रहेतरसाधनपूर्विका मानने में भगवान् के इन वाक्यों का और उनकी सर्वज्ञता का विरोध होगा। इसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए श्री विट्ठलनाथ कहते हैं-

इतना ही नहीं, ''जिसे प्रयत्नशील साधक भी योग, सांख्य, दान, व्रत, यज्ञ, शास्त्रों की व्याख्या (अद्यापन), स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकते'' (भाग.११।१२।९) इत्यादि वाक्यों में स्वयं श्रीगोकुल के प्राणनाथ भगवान् श्रीकृष्ण ने साधनरहित व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त किये गये अपने स्वरूप के इतर साधनों के द्वारा अप्राप्य होने की बात कही है। अतः पूर्वोक्त प३कार से अन्वय और व्यतिरेक अनुग्रहेतर) साधनों में भक्ति की कारणता की गन्ध भी नहीं मिल सकती अर्थात् अनुग्रहेतर साधनों को बक्ति का हेतु कथमपि नहीं माना जा सकता। श्रीमद्भागवत के इस प्रकरण में 'केवल स्नेहभाव से ही' (भाग. ११।१२।८) इत्यादि वाक्य से भगवान् द्वारा निःसाधन (अर्थात् धर्माचरणादिजन्य सत्त्वशुद्धि आदिरूप, तथा स्वाध्यायादिरूप साधनों से विरहित) गोपियों आदि में भी स्नेहभक्ति होने का निरूपण किये जाने से यह स्पष्ट एवं निश्चित रूप से निर्णीत हो जाता है कि स्नेहभक्ति पूर्वोक्त अनुग्रहेत्तर साधनों से साध्य नहीं है।

'सिद्धान्ती के उपर्युक्त कथनों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि भक्ति को साधनों द्वारा साध्य या प्राप्य प्रतिपादित करने वाले शास्त्रीय वाक्य सर्वथा निरर्थक है', इस प्रकारकी पूर्वपक्षी की आशङ्का का अपनोदन करने के लिए सिद्धान्ती अग्रिम वाक्य में पूर्वपक्ष को प्रस्तुत करते हुए उसका समाधान करते हैं।

पूर्वपक्षी का कहना है कि यदि भक्ति को केवल अनुग्रहैकजन्य माना जायेगा और उसकी उत्पत्ति में अन्य साधनों की कारणता स्वीकार न की जायेगी तो पूर्वोद्धृत 'दूसरे हजारों जन्मों में' इत्यादि शास्त्रवचनों–जिनमें जन्मान्तर में किये गये तप, ध्यान और समाधि

द्वारा निष्पाप मनुष्यों की श्रीकृष्ण में भक्ति उत्पन्न होने की बात कही गयी है-की क्या गति होगी अर्थात् उनकी व्याख्या सिद्धान्ती किस प्रकार करेंगे?

पूर्वपक्षी के कथन का आशय यह है कि उसके द्वारा उद्धृत शास्त्रीय वचन भक्तिकी उत्पत्ति के साधन के रूप में तप, ध्यान एवं समाधि आदि को महत्वपूर्म मानते हैं और इन वचनों की प्रामाणिकता सिद्धान्ती को भी स्वीकार ही है ऐसी स्थिति में भक्ति को अनुग्रहैकजन्य मानने का सिद्धान्ती का मत स्वीकार कर लेने पर इन वाक्यों के अनुपपन्न एवं अव्याख्येय हो जाने का अनिष्टप्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है अतः इसका समाधान किये बिना सिद्धान्ती भक्ति को अनुग्रहेतर साधनों से अलभ्य नहीं कह सकते। सिद्धान्ती भक्ति को अनुग्रहैकजन्य एवं साधनान्तरों से अलभ्य मानने के लिए सिद्धान्त की पुष्टि करते हुए तथा पूर्वपक्षी द्वारा उद्धृत वाक्यों की उपपत्ति बताते हुए उसकी आशङ्का का समाधान करने के लिए अपने मत की विशद व्याख्या करने में प्रवृत्त होते हैं।

सिद्धान्ती कहते हैं कि भक्ति की प्राप्ति में साधनों का महत्व प्रख्यापित करने वाले पूर्वपक्षी द्वारा उद्धृत (एवं उसी प्रकार के अन्य) वाक्यों की हमारे मत में सङ्गति कैसे है और हम उनकी व्याख्या किस प्रकार करते हैं, यह हमारे अधोलिखित विवेचन से स्पष्ट हो जायेगा। भगवान् ने अपनी प्राप्ति के लिए अर्थात् इन दोनों मार्गों से मेरे भक्त मुझे प्राप्त करें इस प्रकार के सङ्कल्प पूर्वक दो मार्ग प्रकट किये जिनमें से प्रथम मर्यादामार्ग है और दूसरा पुष्टिमार्ग है।

भगवान्ने जिन जीवों को मर्यादामार्ग में अङ्गीकृत किया है अर्थात् जिन जीवों के विषय में यह सङ्कल्प किया है कि ये जीव मुझे मर्यादामार्ग में प्राप्त करें, उन जीवों को भगवान् की प्राप्ति साधनक्रम से

Start : 05.02.2021

ही होती है अर्थात् भगवदिच्छा से वे प्रथमतः साधनानुष्ठान करते हैं तदनन्तर उन्हें भगवत्प्राप्ति होती है, उदाहरणार्थ आसुर आवेश वालों (शिशुपाल आदि) को भी मुक्ति देने वाले भगवान् का भगवत्स्वरूप का दर्शन करने वाले मुचुकुन्द के दोषों का वर्णन करते हुए यह कहना कि 'तुम अगले जन्ममें इन दोषों से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करोगे।'

सिद्धान्ती अपने मत की पुष्टि में श्रीमद्भागवत के मुचुकुन्द के उपाख्यान का उदाहरण यह सिद्ध करने के लिए दे रहे हैं कि भगवान् ने मुचुकुन्द को मर्यादामार्ग में अङ्गीकृत किया था। उनका आशय यह है कि भगवान् के दर्शन से आसुर आवेश वालों को भी मुक्ति मिल जाने के अनेक उदाहरण हैं फिर मुचुकुन्द –जो स्वयं भगवान् के ही कथनानुसार निर्मल बुद्धि के भगवद्भक्त थे[१] और जिन्होंने भगवान् की शरण में जाकर उनसे रक्षा करने की प्रार्थना की थी[२]– को तो भगवान् के दर्शन होने पर मोक्ष अवश्य मिल जाना चाहिए था किन्तु भगवान् ने जिस गुहा में वे सो रहे थे। वहाँ तक जाकर भी[३] उनसे यही कहा कि 'तुमने इस जन्म में क्षात्रधर्म का अनुसरण करते हुए मृगया आदि के रूप में हिंसा की है, अतः पहले तुम मेरा आश्रय लेकर तप द्वारा तज्‌ जन्य पाप से मुक्ति पा लो, फिर दूसरे जन्म में सभी प्राणियों को सुहृद ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होकर तुम मुझे प्राप्त करोगे।[४]' इस

---

१. सार्वभौम महाराज मतिस्ते विमलोर्जिता।
वरैः प्रलोभितस्यापि न कामैर्विहता यतः।। (भाग. १०।५१।५९)

२. शरणद समुपेतस्त्वत्पदाब्जं परात्मन्।
अभयमृतमशोकं पाहि माऽऽपन्नभीश।। (भाग. १०।५१।५८)

३. सोऽहं तवानुग्रहार्थ गुहामेतामुपागतः। (भाग. १०।५१।४३)

४. क्षात्रधर्मस्थितो जन्तून् न्यवधीर्मृगयादिभिः।
समाहितस्तत्तपसा जह्यघं मदुपाश्रितः।। (भाग.१०।५१।६३)
जन्मन्यनन्तरे राजन् सर्वभूतसुहृदत्तमः।
भूत्वा द्विजवरस्त्वं वै मामुपैष्यसि केवलम्।। (भाग. १०।५१।६४)

प्रकार भगवान् ने उन्हें साक्षात् मुक्ति नहीं दी प्रत्युत उनके (मृगयादि में की गयी हिंसा से जन्य) पाप से युक्त होने की बात कहकर उसे नष्ट करने का उपदेश दिया, क्योंकि उनका सङ्कल्प यह था कि मुचुकुन्द उन्हें साधनक्रम का अनुसरण करते हुए मर्यादा मार्ग से प्राप्त करें।

और जिन्हें भगवान् पुष्टिमार्ग में अङ्गीकार करते हैं, उन्हें भगवान् की प्राप्ति केवल भगवदनुग्रह से ही हो जाती है तथा (उन्हें) साधनों (के अनुष्ठान) की अपेक्षा नहीं होती। यह सिद्धान्त अर्थात् सिद्धान्तीका मत है। पुष्टिमार्ग में अङ्गीकार किये गये जीवों के उदाहरण व्रजादिमें वास करने वाले वे साधनहीन जीव हैं, जिन्हें केवल भगवदनुग्रह से ही भगवत्प्राप्ति हुई।

सिद्धान्ती के कथन का आशय यह है कि जिन जीवों के विषय में भगवान् यह सङ्कल्प करते हैं कि ये मुझे पुह्निटमार्ग से प्राप्त करें, उन्हें साधनों की अपेक्षा नहीं होती प्रत्युत उन्हें केवल भगवदनुग्रह से ही भगवत्प्राप्ति हो जाती है। सिद्धान्ती के इस मत की पुष्टि 'ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः' (भाग. ११।१२।७) आदि वाक्यों में साधनानुष्ठान विरहित व्रजवासियों आदि के केवल भगवदनुग्रह से ही भगवान् के प्राप्त करने का उल्लेख होने से होती है।

किसी जीव को मर्यादामार्ग से या पुष्टि मार्ग से स्वीकृत करने में भगवदिच्छा ही हेतु है अर्थात् किस जीव को मर्यादामार्ग का अनुसरण करते हुए भगवत्प्राप्ति होगी और किस जीव को पुष्टिमार्ग का अनुसरण करते हुए भगवत्प्राप्ति होगी इसका नियम केवल भगवदिच्छा से ही होता है। भगवान् जिसको चाहते हैं कि यह मुझे मर्यादामार्ग से प्राप्त करे, उसे मर्यादामार्ग में अङ्गीकृत करते हैं तथा

जिसके विषय में उनका सङ्कल्प होता है कि यह मुझे पुष्टिमार्ग से प्राप्त करे उसे पुष्टिमार्ग में अङ्गीकृत करते हैं। इस प्रकार किसी का मर्यादामार्ग या पुष्टिमार्ग में वरण करने में भगवदिच्छा ही हेतु है और यह भगवदिच्छा किसी अन्य तत्व से प्रभावित या नियमित नहीं होती। भगवान् स्वतंत्र इच्छा वाले हैं और उन्हें या उनकी इच्छा को कोई नियमित या नियन्त्रित नहीं कर सकता।

पूर्वोक्त प्रकार से मर्यादामार्ग एवं पुष्टिमार्ग के सिद्धान्त के प्रतिपादन द्वारा सिद्धान्ती ने भक्ति की प्राप्ति में साधनों का महत्व प्रख्यापित करने वाले आप्तवाक्यों की अपने मत में सङ्गति बतायी है, इसे स्पष्ट करते हुए श्री विट्ठलनाथ कहते हैं,

इस प्रकार साधनवाक्य (अर्थात् साधनों के अनुष्ठान द्वारा भक्ति एवं भगवान् को प्राप्त करने का उल्लेख करने वाले आप्तवाक्य) मर्यादामार्गपरक हैं ऐसा समझना चाहिए। भगवान् जिन्हें मर्यादा मार्ग में अङ्गीकृत करते हैं अर्थात् जिनके विषय में यह सङ्कल्प करते हैं कि ये मुझे साधनक्रम से प्राप्त करें उनकी प्रवृत्ति उसी प्रकार होती है और वे उसी प्रकार फल प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार मर्यादामार्ग एवं पुष्टिमार्ग के द्वैविध्य का प्रतिपादन कर उनके अधिकारियों के भिन्न होने के आधार पर सिद्धान्ती ने भक्ति को साधनों से साध्य बताने वाले आप्तवाक्यों के द्वारा भक्ति के भगवदनुग्रहैकलभ्य होने के सिद्धान्त का विरोध होने की पूर्वपक्षी की आशङ्का का समाधान यह कहकर कर दिया कि साधनों द्वारा भक्ति को साध्य बताने वाले वाक्य मर्यादामार्ग के अधिकारी की दृष्टि से कहे गये हैं और भक्ति के भगवदनुग्रहैकलभ्य होने की बात पुष्टिमार्ग के अधिकारी की दृष्टि से कही जा रहीहै, अतः भक्ति को साधनों से

साध्व बताने वाले आप्तवाक्य पुष्टिमार्गीय सिद्धान्ती के भक्ति को भगवदनुग्रहैकलभ्य मानने के मत के विरोधी नहीं हैं।

पूर्वपक्षी ने ऊपर पृष्ठ १६ पर भक्ति को साधनसाध्य न मानकर केवल भगवदनुग्रहैकलभ्य मानने में एक दोष यह बताया था कि ऐसा मानने वाले व्यक्ति की समझ में धर्माचरण, सदाचार आदि भक्तिप्राप्ति के साधक न होने के कारण अनुपयोगी हो जायेंगे और ऐसी दशा में भक्ति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों में सदाचार के नष्ट हो जाने का अनिष्टप्रसङ्ग उपस्थित हो जायेगा। सिद्धान्ती का कहना है कि उसके द्वारा प्रतिपादित मर्यादामार्ग एवं पुष्टिमार्ग के द्वैविध्य तथा इन मार्गों के अधिकारियों में भेद होने के सिद्धान्त से पूर्वपक्षी द्वारा आशङ्कित उपर्युक्त दोष का अपनोदन हो जाता है, क्योंकि जिन जीवों के विषय में भगवान् की जिस प्रकार की इच्छा होती है, उनकी प्रवृत्ति आवश्यकरूप से उसी प्रकार की होती है। यही बात स्पष्ट करते हुए श्रीविट्ठलनाथ कहते हैं,

सिद्धान्ती के इस पूर्वोक्त (मर्यादा एवं पुष्टि के द्वैविध्य, द्विविध अधिकारियों एवं उनके भगवदिच्छाधीन होने के) कथन द्वारा पूर्वपक्षी द्वारा ऊपर आशङ्कित भक्तिप्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों में सदाचार के नष्ट हो जाने का अनिष्टप्रसङ्ग उपस्थित होने का दोष भी निवृत्त या निराकृत हो जाता है क्योंकि जिन जीवों के विषय में भगवान् की जिस प्रकार की इच्छा होगी उन जीवों की प्रवृत्ति अनिवार्यतया उसी प्रकार की होगी।

सिद्धान्ती के कथन का तात्पर्य यह है कि जीव की प्रवृत्ति भगवदिच्छा के अधीन है अतः भगवान् जिस जीव को जिस मार्ग में प्रवृत्त करते हैं उसकी उसी मार्ग में निष्ठ होती है और वह उस मार्ग के

अनुरूप आचरण में भगवदिच्छा के कारण अनिवार्यता प्रवृत्त होता है, फलतः उसके सदाचारविरहित होने की आशङ्का नहीं करना चाहिए।

सिद्धान्ती अपने इसी कथन से उन दोनों दोषों के भी निरस्त हो जाने का प्रतिपादन करते हैं जिनका उल्लेख पूर्वपक्षी ने ऊपर पृष्ठ १४ पर किया है। वहाँ कहा गया है कि स्वविषयक भगवदनुग्रह के अस्तित्व का निश्चय कर सकना सम्भव न होने के कारण व्यक्ति की भगवदनुग्रह एवं तदधीन तथा तज्जन्य भक्ति को प्राप्त करने के लिए श्रवणादि में निःशङ्क प्रवृत्ति न होगी और यदि किसी प्रकार 'स्वविषयक अनुग्रह हो गया है' यह ज्ञान हो भी जाये तो भी व्यक्ति 'मुझ पर भक्ति का कारणभूत भगवदनुग्रह हो गया है, तः अब भक्ति तो मुझे अनायास ही प्राप्त हो जायेगी।' यह सोचकर भक्ति को प्राप्त करने के लिए कष्टसाध्य श्रवणादिरूप साधन में प्रवृत्त न होगा। पूर्वपक्षी द्वारा आशङ्कित (निःशङ्क प्रवृत्ति के अभाव एवं प्रवृत्ति के उच्छेद) इन दोनों दोषों का निरास भी सिद्धान्ती अपने इसी कथन से हो गया बताते हुए कहते हैं,

इसीलिए अर्थात् उपर्युक्त प्रकार से प्रवृत्ति के भगवदिच्छाधीन होने के कारण पूर्वपक्षी द्वारा ऊपर आशङ्कित भक्ति की प्राप्ति के लिए इच्छुक व्यक्तियों की श्रवणादि में निःशङ्क प्रवृत्ति का अभाव एवं प्रवृत्तिका उच्छेद यह दोनों दोष भी निराकृत हो गये समझने चाहिए।

सिद्धान्ती के कथन का आशय यह है कि जीव की प्रवृत्ति भगवदिच्छाधीन है तथा भगवान् जिस जीव को जिस मार्ग में प्रवृत्त करते हैं उसकी भगवदिच्छा से उसी मार्ग में श्रद्धा तथा श्रवणादिरूप साधनों एवं सदाचार में निःशङ्क प्रवृत्ति होती है और उसी प्रवृत्ति का

उच्छेद नहीं होता। इस प्रकार सिद्धान्तीके मर्यादामार्ग एवं पुष्टिमार्ग के द्वैविध्य और जीव के किसी मार्ग में अङ्गीकृत होने के भगवदिच्छाधीन होने का मत का प्रतिपादन करने से पूर्वपक्षी द्वारा आशङ्कित पूर्वोक्त दोषों का समाधान हो जाता है।

एक बात और भी है। श्रीमद्भागवत के ''इसलिए जो योगी मेरी भक्ति से युक्त हैं और जिनका चित्त मुझमें ही लगा रहता है उन्हें प्रायः[१] श्रेयः प्राप्ति के साधन के रूप में ज्ञान एवं वैराग्य की अपेक्षा नहीं होती। मेरा भक्त, मेरी भक्तिद्वारा उन सभी पदार्थों को अनायास ही और शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है जो कर्मों, तप, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म एवं अन्य (तीर्थयात्रा, व्रत आदि) कल्याणसाधनों द्वारा प्राप्त होते हैं। यदि वह स्वर्ग, मोक्ष या मेरे लोक में निवास की प्राप्ति की इच्छा करे तो उसे भी (मेरी भक्ति से ही) प्राप्त कर लेता है। मेरे साधु, धीर एवं एकान्ती (अनन्य) भक्त तो कुछ चाहते ही नहीं और मेरे देने पर भी (दूसरी वस्तुओं की बात ही क्या) वे अपुनरुत्पादरूप कैवल्य भी नहीं लेना चाहते।'' (भाग.११।२०।३१-३४) इत्यादि वाक्यों में ज्ञान एवं वैराग्य से विरहित व्यक्तियों में भी भगवदभक्ति होने की बात कही गयी है और भक्ति के कल्परुस्वभाव[२] होने का प्रतिपादन करते हुए यह बताया गया है कि भक्ति कल्पतरुस्वभाव होने से अनुग्रहेतर सारे साधनों से साध्य फलों की साधिका है, अतः उसे श्रेयःप्राप्ति के अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है।

---

१. गोस्वामिश्रीगिरिधरकृत बालप्रबोधिनी व्याख्या के अनुसार यहाँ 'प्रायः' पद के प्रयोग का स्वारस्य यह है कि मर्यादाभक्तिको ज्ञान एवं वैराग्य की अपेक्षा होती है किन्तु पुष्टिभक्ति को नहीं। (मर्यादाभक्तेः तत्सापेक्षत्वात् प्रायोग्रहणम्-भाग. बालप्रबोधिनी ११।२०।३१)

२. द्रष्टव्य, भक्तिहंस, पृ.२०

Start : 05.02.2021

सिद्धान्ती के कथन का तात्पर्य यह है कि भगवदनुग्रहेतर जितने भी साधन है उनसे जो कुछ भी मिल सकता है वह सब केवल भक्ति से ही प्राप्त हो जाता है अतः भक्ति को भगवदनुग्रह से भिन्न अन्य किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं है।

श्रीशुक के ''भगवान् श्रीकृष्ण (मर्यादामार्ग में अपनी अर्थात् भगवान् श्रीकृष्ण की) भक्ति करने वालों को मुक्ति भी दे देते हैं, किन्तु अपनी (पुष्टिमार्गीय स्नेहलक्षणा) भक्ति नहीं देते।'' (भाग. ५।६।१८) इत्यादि वाक्यों में यह निरूपित किया गया है कि मुक्ति के साधनों से युक्त व्यक्तियों को भगवद् भक्ति की प्राप्ति तभी होती है जब भगवान् उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करते हैं अन्यथा अर्थात् यदि भगवान् उन्हें भक्ति प्रदान न करें, तो उन्हें वह (अर्थात् भगवान् की भक्ति) प्राप्त नहीं होती। इससे भी यह बात निश्चित हो जाती है कि भक्ति भगवदनुग्रह से भिन्न अन्य सभी साधनों से असाध्य है अर्थात् भगवदनुग्रह से इतर किसी भी साधन से उत्पन्न या प्राप्त नहीं हो सकती।

यदि भक्ति अनुग्रहेतर किसी अन्य साधन से प्राप्त होने वाली होती तो अतिदुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर सकने के अधिकारी लोगों को तो वह प्राप्त हो ही जानी चाहिए थी, किन्तु मोक्षाधिकारियों को भी भक्ति की प्राप्ति केवल भगवदनुग्रह से ही होती है, अन्यथा नहीं, इससे स्पष्ट है कि भक्ति अनुग्रहेत्तर साधनों से प्राप्य नहीं है।

पूर्वोक्त दोनों मार्गों में अर्थात् मर्यादामार्ग एवं पुष्टिमार्ग में भी भगवान् व्यक्तिको अनुग्रहसे ही अङ्गीकार करते हैं, अतः मर्यादामार्ग में भी भक्ति अनुग्रहैकलभ्य ही है साधनानुष्ठान के बल से साध्य या प्राप्त नहीं।

सिद्धान्ती के कथन का तात्पर्य यह है कि मर्यादा भक्ति एवं

पुष्टि भक्ति इन दोनों की ही प्राप्ति भगवद्नुग्रह से ही होती है। यह सझना ठीक न होगा कि मर्यादाभक्ति की प्राप्ति साधनानुष्ठान से होती है और पुष्टि भक्ति की प्राप्ति भगवदनुग्रह से। वस्तुतः मर्यादाभक्ति की प्राप्ति भी साधनों के बल से नहीं भगवान् के अनुग्रह से ही होती है। जहाँ कहीं मर्यादामार्ग में साधनानुष्ठान का विधान है उसका तात्पर्य केवल यह सूचित करना है कि अनुग्रहरूप कल्पवृक्ष की शाखाओं का विस्तार इतनी दूर तक है अर्थात् भगवान् का सङ्कल्प यह है कि यह जीव अमुक साधनानुष्ठान करके भक्ति प्राप्त करे, उसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि उन साधनों में स्वतन्त्र रूप से भक्ति को उत्पन्न कर सकने की सामर्थ्य है। यदि ऐसा न हो अर्थात् यदि मर्यादामार्ग में भी भक्ति अनुग्रहैकलभ्य न होकर साधनानुष्ठानजन्य हो तो मर्यादामार्ग एवं प्रवाह मार्ग में भेद ही क्या रह जायेगा? यही बात कहते हैं।

अन्यथा अर्थात् यदि मर्यादामार्ग में भक्ति अनुग्रहैकलभ्य न होकर साधनानुष्ठानसाध्य होती तो भगवान् मर्यादामार्ग में अङ्गीकृत व्यक्ति को पुष्टि एवं मर्यादा इन दोनों मार्गों से भिन्न 'जायस्व म्रियस्व' (छान्दो. उप. ५।१०।८) इत्यादिरूप तीसरे अर्थात् प्रवाह मार्ग में ही अङ्गीकृत क्यों न करते?

सिद्धान्ती का आशय यह है कि साधनानुष्ठान तो मर्यादामार्ग में एवं प्रवाह मार्ग में समान रूप से पाया जाता है किन्तु दोनों में अन्तर यह है कि मर्यादामार्गीय साधनानुष्ठान इसलिए किया जाता है कि भगवान् की ऐसी इच्छा होती है कि यह जीव इन-इन साधनों का अनुष्ठान करे और उनका फल प्राप्त करता हुआ मुझे प्राप्त करे, परन्तु प्रवाहमार्गीय साधनानुष्ठान में ऐसा नहीं होता। मर्यादामार्गीय साधनानुष्ठान को स्वतन्त्र रूप से भक्तिजनक मानने पर उसे प्रवाहमार्गीय साधनानुह्नष्ठान के समान ही मानना होगा और यदि भगवान् को यही

अभिप्रेत होता तो वे मर्यादामार्ग में अङ्गीकृत किये जाने वाले जीवों को प्रवाहमार्ग में ही क्यों न अङ्गीकृत करते? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि मर्यादामार्ग में भी भक्ति साधनानुष्ठान के स्वतन्त्र बल से नहीं प्रत्युत भगवदनुग्रह से ही प्राप्त होती है।

पूर्वपक्षी शङ्का करता है कि यदि फलसमर्पक भगवदनुग्रह मर्यादा एवं पुष्टि दोनों मार्गों में समान रूप से आवश्यक है तो साधनानुष्ठान का उपदेश मर्यादामार्ग में ही क्यों प्राप्त होता है पुष्टिमार्ग में क्यों नहीं? सिद्धान्ती इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि हम पहले ही बता आये हैं कि अनुग्रहेतर साधनों के होने पर भी भक्ति के न होने और उनके (साधनों के) न होने पर भी भक्ति के होने के उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि साधनानुष्ठान को–अन्वय एवं व्यतिरेक उभयविध व्यभिचार होने के कारण–भक्ति का हेतु या जनक नहीं माना जा सकता। इसीलिए श्रीविट्ठलनाथ कहते हैं,

पुष्टिमार्ग में साधनों का (अन्वय एवं व्यतिरेक से) व्यभिचार उपलब्ध होने के कारण साधनों को भक्ति का हेतु या जनक मानने की सम्भावना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार भक्ति अनुग्रहेतर साधनानुष्ठान प्राप्य नहीं है यह सिद्धान्त सिद्ध हो जताा है और इसके लिए अन्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं रह जाती।

इस प्रकार मर्यादा मार्ग एवं पुष्टिमार्ग दोनों में भक्ति के समान रूप से अनुग्रहैकलभ्य होने पर भी मर्यादामार्ग में साधनानुष्ठान का उपदेश जिस आशय से दिया गया है उसे हम आगे चलकर ('वस्तुतस्तु' इत्यादि वाक्य द्वारा पृष्ठ ३९ पर) स्पष्ट करेंगे।

अब श्रीविट्ठलनाथ एकदेशीके मत के निरसन में प्रवृत्त होते हैं।

सिद्धान्ती का कथन है कि 'पोषण या पुष्टि भगवान् के

अनुग्रह को कहते हैं' (भाग. २।१०।४) इत्यादि वाक्य से ज्ञात होता है कि (जिस प्रकार सर्ग, विसर्ग आदि भगवान्‌की स्वतन्त्र लीलाएँ हैं उसी प्रकार) पोषण या अनुग्रह भी भगवान् की एक स्वतन्त्र लीला है (जो इच्छा से भिन्न है)। इसी प्रकार भगवान् के 'मैं जिस पर अनुग्रह करने की इच्छा करता हूँ (उसके धन-वैभवादिरूप साधनों को शनैः शनैः अपहृत कर लेता हूँ)' इत्यादि वाक्य में अनुग्रह एवं इच्छा का पृथक-पृथक निर्देश होने से यह सिद्ध होता है कि अनुग्रह (सर्ग, विसर्ग आदि की ही भांति) भगवान् का (इच्छा से भिन्न) एक अन्य ही दर्म है और भगवान् की यह अनुग्रहानुरूप (अर्थात् अनुग्रहपूर्विका या अनुग्रहजनयित्री) इच्छा (भगवान् द्वारा किये जाने वाले अनुग्रह के अनुरूप) तत्तत् कार्यों में सर्वत्र सहकारी कारण होती है।

सिद्धान्ती के अनुसार श्रीमद्भागवत के,

श्रिया पुष्टया गिरा कान्त्या कीर्त्या तुष्टेयेलयोर्जया।
विद्ययाविद्यया शक्त्या मायया च निषेवितम्[1]।।

(भाग. १०।३९।५५)

इस श्लोक में भगवान् की बारह मुख्य शक्तियों का उल्लेख है। श्रीवल्लभाचार्यकृत सुबोधिनी व्याख्या के अनुसार इनमें से पुष्टि से तात्पर्य अनुग्रह से है और शक्ति से अभिप्राय सर्वनियामिका इच्छाशक्ति से है[2]। इस प्रकार यहाँ इच्छा एवं अनुग्रह को एक दूसरे

---

१. मिलाइए, 'तं भ्रंशयामि सम्पद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्।' (भाग. १०।२७।१६) ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम्। (भाग. ८।२२।२४)।

२. भगवतः सर्वकार्यसाधिका द्वादश शक्तयः, ता अपि दृष्टवान् इत्याह-श्रिया इति। श्रीः लक्ष्मीः, श्रयादिभिः निषेवितम्। पुष्टिः नाम यथा सर्वे पुष्टा भवन्ति, सा यत्र न प्रविशति ते बह्वाहारा अपि न पुष्टा भवन्ति। एवं सर्वत्र। शक्तिः इच्छाशक्तिः, एषा सर्वनियामिका। (भाग. सुबो. १०।३९।५५)

से पृथक् माना गया है। इसी दृष्टि से सिद्धान्ती का कथन है अनुग्रह, इच्छा से भिन्न है। भगवान् की इच्छा सारे कार्यों का सहकारी कारण है और भगवान् अनुग्रह द्वारा जो कार्य करते हैं उनमें भी वह सहरकारी कारण है, अतः भक्ति की उत्पत्ति में अनुग्रह मुख्य कारण और इच्छा सहकारी कारण है, यह सिद्धान्तीका मत है। इसके विपरीत एकदेशी का कहना है कि भक्ति को अनुग्रहैकजन्य मानने में भगवदिच्छाको सहकारी कारण मानने की आवश्यकता नहीं है। एकदेशी के इस पक्ष के उत्तर में सिद्धान्ती का कथन है कि,

एकदेशी का यह कथन कि भक्ति अनुग्रहैकसाध्य है और उसे उत्पन्न होने के लिए भगवदिच्छारूप सहकारी कारण की भी अपेक्षा नहीं है, आपातरमणीय और क्षणमात्रस्थायी है।

मूलमें प्रयुक्त 'गुडजिह्विका' पद का आशय यह है कि एकदेशी के इस कथन पर कि भक्ति की उत्पत्ति में भगवदिच्छारूप सहकारी कारण की भी अपेक्षा नहीं है। सिद्धान्ती को यही कहना है कि एकदेशी का यह मत उतनी ही देर टिक सकता है जितनी देर जिह्वा पर गुड़ का स्वाद रहता है अर्थात् यह मत आपातरमणीय या अविचारितरमणीय है तथा विचार करने पर खण्डित हो जाता है[1], क्योंकि वस्तुस्थिति यह है कि कार्य मात्र भगवदिच्छा के अधीन है।

सिद्धान्ती के अनुसार एकदेशी के मत में दोष यह है कि वह भक्ति की उत्पत्ति में भगवदिच्छा के (सहकारी) कारण मानने का निषेध करता है जबकि (कार्यमात्र के भगवदिच्छाधीन होने तथा

---

1. Sir Monier Monier-Williams की 'A Sanskrit-English ditinary" के पृष्ठ ३५६ के अनुसार 'गुडजिह्विका' पद 'गुडजिह्विकान्याय' का संक्षिप्त रूप है। इस न्याय का अर्थ है, 'rule of the sugar and the tongue', transitory impression soon lost, momentary opionion. तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ८।१६ की टीका में इसका प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है।

अनुग्रह के भी कार्यरूप होने से) अनुग्रह की भी भगवदिच्छाधीन मानना ही उचित होने के कारण भक्तिकी उत्पत्ति में अनुग्रह को (भगवदिच्छाधीन या भगवदिच्छाजन्य होने के साथ ही भगवदिच्छाजन्य भक्ति का जनक होने के कारण, 'तज्जन्यत्वे सति तज्जन्यजनकत्वम् अवान्तरव्यापारत्वम्' इस लक्षण के अनुसार) अवान्तर व्यापार एवं भगवदिच्छा को कारण मानना चाहिए।

सिद्धान्ती का कहना है कि वस्तुतः तो कार्यमात्र भगवदिच्छा के ही अधीन है, ऐसा तुम्हें (अर्थात् भगवदिच्छारूप सहकारी कारण की भी अपेक्षा न रखने वाले अनुग्रहको भक्ति का जनक मानने वाले एकदेशीको) भी स्वीकार करना ही चाहिए। इस प्रकार जब-जब जो-जो कार्य होता है, होगा या हुआ है, उसके (अर्थात् तत्तत्कार्य की उत्पत्ति के) पहले, 'उस-उस समय में क्रमशः उन-उन हेतुओं से उस-उस कार्य को करूँगा', इस प्रकार की भगवदिच्छा होती है या थी ऐसी मानना चाहिए। अन्यथा अर्थात् ऐसा (अर्थात् कार्यों के कालोपाधिपूर्वक क्रमिक रूप में होने का सिद्धान्त) न मानकर, भगवान् की चिकीर्षा (अर्थात् कार्य करने की इच्छारूप साधारण कारण) मात्रको तत्तत्कार्यो का कारण मान लेने पर, भगवान् की चिकीर्षाके नित्य होने के कारण सभी कार्यों के एक ही साथ उत्पन्न हो जाने का अनिष्टप्रसङ्ग आ उपस्थित होगा।

एकदेशी अपने मत के समर्थन के लिए इस दोष के अपनयन का जो उपाय बताते हैं वह भी अकिञ्चित्कर है यह स्पष्ट करते हुए सिद्धान्ती कहते हैं कि,

एकदेशी का यह कहना भी ठीक न होगा कि नित्य चिकीर्षा के होते हुए भी विभिन्न कार्यों की उत्पादि का इतर (अर्थात् चिकीर्षा

से भिन्न, अन्य) कारण सामग्री से सन्निहित न होने के कारण सभी कार्य एक साथ उत्पन्न नहीं होते और इसीलिए सिद्धान्ती द्वारा बताया जाने वाला पूर्वोक्त दोष उसके (पूर्वपक्षीके) मत पर लागू नहीं होता।

एकदेशी के कथन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मृत्तिकादिके रहते हुए भी दण्डादि रूप किसी एक भी कारण के अभाव में घटरूप कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, उसी प्रकार भगवान् की नित्य चिकीर्षा के होते हुए भी विभिन्न कार्य इतर (चिकीर्षा से भिन्न, अपनी उत्पादक अन्य) कारण सामग्री के सन्निहित न होने के कारण (उस इतर कारण सामग्री के अभाव में), एक साथ उत्पन्न नहीं होते और इस प्रकार सिद्धान्ती द्वारा बताया जाने वाला 'सभी कार्यों के एक साथ उत्पन्न हो जाने का अनिष्टप्रसङ्गरूप दोष' एकदेशी के मत में नहीं है।

एकदेशी के इस कथन को अस्वीकार करने का कारण बताते हुए सिद्धान्ती कहते हैं कि –

इतर (अर्थात् भगवच्चिकीर्षासे भिन्न) कारणसामग्री का समवधान (अर्थात् सन्निहित होना) भी कार्य ही है अतः उसकी उत्पत्ति के पहले उसकी चिकीर्षा को भी (एकदेशी को) अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा और भगवच्चिकीर्षा के कार्य मात्र का कारण होने से (कारणसमवधान के भी उसी नित्यचिकीर्षा से जन्य होने के कारण) सभी कार्यों के युगपत् उत्पन्न होने का पूर्वोक्त दोष एकदेशी के मत में यथावत् बना ही रहेगा।

एकदेशी का यह कहना भी ठीक नहीं है कि इतर कारण समवधान रूप कार्य की उत्पत्ति में उसके अव्यवहित पूर्वक्षण को प्रतिबन्धक मान लेने से उपर्युक्त दोष का परिहार हो सकता है,

क्योंकि ऐसा मानने पर उस अव्यवहित पूर्णक्षम से पहले के समय में- जब उस अव्यवहित पूर्णक्षण का अभाव था-ही प्रतिबन्ध का अभाव होन के कारण, इतरकारण समवधानरूप कार्य की उत्पत्ति हो जाने का अनिष्टप्रसंग आ उपस्थित होगा।

इससे बचन के लिए एकदेशी का यह कहना भी ठीक न होगा कि क्षण-विशेषों में होने वाले विभिन्न कार्य विशेषों के प्रागभाव से अवच्छिन्न स्थूल काल की उपाधि उन कार्यविशेषों का प्रतिबन्धक होती है, जैसे (सृष्टि के प्रागभाव की स्थिति का, अनेक मन्वन्तरों का) स्थूल प्रलयकाल सृष्टि का प्रतिबन्धक होता है।

एकदेशी के इस कथन का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार भगवन्निष्ठ सिसृक्षा (सृष्टि करने की इच्छा) के नित्य होते हुए भी प्रलयकाल में सृष्टि के प्रागभाव से विशिष्ट अनेक मन्वन्तरपरिमित स्थूलकाल रूप उपाधि सृष्टि में प्रतिबन्धक होती है जिसके कारण सृष्टि नहीं होती रै प्रलय की ही स्थिति बनी रहती है एवं जिसके अभाव में प्रलयकाल में ही सृष्टि हो जा सकती है, तथा जिस प्रकार भगवन्निष्ठ सञ्जिहीर्षा (संहार करने की इच्छा) के नित्य होते हुए भी सृष्टिकाल में प्रलय के प्रागभाव से विशिष्ट अनेकमन्वन्तरपरिमित स्थूल का रूप उपाधि प्रलय में प्रतिबन्धक होती है जिसके कारण प्रलय नहीं होती और सृष्टि बनी रहती है एवं जिसके अभाव में सृष्टिकाल में ही प्रलय हो जा सकती है, उसी प्रकार भगवच्चिकीर्षासे इतर कारण सामग्री के समवधान के क्षण के प्रागभाव से विशिष्ट स्थूल का रूप उपाधि विभिन्न कार्यों की उत्पत्ति की प्रतिबन्धक होती है यह मान लेने पर एकदेशी के पूर्वोक्त मत में बताये जाने वाले कार्यों की युगपदुत्पत्ति या नित्य उत्पत्ति के दोष का परिहार हो जाता है। सिद्धान्ती एकदेशी के इस परिहार में दोष बताते हुए इसे अस्वीकार

Start : 05.02.2021

करने का कारण स्पष्ट करता है।

इस प्रकार एकदेशी के पूर्वोक्त मत के अनुसार प्रलयाभाव सृष्टि का कारण है, अतः कारण के कार्य के नियत पूर्ववर्ती होने से प्रलयाभाव के अधिकरणभूत काल को प्रलयकाल एवं सृष्टि काल से अतिरिक्त मानना होगा। प्रतिबन्धकाभाव भी कारण होता है अतः प्रलयाभाव कारण है और इस कारण को कार्य के पूर्वक्षण में वर्तमान अवश्य मानना होगा। कार्यकाल एवं कार्याभावकाल से अतिरिक्त किसी अन्य काल के हो सकने का निरास पूर्वोक्त कार्य (सृष्टि) एवं कार्याभाव (प्रलय) से इतर किसी अन्य का अभाव होने से ही हो जाता है। और कार्य (सृष्टि) काल एवं कार्याभाव (प्रलय) काल के अतिरिक्त किसी अन्य काल का अस्तित्व है, यह एकदेशी नहीं कह सकता क्योंकि ऐसा कोई काल (लोक व्यवहार या शास्त्र परम्परा में) प्रसिद्ध नहीं है।

सिद्धान्ती के इस कथन का आशय अधोलिखित है। एकदेशी का कहना है भगवन्निष्ठ सिसृक्षा के (नित्य होने के कारण) प्रलयकाल में भी विद्यमान होन के बावजूद सृष्टि के प्रागभाव की स्थिति के स्थूलकाल के प्रतिबन्धक होने के कारण प्रलयकाल में सृष्टि नहीं होती। किन्तु सृष्टि और प्रलय अन्धकार और प्रकाश के समान परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं अतः सृष्टिकाल मे प्रलय एवं प्रलयकाल में सृष्टि नहीं हो सकती तथा एककी उपस्थिति में दूसरे की अनुपस्थिति माननी होगी। ऐसी दशा में भावी सृष्टि रूप कार्य के प्रति प्रलयाभाव की प्रतिबन्धकाभावरूप से कारणता स्वीकार करनी होगी। प्रलयाभाव को प्रतिबन्ध का भाव के रूप में कारण मान लेने पर इस कारण को अपने कार्य रूप सृष्टि के पहले निश्चित रूप से विद्यमान मानना होगा,

क्योंकि कारण नियमतः कार्य का नियतपूर्ववर्ती होता है। ऐसी स्थिति में प्रलयाभावरूप इस कारण के अधिकरणभूत काल को प्रलयकाल एवं सृष्टिकाल के अतिरिक्त कोई अन्य काल मानना पड़ेगा कि इसे न तो प्रलयकाल कहा जा सकता है और न सृष्टिकाल अर्थात् इसका अधिकरण न तो प्रलय को माना जा सकता है और न सृष्टि को ही। इसे प्रलय का अधिकरण या प्रलयकाल इसलिए नहीं कहा जा सकता कि प्रलय भाव के समय प्रलय का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इसे सृष्टिकाल या सृष्टि का अधिकरण अधोलिखित कारण से नहीं माना जा सकता। प्रलयाभाव प्रतिबन्धकाभाव के रूप में सृष्टि का कारण है अतः इसकी स्थिति भावी सृष्टि–जो प्रलयाभाव कार्य होने के कारण उसकी नियत परवर्ती होगी–से पहले माननी होगी। ऐसी दशा में इसका अधिकरण भावी कार्यरूप सृष्टि को नहीं माना जा सकता क्योंकि अधिकरण समकालिक ही हो सकता है भावी नहीं। इस प्रकार यदि एकदेशी सृष्टि एवं प्रलय में से किसी का भी अधिकरण न होने के बावजूद प्रलयाभाव का काल की सत्ता प्रतिपादित करता है तो उसके सामने सृष्टिकाल एवं प्रलयकाल से भिन्न इस अतिरिक्त काल की सिद्धि करने का प्रसङ्ग उपस्थित होगा, किन्तु इस प्रकार का कार्य एवं कार्याभाव अर्थात् सृष्टि एवं प्रलय के काल से अतिरिक्त काल न तो लोकव्यवहार का विषय ही है और न शास्त्र प्रसिद्ध ही। अतः ऐसे किसी अतिरिक्त कालका अस्तित्व सिद्ध नहीं किया जा सकता और इसलिए सिद्धान्ती कहता है कि असिद्ध प्रलयाभाव को प्रतिबन्धकाभाव रूप से सृष्टिरूप कार्य का कारण मानने का एकदेशी का मत ठीक नहीं है।

एकदेशी का यह कहना भी ठीक न होगा कि जिन–जिन कालोपाधियों में कार्य होता है उन–उन कालोपाधियों के प्रागभाव

Start : 05.02.2021

को उन कार्यों में प्रतिबन्धक मान लेने से (एकदेशी के पूर्वोक्त मत में बताये जाने वाले कार्यों की युगपदुत्पत्ति या नित्य उत्पत्ति रूप) दोष का परिहार हो जाता है। एकदेशी के इस कथन के ठीक न होन के कारण यह है कि जिस कालोपाधि में कार्य होता है उसका अभाव प्राग भावरूप होगा और प्रागभावरूप होने के कारण प्रतियोगी (कार्य) की सामग्री उसकी नाशक होगी, अतः प्रागभावरूप इस कार्यकालोपाधि के अभाव से होने की स्थितिमें इसके नाशक कार्य की उपस्थिति हो ही नहीं सकती।

यह कहना भी ठीक न होगा कि 'उत्तरक्षणमें उत्पाद्यमान घटके अभी उत्पन्न न होने में उत्तरक्षण का अभाव प्रतिबन्धक हेतु है ऐसा तुम्हें भी कहना चाहिए (अर्थात् मानना होगा) क्योंकि यद्यपि इच्छा का अभाव ही प्रतिबन्धक हेतु है तथापि 'सविशेषणे हि विधिनिषेधौ विशेषणमुपसङ्क्रामतो विशेष्ये बाधके सति' इस न्याय से इस हेतु का पर्यवसान उत्तरक्षण (अर्थात् कार्योत्पत्तिक्षण) के अभाव में ही होता है।'

तात्पर्य यह है कि उत्तरक्षणविशिष्ट इच्छा से कार्योत्पत्ति होने और उत्तरक्षणके अभाव में इच्छामात्र से कार्योत्पत्ति न होने से उत्तरक्षणको ही कारण मानना चाहिए।

क्लृप्त कारणों अर्थात् कारणों के समुच्चय से कार्य की उत्पत्ति होने की स्थिति में जिस (प्रतिबन्धक) की उपस्थिति के कारण कार्य का अभाव हो जाये (अर्थात् कार्य की उत्पत्ति न होने पाये) उसके अभाव को प्रतिबन्धकाभावके रूप में कार्य की उत्पत्ति का कारण माना जाता है, जैसे अग्नि दाहक होती है किन्तु अग्नि के होते हुए भी यदि दाहप्रतिबन्धक मणि वहाँ रख दी जाये तो अग्नि प्रज्ज्वलित नहीं

होती और दाहरूप कार्य उत्पन्न नहीं होने पाता। अतः इस प्रकार की मणि के अभावको प्रतिबन्धकाभाव के रूप में दाहरूप कार्य का कारण माना जाता है। यद्यपि कुम्हार के दण्ड(एवं चाक) आदि के अभाव में भी कार्यरूप मिट्टी केघड़े की उत्पत्ति नहीं होती तथापि उनकी कारणता प्रतिबन्धकाभाव के रूप में नहीं किन्तु दण्डत्व आदि के रूप में ही होती है। प्रकृत (अर्थात् इच्छा को कारण मानने के) प्रसङ्ग में भी उन-उन कार्याधिकरणक्षणों से विशिष्ट इच्छा के ही हेतु होने के कारण, उन (कार्योत्पत्ति के) क्षणों से पूर्व, उन क्षणों से विशिष्ट इच्छा का अभाव होने से तत्क्षणविशिष्ट इच्छारूप हेतु के अभाव के कारण ही कार्य का अभाव रहता है अर्थात् कार्य की उत्पत्ति नहीं होती।

पूर्वपक्षी का कहना है कि इस तरह से भी 'सविशेषणे हि' इस पूर्वोक्त न्याय से क्षण की ही कारणता सिद्ध होती है।

तात्पर्य यह है कि क्षणविशिष्ट इच्छा से कार्योत्पत्ति होती है और क्षणाभावविशिष्ट इच्छा से कार्योत्पत्ति नहीं होती अतः क्षणको ही कारण मानना चाहिए।

और भी इच्छा को इच्छा के रूप में कारण मानने में कल्पनालाघव होता है और कार्योत्पत्तिक्षणविशिष्ट इच्छा के रूप में कारण मानने में कल्पनागौरव होता है अतः इच्छाको कारण मानने वालों को केवल इच्छा को ही कारण मानना चाहिए।

और तत्तत्क्षणरूप (अर्थात् कार्योत्पत्तिक्षणरूप) सहकारी कारणके अभाव में केवल इच्छा से उस क्षण (कार्योत्पत्तिक्षण) के अतिरिक्त अन्य क्षणों में कार्योत्पत्ति नहीं होती।

तात्पर्य यह है कि कार्य की उत्पत्ति क्षणलक्षण अर्थात्

कार्योत्पत्तिक्षणरूप सहकार कारण की अपेक्षा रखकर ही होती है अतः क्षणविशिष्ट इच्छा को ही कारण मानना चाहिए, केवल इच्छा को नहीं।

पूर्वोक्त प्रकार का मत प्रकट करने वाले वादी से यह पूछना चाहिए कि यदि भगवान् की कार्य उत्पन्न करने की इच्छा के होते हुए भी उस क्षणविशेष (अर्थात् कार्योत्पत्तिक्षण) के अभाव के कारण कार्य की उत्पत्ति नही होती तो उस क्षणविशेष (अर्थात् कार्योत्पत्तिक्षण) के अभाव का कारण क्या है? यदि वह यह उत्तर देता है कि उस क्षणरूप कार्य के उत्पादक साधन (पुष्कल कारणसामग्री) का अभाव ही उस क्षण के अभाव अर्थात् अनुत्पाद का कारण है, तो पुनः यही प्रश्न होता है कि उस क्षणरूप कार्य के साधन के अभाव का क्या कराण है? ऐसी दशा में उसे उस साधन के अभाव का कारण ही उस साधनरूपी कार्य की उत्पादक कारण सामग्री अर्थात् उसके साधन के अभाव को ही मानना पड़ेगा। इस प्रकार तत्तत् साधनों के अभाव के कारण के रूप मे उनके साधनों के अभाव की परम्परा को ही कारण मानना होगा और तत्तत् साधनों की परम्परा को साध्य या कार्य मानकर उनके साधनों की परम्परा को ही उनका कारण मानना होगा।

इस प्रकार उत्पन्न होने वाले कार्य से पहले उसका साधन और उस साधन के उत्पन्न होने से पहले उसका साधन इस तरह साधन परम्परा मानने से पूर्वपक्षी के मत में अनवस्था दोष होगा। 'सोऽकामयत। बहु स्यां प्रजायेयेति' (तैत्ति. उप. २।६) अर्थात् 'उसने (परमात्माने) कामना की (अर्थात् ईक्षण या सङ्कल्प किया) कि मैं बहुत हो जाऊँ अर्थात् उत्पन्न हो जाऊँ' (तैत्ति. उप. २।६) इत्यादि श्रुतिवाक्यों से बाधित होने के कारण इस अनवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः इस अनवस्था से और तत्तत् साधना परम्परा

एवं साध्य परम्परा तथा कार्योत्पत्ति एवं कार्यानुत्पाद को आकस्मिक मानने के नास्तिक मत में प्रवेश से बचने के लिए वादी को भी यही मान लेन चाहिए कि तत्तत् साधनपरम्परा एवं साध्यपरम्परा के होने और उनका अभाव होने में केवल भगवदिच्छा ही हेतु है।

ऐसी स्थिति में 'तत्तत् साधनपरम्परा (या साधनसाध्यपरम्परा) के होने या न होने में केवल भगवदिच्छा ही कारण है' ऐसा वादी को भी स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा न मानने पर (अर्थात् भगवदिच्छा को उनका हेतु न मानने पर) वादी के सामने साधनसाध्य परम्परा को एवं कार्योत्पाद और कार्यानुत्पाद को आकस्मिक मानने का (नास्तिक मत स्वीकार करने का) अनिष्टप्रसङ्ग उपस्थित होगा।

सिद्धान्ती के मत को स्वीकार करने में कठिनाई बताते हुए पूर्वपक्षी कहता है कि यदि जैसा कि सिद्धान्ती का कहना है केवल भगवदिच्छा–जो अजन्य है–को यही कारणमान लिये जाये तो या तो (इस अजन्य तथा नित्य इच्छा के सञ्जिहीर्षारूप में सर्वदा होने पर) सभी पदार्थों का सर्वदा अभाव ही रहेगा या (इस अजन्य एवं नित्य इच्छा के सिसृक्षारूप में सर्वदा होने पर) सभी पदार्थों की युगपत् (और सार्वकालिकी सृष्टि होते रहने से) सर्वदा उपस्थिति ही रहेगी। इसके उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्वपक्षी ने जिस प्रकार से प्रश्न उठाये हैं उससे विचार का पर्यवसान सृष्टि आदि के कारण में होता है अर्थात् विचार का मुख्य विषय सृष्टि का कारण हो जाता है। सृष्टि के इस कारण का स्वरूप आस्तिकों को वैसा ही मानना चाहिए जैसा कि श्रुति से सिद्ध होता हो। और श्रुति में केवल इच्छा को ही कारण कहा गया है। उदाहरणार्थ वाजसनेयिशाखा में (शपथब्राह्मण और बृहदारण्यकोपनिषद् में ''पहले यह पुरुषाकार आत्मा ही था।

उसने अन्वीक्षा करने पर अपने से भिन्न कुछ नहीं देखा'' (शतपथब्रा. १४।४।२।१, वृह. उप. ५।४।१) इत्यादि उपक्रमपूर्वक कहा गया है कि ''वह रममाण नहीं हुआ। इसी से एकाकी पुरुष रममाण नहीं होता। उसने दूसरे की इच्छा की। वह सत्यसङ्कल्प होने के कारण) जिस प्रकार परस्पर आलिङ्गित स्त्री और पुरुष होते हैं ऐसा (अर्थात् ऐसे परिमाणवाला) हो गया। उसने अपने इस शरीर को ही दो भागों में विभक्त कर डाला। उससे पति और पत्नी हुए।'' (शतपथब्रा. १४।४।२।४, बृह. १।४।३) इत्यादि। इस वाक्य में दूसरे की सृष्टि में उसकी इच्छा मात्र के कारण होने की बात कही गयी है और दूसरे की सृष्टि की कारणभूत इस इच्छा का प्रयोजक रमणेच्छा को बताया गया है।

इस प्रकार सि वाक्य का यही अर्थ निकलता है कि उसने जगत् की रचना अपनी क्रीड़ा के लिए ही की है। इसीलिए श्रीमद्भागवत में भी कहा गया है कि ''हे महत्तम! चतुर्दशभुवनात्मक समस्त ब्रह्माण्ड आपकी क्रीडा का उपकरण है।'' (भाग. ४।७।४३), तथा ''हे प्रभो! आपने इस सम्पूर्ण लोकत्रयात्मक जगत् की सृष्टि अपनी क्रीडा के लिए की है किन्तु अन्य दुर्बुद्धि लोग स्वयं को इसका स्वामी समझ बैठते है।'' (भाग. ८।२२।२०)।

सिद्धान्ती के कहने का आशय यह है कि शतपथब्राह्मण के पूर्वोक्त वाक्य में रमणेच्छा (अर्थात् क्रीडानेच्छा या लीला) को द्वितीयादिरूप सृष्टि करन की इच्छा में प्रयोजक तथा (उस सत्यसङ्कल्प की) सृष्टि करने की इच्छा मात्र को सृष्टि का कारण बताया गया है और श्रीमद् भागवत में भी भगवान् द्वारा क्रीडार्थ जगत् की रचना करने का उल्लेख है। इस प्रकार केवल भगवदिच्छा ही सृष्टि का हेतु मानी गयी है।

ऐसी स्तिति में अर्थात् सृष्टि की रचना भगवान् ने अपनी क्रीडा के लिए ही की है यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो जाने पर, श्रुत्यर्थापत्तिसे अर्थात् भगवदिच्छा को सृष्टि का कारण बताने वाले श्रुतिवाक्यों के अन्यथा उत्पन्न न होने से, यह निश्चित होता है कि जगत् की उत्पत्ति की कारणभूत इच्छा के नियमन के बिना जगत् में वैचित्र्य नहीं आ सकता था और जगत् के वैचित्र्य के अभाव में भगवान् की क्रीडा या लीला नहीं हो सकती थी, अतः भगवान् जगद्वैचित्र्यपूर्वक क्रीडा करने के लिए कालविभाग कर तत्तत् काल में तत्तत् लीला करते हैं, करेंगे और करते थे।

कालावच्छेदसे किये जाने वाले इच्छा के नियमन को अन्य को (अर्थात् लोकको) समझाने के लिए भगवान कालावच्छेदक सूर्यादिकी गति का निर्माण कर लोगों में वर्तमान, भूत और भविष्य आदि की प्रतीति उत्पन्न करते हैं।

सिद्धानी के कथन का तात्पर्य यह है कि शब्द प्रमाण से यही ज्ञात होता है कि सृष्टि रचना भगवान् ने क्रीडार्थ अर्थात् लीलाके लिए की है। लीला के लिए अनेकत्व एवं वैचित्र्य की अपेक्षा है अतः लीलार्थ सृष्टि होने का प्रतिपादन करने वाले वाक्य तभी उत्पन्न होंगे जब यह मान लिया जाए कि भगवान् ने काल विभाग कर तत्तत् काल में तत्तत् क्रीड की, करते हैं और करेंगे। हमें उनके द्वारा किये गये इस कालविभाग की प्रतीति उनके द्वारा सृष्ट सूर्यादिकी गति आदि से होता है।

ऐसी स्थिति में जब जिस प्रकार से जिस के द्वारा जहाँ जो हाता है, नष्ट होता है, या नहीं होता, उस पर उस प्रकार से उसके द्वारा वहाँ उनके होने, नष्ट होने या न होने का नियम भगवान् ने सृष्टि

के पहले ही बना दिया था अतः सभी कार्यों या पदार्थों का एक साथ अभाव या सबकी एक साथ उत्पत्ति होने का प्रसङ्ग ही उपस्थिति नहीं होता।

पूर्वपक्षी का कहना था कि भगवदिच्छा के नित्य होने के कारम उसे सृष्टि का कारण मानने पर सिद्धान्ती के सामने सभी कार्यों की एक साथ अविद्यमानता या उत्पत्ति मानने का अनिष्टप्रसङ्ग उपस्थित होगा। सिद्धान्तीका उत्तर है कि कब कहाँ किसका उत्पाद या नाश होना है इसका निश्चय भगवान् ने सृष्टि के पहले से ही कर रखा है अतः उनकी इच्छा को सृष्टि का कारण मानने में पूर्वोक्त अनिष्टप्रसङ्ग उपस्थित नहीं होता।

विभिन्न साधनों का तत्तत् साध्यों को सिद्ध कर सकने का सामर्थ्य तथा साध्य विशेष के साधन विशेष से ही सिद्ध हो सकने का नियम स्वाभाविक न होकर भगवत्कृत ही है। इसीलिए जीव का कर्तृत्व भी ईश्वराधीन ही है। यही बात ८ुति में ''यही उस व्यक्ति से सत्कर्म कराता है जिसको इन लोकों से उन्नत लोकों में ले जाना चाहता है।'' (कौष. उप. ३।८) इत्यादि वाक्य द्वारा कही गयी है। वेदान्तसूत्रकार व्यासने भी 'परात्तु तच्छुतेः' अर्थात् 'वजीवमें कर्तृत्व, जीवके ब्रह्मका अंश होने के कारण, ब्रह्मके सम्बन्ध से आता है क्योंकि श्रुतिवाक्यों में ऐसा ही कहा गयै है२।'' (ब्रह्मसूत्र २।३।४१) इस सूत्र के द्वारा निर्णय किया है कि श्रुति का तात्पर्य यही है कि जीव का कर्तृत्व ईश्वराधीन ही है स्वतन्त्र नहीं। इस मत का युक्तिपुरस्सर विस्तार से प्रतिपादन हमने अपने विद्वन्मण्डनम् नामक ग्रन्थ में किया है।

धर्मादिरूप साधनविशेष से स्वर्गादिरूप फल अर्थात् साध्यविशेष की प्राप्ति हो सकने का नियम और किसी साधनविशेष में किसी

साध्यविशेष को प्राप्त करा सकने का सामर्थ्य स्वाभाविक नहीं बगवत्कृत ही है। जीवों में जो कर्तृत्व है वह भी उनके भगवदंश होने के कारण उनमें भगवत्सम्बन्ध से हो आया है। इस प्रकार सर्वकर्ता भगवान् ही है और भगवदिच्छा के सृष्टि का कारण मानने के सिद्धान्त की पुष्टि श्रुतिवाक्यों एवं ब्रह्मसूत्रों से होती है और इसकी विस्तार से सिद्धि विद्वन्मण्डनम् में की गई है।

'परात्तु तच्छ्रुतेः' (ब्रह्मसूत्र २।३।४१) का अर्थ यही है कि कर्तृत्व वस्तुतः ब्रह्मगत ही है। जीवमें कर्तृत्व उपलब्ध होता है वह (जीव के ब्रह्म का अंश होने के कारण) उसमें ब्रह्म के सम्बन्ध से ही ाता है। इसीलिए श्रुति के 'नान्योऽतोऽस्ति' (शतपथ ब्रा. १४।६।७।३१, बृह. उप. ३।७।२३) इत्यादि वाक्यों में ब्रह्मके अलावा किसी अन्य के कर्तादि न होने की बात कही गई है। स्वतन्त्र कर्ता और कारयिता केवल ब्रह्म ही है जीव नहीं यह सिद्धान्त, 'सर्वकर्मा' (छान्दो. उप. ३।१४।४), 'कर्ता कारथिता हरिः' इत्यादि वाक्यों से सिद्ध होता है।

पूर्वपक्षी का कहना है कि सिद्धान्ती के इस कथन से पूर्वपक्षी के द्वारा प्रतिपादित किये जाने वाले मत का बाघ या निरास नहीं होता, क्योंकि जिस प्रकार का साधनत्व सिद्धान्ती को अभिप्रेत है वैसा ही साधनत्व कर्मों में है यह तो कहा ही जा सकता है।

पूर्वपक्षी के इस कथन का आशय यह है कि सिद्धान्ती का यही तो कहना है कि साधनों का सामर्थ्य और जीव का कर्तृत्व स्वतन्त्र न होकर ईश्वरकृत या भगवत्प्रदत्त है किन्तु इस मत से कर्मों को भगवत्प्राप्ति या भगवद्भक्ति की प्राप्ति का साधन मानने के पूर्व पक्षी के मत का वाघ या विरोध नहीं होता क्योंकि पूर्वपक्षी यह मान ले सकता है कि कर्मों में भगवत्प्राप्ति करा सकने की सामर्थ्य स्वतन्त्र न होकर भगवत्प्रदत्त है और भगवत्प्रेरित कर्मानुष्ठान भगवद्भक्ति और

भगवान् की प्राप्ति के साधन हैं। पूर्वपक्षी का इस आशङ्का के उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि ,

हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि प्रमाण–वाक्य में स्पष्ट शब्दों में कर्म के भगवत्प्राप्ति का साधन होने का निषेध न किया गया होता तो पूर्वपक्षी द्वारा बताये जाने वाले पूर्वोक्त प्रकार से कर्मों को भगवत्प्राप्ति का साधन मान लिया जा सकता था, किन्तु श्रुति ''इस आत्मा (अर्थात् परमात्मा) को न तो प्रवचन से प्राप्त किया जा सकता है, न मेघासे और न बहुश्रुततासे ही'' (कठोप. १।२।२३, मुण्डकोप. ३।२।३) इत्यादि वाक्य द्वारा परमात्मा की प्राप्ति में भगवदनुग्रहेतर सारे साधनों की साधनता का निषेध करके, ''यह तो जिसको वरण करता है उसी को प्राप्त हो सकता है'' (कठोप. १।२।२३, मुण्डकोप. ३।२।३) इत्यादि वकाय से भगवान् के भगवदनुग्रहैकलभ्य होने का प्रतिपादन करती है।

तात्पर्य यह है कि श्रुति भगवत्प्राप्ति में भगवदनुग्रहेतर कर्मादि सभी साधनों की साधनता का निषेध करती है और भगवान् को भगवदनुग्रहैकलभ्य बताती है अतः भक्ति एवं भगवान की प्राप्ति वेदप्रमाणवादियों के मत में भगवदिच्छाधीन ही मानी जा सकती है, कर्माधीन नहीं।

और भी, भगवान् कपिल द्वारा माता देवहूति से कहे गये, ''जिनका एकमात्र प्रिय, आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृद् और इष्टदेव मैं ही हूँ वे मत्पर अर्थात् मुझे ही सब कुछ समझने वाले भक्तजन शान्तिमय वैकुण्ठधाम में पहुँचकर फिर नष्ट अर्थत् क्षीणपुज्य होकर वैकुण्ठ से पतित या दिव्यभोगों से वञ्चित नहीं होते तथा मेरा दिव्य आयुध कालचक्र भी उन्हें नहीं ग्रसता है।'' (भाग. ३।२५।३८) एवं

यम द्वारा अपने दूतों से कहे गये ''उन (भगवदाश्रित और) भगवान् की गदा (कौमोदकी) से रक्षित भगवद्भक्तों के पास तम कभी मत जाना क्योंकि इस प्रकार के इन भक्तों को दण्ड देने की सामर्त्य न तो हम सबमें है और न साक्षात् काल में ही।'' (भाग. ६।३।२७) इत्यादि वाक्यों में यह बताया गया है कि भगवान् के भक्त काल के अधीन नहीं हैं। इससे भी यही सिद्ध होता है कि बक्ति कर्मसाध्य अर्थात् कर्मों द्वारा प्राप्य नहीं हो सकती क्योंकि कर्म तत्तत् काल में ही किये जाते हैं अतः वे काल के अधीन ही होते हैं। कालसाध्य अर्थात् कालविशेष में किये जाने वाले कर्मादिरूप साधनों से साध्य अर्थात् प्राप्त हो सकने वाला फल भी नियमतः कालपरिच्छेद्य ही होता है कालातीत नहीं, अतः कालाधीन कर्मों से साध्य स्वर्गादि की ही भांति ब्रह्मभाव को भी कालसाध्य (अर्थात् कालाधीन कर्मों से साध्य) मानना होगा तथा कालाधीन कर्मों से साध्य मुक्ति को भी वैसा ही (अर्थात् कालाधीन या कालपरिच्छेद्य ही) मानना पड़ेगा और मुक्ति को भी कालातीत या नित्य न कहा जा सकेगा (जो पूर्वपक्षी को भी इष्ट नहीं हो सकता)।

सिद्धान्ती के उक्त कथन का आशय यह है कि श्रीमद् भागवत में भगवद्भक्तों को काल के अनधीन बताया गया है। कर्म काल में ही किये जाते हैं और कालाधीन है। कालाधीन कर्मादिरूप साधनों के स्वर्गादिरूप साध्य भी कालाधीन और क्षयिष्णु ही होते हैं। गीता के,

त्रैविद्यामां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा, स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते।
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्, अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्।।
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति।
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते।।

(गीता (९।२०-२१)।

इत्यादि वाक्यों से यह बात स्पष्ट हो जाती है। कालाधीन और अनित्य साधनों से कालातीत और नित्य फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कठोपनिषद में कहा गया है कि, 'जानाम्यहं शेवधिरित्यनित्यं न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्।' (कठोप. २।१०)। अर्थात् कर्मफलरूप निधि अनित्य है। अनित्य साधनों द्वारा नित्य फल की प्राप्ति किसी भी तरह नहीं हो सकती। यदि मुक्ति और बक्ति को कर्मसाध्य मान लिया जायेगा तो उन्हें भी अनित्य मानना होगा जो न तो प्रमाणसम्मत ही है और न पूर्वपक्षी को अभीष्ट ही। अतः भक्ति को कर्मसाध्य नहीं माना जा सकता।

और भी, श्रीमद्भागवत में नारदजी द्वारा कहे गये ''हृदय में बार-बार चिन्तन किये जाने पर भगवान् जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं (तभी और वही जीव भगवत्तत्व को जान पाता है तथा इस ज्ञान के बाद निरन्तर भगवदेकनिष्ठ होने के कारण) उसकी लौकिक मर्यादा (अर्थात् लौकिक व्यवहार) एवं वैदिक मर्यादा (अर्थात् वैदिक कर्ममार्ग) में बद्धमूल आस्था निवृत्त हो जाती है।'' (भाग. ४।२९।४६) इत्यादि वाक्यों से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता हौ कि भक्ति मार्ग लोकवेदातीत है। अतः जिन लोगों पर भगवदनुग्रह नहीं हुआ और फलतः जिनमें भक्ति मार्ग के लोकवेदातीत होने का ज्ञान एवं विश्वास उदित नहीं हुआ है उनके लिए लोकवेदातीत भक्तिमार्ग का अधिक निरूपण करना व्यर्थ है। इसीलिए मैंने (श्रीविट्ठलनाथ ने) जिनमें भगवदनुग्रह से भक्तिमार्ग के लोकवेदातीत होने का ज्ञान एंव विश्वास उत्पन्न हो गया है उनके लिए इस कृति द्वारा अपने ज्ञान के लेशमात्र का प्रकाशन किया है।

गोपीशपदसर्वस्वः पितृपादाब्जसेवकः।
निर्णीतवान् भक्तिहेतु निगूढ़ाशयविट्ठलः।।१।।
अहं कुरङ्गीदृग्भङ्गिसङ्गिनाङ्गीकृतोऽस्मि यः।
अन्यसम्बन्धगन्धोऽपि कन्धरामेव बाधते।।२।।
इति श्रीमद्विट्ठलदीक्षितविरचितो भक्तिहेतु निर्णयः सम्पूर्णः।।

गोपीजन वल्लभ श्रीकृष्ण के चरणों को ही सर्वस्व समझने वाले, अपने पिता श्रीमद्वल्लभाचार्य के चरण कमलों के सेवक तथा अत्यन्त गूढ आशय वाले श्रीविट्ठलनाथ दीक्षित ने इस कृति द्वारा अनुग्रह के ही भक्ति के हेतु होने का निर्णय किया है।

मुझे मृगलोचनी गोपियों के सङ्गी श्रीकृह्मण स्वीयत्वेन स्वीकार कर लिया है अतः अन्य किसी से सम्बन्ध की गन्ध भी मेरे कन्धों को बोझ बनकर कष्ट ही देती है।।२।।

श्रीमद्विट्ठलेश्वरदीक्षित विरचित भक्तिहेतु ग्रन्थ समाप्त हुआ।

बाराबङ्कीतिनाम्नि प्रथितजनपदे पुण्यसाकेतसीम्नि,
शाकद्वीपीयविप्रेषु विजयनगरेऽभूद् भरद्वाजगोत्रः।
शम्भोर्भक्तः भवानीपदयुगमधुलिङ् विष्णुपादानुरक्तः,
लक्ष्मीनारायणाख्यः सुविदितमहिमा राजमान्यो मनीषी।।
सूनोस्तस्यात्मजन्मा विमलमतिरुमाशङ्करस्य द्वितीयः,
मिश्रः केदारनाथः सहृदयहृदयोऽध्यापको दर्शनानाम्।
हिन्दूनां प्राणभूते स्मरहरनगरीविश्वविद्यालयेऽस्मिन्,
व्याख्यामेनां स्वतुष्टयै व्यलिखदतिमुदा भक्तिहेतोः नवीनाम्।
ख–शून्य–बाणप्रमिते श्रीमद्वल्लभवत्सरे।
व्याख्येयं पूर्तितां प्राप्ता विट्ठलेशोद्भवोत्सवे।।

श्रीकेदारनाथमिश्रकृत हिन्दी अनुवाद तथा भक्तिहेतु निर्णय प्रकाशिकाख्या हिन्दी व्याख्या समाप्त।

॥ श्रीकृष्णाय नमः ॥

श्रीमद्विट्ठलेशप्रभुचरणप्रणीतो

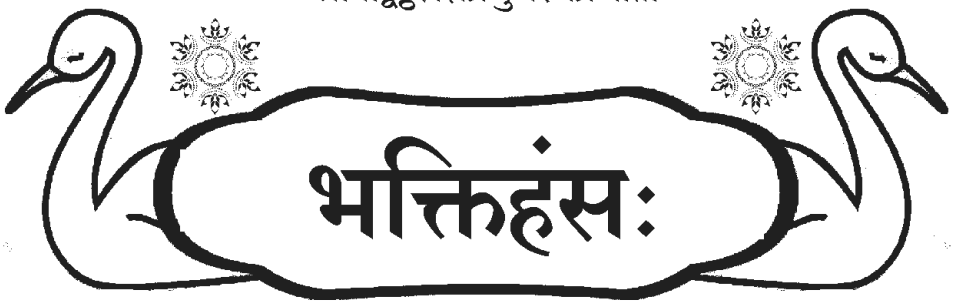

भक्तिहंसः

जयन्ति पितृपादाब्जरेणवो यत्प्रसादतः।
भक्तिः प्राप्ता तदन्याध्वमोहाभावश्च पण्डितैः॥१॥

*

श्रीकृष्णाय नमः

'चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः।
स्वीयानां तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः॥
श्रीमद्वल्लभशास्त्रमात्तवपुषं स्नेहावतारं गुरुम्।
आचार्य कृतपुण्यपुण्यनिचयं गोस्वामिनं दीक्षितम्।
शिष्यानुग्रहविग्रहं मतिमतां श्रद्धास्पदं सादरम्,
ध्यात्वाहं हृदि भक्तिहंसममलं व्याख्यामि हिन्दीगिरा॥
प्राचां वाचां समाहृत्य तत्त्वं श्रुत्वा गुगोर्गिरः।
चिन्तयित्वा चिरं व्याख्या विवेकाख्या विलिख्यते॥

* भक्तिहंस–विवेक *

'पुरुषः स परः पार्थ! भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया' (गीता ८।२२) तथा 'भक्तयाहमेकया ग्राह्यः' (भाग. ११।२४।२१) इत्यादि वाक्यों द्वारा स्वयं भगवान के अपने को अनन्यभक्तिलभ्य बताने से स्पष्ट है कि पुरुषोत्तम की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों के लिए भक्ति के

मन्त्रोपासनवैदिकतान्त्रिकदीक्षार्चनादिविधिभिर्यः।
अस्पृष्टं। रमते निजभक्तेषु स मेऽस्तु सर्वस्वम्।।२।।
ननु किमिदमपूर्वतरमिवोच्यते?

स्वरूप का प्रामाणिक ज्ञान आवश्यक है, अतः कर्म, ज्ञान अथवा उपासना में ही लगे रहने और तदनुसार ही भक्ति का निरूपण करने वाले, भक्ति के यथार्थ स्वरूप से अनभिज्ञ लोगों के मतों का निरास (अर्थात् भक्ति के लोकप्रसिद्ध भक्ति के यथार्थ स्वरूप का निर्णय करने के लिए भक्तिहंस नामक अपने इस निबन्ध का प्रारम्भ करते हु गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण करते हैं।

परमपूज्य पिताजी (अर्थात् महाप्रभुजी श्रीमद्वल्लभाचार्य) के चरणकमलों की रज–जिसकी कृपा से पण्डितों अर्थात् सदसद्विवेकशील बुद्धिमानों ने भक्ति और उसके स्वरूप का ज्ञान तथा भक्तिमार्ग से भिन्न (कर्म, ज्ञान एवं उपासना आदि) मार्गों में होने वाले मोह (अर्थात् ये मार्ग पुरुषोत्तमप्राप्ति के समर्थ साधन हैं इस भ्रम) से छुटकारा प्राप्त किया–विजयशील अर्थात् सर्वोत्कर्षशाली है।।१।।

मन्त्रोपासना (अर्थात् कर्मकाण्डान्तःपाती तथा कामोपाधिक गायत्री आदि किसी मन्त्र की पुरश्चरणपूर्वक सिद्धि करना), वैदिकी दीक्षा (सौमिकी अथवा नारायणाष्टाक्षरादि की दीक्षा), (पञ्चरात्राद्यागमोक्त) तान्त्रिकी दीक्षा और अर्चन (अर्थात् भगवत्प्रतिमा आदि का स्वयं पूजन करना या द्रव्यादि देकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पूजन करवाना) आदि (अर्थात् जप, दान आदि) की विधियों से अस्पृष्ट (अर्थात् इन विधियों के फ, विधेय या उद्देश्य न होने के कारण इनसे असम्बद्ध और इसीलिए इनके अनधीन) तथा अपने भक्तों (अर्थात् भगवान् ने जिन्हें अपना मान कर स्वीकार कर लिया

सत्यम् अपूर्वतममपि श्वभ्रकूपपतितभेकसदृशां त्वादृशाम्, न तु विदुषाम्, पूर्वमेवानेकप्रमाणसिद्धत्वात्। तथाहि–

'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन।

येमेवैष वृणुते तेन लभ्यः' (कठोप. १।२।२३, मुण्ड, उप. ३।२।३)

इति श्रुतौ 'यमेव' इति सामान्योक्तया अग्रिमेण च भगवदङ्गीकारमात्रैकलभ्यत्वोक्तया प्रवचनादिपदानि आत्मीयत्वेन भगवदङ्गीकारातिरिक्तयावत्साधनोपलक्षकाणि इति ज्ञायते। तेन जीवकृतिसाध्यसाधनैः अप्राप्यत्वमुक्त भवति।

है उन सेवकों) में रमण करने वाले (अर्थात् उनके अधीन होकर क्रीडा करने वाले) भक्तिमात्राधीन भगवान् मेरे सर्वस्व (अर्थात् आत्मा, आत्मीय, बन्धु, कुटुम्बी और धन आदि सब कुछ) हों।।२।।

उपर्युक्त मङ्गल श्लोकों में से प्रथम द्वारा ग्रन्थकार ने भक्ति की अनन्यता (अर्थात् इतर साधनों में निष्ठा के अभावपूर्वक भक्ति में निष्ठा) द्योतित करने के साथ ही यह सूचित किया है कि विवक्षित भक्ति और उसके स्वरूप के ज्ञान की प्राप्ति आचार्य चरणों की कृपा से ही सम्भव है अतः भक्तिप्राप्ति के इच्छुक व्यक्तियों को आचार्यचरणों के प्रति निष्ठावान् होकर उनके वचनों में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। इस प्रारम्भिक कक्षा की ओर संकेत करने के बाद द्वितीय मङ्गल श्लोक में ग्रन्थकार ने भगवान् को सर्वस्व समझने की द्वितीय कक्षा की ओर संकेत किया है।

भगवान् को मन्त्रोपासनादि से प्राप्य मानने वाला प्रतिपक्षी उन्हें मंत्रोपासना आदि की विधियों से अस्पृष्ट या असम्बद्ध मानने के उपर्युक्त सिद्धान्त पर आक्षेप करते हुए पूर्वपक्ष प्रस्तुत करता है।

पूर्वपक्षी कहता है कि सिद्धान्ती (भगवान् के विधि से अस्पृष्ट या असम्बद्ध और भक्तयधीन होने का) यह अपूर्व सा सिद्धान्त कैसे प्रतिपादित कर रहा है?

पूर्वपक्षी का अभिप्राय यह है कि सिद्धान्ती का भगवान् को विधि से असम्बद्ध या अस्पृह्नष्ट कहना अपूर्व अर्थात् उसके अज्ञान और दुराग्रह का सूचक है क्योंकि मन्त्रशास्त्र में भगवान के उपासना द्वारा प्राप्य होने का प्रतिपादन मिलने के कारण भगवान् को मन्त्रोपासनादि की विधि से सम्बद्ध मानना चाहिए। विहित क्रिया का फल विधि से सम्बद्ध होता है, जैसे कि 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' इत्यादि विधि द्वारा विहित क्रिया का फलरूप स्वर्ग उपर्युक्त विधि से सम्बद्ध है, अतः भगवत्प्राप्ि त के मन्त्रोपासनादि की विधियों द्वारा विहित क्रिया का फल होने के कारण भगवान् को उक्त विधियों से सम्बद्ध मानना चाहिए।

पूर्वपक्षी को अल्पज्ञ बताता हुआ सिद्धान्ती व्यङ्गपूर्वक आक्षेप करता हुआ उसके मत का निरसन करने में प्रवृत्त होता है–

सच है। तुम्हारे जैसे कूपमण्डूकों (अर्थात् स्वल्प ज्ञान के आधार पर ही कर्णवटु प्रलाप करने वालों) के लिए तो यह सिद्धान्त अपूर्वतम (अर्थात् अश्रुतपूर्व और इसीलिए अप्रामाणिक) भी हो सकता है किन्तु विद्वानों के लिए नहीं, क्योंकि यह पहले ही अनेक प्रमाणों से सिद्ध किया जा चुका है।

सिद्धान्त को अनेकप्रमाणसिद्ध कह कर सिद्धान्ती उसके वेदवाक्यों पर आश्रित होने की पुष्टि करता है –

सिद्धान्त का अनेकप्रमाणसिद्ध होना अधोलिखित विवेचन से स्पष्ट है। कठोपनिषद् (१।२।२३) एवं मुण्डकोपनिषद् (३।२।३) में

Start : 05.02.2021

पूर्व जीवगतोत्कर्षोऽपि अप्रयोजक इत्यपि। वरणोक्तय यथा कन्यका स्वाभिमतमेव स्वपतित्वेन वृणुते, वरो वा तादृशीमेव कन्यां स्वस्त्रीत्वेन, तथा भगवान् स्वदासत्वेन आत्मीयत्वेन अङ्गीकरोति इत्युच्यते। तथा च .यथा तदनन्तरं नान्यत्र विनियोगः तस्याः तथा एतस्यापि इति ज्ञापितं भवति।

कहा गया है कि 'इस आत्मा (अर्थात् परमात्मा या ब्रह्म) को न तो प्रवचन से प्राप्त किया जा सकता है, न मेधा से और न बहुश्रुतता से ही। यह तो जिसको वरण करता है उसी को प्राप्त हो सकता है।' इस वाक्य में 'यमेव' (अर्थात् 'जिसको ही') इस सामान्य कथन से ओर आगे चलकर केवल भगवान् द्वारा अङ्गीकृत होने पर ही उन्हें प्राप्त कर सकना सम्भव होने के कथन से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में आये प्रवचन आदि पद भगवान् द्वारा आत्मीय के रूप में अङ्गीकृत किये जाने के अतिरिक्त अन्य सभी (जीव सम्बन्धी) साधनों के उपलक्षक हैं।

प्रवचन आदि पदों को अन्य सभी (जीवसम्बन्धी) साधनों का उपासक कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा के प्रवचन आदि से प्राप्य न होने के कथन का अभिप्राय उनके जीवनिष्ठ या जीवकृत किसी भी साधन से प्राप्त न हो सकने तथा केवल भगवत्कृतिसाध्य अनुग्रह मात्र से ही प्राप्त हो सकने का प्रतिपादन करना है।

इससे उपर्युक्त कथन का अभिप्राय यही सिद्ध होता है कि परमात्मा उन सभी साधनों से अप्राप्य है जो जीवकृति साध्य हैं अर्थात् जिनका उपयोग कर सकना जीवों के वश में है।

भगवान को केवल भगवत्कृतिसाध्य अनुग्रह से ही प्राप्य मानने में एक कठिनाई यह है कि उनकी इच्छा की ही भाँति उनके

अनुग्रह को जान सकना भी सम्भव नहीं है। इसका समाधान सिद्धान्ती यह कह कर करते हैं कि भगवदनुग्रह का यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, किन्तु उसका ज्ञान महापुरुषों द्वारा किये जाने वाले अनुग्रह को अधोलिकित प्रकार से कार्य लिङ्गक अनुमान से प्राप्त किया जा सकता है। 'यह व्यक्ति भगवदनुगृहीत है, क्योंकि यह वरण, नल-कूबर आदि की ही भांति महापुरुषों द्वारा अनुगृहीत है।' इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि

उपर्युक्त कथन से ही यह भी सूचित होता है कि इसके (अर्थात् महापुरुषों के अनुग्रह होने से) पहले जीवगत (महाकुलीनत्वादिरूप) उत्कर्ष भी प्रयोजक नहीं होता. पूर्वोद्धृत श्रुतिवाक्य में स्वादिगणी उभयपदी सेट धातु वृञ् (वृञ् वरणे, धातुपाठ १२७९) से निष्पन्न 'वृणुते' इस पद से वरण (अर्थात् स्वीकार करने) के कथन द्वारा यह अभिप्राय प्रकट किया गया है कि जिस प्रकार कन्या पने अभिमत व्यक्ति को ही अपने पति के रूप में वरण करती है अथवा जिस प्रकार वर उसी प्रकार की (अर्थात् अपनी अभिमत) कन्या को ही वरण करता है उसी प्रकार भगवान् जीव को अपने दास के रूप में, आत्मीय के रूप में अङ्गीकार करते हैं और इससे यह भी सूचित होता है कि

जिस प्रकार वरण के बाद कन्या का अन्यत्र विनियोग नहीं होता वैसे ही भगवान् द्वारा वरण किये गये जीव का भी भगवत्सेवा के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र विनियोग नहीं होता[१]।

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लौकिक पति अपनी वरण की

---

१. भगवद्रूपसेवार्थ तत्सृष्टिर्नान्यथा... (पुष्टिप्र. म. १२)

२. देखिए, ऊपर पृष्ठ ३ विवेक व्याख्या

Start : 05.02.2021

पूर्वं केनापि ज्ञातुमशक्यमित्यपि।

एवं सति विहितक्रियाफलत्वेन स्वर्गादिवद्भगवति पूर्वोक्तविधिसम्बन्धस्तु न शक्यवचनः। स्वकृत्यसाध्यत्वाद् यागादिवदपि न तथा।

गयी पत्नी को अपने में पूर्ण आसक्त कर लेता है उसी प्रकार भगवान् जीव की अन्य सभी वस्तुओं में आसक्ति समाप्त कर उसे आत्मपरायण (अर्थात् भगवत्परायण) बना देते हैं।

इससे यह भी सूचित होता है कि यह वरण (महापुरुषों के अनुग्रह एवं भगवान् में एकतानता रूप फलों से अनुमेय है और इनके) पहले किसी के द्वारा जाना भी नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में, जिस प्रकार (स्नानदानादि) विहित क्रियाओं के करने वालों को उन विधियों से सम्बद्ध फल के रूप में स्वर्गादि की प्राप्ति होती है उसी प्रकार भगवान् (किसी कर्म के फलरूप नहीं है और इसीलिए किसी कर्म की विधि से सम्बद्ध भी नहीं है अतः उन) को पूर्वोक्त मन्त्रोपासनादि की विधियों से सम्बद्ध नहीं कहा जा सकता।

इस प्रकार उपलक्षणविधि से भगवान् के जीवकृत किसी भी साधन द्वारा प्राप्त न हो सकने के उपपादन करने वाले उपर्युक्त श्रुतिवाक्य के अर्थ का विचार करने से यही निष्कर्ष मिलता है कि भगवान को मन्त्रोपासनादि की विधियों से सम्बद्ध नहीं माना जा सकता अतः उन्हें विधि से सम्बद्ध बताने वाले मन्त्रशास्त्ररूपस्मृतियों के वाक्य तथा उन पर आश्रित अनुमान श्रुतिविरोधी होने के कारण अप्रमाणिक है। भगवान् को विधि से सम्बद्ध सिद्ध करने वाले अनुमान२ के विरोध में अधोलिखित प्रत्यनुमान के उपन्यस्त किये जा सकने के

अतः परम् इन्द्रादिवदुद्देश्यत्वेन तत्सम्बन्धोऽवशिष्यते। तत्रापि वदामः।

'सर्वस्य वशी सर्वस्येशान' (बृह. उप. ४।४।२२) इत्यादिश्रुतिभ्यो,

'देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव वा।
भजन् मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्याद् यथा वयम्।।'

(भाग. ७।७।५०),

'को नु राजन्! इन्द्रियवान् मुकुन्दचरणाम्बुजम्।
न भजेत् सर्वतोमृत्युः उपास्यममरोत्तमैः।।'

(भाग. ११।२।२)

कारण उसे भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। 'भगवान् मन्त्रोपासनादि की विधियों से असम्बद्ध हैं क्योंकि श्रुति में उन्हें वरण के अतिरिक्त अन्य साधनों से अप्राप्य कहा गया है।'

परमात्मा के स्वरूप के सर्वदा सिद्ध होने के कारण जीवकृति के द्वारा असाध्य होने से उन्हें यागादि की भाँति विधेय के रूप में विधि से सम्बद्ध भी नहीं कहा जा सकता।

तात्पर्य यह है कि परमात्मा का स्वरूप सर्वदा सिद्ध है यागादि की भाँति जीवकृति निष्पाद्य नहीं है, अतः उन्हें यागादि की भाँति विधेय के रूप में विधि से सम्बद्ध कहना भी ठीक न होगा।

(भगवान् के मन्त्रोपासनादि की विधियों से फल के रूप में तथा विधेय के रूप में सम्बद्ध होने के पक्षों का निराश हो जाने पर) अब इन्द्रादि की भाँति उद्देश्य के रूप में उनके विधि से सम्बद्ध होने का पक्ष शेष रह जाता है।

पूर्वपक्षी का कहना है कि उपर्युक्त श्रुति में भगवान् के विधि का उद्देश्य होने का निषेध न होने के कारण सिद्दान्ती को भगवान को मन्त्रप्रकाश्य, मन्त्राधिष्ठाता तथा मन्त्रपूज्य के रूप में मन्त्रादि की विधि से सम्बद्ध मान लेने के कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान् मन्त्रोपासनादि की विधियों से सम्बद्ध हैं क्योंकि वे मन्त्रशास्त्रविहित क्रियाओं के उद्देश्य हैं। भगवान् के उक्त शास्त्र में विहित क्रियाओं का उद्देश्य होने की सिद्धि उनके उस शास्त्र का प्रतिपाद्य होने से होती है और वे शिव के शैवशास्त्र के प्रतिपाद्य होने की भाँति ही मन्त्रोपासनादि शास्त्र के प्रतिपाद्य इसलिए हैं कि वे उस शास्त्र के प्रधान मन्त्र के प्रकाश्य एवं अधिष्ठाता हैं। इस प्रकार अनुमान से भी भगवान् के मन्त्रोपासनादि की विधियों के उद्देश्य रूप में सम्बद्ध होने की सिद्धि होती है, अतः प्रकृत ग्रन्थ के द्वितीय श्लोक में सिद्धान्ती का उन्हें मन्त्रोपासनादि की विधियों से अस्पृह्रष्ट कहना ठीक नहीं है।

सिद्धान्ती का कहना है कि भगवान् को उद्देश्य मानने पर भी उन्हें विधि से अस्पृह्रष्ट मानना ही ठीक होगा। पूर्वपक्षी भगवान् का विधि से उद्देश्य के रूप में जैसा सम्बन्ध मानता है उससे कुछ विलक्षण सम्बन्ध प्रतिपादित करते हुए सिद्धान्ती उस प्रकार के सम्बन्ध का निरूपण करता है जिसको स्वीकार कर लेने पर भी उनके पूर्वोक्त सिद्धान्त में दोष नहीं ाता।

इस पक्ष के सम्बन्ध में हमें यह कहना है।

'सब को वश में रखने वाला, सबको शासित करने वालान (वृह.उप. ४।४।२२) इत्यादि श्रुतिवाक्यों और 'देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धर्व कोई भी कयों न हो–जो भगवान् के चरण कमलों की भक्ति या सेवा करता है, वह हम लोगों की ही भाँति कल्याण का

'मां हि पार्थ! व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राःतेऽपि यान्ति परां गतिम्।।'

(गीता ९।३२)

इत्यादिस्मृतिभ्यंश्च जीवमात्रस्य भगवान् पतिः इति स्त्रियाः स्वपति–भजनवज्जीवमात्रस्य भगवद्भजनम् इष्टम् इष्टसाधनञ्च इत्यङ्गीकार्यं सर्वथा। तच्च श्रवणादिरूपम्।

भाजन होता है' (भाग. ७।७।५०),

'हे राजन्! ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सब ओर से मृत्यु से घिरा हुआ होने पर भी (भगवान् की सेवा की साधनभूत) इन्द्रियों के होते हुए भी, उत्तम देवताओं के भी उपास्य (सुखसेव्य तथा मोक्षदाता) भगवान् श्रीकृष्ण के चरण कमलों की भक्ति या सेवा न करना चाहे' (भाग. ११।२।२), तथा 'हे पार्थ! स्त्री, वैश्य या शूद्र जो भी पापयोनि (अर्थात् जिनके जन्म का कारण पाप है ऐसे प्राणी) हैं वे भी मुझे अपना आश्रय या अवलम्ब बना कर अर्थात् मेरी शरण में आजकर उत्तम गति को प्राप्त करते हैं' (गीता ९।३२) इत्यादि स्मृतिवाक्यों से ज्ञात होता है कि भगवान् जीवमात्र (अर्थात् सभी जीवों) के पति या स्वामी हैं, अतः जिस प्रकार स्त्री के लिए अपने पति की सेवा इष्ट तथा अभीष्टसिद्धि का साधन होती है उसी प्रकार भगवान् की भक्ति या सेवा सभी जीवों का इष्ट तथा इष्टसिद्धि का साधन है ऐसा सर्वथा स्वीकार करना चाहिए। और भगवान् की वह भक्ति श्रवणादिरूप है (न कि मन्त्रोपासनादिरूप)।

'सर्वस्य वशी सर्वस्येशानः' (बृह. उप. ४।४।२२) इत्यादि श्रुतिवाक्य में आये 'सर्वस्य' पद से भगवान् के जीवमात्र के पति या

एवं सति भगवानिव तन्नामादिकमपि सर्वान् प्रति अविशिष्टम् इति मन्तव्यम्। मन्त्रशास्त्रे तु निगद्यते, 'राममन्त्रः तदधिष्ठातृभजनञ्च कस्यचिन्मित्रं कस्यचिदरिः कस्यचित्सिद्धं कस्यचित्साध्यम्' इत्यादि। एवमेव गोपालादिमन्त्राः तदधिष्ठातृभजनानि च इति। एवं सति तदधिष्ठातृरूपस्य पुरुषोत्तमत्वे पूर्वोक्तश्रुतिस्मृतिन्यायेन सर्वान् प्रति भजनीयत्वेन अविशिष्टं स्यान्नतु तथा इत्यन्यथानुपपत्त्यैव तत्पुरुषोत्तमस्य विभूतिरूपं भिन्नमेवेति मन्तव्यम्।

स्वामी होने की सिद्धि होती है। इसी प्रकार स्मृतिवाक्यों में आये 'देव', 'इन्द्रियवान्' और 'येऽपि' इत्यादि पदों से जीवमात्र को भगवद्भजन इष्ट (अर्थात् स्वतन्त्र पुरुषार्थ) है यह ज्ञान तथा 'स्वस्तिमान् स्याद्' इत्यादि पदों से भगवद्भजन इष्टसाधन है यह ज्ञान होता है। उपर्युक्त उद्धरणों मे से प्रथम (बृह. उप. ४।४।२२) भगवान् के सर्वेश्वर होने का, द्वितीय (भाग. ७।७।५०) भगवद्भजन के इष्टसाधक होने का, तृतीय (भाग. ११।२।२) भगवद्भजन के अनिष्टनिवारक होने का और चतुर्थ (गीता ९।३२) भगवदाश्रय के इष्ट साधक एवं अनिष्टनिवारक होने का प्रतिपादक है।

भगवान् का सर्वोपास्य होना श्रुति, स्मृति एवं ब्रह्मसूत्र आदि के 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति' (कठोप. १।२।१५), 'वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः' (गीता १५।१५), 'सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्' (ब्रह्मसूत्र १।२।१) तथा 'सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्' (ब्रह्मसूत्र ३।३।१) इत्यादि वाक्यों से सिद्ध होने के कारण सभी को स्वीकार करना चाहिए। भगवान् किस रूप में उपास्य हैं इसका विचार करने पर 'सर्वस्व वशी सर्वस्येशानः (बृह.उप. ४।४।२२) इत्यादि श्रुति की पर्यालोचना करने

पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वेश्वर और सर्वाविशिष्ट रूप में उपास्य हैं। यह ज्ञान भगवद्नुगृहीत लोगों को ही हो पाता है अतः सर्वोपास्यत्वलक्षणसम्बन्ध का पर्यवसान अन्ततः अनुग्रह में ही होता है। तात्पर्य यही है कि भगवान् जिस पर जिस रूप में अनुग्रह करते हैं उसके उसी रूप में उपास्य होते हैं और यह बात तो सिद्धान्ती को भी स्वीकार ही है अतः सिद्धान्ती भगवान् के इस रूप में नहीं प्रत्युत इससे भिन्न रूप में मन्त्रोपासनादि की विधि का उद्देश्य होने का निषेध करता है।

भगवान् और उनकी भक्ति के सर्वोपास्य और सभी के लिए अविशिष्ट होने से भगवान् के मन्त्रोपासनादि की विधियों का उद्देश्य होने के पक्ष का निराकरण किस प्रकार किया जा सकता है, यह स्पष्ट करते हुए सिद्धान्ती कहता है कि –

इस प्रकार भगवान् के सर्वोपास्य तथा सभी के प्रति अविशिष्ट होने से उनके नाम आदि (अर्थात् उनकी उपासना के साधन) भी सभी के प्रति अविशिष्ट हैं ऐसा मानना चाहिए। किन्तु मन्त्रशास्त्र में कहा जाता है कि 'राम का मन्त्र और उसके अधिष्ठातरूप का भजन किसी के लिए मित्र है और किसी के लिए शत्रु, किसी के लिए सिद्ध है और किसी के लिए साध्य।' यही बात गोपाल आदि के मन्त्रों तथा उनके अधिष्ठातृरूपों की भक्ति के बारे में भी कही जाती है। ऐसी स्थिति में यदि भगवान् को पूर्वपक्षी द्वारा प्रतिपादित प्रकार से मन्त्रोपासनादि की विधि का उद्देश्य मान लिया जाए तो पुरुषोत्तम (भगवान् श्रीकृष्ण) को ही उपर्युक्त राममन्त्र, गोपाल मन्त्र आदि का अधिष्ठातृरूप को सभी का समान रूप से भजनीय और सभी के प्रति अविशिष्ट मानना होगा, किन्तु जैसा कि ऊपर ('राम मन्त्र और उसके अधिष्ठातृरूप का भजन किसी के लिए मित्र है और किसी के

Start : 05.02.2021

ननु विहितप्रकारेण भजनं हि सर्वस्यापि इष्टदम् अतो नानुपपत्तिः काचिद् इति चेद्, उच्यते।

'यानास्थाय नरो राजन्। न प्रमाद्येत कर्हिंचित्।

धावन् निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह।।' (भाग. ११।२।३५)

लिए शत्रु' इत्यादि वाक्यों में) कहा गया है, ऐसा है नहीं, अतः यह मानना चाहिए कि मन्त्राधिष्ठातृरूप (पुरुषोत्तम से भिन्न) एक अन्य ही रूप है और वह पुरुषोत्तम का विभूतिरूप है, क्योंकि यह माने बिना उपर्युक्त अनुपपत्ति को दूर नहीं किया जा सकता।

तात्पर्य यह है कि मन्त्रशास्त्रीय विधि में (मन्त्राधिष्ठातृरूप में) भगवान् की विभूति ही उद्देश्य के रूप में विधि से सम्बद्ध होती है (साक्षात् भगवान् नहीं सम्बद्ध होते), अतः मन्त्र इसी अर्थ में परम्परया भगवत्परक हैं साक्षात् भगवत्परक नहीं। इस प्रकार प्रतिपक्षी का साक्षात्भगवान् को मन्त्रोपासनादि की विधियों का उद्देश्य मानना ठीक नहीं है और इसीलिए भगवान् को मन्त्रोपासनादि की विधियों से अस्पृष्ट कहने में कोई अनुपपत्ति नहीं है।

पूर्वपक्षी ने भगवान् को मन्त्रोपासनादि की विधियों से उद्देश्यरूप में सम्बद्ध सिद्ध करने के लिए जो अनुमान उपन्यस्त किया था[१] उसके विरोध में अधोलिखित प्रत्यनुमान, जो श्रुत्यनुगृहीत होने के कारण पूर्वोक्त अनुमान का बाधक है, प्रस्तुत किया जा सकता। 'भगवान् मन्त्रोपासनादि की विधियों से असम्बद्ध है, क्योंकि वे उनके उद्देश्य नहीं है। उनको उन विधियों का उद्देश्य इसलिए नहीं कहा जा सकता

---

१. देखिए, ऊपर पृष्ठ ६, विवेकव्याख्या।

इति वाक्ये भगवद्धर्मास्थितिमात्रेणैव भगवत्प्राप्त्यर्थ-मत्यार्त्या नित्यसाधनपरित्यागे शास्त्रगुरुल्लङ्घनेऽपि फलविलम्बः फलाभावो वा न भवतीति निरूप्यते। आस्थितिः तु कायवाङ्मनसां तदीयत्वम्।

एवं सति मन्त्रोपासनाया अपि भगवद्धर्मत्वं स्यात्, तदा तत्परत्वमात्रेणैव यस्य कस्यचिदिष्टमेव फलं भवेन्न तु अन्यथा।

ननु,

'सर्वेषु वर्णेषु तथाऽऽश्रमेषु नारीषु नानाह्वयजन्मभेषु।
दाता फलानामभिवाञ्छितानां द्रागेव गोपालकमन्त्र एषः।।"

कि वे उस शास्त्र के प्रतिपाद्य नहीं है। उनके उस शास्त्र के प्रतिपाद्य न होने की सिद्धि उस शास्त्र में कहे गये धर्मों से रहित होने तथा तद्विरोधी धर्मों से युक्त होने से होती है, क्योंकि जो जिस शास्त्र में कहे गये धर्मों से रहित तथा तद्विरुद्ध धर्मों से युक्त हो वह उस शास्त्र का प्रतिपाद्य नहीं होता, जैसे शिव (उपर्युक्त कारणों से ही) वैष्णव शास्त्र के प्रतिपाद्य नहीं है।

पूर्वपक्षी तर्क प्रस्तुत करता है कि विहित रूप में किये गये भजन से सभी की इष्टसिद्धि हो सकती है, अतः साक्षात् भगवान् को ही राममन्त्रादि की विधि से उद्देश्य के रूप में सम्बद्ध मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं है। इसके उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि श्रीमद्भागवत के 'हे राजन्! आत्मोपलब्धि के जिन भगवदुक्त उपायों का आश्रय लेकर या अवलम्बन कर (अर्थात् शरीर, वाणी एवं मन से अनुष्ठान कर), मनुष्य विघ्नों से पीड़ित नहीं होता तथा (श्रुतिस्मृतिरूप या शास्त्र एवं गुरुरूप दोनों) आँखों को मूँदकर (अर्थात् ज्ञानाभावपूर्वक)

Start : 05.02.2021

दौड़ता हुआ भी (अर्थात् भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने में शीघ्रतावश साधनों का परित्याग या शास्त्र एवं गुरु की आज्ञा का उल्लङ्घन कर देने पर भी) वह न तो स्खलित ही होता है और न पतित ही[१] अर्थात् न तो उसे फलप्राप्ति में विलम्ब ही होता है और न वह फल से वञ्चित ही होता है[२] (भाग. ११।२।३५)। इस वाक्य में यह निरूपित किया गया है कि भगवद्धर्मों में आस्थिति मात्र) अर्थात् शरीर, वाणी और मन से तत्पर होने मात्र) से भगवान् की प्राप्ति के लिए अत्यधिक आर्ति के कारण नित्य साधनों का परित्याग कर देने तथा शास्त्र एवं गुरु की आज्ञाओं का उल्लङ्घन कर देने पर भी न तो फल मिलने में विलम्ब ही होता है और न फल से वञ्चित ही होना पड़ता है। ऊपर प्रयुक्त हुए 'आस्थिति' शब्द का अर्थ है शरीर, वाणी एवं मन का तदीय अर्थात् तत्पर होना[३]।

ऐसी स्थिति में यदि मन्त्रोपासना भी भगवद्धर्म होती तो मन्त्रोपासना मात्र से ही किसी को भी इष्टफल की ही प्राप्ति होती अन्यथा अर्थात् अनिष्ट की नहीं।

तात्पर्य यह है कि उपासना में विहित कर्म में त्रुटि से अनिष्ट होता है किन्तु भगवद्धर्म में ऐसा नहीं होता अतः उपासना को भगवद्धर्म और भगवान् को उपासनाविधि का साक्षात् उद्देश्य नहीं कहा जा सकता।

---

१. गोस्वामी गिरिधर की व्याख्या के अनुसार इस श्लोक के चतुर्थ चरण का तात्पर्य यह है कि भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने में त्रुटि हो जाने पर भी व्यक्ति फल से वञ्चित नहीं होता और प्रत्यवाय हो जाने पर भी नरक आदि में नहीं जाता।

२. 'त्वरायां साधनपरित्यागे शास्त्रगुरुल्लङ्घने फलविलम्बः फलाभावे वा न भवति इत्यर्थः' (सुबो. ११।२।३५)

३. तेषाम् आस्थितिः कायवाङ्मनसां तदीयत्वम्' (सुबो. ११।२।३५)

इतिवाक्यात् सर्वाभीष्टदत्वं गोपालमन्त्रोपासनायामस्ति इति नोक्तरूपता इति चेत्?

सत्यम्, अस्ति सर्वाभीष्टदत्वं, न तु उक्तरूपतापि, उपासनामार्गीयत्वात्। न हि कर्माङ्गत्वेन क्रियमाणस्य भगवत्स्मरणस्य भक्तिरूपत्वं वक्तुं शक्यम्, कर्ममार्गीयत्वात्। अपरञ्च तत्र वराहगनावशीकरणादिकं फलत्वेन श्रूयते, न हि पुरुषोत्तमभक्तेः तत्फलीभवितुमर्हति, अनर्थरूपत्वात्,

---

पूर्वपक्षी का कहना है कि 'यह गोपालमन्त्र सभी वर्णों तथा आश्रमों के व्यक्तियों और विभिन्न नामों वाले तथा विभिन्न जन्मनक्षत्रों में उत्पन्न होने वाले लोगों को सीघ्र ही अभिवाञ्छित फलों को देने वाला है' इस वाक्य से यह ज्ञात होता है कि गोपाल मन्त्र की उपासना सभी अभीष्ट फलों को देने वाली है, अतः इसे अनिष्ट करने वाली नहीं कहा जा सकता।

पूर्वपक्षी के कथन का आशय यह है कि जिस प्रकार भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम को सारे अभीष्ट फलों का देने वाला कहा गया है उसी प्रकार मन्त्रशास्त्र में गोपाल मन्त्र को भी सारे अभीष्ट फलों को देने वाला बताया गया है, यदि यह मन्त्र पुरुषोत्तमविषयक न होता अर्थात् यदि इसके उद्देश्य साक्षात् भगवान् न होते तो इसकी फलश्रुति ऐसी नहीं हो सकती थी। अतः गोपालमन्त्र की उपासना से अतिरिक्त उपासनाओं से सम्बद्ध मन्त्रों को भले ही विभूतिपरक मान लिया जाए। गोपालोपासना के मन्त्र को विभूतिपरक नहीं मानना चाहिए। इस प्रकार स्वयं भगवान् के गोपालमन्त्र के अधिष्ठाता होने की सिद्धि हो जाने पर उस रूप में उन्हें (अर्थात् पुरुषोत्तम को) गोपालमन्त्रोपासना की विधि का उद्देश्य मानने तथा उक्त उपासना को भगवद्धर्म मानने में

'अनर्थोपशमं साक्षाद्भक्तियोगमधोक्षजे' (भाग.१।७।६), 'तस्मान्निराशिषो भक्तिर्निरपेक्षस्य मे भवेत्' (भाग. ११।२०।३५) इत्यादिवाक्यविरोधात्।

कोई बाधा नहीं है।

उत्तर में सिद्धान्ती का कहना है कि यद्यपि यह सच है कि गोपालमन्त्रोपासना सभी अभीष्ट फलों को देने वाली है किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह भगवद्धर्मरूप भी है और उसके विधि-विधान में दोष हो जाने पर अनिष्ट नहीं होता। गोपाल मन्त्रोपासना उपासनामार्गीय होने के कारण भगवद्धर्मरूप नहीं है और पुरुषोत्तम को उसके अधिष्ठाता के रूप में उसका उद्देश्य नहीं माना जा सकता जैसे कि कर्म के अङ्ग के रूप में किये जाने वाले भगवत्स्मरण को कर्ममार्गीय होने के कारण भक्तिरूप नहीं कहा जा सकता।

सिद्धान्ती गोपालमन्त्रोपासना को पुरुषोत्तमपरक या पुरुषोत्तमभक्तिरूप मानने में एक अन्य दोष दिखाता है।

और भी, गोपालोपासना में सुन्दरियों को वश में कर सकना आदि उस उपासना का फल कहा गया है, किन्तु पुरुषोत्तम की भक्ति का फल सुन्दरियों को वश में करना नहीं हो सकता, क्योंकि यह फल अनर्थरूप है और इसे साक्षात् भगवान् की भक्ति का फल मानने में 'साक्षात् अनर्थनिवृत्ति का हेतु भगवान् श्रीकृष्ण की भक्ति ही है[१]' (भाग. १।७।६) तथा 'इसीलिए मेरी भक्ति उसे ही प्राप्त होती है जो निष्काम और निरपेक्ष होता है' (भाग. ११।२०।३५) इत्यादि वाक्यों-जिनमें भगवद्भक्ति को अनर्थों का उपशम करने वाली तथा निरपेक्ष

---

१. साक्षादनर्थनिवृत्तिहेतुः भक्तिरेव। दृष्टे सा लौकिकी, कर्म वेति तद्व्यावृत्तयर्थमधोऽक्षज इति। (सुबो. १।७।६)

व्यक्तियों द्वारा प्राप्य कहा गया है-का विरोध होगा।

सिद्धान्ती के कथन का अभिप्राय यह है कि पूर्वपक्षी का यह कहना ठीक नहीं है कि 'सर्वाविशिष्ट होने से गोपालमन्त्रोपासना पुरुषोत्तमपरक या पुरुषोत्तमभक्तिरूप है' क्योंकि 'स्त्रीवशीकरणादिरूप अनर्थ फल देने वाली होने के कारण गोपालमन्त्रोपासना पुरुषोत्तमपरक या पुरुषोत्तमभक्तिरूप नहीं हो सकती।'

पूर्वपक्षी के इस कथन के विरोध में कि 'सर्वाविशिष्ट और अनर्थों का उपशम करने वाला होने के कारण कर्म के अङ्गरूप में किया जाने वाला कर्ममार्गीय स्मरण भक्ति है, 'सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्वपक्षी के उपर्युक्त अनुमान में दिया गया 'सर्वाविशिष्ट होने के कारण' यह हेतु स्वरूपासिद्ध है।

'सर्वाविशिष्टत्व' हेतु को स्वरूपासिद्ध कहने का आशय यह है। कर्ममार्ग में

यस्य स्मृत्या च नामोक्तया तपोयज्ञक्रियादिषु।

न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्।।

इत्यादि वाक्यों तता पुरुषसूक्त से पूजन करने के विधान से सिद्ध होता है कि स्मरण, कीर्तन, वन्दन और अर्चन आदि प्रायः विष्णुविषयक ही होते हैं। अतः स्मरणीय होने की ही भाँति वन्दनीय भी भगवान् ही सिद्ध होते हैं। इस प्रकार कर्ममार्ग के अनुसार भगवत्प्रतिमा में भी प्राणप्रतिष्ठा होने पर भगवान् ही आविष्ट हो जाते हैं। किन्तु सिद्धान्ती का कहना है कि यदि प्राणप्रतिष्ठा की गयी भगवत्प्रतिमा को पुरुषोत्तमरूप मान लिया जाए तो शूद्र द्वारा प्रतिष्ठापित भगवन्मूर्ति में भी पुरुषोत्तम भगवान् के ही आविष्ट होने की बात माननी होगी और तब शूद्रप्रतिष्ठापित भगवत्प्रतिमा को भी पुरुषोत्तमरूप

अतएव शूद्रप्रतिष्ठापितमूर्तौ ब्राह्मणनमस्कारनिषेधो धर्मशास्त्र युज्यते,

'यः शूद्रस्थापितं लिङ्गं विष्णुं वा विनमेद् द्विजः।

स याति नरकं घोरं यावदाहूतसम्प्लवम्।।''

न हि ब्राह्मणानामीश्वरो न नमस्यः क्वचिद्, 'किं पुनः ब्राह्मणाः पुण्याः' (गीता ९।३३) इति वाक्यात्।

मानने के कारण उसकी वन्दना को सर्वाविशिष्ट स्वीकार करना होगा। परन्तु शूद्रप्रतिष्ठापित भगवत्प्रतिमा की वन्दना को

सर्वाविशिष्ट मानने पर उन वाक्यों का विरोध होगा जिनमें ब्राह्मण को शूद्र प्रतिष्ठापित मूर्ति को प्रणाम करने से रोका गया है। इस विरोध का उपशम करने के लिए यह मान लेना उचित होगा कि उक्त प्रतिमादि में विष्ण्वन्तरावेश अर्थात् मन्त्राधिष्ठातृरूप एक अन्य ही रूप (जो पुरुषोत्तम से भिन्न है और उसका विभूतिरूप है) का आवेश होता है (देखिए ऊपर पृष्ठ ८-९)। इसी प्रकार, भगवत्प्रतिमादिविषयक कर्ममार्गीय स्मरण भी वन्दन की ही भाँति सर्वाविशिष्ट नहीं हो सकता अतः उपर्युक्त अनुमानमें उपन्यस्त 'सर्वाविशिष्ट होने के कारण' यह हेतु स्वरूपासिद्ध है।

प्रतिपक्षी के द्वारा दिये गये अनुमान में उपन्यस्त हेतु को स्वरूपासिद्ध बताने के साथ ही सिद्धान्ती कहते हैं कि प्रतिपक्षी के 'कर्ममार्गीय विष्णुस्मरण आदि सर्वाविशिष्ट होने के कारण पुरुषोत्तम भक्तिरूप है' इस अनुमान के विरोध में अधोलिखित प्रत्यनुमान भी उपन्यस्त किया जा सकता है, 'कर्ममार्गीय विष्णुस्मरण आदि को कर्ममार्गीय वन्दन आदि की भाँति ही पुरुषोत्तमभक्तिरूप नहीं माना जा

सकता क्योंकि उनके विषय स्वयं पुरुषोत्तम नहीं प्रत्युत उनके विभूतिरूप या मन्त्राधिष्ठातृदेवता होते हैं।'

इसीलिए धर्मशास्त्र के, 'जो द्विज शूद्र द्वारा प्रतिष्ठापित शिवलिङ्ग या भगवान् विष्णु की मूर्ति को प्रणाम करता है उसे प्रलयपर्यन्त घोर नरक में निवास करना पड़ता है' इत्यादि वाक्यों में उपलब्ध होने वाला, शूद्र द्वारा प्रतिष्ठापित भगवन्मूर्ति के ब्राह्मण द्वारा नमस्कार किये जाने का निषेध भी युक्त ही है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कहीं भगवान् को ब्राह्मणों का नमस्य न माना गया हो अर्थात् जैसा कि श्रीमद्भागवद् गीता के 'हे अर्जुन! मुझे आश्रय रूप में ग्रहण कर पापयोनि वाले (अर्थात् जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे) स्त्री, शूद्र, वैश्य आदि भी परम गति को प्राप्त करते हैं फिर जो पुण्ययोनि ब्राह्मण हैं उनका तो कहना ही क्या है' (गीता ९।३२-३३) इत्यादि वाक्यों से ज्ञात होता है, भगवान् ब्राह्मणों के भी सर्वदा सर्वत्र नमस्करणीय ही हैं।

तात्पर्य यह है कि स्त्रीवशीकरणादिरूप फल को अनर्थ रूप होने के कारण पुरुषोत्तमभक्ति का फल नहीं माना जा सकता, यह तो पुरुषोत्तम से भिन्न किसी मन्त्राधीन देवता की भक्ति का ही फल हो सकता है। इसीलिए शूद्र द्वारा प्रतिष्ठापित शिवलिङ्ग एवं विष्णु प्रतिमा आदि को उसमें अन्य देवता का सान्निध्य होने तथा उसके शूद्रकर्तृकदोषसंवलित होने के कारण सर्वोपास्य नहीं माना गया है। इसीलिए धर्मशास्त्र द्विजों को ऐसे शिवलिङ्ग या विष्णुप्रतिमा को नमस्कार न करने का आदेश देते हैं। यदि ऐसा न होता और शूद्रप्रतिष्ठापित प्रतिमा भी पुरुषोत्तम रूप ही होती तो,

देवताप्रतिमां दृष्ट्वा यदिं दृष्ट्वा त्रिदण्डिनम्।
नमस्कारं न कुर्याच्चेत् प्रायश्चित्ती भवेज्नरः।।

Start : 05.02.2021

किञ्च, मन्त्राधीनत्वं तत्तद्देवताया उच्यते। पुरुषोत्तमस्तु,
'न साधयति मां योगो न साङ्ख्यं धर्म उद्धव।
न स्वाध्यायः तपः त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता।।'
(भाग. ११।१४।२०)
'न रोधयति मां योगो न साङ्ख्यं धर्म एव च।
न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा।
व्रतानि यज्ञाश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः।।'
(भाग. ११।१२।१–२) इति।

इत्यादि कह कर भगवत्प्रतिमा को कहीं भी देख कर प्रणाम करने का आदेश देने वाले शास्त्र द्विजों को शूद्रप्रतिष्ठापित प्रतिमा आदि का नमस्कार करने से रोकने के बजाय उन्हें ऐसा न करने पर प्रायश्चित करने का ही आदेश देते।

इस प्रकार उपासना सम्बन्धी फल आदि का विचार कर मन्त्रोपासना एवं कर्ममार्गीय स्मरण, वन्दन आदि के भक्ति होने तथा भगवान् को उनसे सम्बद्ध विधियों का उद्देश्य मानने का खण्डन कर चुकने के बाद अब ग्रन्थकार यह दिखाने में प्रवृत्त होते हैं कि पुरुषोत्तम को मन्त्राधीन मानने का मत अनुपपन्न है और उन्हें भक्त्यधीन मानने का सिद्धान्त प्रमाणपुष्ट है। इस प्रकार मन्त्राधीन देवता और पुरुषोत्तम में महत्त्वपूर्ण भेद है और यह मन्त्राधिष्ठातृरूप–जैसा कि ऊपर (पृष्ठ ८–९ पर) कहा जा चुका है–पुरुषोत्तम का विभूतिरूप ही है, यह स्पष्ट करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं –

और भी, विभिन्न उपास्य देवताओं को मन्त्राधीन कहा गया है, किन्तु अधोलिखित वाक्यों (और इन्हीं के समान सहस्रों वाक्यों) में पुरुषोत्तम की भक्ति मात्राधीन (अर्थात् केवल भक्ति के ही अधीन)

'नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया।
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा।।'
(गीता ११।५३)

'भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन।
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुञ्च परन्तपः।।'' (गीता ११।५४)

इत्यादिवाक्यैः 'नायमात्मा' (कठोप. १।२।२३, मुण्ड.उप.३।२।३) इत्याद्युक्तश्रुत्या च न मन्त्रोपासनाद्यधीन इति महद्वैलक्षण्यम्।

'अहं भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज।
साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः।।
नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना।
श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा।।
ये दारागारपुत्राप्तप्राणान् वित्तमिमं परम्।
हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे।।

कहा गया है, अतः मन्त्राधीन देवता से पुरुषोत्तम भगवान् में महत्वपूर्ण वैलक्षण्य है, यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए। जिन वाक्यों में पुरुषोत्तम को भक्तिमात्राधीन कहा गया है उनमें से कुछ ये हैं, 'हे उद्धव! योगसाधन, सांख्य (ज्ञान), धर्मानुष्ठान, स्वाध्याय, तप और त्याग मुझे प्राप्त करने के लिए उतने समर्थ साधन नहीं है जितनी कि अनुदिन बढ़ने वालों अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति' (भाग. ११।१४।२०)। 'हे उद्धव! योगसाधन, सांख्य (ज्ञान), धर्मानुष्ठान, स्वाध्याय, तप, त्याग, इष्टापूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम-नियम भी

मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है' (भाग. ११।१२।१-२)।

'हे अर्जुन! मुझे जिस रूप में तुझने देखा है इस रूप में मैं न तो वेदों द्वारा देखा जा सकता हूँ और न तप, दान या यज्ञादि द्वारा ही। अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस रूप में जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और मुझमें प्रवेश भी किया जा सकता है (गीता ११।५३-५४)। इस प्रकार के स्मृतिवाक्यों तथा ऊपर (पृष्ठ ३ पर) उद्धृत श्रुति के 'इस आत्मा (अर्थात् परमात्मा या ब्रह्म) को न तो प्रवचन से प्राप्त किया जा सकता है, न मेधा से और न बहुश्रुतता से ही। यह तो जिसको वरण करता है, उसी को प्राप्त हो सकता है (कठोप. १।२।२३, मुण्ड. उप. ३।२।३) इत्यादि वाक्य से ज्ञात होता है कि पुरुषोत्तम मन्त्रोपासनादि के अधीन नहीं है। इस प्रकार पुरुषोत्तम में मन्त्राधीन देवताओं की अपेक्षा महान् वैलक्षण्य है।

'हे ब्राह्मण! मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ। निरपेक्ष सरल-हृदय भक्तों द्वारा मेरा हृदय प्रेमपूर्वक वश में कर लिया गया है और मैं अस्वतन्त्र सा हो गया हूँ। भक्तजन मुझसे प्रेम करते हैं और वे भी मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। हे ब्राह्मण! अपने उन साधुस्वभाव भक्तों-जिनकी मैं परम गति या एकमात्र आश्रय हूँ-को छोड़कर, तो मैं अपने आपको या अपनी नित्य अर्द्धाङ्गिनी लक्ष्मी को भी नहीं चाहता हूँ। मेरे जो भक्त स्त्री, गृह, पुत्र, मान्य पुरुषों, प्राणों, धन, इहलोक एवं परलोक सभी को छोड़कर (अर्थात् सभी में आसक्ति छोड़कर) मेरी शरण में आ गये हैं, मैं उन्हें छोड़ने की बात भी कैसे सोच सकता हूँ? जिस प्रकार अनन्यपरायण पतिप्रेमवती स्त्रियाँ अपने साधुस्वभाव निष्काम पति को भी प्रेम से वश में कर लेती हैं, उसी प्रकार मुझमें अनन्य भाव से हृदय स्थिर कर देने वाले और इसीलिए सभी पदार्थों

मयि निबद्धहृदयाः साधवः समदर्शिनः।
वशे कुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः स्तपतिं यथा।।'
(भाग. ९।४।६३-६६) इत्यादिभिः,
'नालं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वासुरात्मजाः।
प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता।।
न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च।
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम्।।'
(भाग. ७।७।५१-५२)

इत्यादिवाक्यसहस्रैः भक्तिमात्राधीनत्वोक्त्या च ततो वैलक्षण्यं पुरुषोत्तमेऽवधेयम्।

को मदात्मक (अर्थात् भगवदात्मक) देखने वाले समदर्शी साधुस्वभाव भक्त अपनी अनन्यप्रयोजन वाली भक्ति से मुझे वश में कर लेते हैं (भाग.०९।४।६३-६६) इत्यादि वाक्यों तथा प्रह्लाद के, 'हे असुरपुत्र! भगवान् मुकुन्द को प्रसन्न कर सकने में ब्राह्मणत्व देवत्व, ऋषित्व, सदाचारिता, बहुश्रुतता, दान, तप, यज्ञ, शारीरिक-मानसिक शुचिता तथा व्रत कुछ भी समर्थ नहीं है, भगवान् हरि तो केवल निर्मल (अर्थात् अनन्यप्रयोजनवाली) भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और ऐसी भक्ति के अभाव में द्विजत्व आदि अन्य सारे साधन विडम्बनामात्र (अर्थात् अकिञ्चित्कर) है (भाग.०७।७।५१-५२) इत्यादि वाक्यों, स्वयं भगवान् के 'मैं केवल अनन्यप्रयोजनवाली भक्ति के ही द्वारा

---

१. श्रीमद्भागवत की इन पंक्तियों का गीता प्रेस संस्करणानुसारी पाठान्तर यह है,
ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परम्।
..वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा।। (भाग.०९।४।६५-६६)

Start : 05.02.2021

ननु मन्त्रादेरपि भगवदीयत्वात् तत्सम्बन्धि सर्व भक्तिरूपमेव इति नोक्तानुपपत्तिरिति चेत्, हन्त इदं पाण्डुरत्मृपानीयमेव शुनः तक्रम् इत्याभाणकमनुहरति। ननु, कथमेवम्? इत्थम्। श्रीमदुद्धवपृष्टेन यदुवंशोदयाचलचूडा-मणिना पूजामार्ग निरूप्य,

---

प्राप्य हूँ' (भाग.११।१४।२१) इत्यादि वाक्यों तथा 'भगवान् निःसाधन गजेन्द्र पर भी उसकी अनन्य भक्तिमात्र से प्रसन्न हो गये' (भाग. ०७।९।९) इत्यादि सहस्रों वाक्यों में भगवान् के भक्तिमात्राधीन होने का कथन उपलब्ध होने के कारण पुरुषोत्तम में मन्त्राधीन देवता से बहुत महत्वपूर्ण वैलक्षण्य है, यह ध्यान में रखना चाहिए।

मन्त्रोपासनादि को भक्ति मानने वाले पूर्वपक्षी का कहना है कि ,

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः।

तेऽपि मामेव कौन्तेय! यजन्त्यविधिपूर्वकम्।। (गीता ९।२३),

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति।

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्।। (गीता ७।२१),

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः (गीता १५।१५),

इत्यादि वाक्यों में यजन, अर्चन, ज्ञान एवं उपासना सभी के भक्ति फलरूप श्रीकृष्ण से सम्बद्ध होने का कथन उपलब्ध होने के कारण मन्त्रोपासनादि को भक्तिरूप मानना उचित ही है। अतः भगवान् को मन्त्राधीन मान लेने में भी कोई दोष नहीं है।

पूर्वपक्षी का कहना है कि (परब्रह्म को ही विषय बना कर पठित होने के कारण) मन्त्रादि भी भगवदीय ही है और मन्त्रादि के भी भगवदीय होने के कारण उनसे (अर्थात् मन्त्र से) सम्बद्ध (पुरश्चरण,

पूजा आदि) सब कुछ भक्तिरूप ही है, अतः उपर्युक्त अनुपपत्ति (अर्थात् सिद्धान्ती द्वारा निर्दिष्ट उपास्य में पुरुषोत्तम की अनुपपत्ति अथवा पुरुषोत्तम को उपासनादि की विधियों का उद्देश्य मानने की अनुपपत्ति) के लिए कोई अवकाश नहीं है। सिद्धान्ती के अनुसार पूर्वपक्षी का यह कथन, 'खड़िया मिट्टी का पानी ही कुत्ते के लिए तक (मट्ठा) है' इस लोकोक्ति का अनुसरण करता है.

सिद्धान्ती का तात्पर्य यह है कि पूर्वपक्षी उपासना और भक्ति के भेद को न समझ सकने के कारण उपासना को भी भक्ति मान बैठा है, यद्यपि श्रीमद्भागवतादि में दोनों के भेद का स्पष्ट निरूपण उपलब्ध होता है।

पूर्वपक्षी के 'सिद्धान्ती यह कैसे कहता है कि जैसे कुत्ता अज्ञानवश खड़िया मिट्टी के पानी को ही तक्र समझ लेता है, वैसे ही पूर्वपक्षी भी अविवेक के कारण उपासना को ही भक्ति समझ बैठा है?' इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सिद्धान्ती कहता है कि अधोलिखित विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूजादि रूप उपासना और भक्ति में भेद होने पर भी, पूर्वपक्षी पूजादि को ही भक्ति समझ बैठा है।

श्रीमद्भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध में श्री उद्धव के पूछने पर यदुवंशरूप उदायल के सूर्य भगवान श्रीकृष्ण ने पूजामार्ग का निरूपण करते हुए 'मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा कराने से व्यक्ति को पृथ्वी के चक्रवर्ती राज्य की, मन्दिर बनवाने से त्रिलोकी के राज्य की और पूजा आदि (की व्यवस्था) करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, तथा उपर्युक्त तीनों को करने से सकाम भक्त मेरे समान ऐश्वर्य को प्राप्त करता है' (भाग. ११।२७।५२) इत्यादि कह कर भगवन्मूर्ति की प्रतिह्वष्ठा कराने, भगवान् के मन्दिर का निर्माण कराने और

Start : 05.02.2021

प्रतिष्ठया सार्वभौमं सद्मना भुवनत्रयम्।
पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिः मत्सार्ष्टितामियात्।।''

(भाग. ११।२७।५२)

इति प्रत्येकसमुदायाभ्यां फलभेदं निरूप्य,
'मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति।
भक्तियोगं स लभत एवं यः पूजयेत माम्।।'

(भाग. ११।२७।५३)

इति निरूपितम्। अत्र पूर्वार्द्धे एवकारेण पूर्वोक्तपूजाफलव्यवच्छेदपूर्वकं स्वस्य भक्तियोगफलत्वमुक्तम् इति फलभेदादपि स्वरूपभेद आयात्येव। उत्तरार्द्धे च पूजायाः साधनत्वं भक्तेश्च फलत्वञ्च इति स्पष्ट एव पूजादेः भक्तेर्भेदः।

भगवान की पूजा (की व्यवस्था कराने) का अलग-अलग फल बता कर तीनों को करने वाले सकाम भक्त को मिलने वाले (उपर्युक्त तीनों फलों से भिन्न समानैश्वर्यप्राप्तिरूप) फल का उल्लेख करते हु यह बताया है कि 'जो व्यक्ति पूर्वोक्त प्रकार से मेरी पूजा करता है वह भक्तियोग को प्राप्त करता है और मुझे उस निरपेक्ष अर्थात् फलाकाङ्क्षाविरचित शुद्धस्वरूपमात्रनिष्ठ भक्तियोग से वह भक्त मुझे ही प्राप्त करता है' (भाग. ११।२७।५३) इस वाक्य के पूर्वार्द्ध ('मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति'-भाग. ११।२७।५३) में 'एव' पद से पूर्वोक्त पूजा के फल से भक्तियोग के फल को पृथक करते हुए भगवान् ने स्वयं अपने को (अर्थात् अपनी प्राप्ति को) ही भक्तियोग का फल बताया है। इस प्रकार पूजा और भक्ति के फलों में भेद होने से भी उनके स्वरूप के परस्पर भिन्न होने का ज्ञान होता है।

भगवत्स्वरूपातिरिक्तफलके कर्मणि ज्ञाने वा न भक्तित्वम्, भक्तौ च न स्वरूपातिरिक्तफलकत्वम्। अतो न पूजादिः भक्तिः इति निरूपणार्थम् एव 'मामेव' (भाग. ११।२७।५३) इत्यादि निरूपितम् इति वेदित्वयम्। अन्यथा पूजाप्रकारेण तन्निरूपणमसङ्गतं स्यात्।

उपर्युक्त भगवद्वाक्य के पूर्वार्द्ध में पूजा और भक्ति के भेद के अर्थोपात्त होने से सन्तुष्ट न होने वाले दुराग्रही पूर्वपक्षी के सन्तोष के लिए ग्रन्थकार उत्तरार्द्ध में उसका (अर्थात् पूजा और भक्ति के भेद का) शब्दोपात्त होना (अर्थात् शब्दतः भी प्रतिपादित होना) बताते हुए कहते हैं–

और उपर्युक्त वाक्य के उत्तरार्द्ध ('भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्'–भाग. ११।२७।५३) में पूजा को साधन तथा भक्ति को फल बताया गया है, अतः पूजा आदि से भक्ति का भेद (अर्थात् भिन्न होना) स्पष्ट ही है।

भगवत्स्वरूप के अतिरिक्त फल देने वाले कर्म या ज्ञान में भक्तित्व नहीं है और भक्ति से भगवत्स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य फल की प्राप्ति नहीं होती है, अतः (भगवत्स्वरूपप्राप्तिरूप फल के केवल निरपेक्ष भक्तियोग से ही प्राप्य होने के कारण) पूजा आदि भक्ति नहीं (कहे जा सकते) हैं, यह निरूपित करने के लिए ही भगवान् ने उपर्युक्त प्रसङ्ग में, 'निरपेक्ष अर्थात् फलाकाङ्क्षारहित शुद्धस्वरूपमात्रनिष्ठ भक्तियोग से भक्त मुझे ही प्राप्त करता है' (भाग. ११।२७।५३) इत्यादि वाक्य द्वारा भगवत्स्वरूपात्मक फल के केवल निरपेक्ष भक्ति से ही प्राप्य होने का निरूपण या प्रतिपादन किया है, ऐसा समझना चाहिए, अन्यथा भगवान् द्वारा पूजा का निरूपण करने

के प्रसङ्ग में भक्ति का निरूपण किया जाना असङ्गत हो जाता है।

तात्पर्य यह है कि यदि पूजा आदि को भी भक्ति मानना भगवान् को अभिमत होता तो वे यही कहते कि 'पूजा आदि द्वारा व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है।' ऐसी स्थिति में पूजादि साधनों का निरूपण करने के प्रसङ्ग में उनके द्वारा प्राप्य तत्तत् फलों का उल्लेख करते हुए भगवान् का पृथक रूप से यह कहना असङ्गत हो जाता है कि 'निरपेक्ष भक्तियोग से भक्त मुझे ही प्राप्त करता है।'

इस प्रकार पूजा और भक्ति के स्वरूप में भेद सिद्ध हो जाने पर, उपासनामार्गीय पूजा आदि के भक्ति न होने (अर्थात् भक्ति से भिन्न होने) के कारण भगवान् को पूजादि की विधि का साक्षात् उद्देश्य नहीं कहा जा सकता।

सिद्धान्ती के 'पूजा और भक्ति के फल भिन्न-भिन्न हैं अतः उनके स्वरूप में भी भेद होना ही चाहिए और इसीलिए पूजा को भक्ति नहीं कहा जा सकता इस कथन के विरोध में पूर्वपक्षी का कहना है कि फलभेद को स्वरूपभेद का आपादक नहीं माना जा सकता। पूजा और भक्ति के फलों के परस्पर-भिन्न होने मात्र के आधार पर उनके परस्पर भिन्न होने का अनुमान करना ठीक नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण के ही,

सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा।

स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथञ्चिद्यदि वाञ्छति।। (भाग. ११।२०।३३)

इत्यादि वाक्यों में भक्ति के अन्य फलों (अर्थात् भागवत ११।२७।५३) में उल्लिखित भक्ति के भगवत्स्वरूपप्राप्तिरूप फल से भिन्न फलों) का भी उल्लेख है।

'यत्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्।

योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि।।

सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा।'

(भाग. ११।२०।३२-३३)

इति तु भक्तिसाध्यं नान्येन सिद्धयत्यन्यसाध्यं भक्तेरानुषङ्गिकम् इति कथनार्थम्, कल्पतरुस्वभावत्वज्ञापनाय चोक्तम्, अग्रे

'स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथञ्चिद् यदि वाञ्छति।।'

(भाग. ११।२०।३३)

इति वचनात्। तेन भक्तिरेव कार्या नान्यद् इति फलितं भवति।

जिस प्रकार एक ही भक्ति के परस्पर-भिन्न फल हो सकते हैं उसी प्रकार पूजा और भक्ति के भी फल परस्पर-भिन्न हो सकते हैं, किन्तु इतने से ही उनके स्वरूपतः भिन्न होने की सिद्धि नहीं की जा सकती।

पूर्वपक्षी की इस आशङ्का का निराकरण करते हुए सिद्धान्ती कहते हैं कि यदि केवल भक्ति किसी फल को दे सकने में असमर्थ होती तो उसके सहायक के रूप में कर्म आदि के भक्ति कहे जाने की आशङ्का की जा सकती थी। अर्थात् किसी फल-विशेष को प्राप्त करा सकने के लिए भक्ति की सहायता करने वाले कर्म आदि को भक्ति कहने की सम्भावना की जा सकती थी, किन्तु ऐसा है नहीं क्योंकि भक्ति कल्पतरु के समान है और उन सभी फलों को दे सकती है जो विभिन्न साधनों से प्राप्त किये जा सकते हैं।

भगवान् के, 'मेरा भक्त, मेरी भक्ति द्वारा उन सभी पदार्थों को अनायास ही और शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है जो धर्म, तप, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान एवं अन्य कल्याण-साधनों द्वारा प्राप्त कर लेता है जो धर्म, तप, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान एवं अन्य कल्याण-साधनों द्वारा प्राप्त होते हैं' (भाग. ११।२०।३२-३३) इत्यादि कथन का अभिप्राय भक्ति के अन्य (अर्थात् भाग. ११।२७।५३) में प्रतिपादित भगवत्स्वरूप प्राप्तिरूप फल से भिन्न) फलों का निरूपण करना नहीं, प्रत्युत यह प्रतिपादित करना है कि भक्ति से प्राप्त होने वाला फल किसी अन्य साधन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। यद्यपि अन्य साधनों द्वारा प्राप्त होने वाला फल भक्ति का आनुषङ्गिक है। और जैसा कि परवर्ती, 'यदि मेरा भक्त स्वर्ग, मोक्ष या मेरे लोक में निवास की प्राप्ति की इच्छा करे तो उसे भी (मेरी भक्ति से ही) प्राप्त कर लेता है' (भाग. ११।२०।३३) इत्यादि वाक्यों से सूचित होता है, उपर्युक्त वाक्य का प्रयोजन भक्ति के कल्पतरुस्वबाव होने का प्रतिपादन करना है।

तात्पर्य यह है कि यदि 'यत्कर्मभिः' (भाग. ११।२०।३२-३३) इत्यादि वाक्य का अभिप्राय भक्ति के कल्पतरु के समान होने का प्रतिपादन करना न होता तो भगवान् 'स्वर्गापवर्ग मद्धाम कथञ्चिद् यदि वाञ्छति' (भाग. ११।२०।३३) इत्यादि न कहते।

भक्ति को कल्पतरुस्वभाव कहने का अभिप्राय यह है कि 'उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शख्यते' इत्यादि अभियुक्तोक्ति को दृष्टिगत कर तत्तद् इच्छाओं की पूर्ति के लिए उत्कण्ठा होने पर भी उनकी पूर्ति के लिए अन्य साधनों का अवलम्बन न करना चाहिए प्रत्युत कर्दम की भाँति भक्ति ही करनी चाहिए। यह बताते हुए

'दानव्रततपोहोमजपस्वाध्यायसंयमैः।
श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते।।'

(भाग. १०।४७।२४)

इतिवाक्याच्च न मन्त्रजपादेर्भक्तित्वम्। भगवदर्थमेव कृता भगवत्पूजा

ग्रन्थकार कहते हैं,

इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि भक्ति ही करणीय है, अन्य कुछ नहीं। पूर्वपक्षी के पूर्वोक्त (ऊपर पृष्ठ १९-२०) आक्षेप के समाधान में सिद्धान्ती के उपर्युक्त कथन का तात्पर्य यह है कि 'यत्कर्मभिः' (भाग. ११।२०।३२-३३) इत्यादि श्लोकों में निरूपित फलों का उल्लेख भगवान् ने अपनी भक्ति के आनुषङ्गिक फल के रूप में किया है और 'मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति' (भाग. ११।२७।५३) इत्यादि वाक्य में स्वरूपप्राप्तिरूप फल का उल्लेख अपनी भक्ति के मुख्य फल के रूप में, अतः पूजादि के मुख्यफल और भगवद्भक्ति के मुख्यफल के परस्पर भिन्न होने के कारण दोनों के फलों में भेद के आधार पर उनके स्वरूप में भेद होने की कल्पना अनुपपन्न नहीं है।

पूजा और भक्ति के फलों के परस्पर भिन्न होने के आधार पर उन्हें भिन्न मान भी लिया जाए अर्थात् पूजा भक्ति नहीं है यह स्वीकार भी कर लिया जाए तो भी मन्त्रजपादि को ही भक्ति क्यों न कहा जाए? पूर्वपक्षी की इस आशङ्का का समाधान करने के लिए सिद्धान्ती मन्त्रजपादि को भक्ति मानने के बाधक वाक्य का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि पूजादि की भाँति ही मन्त्रजपादि को भी भक्ति नहीं कहा जा सकता।

भक्तिर्भविष्यति इत्याशङ्कानिरासाय उत्तरार्द्धे तादृश्यास्तस्यास्तत्साधनत्वम् उक्तम्, अन्यथा 'पूजादिना' (भाग. ११।२७।५२) इत्यादिना विरोधः स्यात्।

और श्री उद्धव के गोपियों के प्रति कहे गये, 'तुलापुरुषादिरूप दान, (एकादशी आदि के) व्रत, (कृच्छ्रादिरूप) तप, होम (अग्निहोत्रादि), जप, स्वाध्याय (वेदाध्ययनादिरूप), संयम (योगादिरूप) एवं (कूपारामनिर्माणादिरूप) अन्य श्रेयःसाधनों के द्वारा श्रीकृष्ण की भक्ति की सिद्धि या प्राप्ति होती है अर्थात् इन सब साधनों का साध्य भगवान् श्रीकृष्ण की भक्ति ही है' (भाग. १०।४७।२४) इत्यादि वाक्य से स्पष्ट है कि मन्त्रजप आदि को भक्ति नहीं कहा जा सकता, वे तो भक्ति की प्राप्ति के साधन मात्र हैं।

भगवान् कृष्ण द्वारा उद्धव से कहे गये,

भक्तियोगः पुरैवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ।
पुनश्च कथयिष्यामि मद्भक्तेः कारणं परम्।।
श्रद्धामृतकथायां मे शश्वन्मदनुकीर्तनम्।
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम।।
आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गैरभिवन्दनम्।
मद्भक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः।।
मदर्थेष्वङ्गचेष्टा च वचसा मद्गुणेरणम्।
मय्यर्पणञ्च मनसः सर्वकामविवर्जनम्।।
मदर्थेऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च।
इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थं यद् व्रतं तपः।।

एवं धर्मैर्मनुष्याणाम् उद्धवात्मनिवेदिनाम्।
मयि सञ्जायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थोऽस्यावशिष्यते।।

(भाग. ११।१९।१९-२४)

इत्यादि वाक्यों में 'अङ्गचेष्टा' पद से पूजा का भी ग्रहण सम्भव होने के कारण भगवदर्थ की गयी पूजा को भक्ति मान लेने की आशङ्का होती है। इस आशङ्का का निराकरण करते हुए सिद्धान्ती कहते हैं कि भगवदर्थ की जाने वाली पूजा भी भक्ति का साधनमात्र है, स्वयं भक्ति नहीं।

भगवदर्थ ही की होने वाली भगवत्पूजा को भक्ति कहा जा सकेगा। इस आशङ्का का निराकरण करने के लिए भगवान् द्वारा कहे गये 'मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति' (भाग. ११।२७।५३) इत्यादि श्लोक के उत्तरार्द्धरूप 'भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्' (भाग. ११।२७।५३) इत्यादि वाक्य में, भगवदर्थ की जाने वाली पूजा को भक्ति का साधन कहा गया है। अन्यथा अर्थात् भगवदर्थ की जाने वाली पूजा को बक्ति का साधन न मानने पर 'पूजादिना ब्रह्मलोकम्' (भाग. ११।२७।५२) इत्यादि वाक्य से विरोध होगा।

मूलग्रन्थ के उत्तरार्द्धे' पद के अर्थ के सम्बन्ध में श्रीपुरुषोत्तम अपनी भक्तितरङ्गिणीतीर्थ नामक टीका में कहते हैं कि यद्यपि,

मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति।

भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्।।(भाग. ११।२७।५३)

इत्यादि श्लोक के उत्तरार्द्ध में प्रयुक्त 'एवम्' पद से पूजा के भी निरपेक्ष या भगवदर्थ होने की प्राप्ति होती है फिर भी यहाँ 'भगवदर्थकृता

एतेन श्लोक शास्त्रे वा क्वचित् तादृश्यां तस्यां भक्तिपदप्रयोग औपचारिक इति ज्ञापितम्।

पूजा' ऐसा अर्थतः अभिप्रेत होने पर भी शब्दतः नहीं कहा गया है अतः स्वयं ग्रन्थकार के ही पुत्र भक्तितरङ्गिणीकार श्रीरघुनाथ ने अपनी टीका में मूलग्रन्थ के 'उत्तरार्द्धे' पद का अर्थ भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध के ही उन्नीसवें अध्याय में भगवान द्वारा उद्धव से कहे गये उस वाक्य का उत्तरार्द्ध किया है जिसमें भगवदर्थ की जाने वाली पूजा का शब्दतः या कण्ठतः उल्लेख कर उसे भक्ति का साधन बताया गया है[१]।

भगवदर्थ की जाने वाली पूजा–जिसे सिद्धान्ती भक्ति नहीं प्रत्युत उसका साधनमात्र मानते हैं–के लिए अनेक स्थलों पर 'भक्ति' पद का प्रयोग उपलब्ध होता है, उसकी उपपत्ति क्या होगी? इस आशङ्का का निराकरण करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं,

इससे यह ज्ञात होता है कि लोकव्यवहार में या शास्त्रों में जहाँ कहीं भी भगवदर्थ की जाने वाली पूजा–जो भक्ति का साधन है–के लिए 'भक्ति' पद का प्रयोग किया जाता है वह औपचारिक है।

'भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्' (भाग. ११।२७।५३) इत्यादि वाक्य में पुरुषोत्तम को पूजा का विषय कहा गया है अतः उन्हें अर्चन की विधि का उद्देश्य मानना चाहिए और ऐसी स्थिति में सिद्धान्ती का (ऊपर पृष्ठ २ पर) यह कहना ठीक नहीं है कि

---

१. उत्तरार्द्धपदस्य सन्दिग्धत्वाट्टीकायां तदर्थमाहुः, 'एवं धर्मैः' (भाग. ११।१९।२४) इत्यादि। यद्यपि 'एवं यः पूजयेत माम्' (भाग. ११।२७।५३) इत्यत्र 'एवम्' इत्यनेन पूर्वार्द्धोक्तभक्त्यतिदेशान्नैरपेक्ष्यप्राप्तौ पूजाया अपि भगवदर्थत्वं प्राप्यते, तथापि न कण्ठोक्तम्, ऊनविंशाध्यायसन्दर्भे (भगा. ११।१९।१९–२४) तु कण्ठोक्तम्, अत एवमुक्तम्। (तीर्थ, पृष्ठ २९)। श्रीरघुनाथजी लिखते हैं, ''उत्तरार्द्धे–एवं धर्मैर्मनुष्याणाम्' (भाग. १९।१९।२४) इत्यत्र''–भक्तितरङ्गिणी, पृष्ठ २९)।

न च, 'माम्' (भाग. ११।२७।५३) इति पदेन पूजाया अपि विषयः पुरुषोत्तम एव इति वाच्यम्, विभूतिरूपस्यापि भगवद्रूपत्वात् तथा उक्तम्। पुरुषोत्तमत्वे बाधकम् उक्तमेव 'मन्त्रशास्त्रे' इत्यादिना। अन्यफलाद्यनुसन्धान-राहित्यपूर्वकं भगवद्भावनायां क्रियमाणायां पुरुषोत्तमावेशोऽप्यन्तःकरणे पूज्ये च भवतीति ज्ञापनाय वा 'माम्' (भाग. ११।२७।५३) इत्युक्तम्। अत एव भक्तिस्तया फलिष्यति। 'यमेवैष वृणुते'

(कठोप. १।२।२३)

पुरुषोत्तम अर्चनादि की विधि से अस्पृष्ट हैं। इस आशङ्का का उल्लेख करते हुए सिद्धान्ती इसका यह समाधान प्रस्तुत करते हैं कि अन्यथानुपपत्ति के कारण यहाँ लक्षणा का आश्रय लेकर यह अर्थ करना चाहिए कि अर्चनादि का विषय साक्षात् पुरुषोत्तम नहीं प्रत्युत उनका विभूतिरूप है।

पूर्वपक्षी का यह कहना भी ठीक नहीं है कि ''भगवान् के 'एवं यः पूजयेत माम्' (भाग. ११।२७।५३) इत्यादि वाक्य में 'माम्' (अर्थात् मुझको) इस पद के द्वारा यह सूचित होता है कि पूजा के भी विषय पुरुषोत्तम ही हैं।'' जैसा कि ऊपर पृष्ठ आठ पर कहा जा चुका है पूजा के विषय साक्षात् पुरुषोत्तम नहीं होते अपितु उनका विभूतिरूप होता है। यह विभूतिरूप भी भगवान् का ही एक रूप होता है, इसीलिए भगवान् ने कहा है, 'एवं यः पूजयेत माम्' (भाग. ११।२७।५३) अर्थात् 'जो इस प्रकार से मेरी पूजा करता है।' पूजा के विषय को विभूतिरूप न मानकर साक्षात् पुरुषोत्तम मानने में क्या बाधा है यह हम ऊपर 'किन्तु मन्त्र शास्त्र में कहा जाता है' इत्यादि वाक्यों में बता ही चुके हैं (देखिए, ऊपर पृष्ठ ८-१४)।

सम्भव है यहाँ लक्षणा को अनुपपन्न मानने वाले प्रतिपक्षी को लक्षणा से अर्थ करने से सन्तोष न हो यह सोचकर ग्रन्थकार भगवान् के 'एवं यः पूजयेत माम्' (भाग. ११।२७।५३) इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त 'माम्' इस द्वितीयान्त पद के द्वारा भगवान् को पूजन का कर्म कहे जाने की प्रकारान्तर से व्याख्या करते हैं।

अथवा भगवान् द्वारा यहां प्रयुक्त 'माम्' पद का अभिप्राय यह ज्ञापित करना है कि अन्य फलों की अपेक्षा न रखते हुए भगवान् की भावना करने पर अन्तःकरण तथा पूजा के विषय में पुरुषोत्तम का आवेश हो जाता है।

इस प्रकार लक्षणा न मानने पर भी पुरुषोत्तम को अर्चन आदि का साक्षात् उद्देश्य न मानकर आवेश द्वारा उद्देश्य मानना चाहिए और ऐसा मान लेने पर उन्हें अर्चनादि की विधि से अस्पृष्ट मानने के सिद्धान्त का विरोध न होगा।

द्वितीयान्त 'माम्' पद से पूजा के कर्म या उद्देश्य के रूप में पुरुषोत्तम नहीं प्रत्युत आवेश ही अभिप्रेत है इसकी पुष्टि इससे होती है कि यहाँ पूजा का फल भक्तिप्राप्ति बताया गया है पुरुषोत्तम प्राप्ति नहीं।

यहाँ पुरुषोत्तम की साक्षात् रूप से नहीं प्रत्युत आवेश द्वारा निरपेक्ष पूजा का उल्लेख है और इसीलिअए उससे भक्तिरूप की प्राप्ति होने का प्रतिपादन है।

इस प्रकार यहाँ पूजा का भक्तिप्राप्तिरूप जो फल बताया गया है उसी से यह ज्ञात होता है कि इस पूजा के विषय साक्षात् पुरुषोत्तम नहीं प्रत्युत आविष्ट-पुरुषोत्तम हैं अन्यथा जिस प्रकार इसी श्लोक के पूर्वार्द्ध में पुरुषोत्तम की निरपेक्ष भक्ति का फल पुरुषोत्तम प्राप्ति

मुण्ड. उप. ३।२३) इति श्रुतेः तदैव तद्वरणात् अत्र अधिकारिभेदेन पूजाफलभेदोक्त्या 'यमेव' (कठोप. १।२ २३, मुण्ड. उप. ३।२।३) इति श्रुतौ कर्मज्ञानभक्तिषु निःशङ्कं फलार्थिप्रवृत्तिरनुपपन्ना इत्यनुपपत्तिर्निरस्ता वेदितव्या। कर्मादिविधिषु विविधफलश्रवणात्तत्तत्फलरागवांस्तत्र तत्र यतिष्यत इत्युपपत्तेः।

बताया गया है वैसे ही यहाँ भी पुरुषोत्तम प्राप्ति को ही फल कहा गया होता।

पूर्वपक्षी का कहना है कि यदि पुरुषोत्तम पूजा के उद्देश्य के रूप में भी उससे सम्बद्ध नहीं है तो फिर भावना करने पर उनका आवेश भी कैसे हो सकता है? इस आशङ्का का समाधान करते हुए सिद्धान्ती कहते हैं कि,

जैसा कि श्रुति के 'यह जिसको वरण करता है' (कठोप. १।२।२३, मुण्ड.उप.३।२।३) इत्यादि वाक्य से ज्ञात होता है, निरपेक्ष पुरुषोत्तमभावनात्मक पूजन करने के अव्यवहित पूर्वकाल में ही उस पूजन करने वाले के भगवान् द्वारा वरण कर लिये जाने से भगवदावेश की उपपत्ति हो जाती है।

सिद्धान्ती के कथन का तात्पर्य यह है कि निरपेक्ष पुरुषोत्तम भावना या भगवत्पूजन करने की इच्छा रूप कार्य से उसके कारण के रूप में उसके अव्यवहित पूर्वकाल में अर्थात् तुरन्त पहले होने वाले भगवत्कर्तृक वरण का अनुमान होता है और उसी से भगवदावेश की व्याख्या भी हो जाती है।

प्रतिपक्षी, 'यह जिसको वरण करता है' (कठोप. १।२।२३,

मुण्ड.उप. ३।२।३) इत्यादि श्रुतिवाक्य में, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति के फलों की कामना रखने वालों की कर्म, ज्ञान एवं भक्ति में निःशङ्क प्रवृत्ति अनुपपन्न होने की जो अनुपपत्ति बताते हैं, उसका निरास श्रीमद्भागवत के अधिकारी-भेद से पूजा के फलों में भेद होने के उपर्युक्त कथन से हो गया समझना चाहिए। विभिन्न कर्मों, ज्ञान एवं भक्ति आदि के निरूपक शास्त्रीय वचनों में ही उनके विभिन्न फलों का भी उल्लेख होने के कारण, उन-उन फलों में अनुरक्त व्यक्ति उन फलों को देने वाले कर्म आदि में प्रवृत्त होंगे और इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं है।

इस प्रकार कर्म, ज्ञान एवं भक्ति के फलों की कामना रखने वालों की कर्म, ज्ञान एवं भक्ति में निःशङ्क प्रवृत्ति उपपन्न ही है क्योंकि 'यमेवैष' (कठोप. १।२।२३, मुण्ड. उप. ३।२।३) इत्यादि श्रुतिवाक्य में वरणसाध्य आत्मलाभ को ही बताया गया है (कर्म, ज्ञान एवं भक्ति से प्राप्य फलों के लाभ को नहीं)।

इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए भक्तितरङ्गिणीकार श्रीरघुनाथ कहते हैं कि श्रीमद्भागवत के उपर्युक्त श्लोकों (भाग. ११।२७।५२-५३) में, पुरुषोत्तम की भावना से भावित अधिकारी को भक्तिरूप फल की प्राप्ति होने तथा उस भावना से विरहित अधिकारी को पूर्वोक्त ब्रह्मलोकादिरूप फल की प्राप्ति होने और इस प्रकार अधिकारी-भेद से पूजा के फल में भेद होने के कथन से इस आशङ्का का अपनोदन हो जाता है कि 'यमेवैष वृणुते' (कठोप. १।२।२३, मुण्ड.उप. ३।२।३) इत्यादि श्रुतिवाक्य में 'यह जिसको वरण करता है' इत्यादि रूप सामान्य कथन से, साधनों में किये जाने वाले श्रम को व्यर्थ समझ कर, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति के फलों की आकाङ्क्षा रखने वालों की उनमें निःशङ्क प्रवृत्ति न होगी।

गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम ने इस वाक्य की व्याख्या दो प्रकार से की है। अपनी प्रथम व्याख्या में पूर्वपक्ष उपस्थापित करते हुए वे कहते हैं कि लोगों की विभिन्न साधनों में प्रवृत्ति देखी जाती है अतः यदि किसी व्यक्ति की भगवत्पूजा आदि में प्रवृत्ति दिखाई दे तो यही समझना चाहिए कि इस प्रवृत्ति का कारण उस जीव का भगवत्कर्तृक वरण ही है। इस प्रकार भगवत्पूजा आदि में प्रवृत्त व्यक्ति को, यह विश्वास हो जाने पर कि भगवान् द्वारा उसका वरण कर लिया गया है यह निश्चय हो जाता है कि जैसा कि 'यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः' (कठोप. १।२।२३, मुण्ड. उप. ३।२।३) इत्यादि श्रुतिवाक्य में कहा गया है भगवत्कर्तृक वरण का फल भगवत्प्राप्ति ही होती है अतः उसे भी पूजन में प्रवृत्ति होने पर भी भगवत्प्राप्तिरूप फल ही मिलेगा। ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति कर्म, ज्ञान एवं भक्ति के शास्त्रोक्त विभिन्न फलों को जानते होने एवं उन्हें प्राप्त करने के लिए इच्छुक होने के बावजूद उनमें निःशङ्क रूप से प्रवृत्त नहीं हो सकता। और जैसा कि 'संशयात्मा विनश्यति' आदि वाक्यों में कहा गया है, उनमें सशङ्क मन से प्रवृत्त होने पर उसे उनका फल भी नहीं मिलेगा। अतः यहाँ (अर्थात् भागवत ११।२७।५२-५३ में) पूजा के फलों में भेद की जो बात कही गयी है वह श्रुतिविरुद्ध प्रतीत होती है।

इस पूर्वपक्ष का उत्तर देते हुए श्री पुरुषोत्तम कहते हैं कि भागवत के उपर्युक्त वाक्य में हुए पूजा के फलों में भेद के उल्लेख का 'यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः' (कठोप. १।२।२३, मुण्ड.उप. ३।२।३) इत्यादि श्रुतिवाक्य से कोई विरोध नहीं है। यद्यपि पूजादि में प्रवृत्ति भगवान् द्वारा वरण किये जाने के कारण ही होती है। फिर भी पूजक की कर्म, ज्ञान आदि के उन-उन फलों में अनुरक्ति देखकर यह अनुमान होता है कि भगवदिच्छाविशेष भगवत्प्राप्तिरूप पूर्णफल में

ननु एवं पुरुषोत्तमार्थिप्रवृत्त्यनुपपत्तिः। मैवम्। तदर्थित्वस्यैव चरण–

प्रतिबन्धक है। इस प्रकार पूर्णफलदानेच्छारूप सहकारी कारण के अभाव में विभिन्न फलाकाङ्क्षियों के विभिन्न फलों में अनुरक्ति रखने के कारण अधिकार–भेद से उन फलों को देने वाले कर्म, ज्ञान आदि में प्रवृत्ति उपपन्न ही है। भागवत के उपर्युक्त वाक्य में पूजा के फलों में भेद होने की बात इसी आशय से कही गयी है।

'यद्वा' से प्रारम्भ कर गोस्वामी श्रीपुरुषोत्तम इस वाक्य की वैकल्पिक व्याख्या करते हुए यह पूर्वपक्ष उपस्थित करते हैं कि 'यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः' (कठोप. १।२।२३, मुण्ड. उप. ३।२।३) इस श्रुतिवाक्य से यह अनुमान करना ठीक नहीं है कि जो व्यक्ति भगवत्प्राप्तिरूप फल से भिन्न किसी अन्य फल की अपेक्षा किये बिना भगवद्भावना करता है उसको भगवान् ने वरण कर लिया है। श्रेय प्राप्त करने की इच्छा से भगवान के 'योगास्त्रयो मया प्रोक्ताः' (भाग. ११।२०।६) इत्यादि वाक्यों में श्रेय के साधन के रूप में विहित कर्म, ज्ञान एवं भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए तत्पर मनुष्य जब उपर्युक्त श्रुतिवाक्य सुनेगा तो भगवान् ने मेरा वरण किया है या नहीं यह संशय उत्पन्न हो जाने के कारण वह कर्म, ज्ञान एवं भक्ति रूप साधनों में निःशङ्क रूप से प्रवृत्त न हो सकेगा और सशङ्क होकर उनमें प्रवृत्त होने पर उनका फल न मिल सकेगा। अतः उपर्युक्त अनुमान सभी श्रुतिवाक्यों का विरोधी ही होगा। पूर्वपक्षी की इस आशङ्का का समाधान करते हुए श्रीपुरुषोत्तम कहते हैं कि इष्टसिद्धि के लिए तत्पर व्यक्ति का 'कर्म, ज्ञान आदि इष्ट साधक है' यह ज्ञान ही इष्ट प्राप्ति के लिए उसके कर्म, ज्ञान आदि रूप साधनों में

कार्यत्वात्, अन्यथा तदनुत्पत्तेः। वरणे चास्ति प्रकारद्वयम्, मर्यादापुष्टिभेदेन। आद्यस्तु तत्साधने भवति प्रवृत्तः, तथैव तद्वरणात्। परन्तु स्नेहोत्पत्तिपर्यन्तं

निःशङ्क प्रवृत्ति करा सकने के लिए पर्याप्त होगा और इसमें श्रुति से कोई विरोध न होगा, अतः उपर्युक्त अनुमान ठीक है।

पूर्वपक्षी पुनः शङ्का करते हैं कि 'भगवान् जिसका वरण करते हैं उसी को प्राप्त हो सकते हैं' यह मान लेने पर, 'भगवान् ने मेरा वरपण किया है या नहीं' यह निश्चय न होने से, भगवत्प्राप्ति की आकाङ्क्षा रखने वाले व्यक्ति की भगवत्प्राप्ति के लिए निरपेक्ष भक्ति में प्रवृत्ति अनुपपन्न हो जाएगी।

सिद्धान्ती का कहना है कि पूर्वपक्षी की यह आशङ्का भी निर्मूल है। पूर्वपक्षी का यह कहना इसलिए ठीक नहीं है कि स्वयं पुरुषोत्तमार्थित्व (अर्थात् भगवत्प्राप्ति की इच्छा) ही भगवत्कर्तृक वरण का कार्य है और उससे उसके कारण के रूप में भगवत्कर्तृक वरण का अनुमान होता है क्योंकि बिना भगवत्कर्तृक वरण हुए भगवत्प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है।

इस प्रकार भगवत्प्राप्ति की आकाङ्क्षा की अनुभूति मात्र से 'भगवान् ने मेरा वरण कर लिया है' यह अनुमान या निश्चय हो जाने के कारण पुरुषोत्तमार्थी की निरपेक्ष भक्ति में प्रवृत्ति में कोई अनुपपत्ति नहीं है।

श्रीपुरुषोत्तम के अनुसार 'यदि भगवत्प्राप्ति की इच्छारूप कार्य से ही भगवत्कर्तृकवरण रूप कारण का अनुमान हो जाता है तो पुरुषोत्तमार्थी को प्रवृत्ति भक्ति में ही होगी कर्म आदि में नहीं, ऐसी दशा में भगवान् का कर्म, ज्ञान एवं भक्ति इन तीन मार्गों का उपदेश

देना अनुपपन्न हो जाएगा। इस आशङ्का का समाधान करने के लिए सिद्धान्ती वरण के द्वैविध्य का प्रतिपादन करते हैं।

मर्यादा एवं पुष्टि के भेद से भगवत्कर्तृक वरण के दो प्रकार होते हैं।

भक्तितरङ्गिणीकार श्रीरघुनाथ के अनुसार, 'व्रजवासियों आदि के सम्बन्ध में कहीं-कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि पुरुषोत्तमार्थित्व अर्थात् भगवान् को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा-जिसे सिद्धान्ती भगवत्कर्तृक वरण का कार्य मानते हैं-के बिना भी भगवान् की प्राप्ति हो जाती है। इसका भी कोई कारण अवश्य होना चाहिए और प्रकृत प्रसङ्ग में भगवत्प्राप्ति का पुरुषोत्तमार्थित्व से भिन्न कोई कारण मानने में अनुपपत्ति होगी,' इस आशङ्का का समाधान करने के लिए सिद्धान्ती ने भगवत्कर्तृक वरण के द्विविध होने का प्रतिपादन किया है।

इनमें से प्रथम अर्थात् मर्यादा मार्ग में वरण किया गया व्यक्ति भगवत्प्राप्ति के उपायभूत ज्ञान, कर्म आदि रूप साधनों में प्रवृत्त होता है क्योंकि भगवान् उसका वरण उसी रूप में करते हैं।

श्रीरघुनाथ एवं पुरुषोत्तम मर्यादा मार्ग में किये गये वरण का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भक्त को ज्ञान, कर्म आदि रूप साधनों में प्रवृत्त कर स्नेहोत्पत्ति पर्यन्त उसे उन साधनों के अनुरूप फल देना यह मर्यादा मार्ग में किये गये वरण का स्वरूप है। इसमें भगवान् यह इच्छा करके वरण करते हैं कि यह ज्ञान, कर्म आदि रूप साधनों के द्वारा ही भक्ति को और मुझे भी प्राप्त करे।

जिसका वरण मर्यादामार्ग में किया गया है उसके लिए साधनानुष्ठान में भगव द्विषयक स्नेहोत्पत्तिपर्यन्त तो विधि प्रयोजक

विधिरेव तत्र प्रयोजकः। तदुत्पत्तयनन्तरञ्च रागादेव तत्सम्बन्धिपदार्थे यतिष्यत इति विधेरप्रयोजकत्वम्। द्वितीयस्य तु प्रवृत्त्यप्रवृत्ती अप्रयोजिके, भगवता स्वस्यैव साधनत्वेनाङ्गीकारात्। अत एव,

'अह्नयापृतं निशि शयानमतिश्रमेण[1]' (भाग. २।७।३१)

इति गोकुलविशेषं द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मणोक्तम्, इति सर्वमवदातम्।

रहती है परन्तु उसके बाद अप्रयोजक हो जाती है क्योंकि स्नेहोत्पत्ति के बाद तो वह बिना किसी विधि के भी राग से ही भगवत्प्राप्ति के साधन के रूप में भगवान् से सम्बद्ध ज्ञान, पूजा आदि साधनों या पदार्थों में प्रवृत्त या प्रयत्नशील होता है। द्वितीय के अर्थात् जिसका पुष्टि मार्ग में वरण किया गया है उसके लिए तो प्रवृत्ति एवं अप्रवृत्ति दोनों ही अप्रयोजक हैं, क्योंकि इस मार्ग में तो भगवान् स्वयं अपने को ही साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। इसीलिए श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध में ब्रह्मा ने (गोकुल अर्थात्) गोकुलवासियों का विशेष 'दिन भर लौकिक कार्यों में लगे रहने वाले और इस प्रकार दिन में

---

१. एवं दुःखाभावमुक्त्वा परमसुखमाह, 'अह्नयापृतम्' इति। अह्नि दिवसे आपृतं लौककक्रियया व्याप्तम्। 'निशि शयानमतिश्रमेण' इति निर्भरनिद्रया रात्रौ व्यापप्तम्। एवमहोरात्रं परलोकसाधनरहितं स्वमेव वैकुण्ठं व्यापिवैकुण्ठम् उप समीप एव नेष्यति। स्वनिकट एवं मायाजवनिकां दूरीकृत्यं तत्रैव वैकुण्ठे नीतवान्। इदं चरित्रं न योगस्य, न मायायाः, न कालस्य, न मण्यादीनाम्। अतो ब्रह्मचरित्रमेवैतत्। नयने हेतुः 'स्वम्' इति। आत्मत्वेन भगवांस्तत्परिगृहीतवान्। (सुबो. २।७।३१)

यच्च अह्नि दिवसे आपृतं व्यापृतं कृतव्यापारं अतएव अतिश्रमेण त्रस्तं निशि शयानम् इति सर्वथा वैकुण्ठगमनसाधनहीनमपि गोकुलं गोकुलवासिजनं विकुण्ठे नित्ये लोके उपनेष्यति प्रापयिष्यति, तच्च कर्म दिव्यमेवेतरथा न भाव्यमित्यन्वयः। भगवत्कर्मणोऽद्भुतत्वं सूचयति, स्म इति। (बालप्रबो. ०२।७।३१)।

किञ्च, विष्णुविषयकत्वेनैव भक्तित्वे कर्माङ्गत्वेन क्रियमाणविष्णुस्मरणादेः अपि भक्तित्वापत्तिः। कर्ममार्गीयत्वान्न तथा। पूर्वोक्तन्यायेन विभूतिरूपस्यैव विष्णोः स्मरणादेः तत्र विहितत्वाच्च न तथा। कर्ममार्गे भगवद्विभूतीनामेव इज्यत्वात्। अतएव राजसूयं चिकीर्षुणाध धर्मराजेन प्रभुं प्रति विज्ञापितम्, 'यक्ष्ये विभूतीर्भवतः तत्सम्पादय न प्रभो[१]' (भाग. १०।७२।३) इति, अन्यथा साक्षाद् हरि विज्ञापयन् 'त्वाम्' इत्येव वदेत्।

अत्यधिक परिश्रम करने से थक जाने के कारण रात में गहरी नींद में सो जाने वाले' (भाग. २।७।३१) दिया है। इस प्रकार उपर्युक्त सारा सैद्धान्तिक विवेचन निरवद्य है।

मर्यादा मार्ग में वरण किये गये जीव एवं पुष्टिमार्ग में वरण किये गये जीव का भेद स्पष्ट करते हुए तरङ्गिणीकार श्रीरघुनाथ लिखते हैं कि वरण के आदि कारण के रूप में अनुग्रह दोनों में समान है। यद्यपि मर्यादा मार्ग में वरण किये गये जीव की स्वकृत प्रवृत्ति या अप्रवृत्ति भी भगवत्स्वरूप से सम्बन्ध करा सकने में स्वतः समर्थ नहीं होती तथापि पुष्टिमार्ग में वरण किये गये जीव का वैलक्षण्य यह है कि उसे अवान्तर कृति की अपेक्षा ही नहीं होती।

और भी, विष्णुविषयकत्व का ही भक्ति मानने पर कर्मों के

---

१. क्रतुराजेन गोविन्द! राजसूयेन पावनीः।

यक्ष्ये विभूतीर्भवतस्तत्सम्पादय नः प्रभो।। (भाग. १०।७२।३)।

यद्यपि नारदेन त्वां यक्ष्यतीत्युक्तं तथापि सर्वरूपस्य परिच्छेदः समायाति इति भगवदंशानामेव विभूतिरूपाणां देवानां यांग निरूपयति, पावनीः तव विभूतिः यक्ष्ये इति। पावनीः इत्याधिदैविकीः दैत्यसम्बन्धव्यावृत्त्यर्थं वा। तत् तस्मात् तद् वा यजनं न अस्माकं सम्पादय। सामर्थ्याय सम्बोधनम्। (सुबो. १०।७२।३)

अङ्गरूप में किये जाने वाले विष्णुस्मरण आदि को भी भक्ति मानने का प्रसङ्ग उपस्थित हो सकता है किन्तु कर्ममार्गीय होने के कारण उस विष्णुस्मरण आदि को भक्ति नहीं कहा जा सकता। पूर्वोक्त न्याय से (अर्थात् जैसा कि ऊपर पृष्ठ ७-९ पर प्रतिपादित किया गया है सर्वाविशिष्टत्वाभाव के कारण) उन स्थलों पर भगवान् के विभूति रूप के स्मरण आदि के ही विहित होने के कारण भी उस स्मरणादि को भक्ति नहीं कहा जा सकता क्योंकि कर्ममार्ग में इज्या आदि का विषय भगवान् की विभूतियाँ ही होती है साक्षात् भगवान् नहीं।

सिद्धान्ती कर्ममार्ग का विभूतिपरत्व प्रतिपादित करते हैं-

इसीलिए (अर्थात् कर्ममार्ग के विभूतिपरक होने के कारण ही) राजसूय यज्ञ करने की इच्छा वाले धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान् श्रीकृष्ण से कहा था, 'हे गोविन्द! मैं राजसूय यज्ञ के द्वारा आपकी पावन विभूतियों का यजन करना चाहता हूँ, अतः हे प्रभो! आप मेरा यह यज्ञ सम्पादित करा दें।' (भाग. १०।७२।३)। अन्यथा (अर्थात् यदि कर्ममार्ग विभूतिपरक न होता तो) साक्षात् भगवान् से निवेदन करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर, 'भवतः विभूतीः यक्ष्ये' (अर्थात् आपकी विभूतियों का यजन करना चाहता हूं) न कहकर 'त्वां यक्ष्ये' (अर्थात् आप का यजन करना चाहता हूँ) ऐसा ही कहते।

श्रीमद्भागवत के इस वाक्य (भाग. १०।७२।३) से यह भी सूचित होता है कि भगवान् की इच्छा[१] होने पर ही भक्त (यागादिरूप) कर्म करने में प्रवृत्त होता है और उस यागादिरूप कर्म में उन-उन

---

१. भगवदिच्छा च स्वस्य साधनसम्पत्त्यनन्तरं तत्कर्मकरणेच्छोत्पत्तौ भगवद्विज्ञापने तदनुकूलसम्भारारम्भणादौ विघ्नाभावाद्भगवद्भक्ताज्ञादिभिर्बोध्या।

(श्रीपुरुषोत्तमप्रणीतविवेकः पृष्ठ ३८)

Start : 05.02.2021

एतेन भगवदिच्छायां सत्यामेव भक्तस्य कर्मकरणम्, तत्र चोक्तानां देवानां तद्विभूतित्वेनैव यागः, अन्यथा अनन्यत्वभङ्गप्रसङ्गः इत्यपि सूचितम्।

देवताओं का यजन भगवान् की विभूति के रूप में ही होता है। यदि ऐसा न हो तो यागादिरूप कर्म करने से भगवद्भक्त की भगवान् के प्रति अनन्यता के भङ्ग हो जाने का अनिष्टप्रसङ्ग उपस्थित हो जाएगा।

भगवान के राजसूयप्रकरण के 'मैं आपकी विभूतियों का यजन करना चाहता हूँ' (भाग. १०।७२।३) इस कथन के आधार पर ही यागादिरूप कर्म को विभूतिपरक मान लेना ठीक न होगा क्योंकि उसी प्रकरण में नारद द्वारा भगवान् से कहे गये, 'युधिष्ठिर रायसूय यज्ञ के द्वारा आप का यजन करेंगे[२]' (भाग. १०।७०।४१) इत्यादि वाक्य तथा स्वयं भगवान् द्वारा जरासन्ध के बन्दीगृह में पड़े राजाओं को मुक्त कर उनसे कहे गये 'आप लोग यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करते हुए धर्मपूर्वक प्रजा की रक्षा करें[३]'' (भाग. १०।७३।२१) इत्यादि वाक्य में स्वयं भगवान् को ही यजन का विषय स्वीकार किया गया है, इस आशङ्का का समाधान करते हुए श्रीपुरुषोत्तम कहते हैं कि इन वाक्यों में भी विभूतिरूप को भगवान् का एक रूप और इसीलिए उनसे अभिन्न मानने के अभिप्राय से ही 'माम्' (अर्थात् मुझे) इस द्वितीयान्त पद का प्रयोग उसी प्रकार कर दिया गया है जिस प्रकार ऊपर (पृष्ठ २४ पर) उल्लिखित 'एवं यः पूजयेत माम्' (भाग.

---

२. यक्ष्यति त्वां मखेन्द्रेण राजसूयेन पाण्डवः।
पारमेष्ठयकामो नृपतिस्तद्भवाननुमोदताम्।। (भाग. १०।७०।४१)।

३. भवन्त एतद्विज्ञाय देहाद्युत्पाद्यमन्तवत्।
मां यजन्तोऽध्वरैर्युक्ताः प्रजा धर्मेण रक्षथ।। (भाग. १०।७३।२१)

अपरञ्च। तत्तदुपासकस्य तत्तत्सायुज्यं परमफलम्, 'देवान् देवयजो यान्ति' (गीता ७।२३) इति वाक्यात्।

'यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्।
तं तमेवैति कौन्तेय! सदा तद्भावभावितः।।' (गीता ८।६)

११।२७।५३) इत्यादि वाक्य में[४]।

'श्रीमद्भागवत के पञ्चम स्कन्ध के तृतीय अध्याय में नाभि द्वारा सन्तान कामना से यज्ञ करने[१] एंव उसमें भगवान् के प्रादुर्भूत होने[२] का उल्लेख है, ऐसी दशा में यज्ञादिरूप कर्म को भगवत्परक अर्थात् साक्षात्पुरुषोत्तमपरक न मान कर विभूतिपरक मानना कैसे उचित हो सकता है? इस आशङ्का का समाधान करते हुए श्रीपुरुषोत्तम कहते हैं[३] कि वहाँ भगवान् भक्ति से ही आविर्भूत हुए हैं (यज्ञ करने से नहीं), यागादिरूप कर्म तो विभूतिपरक ही होते हैं।

---

४. 'एवं यः पूजयेत माम्' (भाग. १०।२७।५३) इत्यत्र इव 'त्वाम्' (भाग. १०।७०।४१, १०.७३.२१) इत्यत्रापि विभूतिरूपस्य भगवदभिन्नत्वमभिप्रेत्यैव तथोक्तेः। यागे कर्मसचिवत्वस्य देवेष्वेव दर्शनात्। प्रैषयाज्यापुरोनुवाक्यादिभिः तथा निश्चयात्। साक्षात्पुरुषोत्तमपरत्वे विध्यपराधाप्रसक्त्या प्रायश्चित्तविधिवैयर्थ्यापत्तेश्च। 'न रोधयति मां योगः' (भाग. ११।१२।१) इत्यादिपूर्वोक्तवाक्य-विरोधाच्च। एवञ्च 'विष्णुरुपांशु यष्टव्यः' इत्यत्रापि विभूतिरूप एव सः, विश्वेदेवा उपांशु यष्टव्या' इत्यादिवाक्यदर्शनेनेतरतौल्यात्। एवमन्यत्रापि ज्ञेयम्। (श्रीपुरुषोत्तमप्रणीत विवेकः, पृष्ठ ३७)।

१. नाभिरपत्यकामोऽप्रजया मेरुदेव्या भगवन्तं यज्ञपुरुषमवहितात्मायजत। (भाग. ५।३।१)

२. तस्य ह वाव श्रद्धया विशुद्धभावेन यजतः भगवान् आविश्चकार। (भाग. ५।३।२)

३. न च पञ्चमस्कन्धोक्ते अपत्यकामस्य नाभेर्यागे भगवतः प्रादुर्भावात्कथं विभूतिपरत्वमिति शङ्कयम्, तत्र भक्त्यैव भगवदाविर्भावात्, 'तस्य ह वाव श्रद्धया विशुद्धभावेन यजतः प्रवर्ग्येषु प्रचरत्सु द्रव्यदेशकालमन्त्रर्त्विग्दक्षिणाविधानयोगोपत्त्या दुरधिगमो भगवान् भागवतवात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानम्... आविश्चकार' (भाग. ५।३।२) इतिकथनात्।

इति वचनात्। एवञ्च सति एकादशस्कन्धेऽस्मत्प्रभुणा,

'केवलेन हि भावेन गोप्यो गावः खगा मृगाः।

येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा।।'' (भाग. ११।१२।८)

इति महता प्रबन्धेन गोकुलवासिनां स्वप्राप्तिं निरूप्य,

अब सिद्धान्ती फलभेद के आधार पर कारण-भेद का अनुमान कर के यह सिद्ध करते हैं कि इस प्रकार भी यही निष्कर्ष निकलता है कि साक्षात् पुरुषोत्तम कर्म आदि के विषय नहीं हैं।

और भी। जैसा कि गीता के, देवताओं का यजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं' (गीता ७।२३) तथा 'हे कुन्तीपुत्र अर्जुन! मरणकाल में व्यक्ति जिस जिस भी भाव का अर्थात् जिस किसी भी देवताविशेष का या अपने मनोऽभिलषित जीवस्वरूप का चिन्तन करता हुआ शरीर छोड़ता है, निरन्तर उस भाव से भावित हुआ वह व्यक्ति मरणकाल में स्मरण किये गये उस भाव को ही प्राप्त होता है[१]'' (गीता ८।६), इन वाक्यों से ज्ञात होता है कि उन-उन देवताओं के उपासकों को परमफल के रूप में उन-उन देवताओं में सायुज्य प्राप्त होता है। इस प्रकार विभूतियों के उपासकों को उन विभूतियों में

एतमेव पृश्निसुतपस्तपस्यपि ज्ञेयम्, तद्यापि, 'तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः।' (भाग. १०।३।३७) इति वाक्यात्। एवं सिद्धे कर्मणां विभूतिपरत्वे यत्र तादृशवाक्याभावस्तत्रापि प्रादुर्भावहेतुत्वेन भक्तिः कल्प्येति दिक्। (श्रीपुरुषोत्तमप्रणीतविवेकः, पृष्ठ ३७-३८)।

१. न केवल मां स्मरन् मद्भावं याति इति नियमः। यं यम् इति। अन्ते अन्तकाले, तमेव बावं स्मर्तुः स्वविषयजातीयाकरत्वसम्पादकं भावं स्वरूपम् एति, भरतवत्। (गीतातत्त्वदी. ८।६)

यं यं देवतान्तरमपि वा स्मनोऽभिलषितजीवस्वरूपं स्मरन् अन्ते कलेवरं त्यजति

सायुज्य रूप फल (न कि भगवत्सायुज्यरूप फल) के प्राप्त होने का निर्द्धारण हो जाने की स्थिति में[२] यह अवधेय है कि भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध में हमारे प्रभु गोपीजनवल्लभ श्रीकृष्णण ने, 'केवल प्रेमपूर्वक भाव अर्थात् भक्ति से ही साधन-साध्य के ज्ञान के सम्बन्ध में मूढबुद्धि गोपियाँ, गायें, पक्षी, व्रज के हरिणादि पशु, कालिय नाग एवं अन्य भी अनायास ही मुझको प्राप्त होकर कृतकृत्य हो गये' (भाग. ११।१२।८) इत्यादि वाक्य द्वारा गोकुलवासियों द्वारा अपनी प्राप्ति (अर्थात् भगवत्प्राप्ति) का निरूपण करके, 'जिन्हें बड़े-बड़े प्रयत्नशील साधक भी योग, सांख्य, दान, व्रत, तप, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकते' (भाग. ११।१२।९) इत्यादि वाक्य द्वारा भक्ति से भिन्न अन्य साधन से सम्पन्न व्यक्ति द्वारा अपने अप्राप्य होने का प्रतिपादन किया है। इससे यह निश्चित हो जाता है कि जिसकी प्राप्ति भक्ति से भिन्न साधनों के द्वारा हो जाए वह पुरुषोत्तम स्वरूप नहीं हो सकता।

अब सिद्धान्ती भगवान् द्वारा गीता में कहे गये वाक्यों का उल्लेख कर ज्ञान मार्ग के भक्तिमार्ग की अपेक्षा न्यून या अपकृष्ट

स तमेव तत्सारूप्यम् एति प्राप्नोतीत्यर्थः। अपि इति निश्चयार्थे वा। अत एव भरतस्य अन्ते मृगस्मरणे मृगशरीराप्तिः अयमेवार्थोऽपि शब्देन द्योतितः। यतोऽन्तकाले यत्स्मरणेन म्रियते तमेव प्राप्नोति अतः साधारण्येनापि मत्स्मरणेन मरणे मत्प्राप्तौ न सन्देह इत्यर्थः। ननु अन्ते वैकल्ये देवतान्तरस्मरणं स्वाभिलषितस्मरणं वा कथं स्याद्, इत्यत आह-सदा तद्भावभावितः, निरन्तरं तद्भावेन भावितो यो भवति स तमेवान्ते स्मरति। (गीतामृततरङ्गिणी ८।६)

२. एवञ्च सति इति। विभूतिपराणां फले उक्तवाक्याभ्यां निर्धारिते सति। तथा च तत्र (गीता ७।२३, ८।६) तेषां फलं निर्धारितम्, अत्र (-भाग. ११।१२।९) स्वस्य अप्राप्मयत्वमुक्तम्। तेन तत्प्राप्यस्य विभूतित्वं तत्क्रतुन्यायादपि सिद्धयतीत्यर्थः। (तीर्थ, पृष्ठ ३९-४०)।

'यन्न योगेन साङ्खयेन दानव्रततपोऽध्वरैः।

व्याख्यास्वाध्यायसंन्यासैः प्राप्नुयाद्यत्नवानपि।।

(भाग. ११।१२।९)

इति इतरसाधनवदप्राप्यत्वं स्वस्य निरूपितम् इति भक्त्यतिरिक्तसाधनप्राप्यं न पुरुषोत्तमस्वरूपमिति निश्चीयते।

गीतासु च पार्थेन,

'एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते।

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः।।' (गीता १२।१)

इति प्रश्ने कृते,

'मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते।

श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ता मताः।।' (गीता १२।२)

इति भक्तिमार्गीयोपासनस्य ज्ञानमार्गादुत्कर्षमुक्त्वा, 'ये त्वक्षरम्' (गीता १२।३) इत्यादिना ज्ञानमार्गिणामपकर्षम् उक्तवान् भगवान् इति

होने का प्रतिपादन करते हुए यह बताते हैं कि पुरुषोत्तम ज्ञानमार्ग के भी विषय नहीं हैं।

गीता में पृथापुत्र अर्जुन के द्वारा 'जो भक्त निरन्तर ऊपर (गीता ११।५५ इत्यादि में) कहे गये प्रकार से आपकी उपासना करते हैं तथा जो (गीता ८।११-१३ में उल्लिखित) अव्यक्त अक्षर तत्व की उपासना करते हैं, उनमें से उत्तम योगवेत्ता कौन हैं? (गीता १२।१) यह प्रश्न किये जाने पर भगवान् ने, 'जो भक्त मन को मुझमें लगाकर निरन्तर दत्तचित्त होकर परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सेवा करते हैं

न ज्ञानमार्गस्यापि पुरुषोत्तमविषयत्वम्।

अत्र 'ते प्राप्नुवन्ति मामेव' (गीता १२।४) इत्यत्र अक्षरस्यापि पुरुषोत्तमाधिष्ठानत्वेन तद्विभूतिरूपत्वान् 'माम्' (गीता १२।४) इत्युक्तम्। न च अक्षरमेव पुरुषोत्तम इति वाच्यम्, 'कूटस्थोऽक्षर उच्यते' (गीता १५।१६) 'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः' (गीता १५।१७), 'अक्षरादपि चोत्तमः' (गीता १५।१८) इति भगवद्वचनात्।

कर्ममार्गोऽपि एवमेव ज्ञेयः। तथा हि,

'यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः।

वेदवादरताः पार्थ! नान्यदस्तीति वादिनः।।' (गीता २।४२) इत्यादिना,

---

उन्हें मैं उत्तम या श्रेष्ठ योगी मानता हूँ' (गीता १२।२) इत्यादि वाक्य द्वारा भक्तिमार्गीय उपासना के ज्ञानमार्ग से उत्कृष्ट होने की बात कह कर 'और जो अक्षर की उपासना करते हैं (गीता १२।३) इत्यादि वाक्य द्वारा ज्ञानमार्गियों के अपकर्ष या न्यूनत्व का प्रतिपादन किया है। अतः ज्ञानमार्ग को पुरुषोत्तम-विषयक नहीं कहा जा सकता अर्थात् पुरुषोत्तम को ज्ञानमार्ग का विषय मानना भी ठीक नहीं है।

परवर्ती श्लोक के तृतीय चरण 'ते प्राप्नुवन्ति मामेव' अर्थात् 'वे मुझे ही प्राप्त करते हैं' (गीता १२।४) में द्वितीयान्त पद 'माम्' (अर्थात् 'मुझे') का अर्थ 'साक्षात्पुरुषोत्तम को' नहीं प्रत्युत 'अक्षर को' है। यहाँ 'माम्' पद का प्रयोग साक्षात् पुरुषोत्तम के लिए न होकर अक्षर के लिए हुआ है क्योंकि अक्षर भी पुरुषोत्तम का अधिष्ठान होने के कारण पुरुषोत्तम की विभूति दी है। 'अक्षर ही पुरुषोत्तम है'

'त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते।
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम्, अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान्।।
ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति।
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते।।'

(गीता ९।२०–२१)

इत्यादि भगवद्गीतासु, श्रीभागवते च,

यह कहना भी ठीक न होगा क्योंकि स्वयं भगवान् ने कहा है कि 'कूटस्थ पुरुष अक्षर कहा जाता है' (गीता १५।१६), 'उत्तम पुरुष अर्थात् पुरुषोत्तम तो अन्य अर्थात् उससे भिन्न है' (गीता १५।१७) और 'मैं अक्षर से भी उत्तम हूँ और इसीलिए लोक एवं वेद में मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है' (गीता १५।१८)।

सकामकर्ममार्ग अतिजघन्य एवं अनिष्टपर्यवसायी है और पुरुषोत्तम को उसका विषय कथमपि नहीं माना जा सकता यह प्रतिपादित करते हुए सिद्धान्ती कहते हैं कि,

कर्ममार्ग को भी ऐसा ही समझना चाहिए अर्थात् पुरुषोत्तम को कर्ममार्ग का विषय भी नहीं माना जा सकता। गीता में, ''हे पार्थ! अज्ञानी, वेदवाद (अर्थात् फलबोधक कर्मवाद) में रत, 'स्वर्गादिरूप वेदोक्त फल के अतिरिक्त अन्य कोई कर्मफल है ही नहीं' ऐसा कहने वाले व्यक्ति, अदूरदर्शियों को ही रमणीय लगने वाली जिन बातों को कहा करते हैं[१]'' (गीता २।४२)

''वेदत्रयी में निरूपित कर्मों को करने वाले, यज्ञशेष सोम का पालन करने वाले, नष्ट हो गये पापों वाले (अर्थात् निष्पाप) तथा

---

१. 'यामिमाम् इति। जैमिनीया वेदवाचं सर्वकाण्डरूपां सर्वो पुष्पितां

भोगों की कामना रखने वाले पुरुष, उन-उन देवताओं के रूप में मेरी आराधना करके स्वर्ग (आदि कर्मानुगुण लोकों) की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। वे अपने सम्पादित पुण्य के फलस्वरूप इन्द्रलोक को प्राप्त कर, स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। उस विशाल अर्थात् सकलविषयभोगयोग्य स्वर्गलोक (के दिव्य भोगों) को भोग चुकने पर (उसकी प्राप्ति के कारणरूप) पुण्यों के क्षीण अर्थात् समाप्त हो जाने पर, वे पुनः इस मृत्युलोक को लौट आते हैं। इस प्रकार केवल वैदिक कर्मों का आश्रय लेने वाले भोगेच्छु पुरुष पुनः पुनः आवागमनरूप जन्ममरणात्मक प्रवाह को प्राप्त करते हैं।[१]'' (गीता ९।२०-२१) इत्यादि वाक्यों तथा श्रीमद्भागवत में ''जो व्यक्ति घर में ही रहकर सकामभाव से गृहस्थाश्रम के धर्मों का ही पालन करता हुआ उनके फलस्वरूप धर्म, अर्थ और काम का सम्पादन कर, पुनः उन्हीं धर्मों का अनुष्ठान करता रहता है वह कामनाओं से

प्रकर्षेण कर्तृकर्मफलभावेन युक्तां वदन्ति। पुष्पस्थानीयेषु स्वर्गादिषु फलत्वबुद्ध्या रता भवन्तीत्यर्थः। यतो वेदवादेषु फलबोधककर्मवादेषु रताः। न च तत्सफलं वेदबोधितत्वादिति वाच्यम्, अर्थान्तरेण वेदबोधितत्वात् तत्फलस्य 'यन्न दुःखेन सम्भिन्नम्' इत्यादिवाक्यात्। तथा चेयं वाक् पुष्पिता न फलिता। तेषु परं गन्धलोभितचेतस एव ते भ्रान्ता भवन्तीति हृदयम्। (गीतातत्त्वदी ०२।४२)।

ये इमां पुष्पितां यां वाचं फलादिरहितां कुत्सितपुष्पयुक्तलतावददूरदृष्टरम्यां प्रवदन्ति प्रकर्षेण फलरूपतया वदन्ति तेषां व्यवसायात्मिका बुद्धिर्न विधीयते, नोत्पद्यत इत्यर्थः। ननु तेऽपि शास्त्रोक्तज्ञानवन्तः कथं तथा वदन्ति? इत्याकाङ्क्षायामाह, अविपश्चित इति। मूर्खा अज्ञाना इत्यर्थः। तेषां मूढत्वं विशेषणैः प्रकटयति, वेदवादरता इति वेदोक्तफलककर्मकरणमेवोचितम्, न तु निष्कामतया, ते तथा अतएव नान्यदस्तीति वादिनः वेदोक्तव्यतिरिक्तं कर्मफलं नास्तीति वदनशीलाः। (गीतामृततरङ्गिणी २।४२)।

१. 'त्रैविद्या' इति। त्रिगुणात्मकत्रिवेदविद्यायां निष्णाताः, तथा च त्रिगुणकर्मकारिणः तथाविधैरेव यज्ञैस्तत्तद्देवताविशेषं समाराध्य वस्तुतस्तत्राहमेवेति 'माम्' इत्युक्तम्। स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। स्वर्गतिमित्युपलक्षणं कर्मानुगुणलोकानाम्।.... एवं त्रयीधर्मपराः कामकामा

अथ यो गृहमेधीयान् धर्मानेवावसन् गृहे।
काममर्थञ्च धर्मान् स्वान् दोग्धि भूयः पिपर्ति तान्।।
स चापि भगवद्धर्मात् काममूढः पराङ्मुखः।
यजते ऋतुभिर्देवान् पितॄंश्च श्रद्धयान्वितः।।'

(भाग. ०३।३२।१–२)

'ये त्विहासक्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः।
कुर्वन्त्यप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नशः।।
रजसा कुण्ठमनसः कामात्मानोऽजितेन्द्रियाः।

मोहित रहने के कारण भगवद्धर्मों से विमुख होकर श्रद्धासमन्वित होकर यज्ञों द्वारा देवताओं एवं पितरों की ही आराधना करता रहता है१'' (भाग. ३।३२।१–२) तथा ''जिनका चित्त इसी लोक में आसक्त है और जो कर्मों में ही श्रद्धा रखते हैं, वे वेदोक्त अनिषिद्ध काम्य कर्मों एवं नित्य कर्मों के साङ्गोपाङ्ग अनुष्ठान में ही लगे रहते

गतागतवाप्नुवन्ति जन्ममरणपर्यावर्त्तमनुभवन्तो गुणप्रवाहमार्गे पतिता भवन्तीत्यर्थः। अयं जायस्व म्रियस्वेति तृतीयो दुष्टोऽधर्म (गुण) प्रवाहमार्ग उक्तः, तत्र अधर्मप्रवाहमार्गे जीवा नाङ्गीकृताः केनापि स्वरूपेण, किन्तु माययेति सिद्धान्तः। (गीतातत्त्वदी. ९।२०–२१)।

एवं बहुप्रकारकं यत्स्वरूपमुक्तं तदज्ञात्वा ये यज्ञादिकमन्यथा कुर्वन्ति सकामास्ते जन्ममरमात्मके संसारे तिष्ठन्तीत्याह द्वाभ्याम्, 'त्रैविद्या' इति। त्रैविद्याः वेदत्रयीनिरूपितकर्मकर्तारः। सोमपाः यज्ञशेषामृतपातारः। पूतपापाः कर्मिणां पापसम्भवाद्विधूतकल्मषाः। यज्ञैरेव वा विधूतकल्मषाः। मां यज्ञैरिष्ट्वा मदाज्ञारूपत्वेन भक्तिप्रतिबन्धनिवर्तकत्वमज्ञात्वा तत्स्वरूपं चाज्ञात्वा स्वर्गतिम्, इन्द्रादिलोकं प्रार्थयन्ते ते पुण्यात्मकं सुरेन्द्रलोकमासाद्य प्राप्य दिवि स्वर्गे स्वर्गलोकं विशालं सकलविषयभोगयोग्यं भुक्त्वा भोगेन पुण्ये क्षीणे सति मर्त्यलोकं विशन्ति प्राप्नुवन्तीत्यर्थः। एवं प्रकारेण त्रयीधर्ममिष्टं परित्यज्य कामकामाः सन्तोऽनुप्रपन्नाः गतागतं जन्म मरणात्मकप्रवाहं लभन्ते प्राप्नुवन्तीत्यर्थः। (गीतामृततरङ्गिणी ९।२०–२१)।

१. देखिए, भाग. ३।३२।१–२ की सुबोधिनी, सुबोधिनीप्रकाश एवं बालप्रबोधिनी टीकाएँ।

पितॄन् यजन्त्यनुदिनं गृहेष्वभिरताशयाः।।
त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः।
कथायाः कथनीयोरुविक्रमस्य मधुद्विषः।।'

(भाग. ३।३२।१६-१८)

इत्यादिना 'जायस्व म्रियस्व' इति तृतीयमार्गप्रवेशो निरूपित इति।

ननु, नवविधभक्तौ अर्चनस्यापि उक्तत्वात् कथं न पूजायाः तथात्वम् इति चेत्?

हैं। रजोगुण के (आधिक्य के) कारण कुण्ठित मन वाले, विषयसुखों में दत्तचित्त और इन्द्रियसंयम कर सकने में असमर्थ, घरों में ही आसक्त हृदय वाले ये लोग धर्म, अर्थ और काम को ही पुरुषार्थ समझते हैं, इसलिए ये नित्य-प्रति पितरों की उपासना में ही लगे रहते हैं और जिनके महान् पराक्रम अत्यन्त कीर्तनीय हैं उन मधुसूदन भगवान् श्रीकृष्ण से तथा उनकी लीलाओं की कथाओं आदि से विमुख रहते हैं[१]'' (भाग. ३।३२।१६-१८), इत्यादि वाक्यों द्वारा 'जायस्व म्रियस्व' इत्यादि रूप तृतीय मार्ग अर्थात् प्रवाहमार्ग में प्रवेश का निरूपण किया गया है[२]।

इस प्रकार यह निश्चित हो जाने पर कि पुरुषोत्तम भक्ति के अतिरिक्त किसी भी अन्य मार्ग से प्राप्य या साक्षात् रूप से सम्बद्ध नहीं है और इसीलिए उन्हें यज्ञादि कर्मों की विधियों का उद्देश्य भी

---

१. देखिए, भाग. ३।३२।१६-१८ की सुबोधिनी, सुबोधिनीप्रकाश एवं बालप्रबोधिनी टीकाएँ।

२. देखिए, पृष्ठ ३७ में नीचे टिप्पमी में उद्धृत गीतातत्त्वदीपिका ९।२०-२१।

अत्र वदामः। श्रवणादिनवकमपि अधिकारिभेदेन क्रियमाणं सत् कर्मज्ञानोपासनाभक्तिमार्गीयत्वेनानेकविधं भवति। तथा हि[१] श्रीभागवतसहस्र–

नहीं कहा सकता, पूर्वपक्षी पूजा के द्वारा पुरुषोत्तम की प्राप्ति हो सकने से मत की सिद्धि करने के लिए पूजा के बक्ति होने का प्रतिपादन करता है।

पूर्वपक्षी का कहना है कि श्रीमद्भागवत (७।५।२३) में नवविधभक्ति के अन्तर्गत अर्चन का भी उल्लेख किया गया है[३]। यह अर्चन पूजा ही है। अतः पूजा–जो अर्चन का ही पर्याप्त है–को भी भक्ति क्यों नहीं कहा जा सकता[४]? अर्थात् पूजा को बक्ति कहने में सिद्धान्ती को क्या आपत्ति हो सकती है?

पूर्वपक्षी उपर्युक्त प्रकार से अर्चन या पूजन को भी भक्ति और साक्षात् पुरुषोत्तम को उसका उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है। इसके उत्तर में सिद्धान्ती अर्चन को भक्ति से बहिर्भूत सिद्ध करने के लिए श्रवणादिनवधि भक्ति के अधिकारी–भेद से होने वाले स्वरूपभेद का

---

३. श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्।
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्।। (भाग. ७।५।२३)।

४. तथा चोपासनां कर्मकाण्डं चाऽऽरभ्याधीतायाः पूजाया भक्तित्वाभावेऽपि नवविधभक्त्यन्तः पातिन्यास्तस्याः पूर्वोक्ताविलक्षणत्वाद्भक्तित्वेन रूपेणार्चनविधौ पुरुषोत्तमस्योद्देश्यत्वं दुष्परिहरम्। सिद्धान्तिना श्रवणादिनवकस्य सर्वाविशिष्टत्वेन पुरुषोत्तमपरत्वाङ्गीकारात्। ततश्च प्रतिज्ञाहानिर्वज्रलेपायितेत्यर्थः। (श्रीपुरुषोत्तम प्रणीतविवेकः, पृष्ठ ४२)।

१. त्रयाणामसङ्कीर्णोदाहरणमाहुः, 'तथा हि' इति। (भक्तितरङ्गिणी पृष्ठ ४२–४४)।

एकादशे विंशाध्याये भगवता कर्मज्ञानभक्त्याख्याः त्रयो योगा नृणां श्रेयोऽर्थमुक्ता अधिकारिभेदेन निष्कृष्टाश्च। सप्तदशे च,

उपपादन करते हैं।

श्रीपुरुषोत्तम अपनी विवेकव्याख्या में कहते हैं कि श्रीमद्भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध में,

'मदर्पणं निष्फलं वा सात्त्विकं निजकर्म तत्।

राजसं फलसङ्कल्पं हिंसाप्रायादि तामसम्।।'

(भाग. ११।२५।२३)

इत्यादि वाक्य में भगवान ने एक ही कर्म के अधिकारी-भेद से अनेकरूप होने का प्रतिपादन किया है और गीता में भी इस प्रकार अधिकारी-भेद से एक ही कर्म के अनेकविध हो जाने का प्रतिपादन किया गया है अतः फलादि की ही भाँति अधिकारी को भी स्वरूपभेदक मानना उचित ही है, और अधिकारी-भेद से श्रवणादि के स्वरूप के भी अनेकविध हो जाने पर उनके अविशिष्टत्व की निवृत्ति हो जाने पर उन्हें भक्ति न कहा जा सकेगा और ऐसी दशा में उनका उद्देश्य भगवान् की विभूति को ही मानना होगा, साक्षात् भगवान् को नहीं। उनमें प्रवृत्ति का कारण यह भ्रम है कि उनके उद्देश्य साक्षात् भगवान् हैं। इस प्रकार श्रवणादि-और उसके अन्तर्गत आने वाले अर्चन या पूजन-को भक्ति नहीं माना जा सकता और इसीलिए साक्षात् पुरुषोत्तम को उनका उद्देश्य भी नहीं माना जा सकता।

पूर्वपक्षी के इस प्रश्न का उत्तर देते हु सिद्धान्ती कहते हैं कि भाग. (७।५।२३) में उल्लिखित भक्ति के श्रवण आदि नवों अवान्तर

यथाऽनुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिर्नृणां भवेत्।

स्वधर्मेणारविन्दाक्ष! तन्मे व्याख्यातुमर्हसि।। (भाग. ११।१७।२)

इति प्रश्ने चातुर्वर्ण्यचातुराश्रम्यधर्माश्चोक्ताः। तथा सति भक्त्यर्थं कर्माणि कुर्वतः सकामस्य कर्मभक्तत्वात् तादृशस्य त्रिवर्गकामनायां तेन क्रियमाणस्य कर्म-मार्गीयत्वम्।

Start : 05.02.2021

नामादिश्रवण–कीर्तनयोः फलत्वेन हि चत्वारोऽप्यर्था उच्यन्ते। तत्र (१) त्रिवर्ग कामेन क्रियमाणः श्रवणादिः कर्ममार्गीय एव। तत्रापि अर्थाद्यर्थिभिः विहितत्वेन कृतः चेत् तदा स तथा, वृत्त्यर्थ चेत्, कृषिवल्लौकिक एव। शौचार्थिगङ्गास्पर्शवश्च। न हि तस्य मलनिवृत्त्यतिरिक्तो धर्म उत्पद्यते, प्रत्युत निषिद्धाचरणात् पापमपि।

भेद, अधिकारी–भेद से किये जाने पर, कर्ममार्गीय, ज्ञानमार्गीय, उपासनामार्गीय और भक्तिमार्गीय के भेद से अनेकविध होते हैं। श्रीमद्भागवत और विष्णु सहस्रनाम आदि के श्रवण एवं पठन से उसके फलरूप में चारों पुरुषार्थों के प्राप्त होन की बात कही गयी है। उनमें से (१) धर्मार्थकामरूप त्रिवर्ग की प्राप्ति की कामना रखने वाले व्यक्ति के (कर्ममार्गी होने के कारण उसके) द्वारा किया जाने वाला श्रवणादि कर्ममार्गीय ही होता है। अर्थ, काम आदि के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा शास्त्रविहीत होने के कारण (अर्थात् शास्त्र श्रवणादि करने को कहते हैं अतः श्रवणादि करना चाहिए यह सोचकर) किया जाने वाला श्रवणादि भी कर्ममार्गीय होता है।

श्रीरघुनाथ अपनी भक्तितरङ्गिणी में कहते हैं कि यद्यपि 'त्रिवर्ग की प्राप्ति की कामना रखने वाले व्यक्तियों द्वारा किये गये श्रवणादि' के उपर्युक्त कथन में 'अर्थार्थी व्यक्ति द्वारा किया गया श्रवणादि' पूर्वगृहीत हो चुका है, फिर भी उसका यहाँ पुनः उल्लेख 'धर्मविरहित अर्थ आदि की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले

उपासनाया अपि मानसकर्मत्वेन तच्छेषस्य तथात्वेऽपि कर्ममार्गीय एवान्तर्भावः। ज्ञानमार्गीयस्य तु तदीयत्वं स्पष्टमेव। भक्तिमार्गीयेऽपि तथात्वं तथा। इत्यभिसन्धायाहुः 'त्रयाणाम्' इति। एवञ्च कर्मोपासनयोः फलभेदेऽपि कर्ममार्गीयत्वेनैव असङ्कीर्णता। तथैव भक्तिमार्गीयस्यापि, इति त्रित्वं सूपपन्नम्। (तीर्थ, पृष्ठ ४३)।

एतेन विहितजातीयं कर्म यथाकथञ्चित्कृतम् उक्तफलाय इति निरस्तम्।

श्रवणादि' का बोध कराने के अभिप्राय से किया गया है।

वृत्ति[१] अर्थात् जीविकोपार्जन के लिए किया गया श्रवणादि जीविकोपार्जन के लिए की गयी खेती आदि की तरह ही लौकिक ही होता है। ऐसा श्रवणादि शोचार्थी के द्वारा ग्रहण किये जाने वाले गङ्गाजल के समान होता है। जिस प्रकार शौचार्थी शौच के लिए गङ्गाजल ग्रहण करता है तो उससे भी मलनिवृत्तिमात्र होती है। कोई अन्य धर्म नहीं उत्पन्न होता अर्थात् मलनिवृत्तिरूप जिस फल की प्राप्ति किसी अन्य वापीकूपतडागादि का साधारण जल ग्रहण करने से होती उसी फल की प्राप्ति गङ्गाजल का ग्रहण करे से भी होती है उसकी अपेक्षा किसी विशिष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती,

उसी प्रकार जीविकोपार्जन के लिए किये गये श्रवणादि से भी, जीविकोपार्जन के लिए किये गये अन्य कर्म की भाँति ही, अर्थादि की उपलब्धि ही होती है कोई अन्य विशिष्ट फल प्राप्त नहीं होता। न केवल इतना ही प्रत्युत जीविकोपार्जन के लिए श्रवण कीर्तन आदि करने से व्यक्ति निषिद्ध आचरण का दोषी होता है और निषिद्ध आचरण करने से होने वाले पाप का भागी भी बनता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शौच के लिए गङ्गाजल का प्रयोग करने वाला व्यक्ति निषिद्ध आचरण के पाप का भागी बनता है वैसे ही जीविका के लिए श्रवणकीर्तनादि करने वाला व्यक्ति भी निषिद्ध आचरण के पाप का भागी होता है।

---

१. वृत्तिपदमविहितरीतिकपूजाकामयोरप्युपलक्षकम्। (श्रीपुरुषोत्तमप्रणीतविवेकः, पृष्ठ ४५)।

श्रीपुरुषोत्तम के अनुसार[१] स्मार्तों के मत से शौच के लिए नद्यात्मक गङ्गाजल का स्पर्श करने से ही पाप होता है नदी से किसी पात्र आदि में भर कर ले गये उद्धृत जल का उपयोग करने से नहीं, क्योंकि स्मृतियों में नदी से पात्रादि में भर कर ले जाये गये जल का शौच के लिए उपयोग करने का निषेध उपलब्ध नहीं होता, किन्तु वैष्णवों की दृष्टि में शौच के लिए गङ्गाजल का ग्रहण करना हर स्थिति में पापजनक है चाहे वह नद्यात्मक गङ्गाजल का शौचादि में उपयोग करने में दोष न मानने पर यह स्वीकार करने का अनिह्नष्टप्रसङ्ग उपस्थित होगा कि चरणामृत आदि का भी तदर्थ उपयोग करने में दोष नहीं है। इस तर्क का तात्पर्य यही है कि यदि यह मान लिया जाएगा कि पवित्र गङ्गाजल को नदी से निकाल कर लोटे में भर लेने से उसकी पवित्रता (समाप्त हो जाती है और सिीलिए वह पवित्रता) शौचादि के लिए उस जल का प्रयोग करने में बाधक नहीं बनती तो यह भी मानना होगाकि पवित्र चरणामृत आदि को भी लोटे में भर लेने आदि से उसकी (पवित्रता समाप्त हो जाती है और इसीलिए वह) पवित्रता शौचादि के लिए उसका उपयोग करने में बाधक नहीं है।

इस प्रकार यहाँ 'श्रवण, कीर्तन आदि जिस भाव से किये जाते हैं उसी के अनुरूप फल देते हैं' यह प्रतिपादित हो जाने से, यह धारणा निरस्त हो जाती है कि विहित कर्म चाहे जिस रूप में किये जाएं शास्त्रोक्त फल को अवश्य देते हैं।

---

१. गङ्गास्पर्शवद् इत्यत्र गङ्गास्पर्शो नद्यात्मकतत्स्पर्शः न तु उद्धततज्जलस्पर्शोऽपि, उद्धृतजलस्य तदर्थ स्पर्शे दोषस्य स्मृत्यनुक्तत्वादिति स्मार्ताः। भगवद्भक्तास्तु तदर्थमुद्धृतजलेऽपि दोषं मन्यन्ते, अन्यथा चरणामृतेनापि तथाकरणे दोषाभावप्रसक्तेः। न च विशेषवचनाभावाल्लोकविद्विष्टत्वाच्चात्र दोषो न तत्रेति वाच्यम्, तस्य अत्रापि तौल्यादिति। (श्रीपुरुषोत्तमप्रणीतविवेकः, पृष्ठ ४५)।

(२) तुरीयाश्रमे ज्ञानोदयहेतुचित्तशुद्धिहेतुत्वेन क्रियमाणः श्रवणादिः ज्ञानमार्गीयः 'यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानैः' (भगा. ११।१४।२६) इत्यादिवाक्यैः।

(३) साक्षान्मोक्षसाधनत्वेन[१] तान्त्रिकदीक्षापूर्वकं विहितत्वेन क्रियमाणः श्रवणादिरुपासनामार्गीयः। अयमेव वैष्णवमार्ग इत्युच्यते विष्णुधर्मेष्वेव निष्ठावत्त्वात्। मुक्तिसाधनत्वप्रतिपादकवाक्यैरेवमवसीयते[२]।

तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वैदिक कर्म साङ्गोपाङ्ग और शास्त्रोक्तविधिपूर्वक किये जाने पर ही अपने फल देते हैं, विधिपूर्वक न किये जाने पर वे कर्म वैदिक कर्म ही नहीं रह जाते और अपना फल नहीं देते उसी प्रकार श्रवणादि भी शास्त्रोक्त से किये जाने पर ही अपना फल देते हैं जिस किसी भी भावना से जैसे-तैसे कर लिये जाने पर नहीं।

(२) चतुर्थाश्रम अर्थात् संन्यासाश्रम में, ज्ञान की प्राप्ति के लिये, ज्ञानोदय ही हेतुभूत चित्तशुद्धि की कामना से, उस (चित्तशुद्धि) के कारण के रूप में किया जाने वाला श्रवणादि ज्ञानमार्गीय होता है। इस बात की पुष्टि भगवान् के, 'हे उद्धव! मेरी परम पावन लीला-कथा के श्रवण-कीर्तन से ज्यों-ज्यों अन्तःकरण परिमार्जित होता है'

---

१. श्रीपुरुषोत्तम के अनुसार इस पद का पाठ 'साक्षान्मोक्षसाधकत्वेन' है।

२. विष्णुधर्मेषु निष्ठावत्त्वं वामवैष्णवेष्वप्यस्ति इति तन्निरासायाहुः 'मुक्ति' इत्यादि। 'मोक्षमिच्छेज्जनार्दनाद्' इत वाक्यन्मुक्तिदोऽत्र विह्नष्णुरभिप्रेयते न तु शक्ति-शेषः प्रेतरूपः। तेन तद्धर्मनिष्ठत्व एव वैष्णवमार्गत्वमन्यथा शाक्तत्वम् इत्यर्थः। (श्रीपुरुषोत्तमप्रणीतविवेकः, पृष्ठ ४८-४९)।

(भाग. ११।१४।२६) इत्यादि[३] वाक्य से होती है।

(३) तान्त्रिक दीक्षापूर्वक साक्षात्[४] (अर्थात् ज्ञान के व्यवधान के बिना ही शुद्ध भावना मात्र से) मोक्ष के साधन के रूप में विहित रूप में किया जाने वाला श्रवणादि उपासनामार्गीय होता है। पञ्चरात्र, पुराण आदि में इस उपासनामार्गीय श्रवणादि को ही वैष्णव धर्म पर वैष्णव मार्ग कहा गया है क्योंकि इसमें विष्णुधर्मों में ही निष्ठा रहती है। इस बात का निश्चय उपासनामार्गीय श्रवणादि के मुक्ति का साधन होने का प्रतिपादन करने वाले वाक्यों से होता है।

यहाँ 'साक्षात् मोक्ष के साधन के रूप में विहित रूप में किया जाने वाला श्रवणादि' इत्यादि वाक्य का आशय है 'श्रवणादि का फल ज्ञान होता है और ज्ञान का फल मोक्ष होता है' यह मान कर किया जाने वाला श्रवणादि नहीं प्रत्युत 'श्रवणादि से साक्षात् अर्थात् अव्यवहित या बिना ज्ञान के व्यवधान के, मोक्ष की प्राप्ति होती है' यह मानकर किया गया श्रवणादि।

'विष्णुधर्मों में निह्नष्ठा' से तात्पर्य गोस्वामिश्रीदीक्षितजी महाराज के अनुसार विष्णुप्रापक, विष्णुप्रिय धर्मों में निष्ठा' से है।

श्रीपुरुषोत्तम के अनुसार यह वाक्य श्रीमद्भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध के ग्यारहवें अध्याय की भगवदुक्तियों का संक्षेपण है। इसे स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि भगवान् श्रीकृष्ण ने भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध के ग्यारहवें अध्याय में, 'आत्मारामोऽनया वृत्त्या' (भाग.११।११।१७) इत्यादि श्लोक तक आत्माराम अर्थात् आत्मनिष्ठ

---

३. यथा यथात्मा परिमृज्यतेऽसौ मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानैः।
तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चतुर्यथैवाञ्जनसम्प्रयुक्तम्।। (भाग. ११।१४।२६)

४. ज्ञानाव्यवधानपूर्वकशुद्धभावनामात्रेणेत्यर्थः। (भक्तितरङ्गिणी, पृष्ठ ४६-४७)।

व्यक्ति के धर्मों का निरूपण कर 'उपारमेत विरजं मनो मय्यर्प्य सर्वगे' (भाग. ११।११।२१) इत्यादि श्लोक में मन को शुद्ध कर अपने में (अर्थात् भगवान् में) लगाकर शान्ति-लाभ करने का उपदेश दिया है, तथा उसके बाद 'यद्यनीशो धारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम्' (भाग. ११।११।२२) इत्यादि श्लोकों में निरपेक्ष कर्म द्वारा भगवद्भक्ति और उसके द्वारा भवत्पद की प्राप्ति होने का प्रतिपादन किया है। तदनन्तर उद्धव के 'भक्तिस्त्वय्युपयुज्येत कीदृशी सद्भिराहता' (भाग. ११।११।२६) इत्यादि प्रश्न के उत्तर में 'मल्लिङ्गमद्भक्तजनदर्शनस्पर्शनार्चनम्' (भाग. ११।११।३४) इत्यादि आठ श्लोकों द्वारा पूर्वोक्त उपासना की अङ्गभूत भक्ति का उपपादन करते हुए 'वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयव्रतधारणम्' (भाग. ११।११।३७) इत्यादि श्लोक में वैदिकी और तान्त्रिकी दीक्षा का उल्लेओख किया है और उपसंहार में,

इष्टापूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहितः।
लभते मयि सद्भक्तिं मत्स्मृतिः साधुसेवया।।

(भाग. ११।११।४७)

इत्यादि कहा है। इस प्रकार उक्त प्रकरण के, 'सत्सङ्गलब्धया भक्त्या' (भाग. ११।११।२५) इत्यादि वाक्य में जो कुछ कहा गया है वही प्रकृत वाक्य में 'साक्षान्मोक्षसाधकत्वेन' पद के द्वारा कहा गया है। वहाँ 'वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा' (भाग. ११।११।३७) इत्यादि श्लोक में जिस तान्त्रिकी दीक्षा का उल्लेख है उसी का स्मरण प्रकृत वाक्य में 'तान्त्रिकदीक्षापूर्वकम्' पद द्वारा कराया गया है। वहाँ 'यो यजेत समाहितः' (भाग. ११।११।४७) इत्यादि वाक्य द्वारा किये गये विध्यनुवाद का स्मरण यहाँ 'विहितत्वेन' पद द्वारा कराया गया है। वहाँ उपक्रम में

'अर्चायामेव हरय' (भाग. ११।२।४७) इत्यादिवाक्याना-मयमेव विषयः।

'उपासिता' (भाग. ११।११।२५) और उपसंहार में 'समाहितः' (भाग. ११।११।४७) आदि शब्दों द्वारा प्रतिपादित उपासनामार्गीय होने का यहाँ 'उपासनामार्गीयः' पद से स्मरण कराया गया है। इस प्रकार प्रकृत वाक्य में श्रीमद्भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध में स्वयं भगवान् द्वारा निरूपित सिद्धान्त का ही प्रतिपादन किया गया है[१]।

योगीश्वर हरि के, 'जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक भगवान् के अर्चाविग्रह अर्थात् उनकी मूर्ति में ही उनकी उपासना करता है' (भाग. ११।२।४७) इत्यादि[२] वाक्यों का विषय यहां उपासनामार्गीय श्रवणादि ही हैं।

---

१. अतः सर्वमिदं भगवदुक्तमेव प्रमेयम्। तथापि तत्र वैदिक्या दीक्षाया भक्तिरूपफलस्य च कथनेन तत्प्रावाहिकभक्तिमर्यादाभक्तिसङ्कीर्णमिति तदत्र प्रमाणत्वेन नोदाहृतम्, अत्र विविक्तत्कथनस्य अभिसंहितत्वादिति। (श्रीपुरुषोत्तमप्रणीतविवेकः, पृष्ठ ४७)।

२. अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते।

न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः।। (भाग. ११।२।४७)

तृतीयमाह, एकत्र भगवन्तं निश्चिन्ततया जानाति पूजाकरणात्, न चायं भक्तिमार्गः, भक्तेषु भावाभावात्, न वा पातिव्रत्यं, अर्चाहर्योर्भेदनिर्देशात्, न वा ज्ञानं, अन्येषु भावाभावात्, चकाराद् भक्ताभक्तयोस्तुल्यता, भेदनिर्देशादस्फुरणपक्षो निराकृतः, अत एकदेशे भगवद्भानात् प्राकृतो ज्ञानभक्त एव। (सुबो. ११।२।४७)।

अर्चायाम् इति अत्र तुल्यता इति भक्तत्वबाधिकेतिशेषः। अस्फुरणपक्ष इति भक्तास्फुरणपक्षः। (सुबो. प्रकाश ११।२।४७)।

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्षभ।। (गीता ७।१६०

इत्यत्र आर्ताधिकारकभजनस्य सर्वसाधारण्येन प्रावाहिकत्वं वक्तुं तल्लक्षणपूर्वकं स्वरूपमनुवदन्ति, 'अर्चायामेव' इति। (भक्तितरङ्गिणी, पृष्ठ ४८-४९)।

ननु मुक्तिप्रतिपादकवाक्यानां चेदुपासनामार्गीयः श्रवणादिः विषयः तदा 'अर्चायामेव

(४) भक्तिमार्गीयभक्तकृतभक्तिसाम्प्रदायिकदीक्षापूर्वकं मोक्षसाधनत्वेन क्रियमाणः श्रवणादिः प्रावाहिकी भक्तिः उच्यते। अत एव कपिलदेवेन,

(४) मर्यादाभक्तिमार्गीय भक्त आचार्यों (अर्थात् श्रीरामानुजाचार्य आदि) द्वारा प्रवर्तित भक्तिसम्प्रदाय की (नारायणाष्टाक्षर, वासुदेवद्वादशाक्षर आदि की) दीक्षापूर्वक मोक्ष के साधन के रूप में (विहित रूप में) किया जाने वाला श्रवणादि 'प्रावाहिकी भक्ति' कहा जाता है।

यहां प्रावाहिकी का तात्पर्य यही है कि जिस तरह लोक-प्रवाह में मुक्ति ही भक्ति के फलरूप में अभिमत होती है वैसे ही यहाँ भी मुक्ति को ही फल माना जाता है। इस प्रकार प्रावाहिकत्व का अभिप्राय केवल मुख्य भक्ति की ही अपेक्षा अपकर्ष द्योतित करना है, 'जायस्व म्रियस्वन इत्यादिरूप प्रवाह का प्रतिपादन करना नहीं। इस प्रावाहिकी भक्ति में उपासनामार्गीय श्रवणादि से साम्य यह है कि दोनों दीक्षापूर्वक मोक्ष के साधन के रूप में और विहितरूप में किये जाते है और भेद यह है कि उपासनामार्गीय श्रवमादि तान्त्रिकदीक्षापूर्वक किये जाते हैं जब कि प्रावाहिकी भक्ति मर्यादामार्गीय भक्त आचार्यों द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदायों की दीक्षा लेकर की जाती है।

हरय' (भाग. ११।२।४७) इत्यादेः को वा विषयः, तत्र भक्तपदेन कर्मज्ञानमार्गीययोः, प्राकृतपदेन भक्तिमार्गीयस्य व्यावर्तनात्, मुक्त्यप्रतिपादनेन अस्यापि वक्तुमशक्यत्वाच्च, इत्याकाङ्क्षायां तादृग्वाक्योक्तसंग्रहाय वदन्तीत्याशयेनाहुः 'चतुर्विधा' इत्यादि। अस्मिन् वाक्ये... अर्थार्थिपदेन,

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः।
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्।। (भाग. २।३।१०)

'न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि।
सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये।।'
(भाग. ३।२५।१९)

इत्युपक्रम्य सतां लक्षणमुक्त्वा,
'त एते साधवः साध्वि सर्वसङ्गविवर्जिताः।
सङ्गस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः सङ्गदोषहरा हि ते।''
(भाग. ३।२५।२४)

'सतां प्रसङ्गान्मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायनाः कथाः।
तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्ति-रनुक्रमिष्यति।। (भाग. ३।२५।२५)

इत्यादि निरूपितम्। अत्र 'अपवर्गवर्त्मनि' इति पदेन उक्तरूपत्वमवधेयम्।

इतिद्वितीयस्कन्धोक्तो भगवत्सेवोपयोग्यर्थार्थी ग्राह्यः। तथा सति आर्तो जघन्यत्वेन शिष्यते। तथा च आर्तेः सर्वत्र दर्शनात्तदीयस्य भजनस्य उपासनादिमार्गत्रये तथात्वं वक्तुं तथेत्यर्थः। ... न वा ज्ञानम्, अन्येषु भावाभावाच्चकारेण भक्ताभक्तयोस्तुल्यत्वसूचनाच्च। एकदेशे भगवद्भावादस्य प्राकृतभक्तत्वमिति। तथा चैतादृशस्य भजनस्य विहिततया क्रियमाणत्वेन उपासनामार्गीयत्वे प्रावाहिकोपासकत्वं तथा प्रावाहिकज्ञानिभक्तत्वमित्येवं ज्ञेयमित्यर्थः। तेन अन्यत्र भगवद्भावरहितत्वे सति एकदेशे भगवज्ज्ञानवत्त्वं प्रावाहिकत्वमिति तत्स्वरूपं सिद्धयति। (तीर्थ,, पृष्ठ ४८-५०)।

ननु यत्र मुक्तिर्नोक्ता 'अर्चायामेव' (भाग. ११।२।४७) इत्यादौ तत्र प्रतिमायामेव तस्य भगवद्बुद्धयान्यत्र भावाभावेन ज्ञानित्वस्याशक्यवचनत्वाद्भक्तेषु भावाभावेन भक्ताभक्तयोस्तौल्यसूचनेन च भक्तिमार्गीयत्वस्याप्यशक्यवचनत्वादर्चाहर्योर्भेदनिर्देशेन पातिव्रत्यधर्मत्वस्यापि तथात्वात्कुत्र निवेश त्याकाङ्क्षायामाहुः, 'अर्चायाम्' इत्यादि। ज्ञानिभक्तयोर्व्युदासे भक्तपदेन कर्मिणोऽपि व्युदासे श्रद्धापदेन विष्णुधर्मनिष्ठाप्राप्त्या प्राकृतपदेन ज्ञानिभक्तापेक्षया हीनोऽभिप्रेयत इति तादृशोयमेव मार्गो विषय इत्यर्थः। असङ्कीर्णत्वादिदमत्रोक्तम्। (श्रीपुरुषोत्तमप्रणीतविवेकः, पृष्ठ ४९-५०)।

(५) प्रेमात्मकभक्तिसाधनत्वेन[१] क्रियमाणः श्रवणादिः भक्तिमार्गे

इसीलिए महर्षि कपिल ने योगियों के लिए ब्रह्मप्राप्ति के लिए अखिलात्मा भगवान् हरि की भक्ति के समान मङ्गलमय अन्य कोई मार्ग नहीं है', (भगा. ३।२५।१९) इत्यादि उपक्रमपूर्वक परवर्ती श्लोकों (भाग. ३।२५।२०-२३) में साधुजनों का लक्षण बताकर, 'हे साध्वि! इस प्रकार के सर्वसङ्गरहित महापुरुष ही साधु होते हैं, तुम्हें उन्हीं के सङ्ग की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे आसक्ति (सङ्ग) से उत्पन्न होने वाले सभी दोषों को दूर कर देने वाले होते हैं। (इस प्रकार के) सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय एवं कानों को प्रिय लगने वाली कथाएँ होती हैं और उन कथाओं का प्रीतिपूर्वक सेवन करने से शीघ्र ही मोक्षमार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होता है' (भाग. ३।२५।२४-२५) इत्यादि का प्रतिपादन किया है। कपिल के उपर्युक्त वाक्य में आये 'अपवर्गवर्त्मनि' अर्थात् मोक्षमार्ग में (श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का विकास होता है) इत्यादि पद से यहाँ निरूपित श्रवणादि के प्रावाहिकी (अर्थात् मुक्ति की कामना से की जाने वाली) भक्ति होने का निश्चय होता है।

तात्पर्य यह है कि कपिल के उपर्युक्त वाक्यों में मोक्षमार्ग में श्रद्धा, रति आदि को श्रवणादि का फल बताया गया है अतः यह श्रवणादि उसका साधन होने के कारण प्रावाहिकी भक्ति ही कहा जाएगा।

---

१. फलरूपामाहुः, 'प्रेमात्मक'-इति। (भक्तितरङ्गिणी, पृष्ठ ५१)। 'फलरूपामाहुः' इति। फलरूपायाः स्वरूपमाहुरित्यर्थः। (तीर्थ, पृष्ठ ५१-५२)।

मर्यादाभक्तिरित्युच्यते, 'श्रद्धामृतकथायां मे[1]' (भाग. ११।१९।१०) इत्युपक्रम्य,

'एवं धर्मैर्मनुष्याणाम् उद्धवात्मनिवेदिनाम्।
मयि सञ्जायते भक्तिः कोऽयोऽर्थोऽस्यावशिष्यते।।' (भाग. ११।१९।२४),

'भक्त्या सञ्जायता भक्त्या[2]' (भाग. ११।३।३१)

इत्यादिवाक्यैः तत्साधनत्वं ज्ञेयम्।

---

(५) प्रेमात्मक भक्ति की प्राप्ति के साधन के रूप में किया जाने वाला श्रवण कीर्तनादि भक्ति मार्ग में मर्यादाभक्ति[3] कहा जाता है। भगवान् द्वारा ह्न'मेरी अमृतमयी कथा में श्रद्धा' (भाग. ११।१९।२०) इत्यादि उपक्रमपूर्वक कहे गये, 'हे उद्धव! आत्मनिवेदन करने वाले मनुष्यों की इन धर्मों का पालन करने से मुझमें भक्ति उत्पन्न हो जाती

---

१. श्रद्धामृतकथायां मे शश्वन्मदनुकीर्तनम्।
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम।। (भाग. ११।१९।२०)।

२. स्मरन्त स्मारयन्तश्च मिथोऽघौघरहरं हरिम्।
भक्त्य सञ्जायता भक्तया विभ्रत्युत्पुलकां तनुम्।। (भाग. ११।३।३१)

एवमच्छिद्रतया श्रवणकीर्तनादिसम्पत्तौ सर्वतः क्षरणजलमिव प्रेमभक्ति रुत्पद्यते तया व्यापिका भक्तिरुद्गच्छति यया शरीरं पूर्यते ततः शरीरस्य गाढत्वादुत्पुलकत्वम्। (सुबो. ११।३।३१)।

एवं श्रवणादिसाधनभक्त्या सञ्जातया प्रेमलक्षणया भक्त्या। अघौघहरं भक्तानामविद्यादिसर्वदोषहरं हरिं स्वयं स्मरन्तः मिथः स्मारयन्तश्च उत्पुलकां रोमोद्गमयुक्तां तनुं बिभ्रति इति अन्वयः। (बालप्रबो. ११।३।३१)।

३. परतः पुरुषार्थत्वेन साधनकरणादस्य मर्यादाभक्तित्वम्। (श्रीपुरुषोत्तमप्रणीतविवेकः, पृष्ठ ५२)।

है और तब उनके लिए कौन अर्थ प्राप्त करना शेष रह जाता है?'' (भाग. ११।१९।२४) इत्यादि वाक्यों तथा महर्षि प्रबुद्ध के राजा निमि से कहे गये, '(साधन रूपा) भक्ति से उत्पन्न होने वाली (प्रेमलक्षणा, फलरूपा) भक्ति से' (भाग. ११।३।३१), इत्यादि वाक्यों से उपर्युक्त मर्यादाभक्ति के स्नेह या प्रेमात्मक, फलरूपा भक्ति के साधन होने का बोध होता है।

इस वाक्य की व्याख्या के प्रसङ्ग में मर्यादाभक्ति के स्वरूप का निरूपण करते हुए श्रीपुरुषोत्तम कहते हैं कि श्रीमद्भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध के उन्नीसवें अध्याय में भगवान् द्वारा, 'मैं तुम्हें अपनी मर्यादा की प्राप्ति का परम कारण बताऊँगा' (भाग. ११।१९।१९) इत्यादि उपक्रमपूर्वक कहे गये।

श्रद्धामृतकथायां मे शश्वन्मदनुकीर्तनम्।
परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम।।
(भाग. ११।१९।२०)

आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गैरभिवन्दनम्।
मद्भक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः।। (भाग. ११।१९।२१)

मदर्थेष्वङ्गचेष्टा च वचसा मद्गुणेरणम्।
मय्यर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनम्।। (भगा. ११।१९।२२)

मदर्थेऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च।
इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मदर्थ यद् व्रतं तपः।। (भाग. ११।१९।२३)

इत्यादि श्लोकों में प्रतिपादित भक्ति प्रकार मर्यादाभक्ति ही है। वे लिखते हैं,

''अत्रोक्तैकादशीयसन्दर्भेआत्मनिवेदनपूर्वकमेव श्रद्दादीनां

कथनातत्पूर्वककथाश्रद्धा, निरन्तरकीर्त्तनं, पूजानिष्ठा, स्तुतिकरणकस्तवनं, परिचर्यादरः, साष्टाङ्गप्रणामः, भक्तेष्वधिकपूजा, सर्वभूतेषु भगवद्भावः, भगवदर्थं लौकिकी क्रिया, लौकिकगाथया भगवद्गुणकथनं गानं च, भगवति मनोऽर्पणं, सर्वकामत्यागः, भगवद्भजनार्थं तद्विरोधिनामर्थभोगसुखानां त्यागः, इष्टदत्तहुतजप्तादीनां वैदिकानां व्रततपआदीनां स्मार्त्तानां च भगवदर्थत्वमित्येतेषां करणं मर्यादाभक्तिरित्यर्थः।'' (श्रीपुरुषोत्तमप्रणीतविवेकः, पृष्ठ ५२)

भगवान् ने इस पूजा-प्रकार को उपक्रम में 'भक्ति का परम कारण' (भद्भक्तेः कारणं परम'-भाग. ११।१९।१९) कहा है तथा उपसंहार में,

एवं धर्मैर्मनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदनाम्।

मयि सञ्जायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थोऽस्यावशिष्यते।। (भाग. ११।१९।२४)

इत्यादि वाक्य में इसके फल के उत्कर्ष का प्रतिपादन किया है। इससे इसका अन्य पूजा-प्रकारों से उत्कृष्ट होना स्पष्ट है। इसे 'परम कारण' कहने का तात्पर्य यही है कि इससे शीघ्र और नियतरूप से भक्ति की प्राप्ति होती है। वे आगे लिखते हैं,

''किञ्च! अत्र द्विविधाया अपि दीक्षाया अनुक्तत्वात्, 'कथयिष्यामि' इति प्रतिज्ञानाच्च स्वकृतोपदेशपक्ष एव भगवतोऽभिप्रेत इति ज्ञायते। तथा सति 'एवं धर्मैः...' (भाग. ११।१९।२४) इति वाक्यगतं 'मयि' इति पदं पूर्वार्द्धेऽपि युज्यमानं कृष्ण एवं भगवति सम्प्रदायरीतिकात्मनिवेदनोपदेशं गमयति। गारुडे तु,

सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति च यो वदेत्।

अभयं सर्वभूतेभ्यो ददात्येतद्व्रतं हरेः।। (गरुडपु. २९९।११)

(६) स्नेहोत्पत्त्यनन्तरं स्वव्यसनतः[१] स्वतन्त्रपुरुषार्थत्वेन क्रियमाण उत्तमः पुष्टिभक्तिरूपः[२]।

इति विष्णुभक्त्यध्याये कण्ठत एवोक्तम्। गीतायामेकादशे च शरणगमनोपदेशाच्च सा ततः पूर्वा कक्षा। तथा सति तदुभयोपदेशपूर्वकं तथा क्रियमाणः श्रवणादिः मर्यादाभक्तिरिति सिद्धयति। उपदिश्यमानमन्त्रस्वरूपादिकं मया उपदेशवादे प्रपञ्चितमिति नात्र पुनरुच्यते।'' (श्रीपुरुषोत्तमप्रणीतविवेकः, पृष्ठ ५२-५३)

'भक्त्या सञ्जातया भक्तया' (भाग. ११।३।३१) इत्यादि उद्धरण का स्वारस्य स्पष्ट करते हुए श्रीपुरुषोत्तम कहते हैं कि, 'श्रीमद्भागवत के उपर्युक्त 'एवं धर्मैः' (भाग. ११।१९।२४) इत्यादि श्लोक में 'धर्म' पद का प्रयोग किया गया है तः स्नेह के साधनभूत श्रवणादि को भक्ति कहना ठीक नहीं है'' इस आशङ्का का निरास करने के लिए ही मूलग्रन्थ में 'भक्त्या सञ्जातया भक्तया' (भाग. ११।३।३१) इत्यादि श्लोक उद्धृत कर यह सूचित किया गया है कि यहाँ भक्ति के साधन के लिए भी 'भक्ति' पद का प्रयोग उपलब्ध होने से यह सिद्ध होता है कि 'एवं धर्मैः' (भाग. ११।१९।२४) इत्यादि श्लोक में 'धर्म' पद भगवद्धर्मपरक है, अतः श्रवणादि को भक्ति कहने में कोई असङ्गति नहीं है।

---

१. भगवद्विन्नरागनिवर्तको भगवद्भावः स्नेहः।..... सेवाश्रवणादिवृत्त्या वर्द्धमानः स एव आसक्तिरूपो भवति।... भगवदितरविषयबाधकत्वस्फूर्ति सम्पादको भाव आसक्तिः। .... स एव उत्तरोत्तरं वृद्धो व्यसनत्वं प्राप्नोति। विशेषेण अस्यन्ते क्षिप्यन्ते दैहिका धर्मा अनेन इति व्यसनम्। (प्रमेयरत्नार्णवः, पृष्ठ १२३-१२५)।

'यदा स्याद् व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात्तदैव हि।' (भक्तिवर्द्धिनी, ५)

२. विशेषानुग्रहजन्या या भक्तिः सा पुष्टिभक्तिः। तल्लक्षणं तु भगवत्स्वरूपाति

'मत्सेवया प्रतीतञ्च सालोक्यादिचतुष्टयम्।

नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालविप्लुतम्[1]।' (भगा. ९।४।६७)

'नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरता मदीहाः[2]।' (भाग. ३।२५।३४)

अब सिद्धान्ती फलदशापन्न स्वतन्त्रपुरुषार्थरूप श्रवणादि अर्थात् पुष्टिभक्ति का स्वरूप बताते हुए उसके सर्वोत्कृष्ट होने का प्रतिपादन करते हैं, यह स्पष्ट करते हुए श्रीरघुनाथ लिखते हैं, 'फलदशापन्नभक्तिस्वरूपमाहुः, 'स्नेहोत्पत्ति–' इति।' (भक्तितरङ्गिणी, पृष्ठ ५३)। उनके इस वाक्य की व्याख्या करते हुए श्रीपुरुषोत्तम कहते हैं, ''पुष्टिभक्तिस्वरूपं विवृण्वन्ति, 'फलदशापन्न–' इत्यादि' (श्रीपुरुषोत्तमप्रणीतविवेकः, पृष्ठ ५४)।

(६) स्नेहोत्पत्ति के बाद व्यसन के कारण ही सहज भाव से,

रिक्तफलाकाङ्क्षारहितत्वे सति भगवत्स्वरूपात्मकफलाकाङ्क्षावत्त्वम्। (प्रमेय रत्नार्णवः, पृष्ठ ८१–८२)। देखिए, ऊपर पृष्ठ १९, तथा प्रमेयरत्नार्णवः, पृष्ठ ८१–८३

१. भावार्थदीपिकाप्रकाश, अन्वितार्थप्रकाशिका, सिद्धान्तप्रदीप और बालप्रबोधिनी टीकाओं नमें 'कालविद्रुतम्' तथा भागवतचन्द्रिका, क्रमसन्दर्भ, सारार्थदर्शिनी और भक्तमनोरञ्जनी टीकाओं में 'कालविप्लुतम्' पाठ मिलता है। इस पाठभेद से अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता।

२. 'नैकात्मताम्' इति। इयं हि फलरूपा भक्तिर्ज्ञातव्या। ते भक्ता यावज्जीवन्ति च तावत्फलरूपां भक्ति कुर्वन्तीत्यर्थ। फलरूपता तदैव भवति यदा भजनाद्रसोऽभिव्यक्तो भवति बहुधा तस्य अभिव्यक्तेर्निदर्शनम्, भगवत एकात्मतां सायुज्यरूपं फलं न स्पृहयन्ति। प्रार्थना दूरे। ते भक्तेषु विरलाः प्रसङ्गात् निरूप्यन्ते। केचिद् इति दुर्लभाः। तेषां कायवाङ्मनोवृत्तिः स्वभावत एव भवतीत्याह, 'मत्पाद' इत्यादिना। मम पादसेवायामेव अभिरतिः मनोवृत्तिः येषाम्। सर्वतो गत्वा भगवत्कार्य कर्त्तव्यमिति। पद्भ्यां सेवा इत्यर्थः। अन्यत्तु सुखं गमनान्तरसाध्यम्। इयं मनोवृत्तिर्निरूपिता। कायिकीमाह, मदीहा इति। मत्सम्बन्धिन्येव ईहा चेष्टा येषाम्। (सुबो. ३।२५।३४)

३. का त्वां? मुक्तिरुपागतास्ति, भवती कस्मादकस्मादिह?

(न कि विहित होने के कारण), स्वतन्त्र पुरुषार्थ के रूप में (न कि किसी अन्य फल की प्राप्ति के साधन के रूप में), किया जाने वाला श्रवणादि पुष्टिभक्तिरूप होता है और (किसी फल की आकाङ्क्षा के बिना ही किया जाने के कारण) यह श्रवणादि ही सर्वोत्तम होता है।

इसके स्वतन्त्रपुरुषार्थरूप और उत्तम होने का स्पष्टीकरण देते हुए श्रीरघुनाथ लिखते हैं, ''स्वभावतः सर्वेन्द्रिय वृत्तीनां स्वरूपैकविषयत्वेन कामिन्यासक्त-मनस इव यत्किञ्चित्क्रियमाणमपि तद्विषयकमेव भवत् पर्यवस्यतीत्यतः स्वतन्त्र पुरुषार्थत्वम्, अग्रे फलाकाङ्क्षाविरहादुत्तमत्वञ्च दोषमात्रस्य आशङ्क्तिुमप्यशक्यत्वादित्यर्थः।' (भक्तितरङ्गिणी, पृष्ठ ५४-५६)।

श्रीमद्भागवत के स्वयं भगवान् द्वारा कहे गये, 'मेरी सेवा से ही परिपूर्ण अर्थात् निर्वृतान्तःकरण होकर कृतकृत्य हो गये मेरे (पूर्वोक्त समदर्शी साधु), भक्त, मेरी सेवा (अर्थात् भक्ति) से प्राप्त हुई सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य और सार्ष्टि रूप चतुर्विध मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करना चाहते३ तो कालक्रम से नष्ट हो जाने वाले इन्द्रादि पद के ऐश्वर्य आदि की तो बात ही क्या है।'' (भाग. ९।४।६७), ''कुछ, मेरी चरण सेवा में ही प्रीति रखने (की मनोवृत्ति) वाले और मुझसे ही सम्बद्ध चेष्टाएं करने वाले भक्त, मेरे साथ एकात्मता (अर्थात् सायुज्य मुक्तिरूप फल) की भी स्पृहा नहीं करते।'' (भाग. ३।२५।३४) इत्यादि, श्रीशुकदेव द्वारा कहे गये,

''मधुसूदन भगवान् श्रीकृष्ण की सेवा में अनुरक्त मन वाले महात्माओं के लिए मोक्ष भी तुच्छ है।'' (भाग. ५।१४।४४) इत्यादि तथा भगवान् शङ्कर के द्वारा कहे गये, ''भगवान् नारायण में निष्ठा रखने वाले भक्त लोक में किसी से भी नहीं डरते क्योंकि वे स्वर्ग,

'महतां मधुद्विट्सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गुः[1]।'। (भाग. ५।१४।४४)

'नारायणपरालोके न कृतश्चन बिभ्यति।
स्वर्गापवर्गनरकेष्वपि तुल्यार्थदर्शिनः।।'

(भाग. ६।१७।२८)

इत्यादिवाक्यैः तथात्वं ज्ञेयम्।

नरक और मोक्ष (तीनों को भक्तिसुखरहित होने के कारण समानरूप से अरुचिकर मान कर, तीनों) में समदृष्टि रखते हैं[2]।'' (भाग. ६।१७।२८) इत्यादि वाक्यों से फलरूप श्रवणादि[3] के सर्वोत्तम होने का ज्ञान होता है।

श्रीकृष्णस्मरणेन देव! भवतो दासीपदं प्रापिता।।
दूरे तिष्ठ मनागनागसि कथं कुर्यादनार्य मयि।
त्वद्दानान्निजनामचन्दनरसोलेपस्य लोपो भवेत्।।
न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे।
न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि! सुखेच्छापि न पुनः।।
अतस्त्वां संयाने जननि! जननं यातु मम वै।
मृडानी शर्वाणी शिव शिव भवानीति जपतः।।
(श्रीशङ्कराचार्यकृतदेव्यपराधक्षमापनस्तोत्र, ८)

१. यो दुस्त्यजान् क्षितिसुतस्वजनार्थदारान् प्रार्थ्या श्रियं सुरवरैः सदयावलोकाम्। नैच्छन्नृपस्तदुचितं महतां मधुद्विट्सेवानुरक्तमनसामभावेऽपि फल्गुः। (भाग. ५।१४।४४)

२. एवं महात्म्ये उक्तमेव भगवत्परत्वं हेतु स्पष्टयति, 'नारायण'-इति। भयाभावे हेतुमाह, 'स्वर्ग' इति। स्वर्गादिष्वपि भक्तिसुखराहित्येन अरोचकत्वाविशेषेण तुल्योऽर्थः प्रयोजनमिति द्रष्टुं शीलं येषां ते यथा। (बाल प्रबो. ६.१७।२८)।

३. सेवापदेन सातत्याभीक्ष्ण्यान्तरपूर्वकः कायिकव्यापारविशेष उच्यते। स चात्र प्रकरण बलात्परिचर्यारूप एव। तस्याश्च कायक्लेशाधायकत्वेन स्वतः पुरुषार्थ त्वाभावेऽपि

तेन[1] भक्तिपदस्य शक्तिः स्न्ह[2] एव।

इस प्रकार 'अत्र वदामः' (ऊपर पृष्ठ ३९) इत्यादि वाक्य से प्रारम्भ कर 'तथात्वं ज्ञेयम्' से समाप्त होने वाले प्रकृत वाक्य तक अधिकारी-भेद से श्रवणादि के अनेकविध होने का प्रतिपादन किया गया।

अब सिद्धान्ती पूजा को भक्ति मानने के मत का निराकरण करने के लिए 'भक्ति' पद की शक्ति का निर्धारण करने में प्रवृत्त होते हैं।

इस प्रकार अनेकविध श्रवणादि के फलों के तारतम्य के उपर्युक्त विचार से सिद्ध होता है कि 'भक्ति' पद की शक्ति 'स्नेह' में ही है।

इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए श्रीपुरुषोत्तम कहते हैं कि

अत्र पूर्णत्वादिकथनात् स्नेहात्मकमनोवृत्तिपूर्वकत्वादिकं लभ्यते, लोके तथा दर्शनात्। श्रवणादीनां त्वत्र स्नेहसिद्धया अर्थाल्लाभः। एतद्बोधनायात्र 'इत्यादि' इत्यादिपदम्। (श्रीपुरुषोत्तमप्रणीत विवेकः पृष्ठ ५५)

१. फलतारतम्यविचारेणेत्यर्थः। (भक्तितरङ्गिणी, पृष्ठ ५६)।

२. श्रीवल्लभाचार्य तत्त्वार्थदीपनिबन्ध में लिखते हैं,

भक्तिस्वरूपमाह-

माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोऽधिकः।

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः, तया मुक्तिर्न चान्यथा।। (शास्त्रार्थ प्र.का.४२)

स्नेहो भक्तिः। (शास्त्रार्थ प्र.प्र.४२)।

भक्तिशब्दस्य प्रत्ययार्थः प्रेम, धात्वर्थः सेवा, 'भक्त्यैव तुष्टिमभ्येति' इति-वाक्यात्, 'पश्यन्ति ते मे' (भाग. ३।२५।३५) इति च। (सर्वनिर्णय प्र.प्र.९२)। मिलाइए, भजधातोस्तु सेवार्थः, प्रेम क्तिन्-प्रत्ययस्य च।

स्नेहेन भगवत्सेवा भक्तिरित्यभिधीयते।। (सत्सङ्गिजीवनम् १।३६।१)।

माहात्म्यज्ञानयुग्भूरिस्नेहो भक्तिश्च माधवे। (शिक्षा पत्री १०३)।

श्रवमादिषु तद्धेतुत्वेन तत्प्रयोगो भाक्तः। अत एव,
सालोक्य–सार्ष्टि–सामीप्य–सारूप्यैकत्वमप्युत।
दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः।।
(भाग. ३।२९।१३)
इति लक्षणमुक्त्वा 'स एव भक्तियोगाख्य'
(भाग. ३।२९।१४)
इति लक्ष्यमुक्तम्, अन्यथा आख्यापदमनर्थकं स्याद् एवकारश्च।

यद्यपि घात्वर्थ का विचार करने से 'भक्ति' पद की शक्ति 'सेवा' में प्रतीत होती है[३] फिर भी श्रीमद्भागवत के पूर्वोद्धृत,

मत्सेवया प्रतीतञ्च सालोक्यादि चतुष्टयम्।
नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः कुतोऽन्यत्कालविप्लुतम्।। (भाग. ९.४।६७)

इत्यादि वाक्यों में प्रयुक्त 'पूर्णाः' इत्यादि पदों की अन्यथानुपपत्तिके बल से 'भक्ति' पद की शक्ति 'स्नेह' में होने का निश्चय होता है[४]। नारदपञ्चरात्र में तो 'स्नेहो भक्तिरिति

---

३. 'भक्ति' पद की निष्पत्ति सेवार्थक (भ्वादिगणीय, उभयपदी, सेट्) 'भज' धातु ('भज' सेवायाम्–धातुसंख्या १०२३) में 'क्तिन्' प्रत्यय लगाने से होती है। देखिए, ऊपर इसी पृष्ठ की टिप्पणी २

मिलाइए, 'भज' इत्येष वै धातुः सेवायां परिकीर्तितः।
तस्मात्सेवा बुधैः प्रोक्ता भक्तिः साधनभूयसी।। (गरुडपु. २१९।३)।

४. आचार्यैस्तु 'भक्तिपदस्य धात्वर्थः सेवा, प्रत्ययार्थः प्रेम' (सर्वनिर्णयप३. प्र. ९२) इति निबन्धे उक्तमुपपादितञ्च। अतः प्रेम्णा सेवायां भक्तिपदशक्तिः पर्यवस्यति। (श्रीपुरुषोत्तमप्रणीतविवेकः, पृष्ठ ५८)।

एवं सति पूर्वेक्तेष्वौपचारिको भक्तिपदप्रयोग इति ज्ञापितं भवति। स्नेहवशेन क्रियमाणाः ते स्नेहमध्यपातिन एव।

प्रोक्तः[१]' ऐसा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। शाण्डिल्यभक्तिसूत्र में भी, 'अथातो भक्तिजिज्ञासा' (शा. भक्तिसूत्र १।१।१) इस प्रकार प्रतिज्ञान कर भक्ति का लक्षण करते हुए यही कहा गया है कि भक्ति ईश्वर में परानुरक्तिस्वरूप है, 'सा परानुरक्तिरीश्वरे' (शा. भक्तिसूत्र १।१।२)

कहीं कहीं श्रवणादि (अर्थात् नैरपेक्ष्यपूर्वक श्रवणादि) के लिए 'भक्ति' पद का प्रयोग हुआ है वह इसी कारण कि वह श्रवणादि भक्ति का हेतु होता है, तः वह प्रयोग भक्ति अर्थात् गौण है। इसीलिए भागवत के तीसरे स्कन्ध में भगवान् ने 'मेरे भक्त मेरी सेवा छोड़कर सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य और एकत्व स्वीकार करने को भी प्रस्तु नहीं होते[२]' (भाग. ३।२९।१३) आदि वाक्य द्वारा भक्ति का

प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः, तयोस्तु प्रत्ययः प्राधान्येन' इति नियमाद् अत्र धातुसामान्यार्थे शक्तोऽपि क्तिन्-प्रत्ययो भजिसमभिव्याहारात् प्राधान्येन भजनक्रियां वक्ति। सा च सेवात्मिका। सेवापदञ्च सातत्याभीक्ष्ण्यान्यतरपूर्वककायिकव्यापार विशेषे रूढम्। स्त्रीसेवा, औषधसेवेत्यादिप्रयोगदर्शनात्। तादृशव्यापारविशेष परिचर्यारूप एव, स्वतन्त्रसेवाबोधकैः 'मत्सेवया प्रतीतं च' (भाग. ९।४।६७) इत्यादिवाक्यैरवगम्यते। तेषु सेवया पूर्णत्वादिकथनात् प्रेमपूर्वकत्वमपि लभ्यते। अन्यथा तस्याः कायक्लेशजनकत्वेन स्वतः पुरुषार्थत्वोक्तिभङ्गप्रसङ्गात्। एवं सति प्रेम्ण एव प्रयोजकत्वेन तस्य प्राधान्यं गम्यते। भक्तिलक्षणवाक्यैः, 'भक्त्यैव। इति वाक्याच्च। अतः स एव प्रत्ययार्थः। कायिक्यादिरूपा त्वप्रधानत्वात् प्रकृत्यर्थः' साऽपि, 'मत्पादसेवाभिरता मदीहाः...' (भाग. ३।२५।३४) इति सेवनमुपक्रम्योक्तेन, 'पश्यन्ति ते' (भाग.३।२५।३४) इति वाक्येनावगम्यते। अतः 'भक्त्या मामभि..' (गीता १८।५५) इत्यादावुभयं सङ्गृह्यत इत्यतः प्रेमसेवात्र तथोच्यत इत्यर्थः। (सर्वनिर्णय प्र.प्र.९२)

१. देखिए ऊपर पृष्ठ ५२ टिप्पणी २ में उद्धृत श्रीवल्लभाचार्यकृत तत्त्वार्थदीपनिबन्ध के शास्त्रार्थ प्रकरण की बयालीसवीं कारिका। इसे श्रीवल्लभाचार्य ने नारदपञ्चरात्र से लिया है।

२. सालोक्यम् समाने लोके वैकुण्ठे स्थितिः। सार्ष्टिः समानैश्वर्यम्। सामीप्यम्

लक्षण कहकर, 'उसी की भक्तियोग यह आख्या है अर्थात् वही भक्तियोग कहा जाता है[१]' (भाग. ३।२९।१४) इत्यादि वाक्य द्वारा 'भक्तियोग' पद से लक्ष्य का उल्लेख किया है। ऐसा न मानने पर अर्थात् 'भक्ति' पद का मुख्यार्थ स्नेह न मानने पर पूर्वोक्त वाक्य में (लक्ष्यलक्षणकथन के अनावश्यक होने के कारण) 'आख्या' पद और (अन्ययोगव्यवच्छेद के अनपेक्षित होने के कारण) 'एव' पद निरर्थक हो जतो हैं। ऐसी स्थिति में भगवान् ने इन वाक्यों से यही सूचित होता है कि पूर्वोक्त श्रवणादि के लिए किया जाने वाला 'भक्ति' पद का प्रयोग औपचारिक है अर्थात् श्रवणादि को यदि कहीं 'भक्ति' कहा गया है तो वह केवल उपचारवश कहा गया है।

पूर्वपक्षी का कहना है कि यदि 'भक्ति' पद का मुख्यार्थ स्नेह ही है तथा स्नेह–व्यतिरिक्त स्थलों में बक्ति पद का प्रयोग भाक्त या गौण है तो पुष्टिमार्गीय श्रवणादि के लिए प्रयुक्त भक्ति शब्द को भी गौण ही मानना चाहिए और उस श्रवणादि को भी भक्ति नहीं कहना चाहिए। पूर्वपक्षी की इस आशङ्का का निरास करते हु सिद्धान्ती कहते हैं कि,

पूर्वोक्त पुष्टिमार्गीय श्रवणादि स्नेहवश किये जाने के कारण स्नेहमध्यपाती ही हैं अर्थात् स्नेह के ही अन्तर्गत आते हैं, अतः यह कहना ठीक न होगा कि 'भक्ति' पद का मुख्यार्थ स्नेह मानने पर उन्हें भक्ति न कहा जा सकेगा।

पार्षदत्वम्। सारूप्यम् सौन्दर्याद्यविशेषप्रतीतिः। एकत्वम् स्वरूपे प्रवेशः। (भक्तितरङ्गिणी, पृष्ठ ५७)

देखिए, नीचे पृष्ठ ६६ पर टिप्पणी में उदधृत सुबोधिनी ३।२९।१३

१. भक्तियोग इति तस्यैव नाम। स एव आत्यन्तिक इति उदाहृतः। (सुबो. ३।२९।१४)

अथवा, साक्षात्पुरुषोत्तमप्रापकत्वेन विहितत्वं[१] भक्तिपदप्रवृत्तिनिमित्तं श्रवणादिषु भिन्नम्। न च तत्प्रापकत्वमेव तथेति वाच्यम्, द्वेषादेर्भगवदनुग्रहस्य च भक्तित्वापत्तेः।

न च 'साक्षात्' पदमनर्थकम्, विभूतिभजनकर्तृरति तद्द्वारा तत्प्राप्तेः,

'यथाद्रिप्रभवा नद्यः पर्यन्यापूरिताः प्रभो।

विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तद्वत् त्वां गतयोऽन्ततः।।

(भाग. १०।४०।१०)

सिद्धान्ती के कथन का यह आशय है कि यद्यपि स्नेह के आन्तर और श्रवणादि के बाह्य होने के कारण दोनों एकरूप नहीं हैं फिर भी स्नेहोत्पत्ति के बाद किये जाने वाले पूर्वोक्त श्रवणादि स्नेहान्त पाती होकर स्नेह के ही समान भक्ति कहे जाने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे अन्य नदियों-नालों आदि का जल (गङ्गान्तःपाती होकर अर्थात्) गङ्गा के प्रवाह में मिलकर गङ्गाजल कहा जाने लगता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार गङ्गान्तःपाती बाह्य जल के लिए किया जाने वाला 'गङ्गा' पद का प्रयोग लाक्षणिक नहीं होता वैसे ही स्नेहान्तःपाती श्रवणादि के लिए किये जाने वाले 'भक्ति' पद के प्रयोग को भी लाक्षणिक नहीं मानना चाहिए।

---

१. तस्माद् भारत! सर्वात्मा भगवान् हरिरीश्वरः।

श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत्छताभयम्।। (भाग. २।१।५)

इत्यादिवाक्यविहितत्वम्। अत्राभयस्य भगवत्प्रवेशरूपत्वात् साक्षातपुरुषोत्तमप्रापकल्पं लभ्यते। तव्यस्यावश्यकार्थत्वस्वीकारेऽपि लोके विध्यर्थत्वप्रसिद्धया विधिलाभः, निबन्धे तथाङ्गीकारात्। वाक्यान्तरं वा विधायकं बोध्यम्। (श्रीपुरुषोत्तमप्रणीतविवेकः, पृष्ठ ५८-५९)।

Start : 05.02.2021

अथवा (अर्थात् श्रवणादि के लिये किये जाने वाले 'भक्ति' पद के प्रयोग को भक्ति या औपचारिक मानने के अलावा एक दूसरा विकल्प यह मानना है कि) श्रवणादि के साक्षात्पुरुषोत्तम के साधनके रूप में विहित होने के कारण श्रवणादि में 'भक्ति' पद की प्रवृत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि श्रवणादि के लिए भक्ति पद का प्रयोग किये जाने का एक अन्य कारण माना जा सकता है और वह है 'श्रवणादि का साक्षात् पुरुषोत्तम की प्राप्ति के साधन के रूप में विहित होना।'

यहाँ यह कहना ठीक न होगा कि 'साक्षात्पुरुषोत्तम की प्राप्ति का साधन होना' ही 'भक्ति' पद की प्रवृत्ति का निमित्त है अर्थात् साक्षात्पुरुषोत्तम की प्राप्ति के साधन को ही भक्ति कहते हैं, क्योंकि यह मान लेने पर द्वेष आदि को तथा भगवद्नुग्रह को भी भक्ति कहने या स्वीकार करने का अनिष्ट प्रसङ्ग उपस्थित होगा।

तात्पर्य यह है कि शिशुपाल आदि को भगवान् के प्रति द्वेषभाव रखने से ही भगवत्स्वरूप की प्राप्ति हो गयी थी अतः उनके लिए तो भगवान् से द्वेष ही भगवत्प्राप्ति का साधन हो गया। ऐसी स्थिति में भगवान् की प्राप्ति के साधनमात्र को भक्ति मान लेने पर भगवान् के प्रति द्वेषभाव रखने आदि को भी भक्ति मानना पड़ेगा अर्थात् भक्ति का लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा।

यह कहना भी ठीक न होगा कि उपर्युक्त 'साक्षात्पुरुषोत्तमप्रापकत्वेन विहितत्वम्' इत्यादि वाक्य में प्रयुक्त 'साक्षात्' पद निरर्थक है, क्योंकि जैसा कि 'हे भगवन्! जिस प्रकार पर्वत से निकलने वाली और वृष्टि जल से पूरित सभी नदियाँ सभी ओर से आकर अन्ततः समुद्र में ही प्रविष्ट होती हैं उसी प्रकार सारी गतियाँ

इत्यादिप्रमाणसिद्धत्वेन तद्वारकत्वात्।

श्रीकृष्णस्नेहत्वमेव फलरूपायां तस्यां तन्निमित्तम्, इत्यनेकार्थो भक्ति-शब्दः। प्रवृत्तिनिमित्तभेदेऽपि रविचन्द्रयोः पुष्पवच्छब्दवाच्यत्वमेकस्यामेवोक्तौ

अन्ततः आप में ही पर्यवसित होती है अर्थात् सारे फलों का पर्यवसान अन्ततः आप में ही होता है[१]।' (भाग. १०।४०।१०) इत्यादि वाक्यों से सिद्ध है, विभूतियों की भकिग्त करने वालों को भी विभूतियो ंद्वारा पुरुषोत्तम प्राप्ति होती ही है और प्रकृत वाक्य में प्रयुक्त 'साक्षात्' पद का प्रयोजन ुसी का व्यावर्तन करना है।

इस विषय में श्रीरघुनाथ अपनी भक्तितरङ्गिणी टीका में लिखते हैं, 'साक्षात्पदादाने लक्षणस्य केवलव्यतिरेकित्वेन (असादारणधर्मत्वात्तथात्वेन-'तीर्थ, व्याप्यत्वासिद्धत्वमित्यर्थः' तीर्थ, पृष्ठ ५९) स्यादित्यपि ज्ञेयम्। ('तद्विशदयन्ति'-तीर्थ, पृष्ट ५९) विवादास्पदं भक्तिः कर्मादिभ्यो भिद्यते, पुरुषोत्तमप्रापकत्वेन विहितत्वात्।

---

१. ननु तत्तदुपासकानां तत्तद्देवतासायुज्यस्योक्तत्वात् कथं प्रमेयबलविचारेण तेषां गत्यभाव इति चेत् तत्राह, 'यथाद्रिप्रभवा' इति। साधनपरं चैतद्वाक्यम्।

आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्।

सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति।।

इतिवाक्यात्। प्रमेयबले चे तेषां भगवत्सायुज्यमेव यदि निष्कामाः, परम्परा कालविलम्बश्च भवति, यथा भूतोपासकाः भूतसायुज्यं प्राप्नुवन्ति, ततो भूतानि महादेवसायुज्यं, महादेवो भगवत्सायुज्यमिति। एवं विहितानामविहितानां व साक्षात्परम्परया वा भगवत्सायुज्यमेव फलमिति। यथा सर्वासामेक पर्वतप्रभवानां नदीनां मेघैरापूर्यमाणानां सिन्धुरेव प्रवेशस्थानं चतुर्दिक्षु न त्वन्यः कश्चित् प्रवेशयोग्यो भवति, तद्वदेव नदीप्राया जीवगणाः सहजेन पर्वतजलेन आगन्तुकेन वा वृष्टिजलेन पूरिता भवन्ति तथा विधिना अविधिना च पूरिता जीवा जन्मकोटिभिः भगवत्सायुज्यमेव प्राप्नुवन्ति। तथाभूतानामपि फलं साधयतीति ज्ञापनार्थ प्रभो इति। गतयः फलानि। अन्ततः त्वय्येव विशन्ति। (सुबो. १०।४०।१०)

यथा तथा क्वचिद्भक्तिपदं 'भक्त्याहमेकया ग्राह्यः' (भाग. ११।२४।२१) इत्यादिषु उभयवाचकमपि उक्तरूपता तु,

'मामेव नैरपेक्ष्येण भक्तियोगेन विन्दति' (भाग. ११।२७।५३) इत्यादिभिः,

'एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। ये चाप्यक्षरमव्यक्तम्' (गीता १२।१)

इति पार्थप्रश्नेन एतदुत्तरेण च, 'नालं द्विजत्वम्' (भाग. ०७।७।५१)

इत्युपक्रम्य 'प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम्' (भाग. ७।७।५२)

इति प्रह्लादवाक्येन, 'न रोधयति मां योगः' (भाग. ११।१२।१) इत्यादि–

श्रीमन्मुखोत्थवाक्यैः, 'भक्त्याहमेकया ग्राह्यः' (भाग. ११।२४।२१) इत्यादि वाक्यसहस्रैश्च भक्तौ[1] अवधार्यते।

यत्र कर्मादिभेदाभावः तत्र तत्प्रापकत्वे सति विहितत्वाभाव इत्यसिद्धः सर्वस्यापि तत्परत्वादेवेति यद्यप्यसिद्धिवारकं विशेषणं व्यर्थं मन्यन्ते ('सर्वस्य भक्तित्वोपगमने मन्यन्ते'–(तीर्थ, पृह्लष्ठ ६०) तथापि मतभेदेन 'योगास्त्रयो मया...' (भाग. ११।२०।६) इति वाक्यानुसारिणा सिद्धान्तिमतेनेत्यर्थः'–तीर्थ, पृष्ठ ६०) ज्ञेयम्।' (भक्तितरङ्गिणी, पृष्ठ ५९–६०)।

---

१. 'भक्तौ' इति पुष्टिमार्गीयश्रवणादिनवके। तथा च तद्विधिषु फलत्वेन भगवतः स्पर्शो न दोषावहः, स्पर्शे भक्तित्वस्यैव प्रयोजकत्वादित्यर्थः। (श्रीपुरुषोत्तमप्रणीतविवेकः, पृष्ठ ६२–६३)।

फलरूपा भक्ति के भक्ति होने में श्रीकृष्ण में स्नेह होना ही निमित्त अर्थात् प्रयोजक है। इस प्रकार बक्ति शब्द अनेकार्थक है। शब्दप्रवृत्ति के निमित्त के भिन्न होने पर भी जिस प्रकार एक ही उक्ति में 'पुष्पवत्' शब्द के कहने से सूर्य और चन्द्र दोनों का बोध होता है, उसी प्रकार कहीं-कहीं, 'मुझे केवल भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है' (भाग. ११।२४।२१) इत्यादि वाक्यों में 'भक्ति' पद साधन एवं फल दोनों का वाचक अर्थात् बोधक भी होता है और साक्षात्पुरुषोत्तम की प्राप्ति के साधन के रूप में विहित भक्ति पुष्टिभक्ति ही है इसका निश्चय, श्रीमद्भागवत में स्वयं भगवान् द्वारा कहे गये 'निरपेक्ष भक्तियोग से भक्त मुझे ही प्राप्त कर सकता है' (भाग. ११।२७।५३) इत्यादि वाक्यों, गीता में अर्जुन के 'जो भक्त निरन्तर ऊपर (गीता ११।५५ इत्यादि में) कहे गये प्रकार से आपकी उपासना करते हैं तथा जो (गीता ८।११-१३ में उल्लिखित) अव्यक्त अक्षर तत्व की उपासना करते हैं (गीता १२।१) इत्यादि प्रश्न तथा भगवान् द्वारा दिये गये इस प्रश्न के उत्तर, भक्त प्रह्लाद के, 'हे असुरपुत्रो! भगवान् मुकुन्द को प्रसन्न कर सकने में द्विजत्व... समर्थ नहीं है' (भाग. ७।७।५१) इत्यादि उपक्रमपूर्वक कहे गये, 'भगवान् हरि तो केवल निर्मल (अर्थात् अनन्य प्रयोजनवाली) भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, और ऐसी भक्ति के अभाव में द्विजत्व आदि अन्य सारे साधन विडम्बनामात्र (अर्थात् अकिञ्चित्कर) हैं।' (भाग. ७।७।५२) इत्यादि वाक्य, स्वयं भगवान् द्वारा अपने श्रीमुख से कहे गये, 'हे उद्धव! योगसाधन... मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है' (भाग. ११।१२।१), 'मैं केवल अनन्यप्रयोजन वाली भक्ति के ही द्वारा प्राप्य हूँ' (भाग. ११।१४।२१) इत्यादि वाक्यों तथा इसी प्रकार के अन्य सहस्रों वाक्यों से होता है।

मन्त्राधिष्ठातुस्तु पुरुषोत्तमविभूतिरूपत्वं पूर्वमुपपादितम् इति तत्प्रापकतज्जपार्चनादेः न भक्तित्वं वक्तुं शक्यम्, भक्तिसाधनत्वोक्तंश्च।

एवं सति भक्तिमार्गीयभजनप्रकारेषु स्नेह एव नियामकः स्नेहवताम्, कर्मणि विधिवत्[1], तद्रहितानां तु तद्वत्कृत उपदेश एव[2]। स च वेदाविरुद्ध एव इति ज्ञेयम्।

मन्त्राधिष्ठातृदेवता पुरुषोत्तम के विभूतिरूप हैं यह हम पहले ही प्रतिपादित कर चुके हैं (देखिए, ऊपर पृष्ठ ८, २४), अतः उनकी प्राप्ति के साधनरूप उनके जप अर्चन आदि को भक्ति नहीं कहा जा सकता। उस जप-अर्चन आदि को भक्ति का साधन बताने वाले 'भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्' (भाग. ११।२७।५३) इत्यादि वाक्यों से भी इसी बात की पुष्टि होती है।

'उपासनादिमार्गीय पूजा को भक्ति भले ही न कहा जा सके पर भक्तिमार्गी भक्त द्वारा भक्ति में गिनी जाने वाली पूजा को भी तो-कोई अन्य नियामक दृष्टिगत न होने के कारण-विधि के ही अधीन मानना होगा, और ऐसी स्थिति में पुरुषोत्तम को अर्चनविधि का उद्देश्य न मानने के सिद्धान्ती के मत का विरोध होगा।' पूर्वपक्षी की इस

एतेन पूर्वपक्षे पूजाया यद्भक्तित्वमापादितं स्थितं तत् साधनरूपायां मर्यादाभक्तौ पुरुषोत्तमप्रापकत्वेन विहितायां वा तस्यां पर्यवस्यति न तु पुष्टिभक्ताविति बोधितम्। (तीर्थ, पृष्ठ ६२)।

१. भेदोपपत्तौ सत्यां शीतोष्णादिनिवारणाद्युपचारेषु स्नेहवतां तदधीनैव कृतिर्यागे विध्यधीनेव। (भक्तितरङ्गिणी, पृष्ठ ६३-६४)।

२. स्नेहेन क्रियमाणानां श्रवणादीनां स्नेहमध्यपातित्वे साक्षात्पुरुषोत्तमप्रापकत्वेन विहितत्वे च सति मुख्ये जघन्ये चाधिकारे यथायथं तदुभयं नियामकमित्यर्थः।

(श्रीपुरुषोत्तमप्रणीतविवेकः, पृष्ठ ६३-६४)।

आशङ्का का निराकरण करते हुए ग्रन्थकार कहते हैं कि,

इस प्रकार उपासनामार्गीय पूजा और भक्तिमार्गीय पूजा में भेद है और भगवान् में निरवधि स्नेह रखते हुए भक्तिमार्गीय पूजा करने वाले भक्तों को पूजा-प्रकार का नियामक उनका भगवत्स्नेह ही है, ठीक उसी प्रकार जैसे वैदिक कर्म करने वालों के नियामक वैदिक विधिवाक्य होते हैं।

जो भक्त भगवान् के प्रति निरवधि स्नेह से रहित है किन्तु भक्तिमार्गीय पूजा में प्रवृत्त हैं उनके पूजा-प्रकार के नियामक भगवान् में निरवधि स्नेहपूर्वक भक्तिमार्गीय पूजा करने वाले भक्तों द्वारा दिये गये उपदेश हैं। वे उपदेश श्रुत्यविरोधी ही होते हैं, यह अवधेय है।

तात्पर्य यह है कि भगवत्स्नेह से रहित होते हुए भी भक्तिमार्गीय पूजन में प्रवृत्त लोगों को स्नेहपूर्वक भगवद्भजन करने वाले भक्त मर्यादा के अनुसार वेदविरोधी पूजा-प्रकार का उपदेश देते हैं और वह उपदेश ही उनके पूजा-प्रकार का नियामक होता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम को अर्चन-विधि का उद्देश्य मानने का यहां कोई प्रसङ्ग ही नहीं है[१]।

इस वाक्य की श्रीरघुनाथकृत 'स्नेहस्यानुदितत्वान्मर्यादयैवोपदेश इत्यर्थः' (भक्तितरङ्गिणी, पृष्ठ ६४-६५) इस व्याख्या को स्पष्ट करते हुए श्रीपुरुषोत्तम लिखते हैं, ''मर्यादयैव' इति। एतेन वेदाविरुद्धपदं

---

१. एकादशे समाप्तौ भगवद्धर्मकथने भगवता,

देशान् पुण्यानाश्रयेत मद्भक्तैः साधुभिः श्रितान्।

देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताचरितानि च।। (भाग. ११।२९।१०)

इत्याज्ञापनात् स्नेहार्थं भजन्तं प्रति तेषां स्नेहवता रीतिरुपदेष्टव्या न तु वैधी, तता सति क्वार्चनविध्युद्देश्यत्वमित्यर्थः। (तीर्थ, पृष्ठ ६४)

व्याख्यातम्। तेन य इदानीन्तनाः तद्विरुद्धमुपदिशन्ति कुर्वन्ति वा ते भ्रान्ता इति सिद्धयति। तस्मात्पूर्वेषां रीतिमनुसृत्यैव कार्यम्। अत एव,

चन्दनोशीरकर्पूरकुङ्कुमागुरुवासितैः।

सलिलैः स्नापयेन्मन्त्रैर्नित्यदा विभवे सति।। (भाग. ११।२७।३०)

स्वर्णधर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया।

पौरुषेणापि सूक्तेन सामभी राजनादिभिः।। (भाग. ११।२७।३१)

इत्येनेनोक्तं स्नापनं ज्येष्ठाभिषेक एव क्रियते, विभवे सत्यपि न नित्यदा, श्रीजगन्नाथे तथैव करणात्।

वस्त्रोपवीताभरणपन्नस्रग्गन्धलेपनैः। (भाग. ११।२७।३२)

इत्यत्रोक्तेनाप्युपवीतेन नालङ्क्रियते, व्रजे भगवतोऽनुपनीतत्वात्।

अभ्यङ्गौन्मर्दनादर्शदन्तधावाभिषेचनम्।

अन्नाद्यं गीतनृत्यानि पर्वणि स्युरुतान्वहम्।। (भाग. ११।२७।३५)

इत्यत्रोक्तेषु दन्तधावः कदापि न कार्यते। अभ्यङ्गोऽष्टदिनोत्तरम्। शेषा यथासौकर्यमिति युज्यते। एवमन्यदपि बोध्यम्। सर्वत्र श्रीभागवताद्युक्तव्रजस्थाद्याचरणस्यैव मूलत्वादिति।'' (तीर्थ, पृष्ठ ६४)।

'भगवत्स्नेह विरहित व्यक्ति द्वारा की गयी पूजा को भक्तिमार्गीय पूजा कैसे कहा जा सकता है?' इस आशङ्का का निराकरण करते हुए ग्रन्थकार वैदिक कर्म का दृष्टान्त देकर भगवत्स्नेहरहित व्यक्ति द्वारा की गयी सम्प्रदाय प्राप्त पूजा के भक्ति रूप में होने का प्रतिपादन करते हैं।

विधिमजानता बालेन पित्रादिशिक्षया कृतसन्ध्यावन्दनादेः कर्मत्ववदुपदेशानुसारेण कृतेरपि भक्तित्वम्, तन्मार्गीयत्वात्। एवम्भूतस्याग्रे स्नेहोऽवशस्यं भावी इति ज्ञेयम्। यथा तादृग्बालकृतकर्मणोऽप्युक्तफलसाधकत्वं तथा तादृगभजन-स्यापि पुरुषोत्तमप्रापकत्वम् इति किमन्यद् अवशिष्यते?

आधुनिकानामुपदेष्टणामपि स्नेहाभावेऽपि[१] तन्मूलभूतानां प्राचाम्

जिस प्रकार विधि को न जानने वाला उपनीत बालक अपने पिता आदि के द्वारा दिये गये उपदेशों के अनुरूप सन्ध्यावन्दन आदि वैदिक कर्म करता है और उसके द्वारा किये जाने वाले उन कर्मों को वैदिक कर्म माना जाता है, उसी प्रकार भगवत्स्नेह विरहित व्यक्ति द्वारा भगवान् में निरवधि स्नेह रखने वाले पुष्टिमार्गीय भक्तों के उपदेश के अनुसार की जाने वाली श्रवणकीर्तनादिरूप भक्तिमार्गीय पूजा भी भक्ति ही कही जाती है क्योंकि वह पूजा भक्तिमार्गीय है। यहाँ यह ध्यान में रखने योग्य है कि इस प्रकार पूजा करने वाले व्यक्ति को बाद में चलकर भगवतस्नेह की प्राप्ति अवश्य होती है। जिस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार के बालक द्वारा किये गये सन्ध्यावन्दिन आदि कर्म उन कर्मों के वेदोक्त फलों के साधक होते हैं उसी प्रकार पूर्वोक्त प्रकार के भगवत्स्नेहविरहित व्यक्ति द्वारा पुष्टिमार्गीय भक्तों के उपदेश के अनुसार की गयी भक्तिमार्गीय पूजा भी पुरुषोत्तम की प्राप्ति का साधन होती है। और पुरुषोत्तम की प्राप्ति न होने पर फिर क्या प्राप् तकरना शेष रह

---

१. ननु तथापीदानीं तदुपदेशवैयर्थ्यं वज्रलेपायितम्, आधुनिकामुपदेष्ट-णामपि स्नेहाभावात्। तथा च भक्तिमार्गीयत्वमप्यभिमानमात्रमिति तदपि व्यर्थमित्याशङ्कायामाहुः, 'आधुनिक'-इत्यादि। (श्रीपुरुषोत्तमप्रणीतविवेकः, पृष्ठ ६५)।

जाता है?

इसे स्पष्ट करते हुए श्रीपुरुषोत्तम कहता है कि पूर्वपक्षी का कहना है कि भगवत्स्नेहविरहित व्यक्ति द्वारा की गयी श्रवणकीर्तनादिरूप पूजा स्नेहविरहित होने के कारण पुष्टि भक्ति नहीं कही जा सकती, वह भक्ति प्राप्ति के साधन के रूप में भी नहीं की जाती अतः मर्यादाभक्ति भी नहीं कही जा सकती, मोक्ष की कामना से न की जाने के कारण वह प्रावाहिक भक्ति भी नहीं हकही जा सकती और भक्तिमर्गीय होने के कारण वह उपासनादिरूप भी नहींम मानी जा सकती, अतः-भक्ति, उपासना आदि किसी में भी अन्तर्भाव न हो सकने के कारण-उसका उपदेश ही निरर्थक है और उसका कारण भी व्यर्थ ही है। इसके उत्तर में सिद्धान्ती यह कहते हैं कि भगवत्स्नेहविरहित व्यक्ति द्वारा की गयी पूजा पुष्टिभक्ति ही है अतः उसका उपदेश निरर्थक नहीं कहा जा सकता और वह पूजा भी भगवत्प्राप्तिरूप फल का साधन होन के कारण निरर्थक नहीं कही जा सकती।

यद्यपि भक्तिमार्गीय पूजा-प्रकार के आधुनिक उपदेष्टाओं में भी भगवत्स्नेह का अभाव है तथापि इनके मूलभूत प्राचीन आचार्यों में भगवान् के प्रति निरतिशय प्रेम था और वे भगवान् द् वारा अनुगृहीत थे, तः (इनके द्वारा उपदिष्ट प्रकार से की जाने वाली पूजा को पुष्टिभक्ति मानने में) कोई अनुपपत्ति नही है। भगवान् का अपने द्वारा अनुगृहीत भक्त के द्वारा प्रवर्तित मार्ग (सम्प्रदाय) में पक्षपात रहता है। इसीलिए श्रीमद्भागवत में ब्रह्मा आदि ने कहा है कि, 'हे परमप्रकाशकस्वरूप परमात्मन्! सत्पुरुष भक्तों पर आपकी महती कृपा है जिससे वे स्वयं इस भयंकर और दुस्तर संसार सागर को पार कर, जाते-जाते अन्य लोगों के कल्याण (अर्थात् संसार-सागर को पार करने) के लिए आप के चरणकमलों की नौका स्थापित कर जाते

आचार्याणां तद्वत्त्वेन [1]तदनुगृहीतत्वेन सर्वोपपत्तेः। स्वानुगृहीतभक्तप्रवर्तित्वेन यतः तन्मार्गे पक्षपातो भगवतः, अतः श्रीभागवते ब्रह्मादिवाक्यम्,

स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदाः।
भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्।
(भाग. १०।२।३१) इति।

अत्र भगवत्पदाम्भोजस्य भक्तिमार्गत्वेन तद्रूपस्वसम्प्रदायप्रवर्तनमेव तन्निधानम्।

तत्प्रवर्तितसम्प्रदाये प्रवृत्तानां तादृक्साधनाभावेऽपि साक्षादनुगृहीतेषु पक्षपातेन तत्सम्बन्धिषु अपि अनुग्रहं करोषि इत्याभिप्रायेणोक्तम्, सदनुग्रह त्ति। सत्सु अनुग्रहो यस्य इत्यर्थः। अस्मिन्नर्थे प्रामाण्यार्थं भगवत्सम्मतिरेव दर्शिता, 'भवान्' इत्यनेन। तत्सम्प्रदायस्थानां तरणावश्यम्भावाय नौत्व–

हैं।' (भाग. १०।२।३१)। यहाँ भगवान् के चरणकमल के भक्तिमार्गरूप होने के कारण उसका ('निधान' अर्थात्) स्थापित करना वस्तुतः भक्तिमार्गरूप सम्प्रदाय का प्रवर्तन करना ही है।

अपने द्वारा साक्षात् रूप से अनुगृहीत भक्तों का पक्षपात करने के कारण भगवान्, उनसे सम्बद्ध होने के कारण उनके द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय में प्रवृत्त लोगों पर भी, उन लोगों के समर्थ साधनों से विरहित होने पर भी अनुग्रह करते हैं। पूर्वोक्त श्लोक में भगवान् को 'सदनुग्रह' अर्थात् 'सत्पुरुषों पर अनुग्रह करने वाला' कहने का यही अभिप्राय है। इस सिद्धान्त की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए

---

१. तेषामिति शेषः। (वही, पृष्ठ ६५)

निरूपणम्। तेन अनायासेन भवाब्धितरणं सूचितम्। बाहुभ्यां तरणे ह्यायासो नावा तरणे न तथा इत्येतत्सर्वं विवरणे पितृचरणैः विवृतमिति[१] नात्र लिख्यते।

भगवद्भजने परमियं व्यवस्था। अग्निहोत्रादीनां प्रभ्विच्छां ज्ञात्वा

इसी श्लोक में 'भवान्' (आप) इस पद के प्रयोग द्वारा इस सिद्धान्त को भगवत्सम्मत दिखाया गया ह। 'भगवद्भक्त द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय में स्थित लोगों का संसार-सागर को पार कर जाना अवश्यम्भावी है', यह द्योतित करने के लिए भगव्चरणकमलों की नौका का निरूपण किया गया है। इसके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि वे बिना किसी प्रयास के ही संसार-सागर को पार कर जाएंगे, क्योंकि हाथों के बल से तैर कर पार करने में प्रयास करना पड़ता है, पर नाव से पार करने में नहीं। यह सब पूज्य पितृचरण श्रीवल्लभाचार्य ने श्रीमद्भागवत की अपनी सुबोधिनी टीका में स्पष्ट रूप से लिख दिया है तः (पिष्टपेषण बचाने के लिए) हम उसे यहाँ नहीं लिख रहे हैं।

---

१. ... प्रमेयमाह, 'स्वयं समुत्तीर्य...' इति। तीर्णस्यास्थापनेनैव वत्सपदकरणात् सम्पूर्णानुवादे 'सुदुस्तरं भवार्णवं भीमम्' इत्युक्तम्। मोक्षप्रतिपादकत्वात् सर्वशास्त्राणां मोक्षः सम्प्रदायश्च प्रमेयं भवति।... 'तेषूत्तीर्णेषु तदनुसरणेनैव भूयान संसारो गत इति पोतरूपोऽति पादः सुखदः सर्वप्रदर्शकः। तत्कृपयानतिगम्भीरोऽम्भो-रुहनौकारूपो जातः समुद्रश्च नदीरूपो जातस्तदाह 'भगवत्पदाम्भोरुहनावम्' इति। अन्न एव निधाय याताः। ननु ते महता प्रयासेन भगवन्तमाराध्य वशीकृत्य चरणमारुह्य सर्व चरणे निवेश्य यातास्तदुपदेशिनस्तु न तद्विधा इति कथं तरणं भविष्यतीत्याशङ्कयाह, 'तदनुग्रहो भवान्' इति। सत्स्वनुग्रहो यस्य। 'भवान्' इति। अस्मिन्नय सम्मतिरुक्ता (सुबो. १०।२।३१)।

'सम्पूर्णानुवाद' इति। अन्यं प्रति सम्पूर्णानुवादे। किमत्र प्रमेय योगप्रमाणेन प्रमितं भवतीत्यत आहुः, मोक्षः इत्यादि। मोक्षः सम्प्रदायश्च इति। फलत्वेन साधनत्वेन चेति शेषः। तथा चैतद् द्वयमिह योगजधर्मेण प्रमितं भवतीत्यतस्तथेत्यर्थः। ...ननु श्लोकद्वयेऽपि संसारस्य

यदानुष्ठानं तदा यथाकल्पसूत्रमेव। एतेन अप्रामाणिकत्वेन अन्धपरम्परावशङ्का निरस्ता, प्रमाणसिद्धत्वात्।

किन्तु ('सदनुग्रहः' पद की व्याख्या द्वारा सङ्केतित) यह व्यवस्था (कि भगवान् का श्रवणकीर्तनादि सम्प्रदायप्राप्त-प्रकार से ही करना चाहिए, सम्प्रदायप्राप्त न होने पर विध्यनुरोधी पूजा-प्रकार के अनुसार भगवद्भजन करना भी उचित नहीं है। केवल भगवद्भजन के बारे में ही है (वैदिक कर्म आदि के सम्बन्ध में नहीं)। प्रभु की इच्छा या आज्ञा जान कर अग्निहोत्रादि का अनुष्ठान करने आदि के समय तो कल्पसूत्र में बताई गई विधि का ही अनुसरण करना चाहिए।

श्रीपुरुषोत्तम के अनुसार यहाँ 'प्रभ्विच्छां ज्ञात्वा' (अर्थात् प्रभु की इच्छा या आज्ञा को जान कर) इत्यादि पदों का आशय यह है कि भगवान् की विशेष आज्ञा के अभाव में,

श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे यस्य उल्लङ्घ्य वर्तते।

आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः।।

इत्यादि सामान्य आज्ञा का पालन करते हुए, अग्निहोत्रादि कल्पसूत्रों के अनुसार ही करना चाहिए।

समुद्रत्वकथनात्प्रत्युतास्मिन् दुस्तरत्वाद्युक्तेरत्र चरणस्य पोतत्व कथनमेवोचितं तदपहाय किमिति नौत्वादिकमुच्यत इत्याकाङ्क्षायामाहुस्तेष्वित्यादि। सर्वप्रदर्शक इति। कूलपरिच्छिन्नतया सर्वसंसारप्रदर्शकः। एतस्यैव विवरणं तत्कृपया इत्यादि। एवं च पूर्वोक्तेन स्मार्ते न योगरूपेण प्रमाणेन भगवच्चरणरूपभक्तिमार्गात्मक साधनबूतं प्रमेयं ततो भगवत्प्राप्त्यात्मकं फलरूपं च प्रमेयं प्रमितं भवतीत्यर्थः। चरणस्य सम्प्रदायपरत्वं तु पूर्वश्लोकोक्तमहत्कृतपदादेव सिद्धम् इति च चोद्यावसरः। एतन्निदर्शनं च 'भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहित' (भाग. १।७।४) इति प्रथमस्कन्धोक्तव्याससमाधिसन्दर्भाज् ज्ञेयम्। सत्स्वनुग्रहो यस्य इति। तथार्वाचीनानामतथात्वेऽपि तन्मूलभूतेष्वाचार्येष्वनुग्रहात् तदनुसारिणस्तारयसीत्यर्थः। (सुबोधिनी टिप्पण्योः प्रकाशः १०।२।३१)

पूर्वपक्षी का कहना है कि 'ऊपर भगवत्स्नेहविरहित व्यक्ति द्वारा भक्तिमार्गीय भक्तों के उपदेशानुसार सम्प्रदायप्राप्त प्रकार से भगवद्भजन करने की जो व्यवस्था दी गई है व हवाचनिक अर्थात् श्रुतिस्मृत्युक्त न होने से प्रामाणिक नहीं है। इस प्रकार किया जाने वाला भगवद्भजन-प्रयोजक स्नेह का अभाव होने के कारण-अन्धपरम्परामात्र है और भगवत्स्नेहरूप फल को, उत्पन्न नहीं कर सकता। इस आशङ्का का समाधान करते हुए सिद्धान्ती कहते हैं कि,

पूर्वोक्त वाक्य से स्नेहविरहित व्यक्ति द्वारा भक्तिमार्गीय भक्तों के उपदेशानुसार सम्प्रदाय-प्राप्त से किये जाने वाले भगवद्भजन के अप्रमाणिक होने के कारण अन्धपरम्परामात्र होने की शङ्का का निराकरण भी हो गया, क्योंकि इस प्रकार का भगवद्भजन प्रमाणसिद्ध है।

इस वाक्य की व्याख्या करते हुए श्रीरघुनाथ लिखते हैं कि शिष्टाचार के प्रमाण होने के कारण भगवत्स्नेह के अभाव में भी सम्प्रदाय-प्राप्त प्रकार से किया जाने वाला भगवद्भजन प्रामाणिक है अतः ुसके अन्धपरम्परामात्र होने की आशङ्का नहीं करनी चाहिए। इसे स्पष्ट करते हुए श्रीपुरुषोत्तम कहते हैं कि,

'साधूनां समयश्चापि प्रमाणं वेदवद्भवेत्' इत्यादि वाक्य में शिष्टाचार को वेद के समान प्रामाणिक कहा गया है अतः कलियुग में शिष्टाचार स्मृतियों की अपेक्षा प्रबल प्रमाण है। इसलिए सम्प्रदायप्राप्त शिष्टानुगृहीत भगवद्भजनप्रकार के अन्धपरम्परामात्र होने की आशङ्का नहीं करनी चाहिए।

भगवत्प्रेम फलरूप है और जीवकृतिसाध्य नहीं है अतः उसका

प्रेम्णश्च फलत्वेन स्वकृत्यसाध्यत्वेन च न विहितत्वं सम्भवति किन्तु तस्यानुवाद एव[1]।

'य एतस्मिन् महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः।[2]' (भाग. १०।८।१८)

'माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोऽधिकः।

विधान नहीं किया जा सकता केवल अनुवाद ही किया जा सकता है।

तात्पर्य यह है कि फलरूप होने के कारण स्नेहरूपा पुष्टिभक्ति का विधान नहीं हो सकता, केवल अनुवाद ही हो सकता है, किन्तु साधनरूप श्रवणाद्यात्मक भक्ति का विधान हो सकता है। इसीलिए नीचे उद्धृत श्लोकों में फलरूपा भक्ति का अनुवादमात्र किया गया है

---

१. ननु तापनीयश्रुतौ 'तं भजेद्' इति विधाय 'भक्तिरस्य भजनं तदिहामुन्नोपाधिनैराश्येनामुष्मिन् मनःकल्पनम्' इति लक्षणदर्शनात् प्रेम्णोऽपि विहितत्वात् कस्तत्र विशेषः?... उपबृंहणवाक्येष्वनुवाददर्शनात्तत्रापि। प्रेमकारणीभूतमनोव्यापारस्यैव विधानं, न तु प्रेम्ण इत्याशयः। (तीर्थ, पृष्ठ ६८-६९)।

२. य एतस्मिन्, महाभागाः प्रीतिं कुर्वन्ति मानवाः।

नारयोऽभिभवन्त्येतान् विष्णुपक्षानिवासुराः।। (भाग.१०।८।१८)

ये महाभागाः एतस्मिन् भगवति प्रीतिं स्नेहं कुर्वन्ति तान् अरयो नाभिभवन्ति। स्वत एव तर्हि सर्व एव कथं प्रीतिं न कुर्वन्ति इत्याशङ्कय भगवत्प्रीतौ स्वरूपयोग्यता सहकारियोग्यता चापेक्ष्यत इतह, मानवाः मनोर्जाताः सद्धर्मरूपा धर्मार्थ एवोत्पन्ना इति स्वरूपयोग्यानां 'मन्वन्तराणि सद्धर्म' इतिवाक्यात्। महाभागा इति,

जन्मान्तरसहस्रेषु तपोध्यानसमाधिभिः।

नराणां क्षीणपापानां कृष्णे भक्तिः प्रजायते।।

इतिवाक्यात् परमभाग्येनैव प्रीतिर्जायते। प्रीतिम् इति सर्वदैवकविधप्रीतिकरणार्थमेकवचनं, पटवद् वृद्धयर्थ वा, खण्डशःकरणाभावार्थ वा। हेतुस्तूक्त एव। य इति प्रसिद्धतया तेषां निर्देशः, भवन्तस्त इति प्रतिनिर्देशार्थः। एतान् परिदृश्यमानान् गोकुलस्थान्। (सुबो. १०।८।१८)

सुबोधिनी के अनुसार इस श्लोक का अङ्क १०।८।१९ है।

स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तस्तया मुक्तिर्न चान्यथा। (शास्त्रार्थप्र. का. ४२)[1] तृतीयस्कन्धे च, 'देवानां गुणलिङ्गानामानुश्रविककर्मणाम्।[2] (भा. ३।२५।३२) इत्यादि, 'मद्गुणश्रुतिमात्रेण[3]' (भाग. ३।२९।११) इत्यादि।

और साधनरूपा भक्ति का विधान किया गया है।

जो महाभाग मानव इन भगवान् श्रीकृष्ण से प्रेम करते हैं (उन्हें शत्रु अभिभूत नहीं कर पाते)' (भाग. १०।८।१८), 'भगवान् के माहात्म्य के ज्ञानपूर्वक, भगवान् में सुदृढ़ और सर्वाधिक स्नेह होना ही भक्ति कहा गया है, और मुक्ति इस भक्ति से ही होती है, अन्यथा (अर्थात् किसी अन्य प्रकार या साधन से) नहीं।' (शास्त्रार्थ

---

१. यह श्लोक शास्त्रार्थप्रकरण में नारदपञ्चरात्र से लिया गया है।

२. देवानां गुणलिङ्गानामानुश्रविककर्मणाम्।
सत्व एवैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या।। (भाग. ३।२५।३२)
अनिमित्ता भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी।
जरयत्याशु या कोशं निगीर्णमनलो यथा।। (भाग. ३।२५।३३)।

तत्र भक्तिं लक्षयति, 'देवानाम्' इति द्वयेन। ... एकमनसः पुरुषस्य सर्वेन्द्रियाणां सत्त्वमूर्तौ भगवति या स्वाभाविकी वृत्तिः, सा भक्तिरिति। इन्द्रियाणि हि द्विविधानि स्वभावतः 'द्वया ह प्राजापत्याः' इत्यत्र निरूपितानि। एकानि देवरूपाणि एकान्यासुररूपाणि। ... दोषान्निवृत्तानि स्वस्य देवभावं प्राप्नुवन्ति तदा कार्यतोऽपि देवरूपाणि भवन्ति। ... तत्र भक्तिर्दैवैरेव भवति। 'गुणलिङ्गानाम्' इति। गुणा रूपादयः, तैर्लिङ्ग्यन्ते, गुणा लिङ्गानि येषामिति। देवरूपाणामिन्द्रयाणामेतल्लक्षणम्। ... आनुश्रविकाणि... एव कर्माणि येषाम्। ... कार्याणि तु वैदिकान्येव तेषाम्। दैवात् येषामेतादृशानीन्द्रियाणि भवन्ति तेषां भक्तिर्भवतीत्युक्तम्। (सुबो. ३।२५।३२) द्रष्टव्य, सुबोधिनी ३।२५।३२-३३।

३. मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये।
मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गाम्भसोऽम्बुधौ।
लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम्।
अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे।

प्र. का. ४२), तथा श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध के, वेदविहित कर्मों में लगी हुई, रूपादि गुणों द्वारा अनुमित होने वाली देवरूप इन्द्रियों की... (भगवान् श्रीहरि में स्वाभाविक वृत्ति)...'' (भाग. ३।२५।३२-३३) इत्यादि एवं 'मेरे गुणों के श्रवणमात्र से (लौकिक और वैदिक प्रतिबन्धों को दूर कर मन को भगवान् में तैलधारावदविच्छिन्न रूप से उसी प्रकार लगा देना जिस प्रकार गङ्गाजल पर्वतादि को पार करके भी समुद्र में अविच्छिन्न रूप से गिरता है,

---

सालोक्य-सार्ष्टि-सामीप्य-सारूप्यैकत्वमप्युत।

दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः।

स एव भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहृतः।

येनातिव्रज्य त्रिगुणं मद्भावायोपपद्यते।। (भाग. ३।२९।११-१४)।

निर्गुणां भक्तिमाह द्वयेन, 'मद्गुण' इति। ... सर्वगुहाशये मयि भगवति, प्रतिबन्धरहिता अविच्छिन्ना या मनोगतिः। पर्वतादिभेदनमपि कृत्वा यथा गङ्गाम्भोऽम्बुधौ गच्छति, तथा लौकिकवैदिकप्रतिबन्धान् दूरीकृत्य या भगवति मनसो गतिः। मनस इत्युपलक्षणम्, दुर्लभत्वाय वाः, यथा कायिकगतिर्गोपिकानाम्। सा गतिः निर्गुणस्य भक्तियोगस्य तल्लक्षणम् उदाहृतम् इति प्रमाणम्। आत्यन्तिकभक्तेर्लक्षणमाह, अहैतुकी इति सार्द्धाभ्याम्। या अहैतुकी पुरुषोत्तमे भक्तिः स एव भक्तियोग आत्यन्तिक उदाहृतः इति सम्बन्धः। पुरुषोत्तम एव भक्तिः, न तु पुरुषेष्ववतारेषु वा। भक्तिश्च प्रेमपूर्विका सेवा। हेतुः फलानुसन्धानम्, तद्रहिता अहैतुकी, अनिमित्ता वा। अनेन सगुणा निवारिता। अव्यवहिता इति कालेन कर्मणा वा यत्र सेवायां व्यवधानं नास्ति, न तु निद्राभोजनादिना, तस्य सेवाहेतुत्वात्। या भक्तिः इति लोकवेदप्रसिद्धा, न तु चौर्यादिना विषयान् सम्पाद्य भगवत्सेवाकरणम्। तस्या निदर्शनमाह-'सालोक्य' इति। सैवात्यन्तिकी या स्वतो रसभावं प्राप्ता, सैव नान्यत् फलमङ्गीकारयति। अत्यन्तप्रेमोत्पत्तावेवं भवति। सालोक्यं वैकुण्ठे वासः, सार्ष्टिः समानैश्वर्यम्, सामीप्यं भगवत्समीपे स्थितिः सालोक्येऽप्ययं विशेषः, सारूप्यं स्वस्यापि चतुर्भुजत्वम्, एकत्वं सायुज्यम्। उत इति तस्य मुख्यफलत्वं ज्ञापयति। तदपि दीयमानं न गृह्णन्ति इत्यत्यन्तानादरे। दीपमानत्वं स्नेहात्। मत्सेवनम् इति सेवैवानन्दरूपा जाता इति समासाद्बोध्यते, यतः ते जनाः सेवकाः। भक्तियोग इति तस्यैव नाम। स एव आत्यन्तिक इति उदाहृतः। तस्य स्वातन्त्र्याय भगवत इव फल-साधकत्वमाह-येन इति। येन भक्तियोगेन त्रिगुणमतिव्रज्य, मद्भावाय भगवत्त्वाय, उपपद्यते योग्यो भवति इत्यर्थः। (सुबो. ३।२९।११-१४)।

निर्गुण भक्तियोग का लक्षण कहा गया है३।) (भाग. ३।२९।११) इत्यादि वाक्यों में स्नेहरूपा भक्ति का अनुवाद ही किया गया है (न कि विधान)।

तात्पर्य यह है कि इन वाक्यों में श्रीकृष्ण में निरतिशय प्रेम रखने वालों को महाभाग कहकर, भगवान में सुदृढ़ एवं सर्वाधिक स्नेह को ही भक्ति (एवं मुक्ति का एकमात्र साधन) कहकर, अहैतुकी एवं अव्यवहित भक्ति को निर्गुण कह कर तथा भगवान् में मन की स्वाभाविक वृत्ति को भक्ति कहते हुए उसे सभी सिद्धियों से श्रेष्ठ बताकर, प्रेमात्मक भक्ति का (विधान न करके) अनुवादमात्र किया गया है।

और साधनरूप श्रवणादिलक्षणा भक्ति का तो, 'अतः हे परीक्षित्! अभयप्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को सर्वात्म परमेश्वर भगवान् हरि का श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण करना चाहिए।१' (भाग. २।१।५) इत्यादि वाक्यों में विधान किया ही गया है। इस प्रकार पूर्वोक्त सिद्धान्त की सारी बातें ठीक हैं। सिद्धान्त की पुष्टि के लिए दी जाने वाली युक्तियों का उपर्युक्त प्रकार से दिशा-निर्देश किया गया है (इसी प्रकार की अन्य युक्तियां अणुभाष्य (३।३) आदि में दी गई है, उन्हें वहीं से समझना चाहिए।

अब श्रीविट्ठलनाथ अपनी इस कृति की रचना का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए ग्रन्थ का उपसंहार करते हैं।

सम्प्रदायाभिज्ञ विद्वान् लोग भी मन्त्रोपासना (अर्थात् गोपाल आदि मन्त्रों की उपासना) को ही भगवान् श्रीकृष्ण की भक्ति समझ बैठते हैं और उस उपासना से ही अपने को कृतार्थ मान लेते हैं। वे उस उपासना का उपास्य (अर्थात् विषय, उद्देश्य या फल) परमपुरुष

साधनरूपा श्रवणादिलक्षणा तु,
'तस्माद्भारत! सर्वात्मा भगवान् हरिरीश्वरः।
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छताभयम्।।'
(भाग. २।१।५)
इत्यादिवाक्यैर्विधीयत एव इति सर्वम् अनवद्यम् इति दिक्।
उपास्तिं मन्यन्ते मधुमथनभक्तिं निजकृता–
र्थतां तत्रोपास्यं परमपुरुषञ्चापि सुविदः।
द्वयोः सारूप्यात्तद्भ्रमहतिकृते मानसगतम्।
मुदा भक्तेर्हसं प्रकटमकरोद्विट्ठलकृती।।१।।
व्रजामि चरणं मुदा शरणमैहिकामुष्मिके।

अर्थात् पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को समझते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि उपासना एवं भक्ति में सरूपता है। दोनों (अर्थात् उपासना एवं भक्ति, उपास्य एवं भजनीय तथा उपासनामार्ग और भक्तिमार्ग के बाह्य साधनों के आचरण) में सारूप्य अर्थात् सादृशय होने के कारण उत्पन्न होने वाले दोनं के अभिन्न होने के स्वाभाविक भ्रम के अपनयन के लिए सफलोद्यम गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ ने प्रसन्नतापूर्वक, अपने मानस में स्थित अर्थात् हृद्गत मानसरोवर के नीरक्षरविवेकी हंसों के सदृश (उपासना एवं भक्ति में भेद स्पष्ट करने वाले) इस भक्तिहंस (नामक ग्रन्थ) को सभी के कल्याण के लिए प्रकट किया है।।१।।

मैं ऐहिक तथा आमुष्मिक अर्थों की प्राप्ति के लिए प्रसन्नतापूर्वक, अपने बारे में होने वाले अथवा अपनों को होने वाले अथवा अपनों को ऐहिक एवं आमुष्मिक अर्थों के सम्बन्ध में होने वाले संशयों को दूर कर देने वाले तथा सौभाग्यशाली (पुण्यात्मा)

---

१. देखिए, इस श्लोक की सुबोधिनी टीका और उसकी प्रकाश व्याख्या।

निरस्तनिजसंशयो य इह भगायवद्भिः स्मृतः।
व्रजेशसुतपादपङ्कजपरागरागाञ्चितम्।
करोतु सततं स मां निजतनूजवात्सल्यतः।।२।।

इति श्रीमद्गोपीजनवल्लभचरणैकतान–श्रीविट्ठलेश्वर–विरचितो भक्तिहंसः समाप्तः।।

लोगों द्वारा स्मरण किये जाने वाले पने पूज्य पिता श्री वल्लभाचार्य के चरणों की शरण में जाता हूं। वे पितृचरण मुझे अपना पुत्र होने के वात्सल्य के कारण अर्थात् पुत्रस्नेहवश नन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण के चरणकमलों की रज से सदा व्याप्त रखें।।२।।

इस श्लोक का ऊपर मूल में दिया गया पाठ भक्तिरङ्गिण्यनुरोधी है। श्रीपुरुषोत्तम के अनुसार इसके चतुर्थ चरण का पाठ,

'करोति सततं हि मां निजतनूजवात्सल्यतः।' है। उन्होंने अपनी विवेकटीका में इस श्लोक के उत्तरार्द्ध का, 'जिन श्रीवल्लभाचार्य ने पुत्रस्नेहवश निरन्तर (कमलों के पराग में आसक्ति से व्याप्त अर्थात्) अतिसुखासक्त मुझ विट्ठलनाथ को नन्दनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण के चरणरूप भक्तिमार्ग का रक्षक बना रखा है[१]। ' यह अर्थ भी किया है।

श्रीमद्गोपीवल्लभ भगवान् श्रीकृष्ण के चरणों के अनन्य भक्त गोस्वामिश्रीविट्ठलनाथ द्वारा विरचित भक्तिहंस समाप्त हुआ।

---

१. तत्फलं स्वस्मिन् दर्शयन्ति। यः निजतनूजवात्सल्यतः सततं कजपरागरागाञ्चितम् कजानि पद्यानि तत्परागे यो राग आसक्तिः तेन अञ्चितं व्याप्तम्, अतिसुखासक्तमित्यर्थः। तादृशं माम् व्रजेशसुतपादपम् व्रजेशसुतो भगवान्, तत्पादरूपो भक्तिमार्ग इति 'भगवत्पदाम्भोरुहनावम्' (भाग. १०।२।३१) इत्यन्त्र सिद्धम्, तस्य पं रक्षितारं करोतीत्यर्थः। एवमन्वयेन यतिभङ्गदोषः परिहृतो बोध्यः। यथाश्रुतव्याख्यायां तु वृत्तगन्धिचूर्णिकात्वात्र तत्र यतिविचार इति सर्वमनवद्यम्। (श्रीपुरुषोत्तमप्रणीतविवेकः, पृष्ठ ७०–७२)।